लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

4th LOK SABHA

DEBATES

[तीसरा सत्र]

Third Session

[खंड 10 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. X contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 18, गुरूवार, 7 दिसम्बर, 1967/16 अग्रहायण, 1889 (शक)

No. 18, Thursday, December 7, 1967/ Agrahayana 16, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
511.	विश्वस्वास्थ्य संगठन में भारतीय प्रतिनिधि की पराजय	Defeat of Indian Nominee at World Health Organisation	2433—2435
512.	विदेशों से सहायता	Foreign Aid	2435—2439
513.	अन्तर्राज्य नदी विवाद	Inter-State River Disputes	2439—2442
514.	कच्चे पटसन की तस्करी	Smuggling of Raw Jut	2442—2443
515.	जापान के सहयोग से उद्योगों की स्थापना	Setting up of Industries with Japanese Collaboration	2444—2446

अल्प-सूचना प्रश्न

Short Notice Question

10.	बरौनी तेल शोधक कारखाने के इंजीनियर	Engineers of Barauni Oil Refinery	2446—2451

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. No.			
516.	बैंकिंग उद्योग के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीति	National Policy on Banking	2456—2457

* किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
517.	घाटे की अर्थ व्यवस्था	Deficit Financing	2457—2458
518.	विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा कर्मचारियों की छटनी	Retrenchment of Staff by Foreign Oil Companies	2458
519.	आदिम जातियों के कल्याण के लिये धन का नियतन	Alloation for Tribal Welfare	2458
520.	परिवार कल्याण योजनाएं	Family Welfare Plans	2459
521.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में हड़ताल के कारण तेल के उत्पादन में कमी	Loss in production of oil due to strike in Oil and Natural Gas Commission	2459
522.	तेल की खोज के लिये खम्भात की खाड़ी का सर्वेक्षण	Survey of Gulf Cambay for oil exploration	2459—2460
523.	सरकारी क्षेत्र के उर्वरक कारखानों में व्ववस्थात्मक परिवर्तनों का विचार करने वाली समिति	Committee to examine organisational changes in Public Sector Fertiliser Units	2460
524.	रुपये का विनियम मूल्य	Exchange Value of Rupee	2460—2461
525.	राज्यों द्वारा विदेशों के साथ सहयोग करार किये जाना	State entering into collaboration with foreign contries	2461
526.	भूमिहीन किसानों को भूमि का आवंटन	Allotment of land to landless Tillers	2461
527.	भारतीय तेल निगम	Indian Oil Corporation	2461—2462
528.	परिवार नियोजन की योजनायें	Family planning schemes	2462
529.	कीटनाशी दवाइयां	Pesticides	2462—2463
530.	फुटकर विकास केन्द्र समिति (रिटेल आउटलेट कमेटी)	Retail outlets committee	2463
531.	अस्पतालों में स्पिरिट की कमी	Shortage of spirit in Hospitals	2463—2464
532.	तेल शोधक कारखानों का कार्य संचालन	Working of Refineries	2464

ता० प्र० संख्या

S. Q.Nos.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
533. विवाह सम्बन्धी समान कानून	Uniform Marriage Law	2464—2465
534. अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण	Price Control of Essential Commodities	2465
535. पश्चिमी घाट में सोने की तस्करी	Gold smuggling in West Coast	2465—2466
536. दिल्ली में समाचार पत्रों के भवनों का निर्माण	Construction of Buildings by News papers in Delhi	2466
538. हल्दिया बरौनी पाइपलाइन	Haldia-Barauni Pipe Line	2466—2467
539. आय कर संबंधी बकाया मामले	Pending Income Tax cases	2467
540. चण्डीगढ़ स्थित स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसन्धान संस्था के कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by Employees of Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh	2467—2468

अता० प्र० संख्या

U. Q. Nos.

3256. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को रियायतें	Concessions to scheduled castes and scheduled Tribes	2468
3257. समाज कल्याण योजनायें	Social Welfare Schemes	2468
3258. आय कर दाता	Income Tax Assessees	2468
3259. बिजली पैदा करना	Power Generation	2469
3260. विद्युत शक्ति का उपयोग	Utilisation of Electrical Energy	2469—2470
3261. दिल्ली में जाली नोट छापने वाले छापेखाने का पकड़ा जाना	Press printing Forged Currency	2470—2471
3262. मेसर्स प्रमोद पिक्चर	M/s Pramode Picture	2471
3263. बंजारा जाति को अनुसूचित आदिम जाति की सूची में शामिल करना	Inclusion of Bangara in Scheduled Tribes List	2471
3264. आन्ध्र प्रदेश में आदिवासी बस्तियां	Tribal Colonies in Andhra Pradesh	2472

तारांकित प्रश्न संख्या U.Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3265. गुजरात में सरकारी क्षेत्र में लगी पूंजी	Investment in Public Sector in Gujarat	2472
3266. गुजरात को सहायता	Assistance to Gujarat	2472
3267. गुजरात के गावों में पीने के पानी की सप्लाई	Supply of Drinking water in Gujarat Villages	2473
3268. गुजरात में कुष्ठ रोग	Leprosy in Gujarat	2473
3269. राष्ट्रीय पेयजल संभरण तथा सफाई योजना के अन्तर्गत गुजरात को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance under National Water and Sanitation Scheme to Gujarat	2473—2474
3270. सरकारी समितियों को मकान बनाने के लिये ऋण	Housing Loans to Societies	2474
3273. कूली निधियां	Cooley Funds	2475
3274. उत्तर प्रदेश में कृषि वित्त निगम द्वारा मंजूर किया गया ऋण	Loans sanctioned by Agriculture Finance Corporation in U.P.	2475
3275. राजस्थान में आदिम जातियों के व्यक्तियों के लिये मकान	Houses for Tribal People in Rajasthan	2475—2476
3276. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर	Assistant Engincers in C.P.W.D.	2476—2477
3277. मेसर्स ओरियंटल टिम्बर ट्रेडिंग करपोरेशन (प्रा) लिमिटेड और मेसर्स मेकेन्जीज लिमिटेड	M/s Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd. and M/s Mackanzies Ltd.	2477—2478
3278. मेसर्स रामजीलाल झुनझुनवाला की फर्में	Firms of M/s Ramji Lal Jhunjhunwala	2478
3279. मध्यम आय वर्ग के लिये मकान	Houses for Middle Income Group	2479
3280. अस्थायी वर्कस असिस्टेंटों को सेवा निवृत्त किया जाना	Retirement of Temporary Work Assistants	2479—2480

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3281.	केरल में चीन के पेनों की बिक्री	Sale of Chinese Pens in Kerala	2480—2481
3282.	हैदराबाद का निजाम	Nizam of Hyderabad	2481
3283.	नलकूपों के लिये बिजली का दिया जाना	Power Supply of Tube Wells	2481—2482
3284.	सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक कारखाने	Public Sector Industrial Concerns	2482
3285.	नाइलोन के धागे का आयात	Import of Nylon Yarn	2482—2483
3286.	निजाम की सम्पत्ति पर सम्पदा शुल्क	Estate Duty on Nizam's Property	2483
3287.	होटल अकबर, नई दिल्ली	Hotel Akbar, New Delhi	2483
3288.	भूतपूर्व शासकों की सम्पत्ति	Properties of Ex-rulers	2483—2484
3289.	बम्बई में छापे मारकर बरामद किया गया सोना	Gold Recovered Through Raids in Bombay	2484
3290.	तेल उत्पादों के निर्यात से प्राप्त विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange Earnings from Export of Oil Products	2484—2485
3291.	भारतीय दलित वर्ग संघ को अनुदान	Grants to Bhartiya Dalit Varg Sangh	2485
3292.	कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकारी की सम्पत्ति के विवरण	Property Returns of Central Government Employees	2486
3293.	भूतपूर्व विरुद्ध सदस्यों को की ओर शेष राशियों	Dues from Ex-M.Ps.	2486
3294.	अफीम का निर्यात	Export of Opium	2486—2487
3295.	बम्बई में बरामद सोना	Gold Recovered in Bombay	2488
3296.	रूबी जनरल इंश्योरेंस कम्पनी	Ruby General Insurance Company	2488
3297.	श्री रामनारायण रुइया के परिवार का आयकर निर्धारण	Income tax Assessment of Shri Ramnarayan Ruia's Family	2488—2490
3298.	लूप	Loops	2490—2491

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3300.	उर्वरकों का उत्पादन	Subordinate offices of the Ministry of Irrigation and Pover Production of Fertilizers	2491 –2492
3301.	दिल्ली में तस्करी की वस्तुओं की बिक्री	Smuggled Goods Sold in Delhi	2492
3302.	मंदी	Recession	2493
3303.	बाड़मेर के निकट हवाई अड्डा	Airfield Near Barmer	2493
3305.	राज्यों में मेहतरों का जीवन स्तर	Standard of Living of Scavengers in States	2493
3306.	सिन्दरी उर्वरक कारखाने में हड़ताल	Strike in Sindri Fertilizers Factory	2494
3307.	लोक निर्माण विभागल मनीपुर द्वारा उठाई गई हानि	Loss in P.W.D. Manipur	2494
3308.	उड़ीसा की सहायता के लिए धन का नियतन	Relief Fund for Orissa	2494
3309.	कामगुंडा परियोजना	Ramagunda Project	2495
3310.	गोरखपुर में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Factory at Gorakhpur	2495
3312.	दिल्ली में स्त्रियों का ट्रनैतिक पणन	Immoral Traffic in Women in Delhi	2496
3313.	क्षतिग्रस्त बांध	Damaged Dam	2496
3314.	दिल्ली में मद्यनिक्षेध संबंधी कानून	Prohibition Laws in Delhi	2497
3315.	कलकता स्थित कालटैक्स के प्रतिष्ठान का प्रबन्ध लिया जाना	Taking over of Caltex Instalation Calcutta	2497—2498
3316.	सिचाई और गांवों में बिजली लगाने पर परिव्यय	Outlay on Irrigation and Rural Electrification	2498
3317.	दिल्ली में पेय जल की सप्लाई पर अपव्यय	Infructuous Expenditure on Drinking Water Supply in Delhi	2498—2499

तारांकित प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3318.	दिल्ली में अपमिश्रण विरोधी अभियान	Anti Adulteration Drive in Delhi	2499—2500
3319.	कैम्बे की खाड़ी में खुदाई कार्य	Drilling Operations in the Gulf of Cambay	2500
3320.	प्रत्यक्ष करों सम्बन्धी कानूनों की सरलीकरण	Simplification of Direct Tax Law	2500—2501
3321.	पटरियों पर सोने वाले व्यक्ति	Pavement Sleepers	2501
3322.	मकानों का निर्माण	Construction of Houses	2501—2502
3323.	नगरीय तथा ग्राम्य आयोजन	Town and Country Planing Organisation	2502
3324.	दिल्ली में तस्करी	Smuggling in Delhi	2502—2503
3325.	केन्द्रीय राजस्व बोर्ड	Central Board of Revenue	2503—2504
3326.	गर्भपात से मृत्यु	Deaths by Abortion	2504
3327.	रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली में क्वाटरों का आवंटन	Allotment in Ramkrishnapuram, New Delhi	2504
3328.	नये उर्वरक कारखाने	New Fertilizer Factories	2504—2505
3329.	दिल्ली में विश्व बैंक के कर्मचारी	Location of World Bank's Staff in Delhi	2505
3330.	चांदी का मूल्य	Price of Silver	2506
3331.	दिल्ली विकास प्राधिकार के कर्मचारियों को बोनस	Bouns to D.D.A. Employees	2506
3332.	दिल्ली विकास प्राधिकार द्वारा भूमि की खरीद	Purchase of land by D.D.A.	2506
3333.	मनीपुरी तम्बाकू से कैंसर	Cancer by Mainpuri Tobacco	2507
3334.	पालम हवाई अड्डे पर विदेशी मुद्रा का पकड़ा जाना	Seizure of Foreign Exchange at Palam Airport	2507
3335.	बम्बई में सोने का पकड़ा जाना	Gold seized in Bombay	2507
3336.	दिल्ली के बैंकों में फिक्स्ड डिपाजिट	Fixed Deposits with Bank in Delhi	2508
3337.	ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य चिकित्सा सेवा	Compulsory Medical Service in Rural Areas	2508

अता० प्र० सख्या

U.Q. Nos.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3338. नोटों का छापा जाना	Printing of Currency Notes	2509
3339. विदेशों को दिया गया ब्याज	Interest paid to foreign countries	2509
3340. पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी से प्राप्त सहायता	Aid Received from East and West Germany	2509—2510
3341. आंख और कान, नाक और गले के विभागों का अलग अलग किया जाना	Bifurcation of Eye and E.N.T. Developments	2510
3342. मैसर्स ओरियटल टिम्बर ट्रेडिंग कारपोरेशन तथा मैसर्स मैकेन्जीज लिमिटेड, बम्बई	M/s Oriental Timber Trading Corporation and M/s Mechanizies Ltd., Bombay	2510—2511
3344. दिल्ली छावनी में काम करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को क्वार्टरों का अलाटमेंट	Allotment of quarters for Central Government Employees working in Delhi Contonment	2511
3346. परिवार नियोजन योजनएं	Family Planning Schemes	2511
3347. जीवन बीमा निगम द्वारा शेयरों में पूंजी लगाना	L.I.C. Investment in Shares	2512
3348. बम्बई में सोने का तथा अवैध मालका पकड़ा जाना	Contraband goods and Gold Seized in Bombay	2512
3349. केन्द्र द्वारा कलकत्ता निगम को देय करों की बकाया राशि	Taxes from Centre due to Calcutta Corporation	2512—2513
3350. हरियाना की बिजली की आवश्यकता	Electricity Requirements of Haryana State	2513
3351. यमुना जल का विवाद	Jamuna Water Dispute	2513—2514
3352. आसाम और गुजरात में गैस का मूल्य	Price of Gas in Assam and Gujarat	2514
3354. राजस्थान में सिंचाई और बिजली परियोजनाएं	Irrigation and Power projects in Rajasthan	2514—2515
3356. पूर्व निर्मित मकान	Pre-Fabricated Houses	2515
3357. जवाहर ज्योति	Jawahar Jyoti	2515—2516
3358. उद्यान विभाग की नरसरी	Nurseries maintained by Horticulture Department	2516

तारांकित प्रश्न संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3359.	गोहाटी में पकड़ा गया सोना	Gold Seized in Gauhati	2516—2517
3360.	हिन्दुस्तान एण्टीबायाटिक्स लिमिटेड	Hindustan Antibiotics	2517
3361.	दिल्ली की बस्तियों के मान-चित्र	Maps of colonies in Delhi	2517
3362.	नगरीय भूमि के दाम	Prices of Urban Land	2517—2518
3363.	अर्जित्ते की गयी भूमि को मुक्त करना	Defreezing of Acquired Land	2518
3364.	ग्रामीण क्षेत्रों अनिवार्य चिकित्सा सेवा	Compulsory Medical Service in Rural Areas	2518—2519
3365.	अत्यावस्यक उपयोक्ता वस्तुओं के मूल्य	Prices of essential consumer goods	2519
3366.	औद्योगिक विकास बैंक	Industrial Development Bank	2519—2520
3367.	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों का आन्दोलन	C.H.S. Doctors' Agitation	2520
3368.	परिवार नियोजन के लिये सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहन	Incentive to Government Employees for Family Planning	2520—2521
3369.	एक रुपये के नोटों की गड्डी में नोट का कम होना	Shortage of Rs. 1 bunch notes	2521
3370.	कीटनाशी दवाइयों का उत्पादन	Production of Posticides	2521—2522
3371.	शिमला में होलिडे होम	Holiday Home in Simla	2522—2523
3372.	वर्धा के निक्ट मेडिकल कालेज	Medical Colloge near Wardha	2523
3373.	कोरबा परियोजना	Korba Project	2523
3374.	चौथी योजना की कालावधि में मुख्य परियोजनायें	Major Projects during Fourth Plan	2523—2524
3375.	कोचीन में तापीय संयंत्र	Thermal Plant at Cochin	2524
3376.	रूसी ऋणों का भुगतान	Repayment of Soviet Loans	2524—2525
3378.	सरकारी प्रतिभूतियों में लगाई गई भविष्य निधि	Provident Fund invested in Government Securities	2525—2526
3379.	मेसर्स प्रमोद पिक्चर्स द्वारा पौण्ड पावना का हस्तान्तरण	Transfer of Sterling Balances by Pramode Pictures	2526

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3380.	मैसर्स जे० पी० एंड सन्स	M/s J. P. and Sons	2526—2527
3381.	स्प्रिंग बनाने के लिये सामग्री का आयात	Import of Materials for Manufacture of springs	2527
3382.	मोटरगाड़ियों के लिये स्प्रिंग की सप्लाई	Supply of springs for Motor Vehicles	2527—2528
3383.	बिहार में बैंकिंग उद्योग	Banking Industry in Bihar	2528
3384.	गृह-निर्माण सम्बन्धी योजना	Housing Plan	2528—2529
3385.	कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाने	Coal Based Fertilizer Plants	2529—2530
3386.	आयकर अधिनियम 1961 के अन्तर्गत कर निर्धारण	Settlement petitions under the Income Tax Act, 1961	2530
3387.	उर्वरक कारखाने	Fertilizer Factories	2530
3388.	मध्य प्रदेश ग्रामीण आवास योजनाएँ	Rural Housing Schemes in M. P.	2531
3389.	मध्य प्रदेश में नगरीय विकास	Urban Development in M.P.	2531
3390.	उर्वरकों की उत्पादन लागत	Production cost of Fertilizers	2531—2532
3391.	केन्दीय करों की वसूली	Recovery of Central Taxes	2532
3392.	मध्य प्रदेश में बड़ी सिचाई परियोजनाओं के लिये सहायता	Assistance for Major Irrigation Projects in Madhya Pradesh	2532—2533
3393.	फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड कर्मचारी संघ	Fact Employees' Association	2533
3394.	स्टेट बैंक आफ इण्डिया के कर्मचारियों के वेतन मान का पुनरीक्षण	Revision of Scales of Pay of Supervisory Staff of Reserve Bank of India	2533—2534
3395.	मैसर्स बिहारीलाल रामचरण, कानपुर	M/s Beharilal Ram Charan, Kanpur	2534
3396.	मैसर्स लक्ष्मी रतन काटन मिल्स लिमिटेड	M/s. Lakshmiratan Cotton Mills, Kanpur	2534—2535
3397.	तवा परियोजना	Tawa Project	2535
3398.	प्राकृतिक गैस के मूल्य	Prices of Natural Gas	2535—2536

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3399.	आसाम में पैट्रोलियम रसायन उद्योग	Petro Chemical Complex in Assam	2536—2537
3400.	नागार्जुन सागर बाँध पर जल द्वार	Sluice Gates at Nagarjuna Sagar Dam	2537
3401.	बम्बई में चाँदी का बरामद किया जाना	Silver Reserved in Bombay	2537
3402.	बरौनी और गोहाटी तेल-शोधक कारखानों को हुई हानि	Loses suffered by Barauni and Gauhati Refineries	2537—2538
3403.	आसाम तथा उत्तर प्रदेश के गांवों में बिजली लगाना	Electrification of Assam and U.P. Villages	2538
3404.	भवन निर्माण सामग्री के ऊंचे दाम	High Prices of Building Materials	2538—2539
3405.	हिन्दी प्रकाशनों का मुद्रण	Printing of Hindi Publications	2539
3406.	संश्लिष्ट औषधियों और शल्यचिकित्सा के औजारों का निर्यात	Export of Synthetic Drugs and Surgical Instruments	2540
3407.	पैट्रोलियम और तेल उत्पाद	Petroleum and Oil Products	2540—2541
3408.	सरकारी उपक्रमों में वरिष्ठ प्रबन्धक पद	Senior Management posts in Public undertakings	2541
3409.	विश्व बैंक द्वारा कृषि कार्यक्रम के लिये वित्त की व्यवस्था	Financing of Agricultural Programme by World Bank	2542
3410.	बम्बई के एक चलचित्र कलाकार, श्री राजकपूर द्वारा विदेशी मुद्रा की जमाखोरी	Hoarding of Foreign Exchange by Raj Kapoor, a Film Actor of Bombay	2542—2543
3411.	फिल्मों के सम्बन्धित लोगों के वसूल की जाने वाली आय कर और धनकर की बकाया राशि	Income Tax and Wealth Tax due Film Producers/Actors	2543
3412.	परिवार नियोजन के साधन	Family Planning Devices	2543
3413.	नोटों का मुद्रण	Printing of Currency Notes	2544

तारांकित प्रश्न संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3414.	मनीपुर से आयकर का वसूल किया जाना	I.T. Collecion from Manipur	2544
3415.	बाली नगर दिल्ली	Bali Nagar, Delhi	2544—2545
3416.	संयुक्त अरब गणराज्य में तेल की खोज	Oil Exploration in U.A.R.	2545
3417.	सफदरजंग स्कूल आफ नर्सिंग	Safdarjang School of Nursing	2545—2546
3419.	अन्दमान के लोक निर्माण विभाग के भण्डार	Andaman P.W.D. Stores	2546
3420.	बिहार राज्य सुपरफसफेट फैक्टरी के लिये गन्धक	Sulphur for Bihar State Super-phosphate Factory	2546—2547
8421.	बन्ध्यकरण आपरेशन	Sterilization Operations	2547
3422.	खतरनाक तथा अप्रिय (आफेनसिव व्यवसाय)	Dangerous and Offensive Trades	2547—2548
3423.	कोलार स्वर्ण खानों के कर्मचारियों को मेडिकल सहायता	Medical Aid to Employees of Kolar Gold Fields	2548—2549
2424.	कोलर स्वर्ण खानें	Kolar Gold Fields	2549
3425.	कोलार सोने की खाने	Kolar Gold Mines	2549—2550
3026.	कोलार स्वर्ण खानों के श्रमिक क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था	Sanitation in Labour Areas of Kolar Gold Fields	2550—2551
3427.	मैसूर में बाढ नियंत्रण तथा बाढ नियन्त्रण एवं सिंचाई योजनायें	Flood Control and Flood Control Cum Irrigation Schemes in Mysore	2551
3428.	अपर कृष्ण परियोजना के लिये विदेशी सहायता	Foreign Aid for Upper Krishna Project	2551—2552
3429.	अहर्द विकसित बस्तियों का संघ, दिल्ली	Less Developed Colonies Union, Delhi	2552
3430.	मंत्रियों द्वारा लिया जाने व्यय	Expenditure Incurred by Ministries	2552—2553
3431.	भारतीय तेल निगम के उत्पादों की विदेशी मंडियां	Foreign Markets for Products of I.O.C.	2553

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3432.	आसाम में पन बिजली की क्षमता	Hydel Potential in Assam	2553—2554
3433.	पानी को गन्दा होने से रोकना	Water Pollution Control	2554
3434.	सुपर बाजार से खाद्य पदार्थों के नमूने	Samples of Eatables from Super Bazar	2554—2555
3435.	अशोक होटल	Ashok Hotel	2555
3436.	भेषज परिषदें	Pharmacy Councils	2556
3437.	मनीपुर की बेट आदिम जाती को अनुसूचित आदिम जातियों में शामिल करना	Inclusion of Baite Tribe of Manipur in Scheduled Tribes	2556—2557
3438.	गंडक परियोजना	Gandak Projects	2557
3439.	राजस्थान के लिये पाइपलाइन योजना	Pipeline Scheme for Rajasthan	2557
3440.	विमुद्री करण	Demonetisation	2558
3441.	चीनी लोगों द्वारा परिचालित मुद्रा	Currency Circulated by Chinese	2558
3442.	पौंड का अवमूल्यन	Devaluation of Sterling	2558
3443.	चौथी पंच वर्षीय योजना में उर्वरक कार्यक्रम	Fourth Plan Fertilizer Programme	2559
3444.	इरान से अशोधित तेल	Crude Oil from Iran	2559
3445.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त द्वारा करने की शिकायतों की जांच करने की प्रणाली	Compliants Investigation System by Commissioner of Scheduled Castes and Tribes	2560
3446.	सड़क कूटने वाले इंजन	Road Rollers	2561
3447.	बर्मा से स्वदेश लौटे पेंशन भोगी लोग	Burma Returned Pensioners	25561—2562
3448.	राज्य व्यापार निगम द्वारा राक फास्फेट और गंधक की प्राप्त करने का दोष पूर्ण तरीका	Defection Procurement of Rock Phosphate and Sulphur by S.T.C.	2562

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
3449.	देहाती क्षेत्रों की अतिरिक्त आयका पुंजी निवेश	Investment of Extra Income of Rural Areas	2562—2563
3450.	दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा नर्सिग कालेज की सम्बद्धता का समाप्त किया जाना	Disaffiliation of Nursing College by Delhi University	2563
3451.	उत्तर प्रदेश की केन्द्रीय उत्पादन शुल्क संस्था	Central Excise Association of U.P.	2563—2564
3452.	तीस जनवरी मार्ग, नई दिल्ली की झुग्गियां	Jhuggies in Tees January Marg, New Delhi	2564
3453.	कुछ हैड वर्क्स का पंजाब को हस्तान्तरण	Transfer of Certain Head work to Punjab	2564
3454.	आयुर्वेदिक गर्भ निरोधक औषधियाँ	Ayurvedic Contraceptives	2565
3455.	लूप के असफल मामले	Unsuccessfull Cases of Loops	2565—2566
3456.	तीसरा वेतन आयोग	Third Pay Commission	2566
3457.	सरकारी कर्मचारियों के स्थानान्तरण के समय क्वाटरों का नियतन	Allotment of Accomodation of Transfer of Govevrnment Employees	2566—2567
3458.	मनीपुर में मानसिक अस्पताल	Mental Hospital in Manipur	2567
3459.	डिगबोई तेल क्षेत्र लखीमपुर में तेल भण्डार वाले क्षेत्र	Digboi Oil Field New Oil Bearing Areas in Lakhmipur	2567—2568
3461.	भारतीयों द्वारा विदेशों में होटलों का खोला जाना	Opening of Hotels aboard by Indians	2568
3462.	10, जनपथ, नई दिल्ली	10, Janpath, New Delhi	2568—2569
3463.	दिल्ली में छोटे प्लाटो की मांग	Demand for Small Size Plots in Delhi	2569
3464.	जीवन बीमा निगम द्वारा राजस्थान को ऋण	L.I.C. Loan to Rajasthan	2570
3465.	नैपथा की कमी	Shortage of Naphtha	2570—2571

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
3465-A	गुजरात में गैस का मूल्य निर्धारित करने के लिए पंच फैसला	Abritration to Settle Gas price in Gujarat	2571
3465-B	मध्य प्रदेश में सत्यारा बांध के निर्माण की योजना	Scheme for construction of Satyara Dam in M. P.	2571—2572
3465-C	ऐस्सो और बर्मा शैल के तेल शोधक कारखाने	Esso and Burmah Shell Oil Refineries	2572—2573
3465-D	परिवार नियोजन कार्यक्रम में बन्धकरण	Castration in Family Planning Programmes	2573
3465-E	एण्टीबायटिक्स परियोजना ऋषिकेश	Antibiotics Project, Rishikesh	2573
3465-F	एलाटियों द्वारा अतिक्रमण	Enroachments by Allottees	2573—2574
3465-G	सनलाइट कालोनी मोती बाग, नई दिल्ली	Sun light Colony, Moti Bagh, New Delhi	2574
3465-H	नशा बन्दी	Prohibition	2574—2575
3465-I	बिरला की फर्मों से सम्बन्धित आयकर की फाइलें	Income Tax of Birlas	2575
3465-J	भूतपूर्व रेलवे मंत्री के लिए पी फार्म	'P' Form for former Railway Minister	2575
	अतारांकित प्रश्न संख्या 753 दिनांक 16 नवम्बर, 1967 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to unstarred Q. No. 753 dated 16-11-1967	2575—2576
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	2576—2584
	भारत के गत सामान्य निर्वाचनों में रूस का कथित हस्तक्षेप	Reported Russian interference with the last General Election in India	
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Paper Laid on the Table	2584—2585
	अशोक होटल के कर्मचारियों के लिए बोनस के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 366 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to S. Q. No. 336 re. Bonus for Employees of Ashoka Hotel	2585

तारां० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
	राजभाषा संशोधन विधेयक और राजभाषा के बारे में संकल्प	Official Languages Bill and Resolution Re. Official Languages	2585—2687
	विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	
	श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	
	श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy	
	श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha	
	श्री रा० रा० सिंह देव	Shri R. R. Singh Deo	
	श्री अमृत नाहाटा	Shri Amrit Nahata	
	श्री जगन्नाथराव जोशी	Shri Jagannath Roa Joshi	
	श्रीमती सुचेता कृपालानी	Shrimati Sucheta Kripalani	
	कार्य मंत्रणा समिति 10वां प्रतिवेदन	Business Advisory Committee Tenth Report	2688

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

7 दिसम्बर, 1967 । 16 अग्रहायण, 1889 (शक) का

शुद्धि-पत्र

1. मुख पृष्ठ को पहली पंक्ति में 'बुधवार' के स्थान पर 'गुरुवार' पढ़िये ।

2. पृष्ठ 2576 से 2664 निकाल दीजिये ।

3. पृष्ठ (v) में अ.प्र.संख्या 3298 के पश्चात् निम्नलिखित पढ़िये :

3299	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय	Subordinate Officesof the Ministry of Irrigation and Power 2491

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

7 दिसम्बर, 1967 । 16 अग्रहायण, 1889 (शक) का शुद्धि-पत्र

1. मुख पृष्ठ को पहली पंक्ति में 'बुधवार' के स्थान पर 'गुरुवार' पढ़िये ।

2. पृष्ठ 2576 से 2664 निकाल दीजिये ।

3. पृष्ठ (v) में अ.प्र.संख्या 3298 के पश्चात् निम्नलिखित पढ़िये :

3299	सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय	Subordinate offices of the Ministry of Irrigation and Power 2491

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 7 दिसम्बर, 1967/16 अग्रहायण, 1889 (शक)

Monday, December 7, 1967/Agrahayana 16, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
Oral Answers to Questions

विश्व स्वास्थ्य संगठन में भारतीय प्रतिनिधि की पराजय

+*511. **श्री जार्ज फरनडीज :** **श्री जागेश्वर यादव :**

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उलन बटोर में हाल में हुए क्षेत्रीय सम्मेलन में श्रीलंका के उम्मीदवार ने दक्षिण पूर्व एशिया के लिये विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्षेत्रीय निदेशक के पद के लिये भारतीय उम्मीदवार को हराया था ;

(ख) क्या सरकार को श्रीलंका सरकार द्वारा लगाये गये आरोप की जानकारी है कि इस पद के लिये श्रीलंका के उम्मीदवार के चुनाव के बारे में भारत सरकार ने विश्वास घात किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस आरोप में कितनी सचाई है ?

स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री० चन्द्र शेखर):

(क) जी, हाँ ।

(ख) जी, नहीं, श्रीलंका सरकार ने इस बारे में हमारे विरुद्ध विश्वासघात का कोई आरोप नहीं लगाया है ।

(ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

Shri George Fernandes : The matter is not so simple as the Hon. Minister has tried to make it. There is a pretty long history behind the defeat of our nominee there, which was the result of a serious mistake made by our Health Minister. The Hon. Minister is evading the truth and he is not making a factual statement. I want to know whether it is a fact that the Government of India had given an assurance to the Ceylonese Government in 1948 when Shri Mani was elected as the Regional Director of the World Health Organisation that Indian Reprensentative would support the candidature of the Ceylonese nominee in the next election after the expiry of the 5 year term of the office.

डा० श्री० चन्द्रशेखर : यह कहना सच नहीं है कि भारत ने कभी ऐसा आश्वासन दिया था कि भारत अपना उम्मीदार खड़ा नहीं करेगा क्योंकि मामला ऐसा है कि इस पद पर बारी-बारी से नियुक्ति नहीं होती है, बल्कि वर्ष 1966 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की उन्नीसवीं प्रादेशिक समिति के संकल्प के अनुसार उस पर नियुक्ति गुणों के आधार पर की जाती है। चुनाव में हर एक देश को अपना उम्मीदवार मनोनीत करना था। इसलिये योग्यता के आधार पर भारतीय प्रतिनिधि खड़ा किया गया था। लेकिन समिति का दृष्टिकोण बारी से नियुक्ति करने का था जो इस खण्ड के लिये उतनी अच्छी बात नहीं है। इस पद के लिये भारतीय उम्मीदवार की अर्हताएँ—विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक्जिक्यूटिव बोर्ड के सभापति तथा विश्व लोक स्वास्थ्य संगठन फेडरेशन के अध्यक्ष होने के अलावा भारत सरकार तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन की विशिष्ट रूप से सेवा करने का अत्युत्तम रिकार्ड भी है, इस आधार पर वह मनोनीत किये गये थे। जहाँ तक आश्वासन देने का सम्बन्ध है, लिखित रूप में भारत की ओर से ऐसा कोई आश्वासन नही दिया गया था कि भारत अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगा।

George Fernandes : No Sir, he is deliberately concealing the truth by saying that no sueh assurance was given in writing. I want to know whether any oral assurance was given to this effect.

डा० श्री० चन्द्रशेखर : मैं इस सम्बन्ध में अधिक और कुछ भी नहीं कह सकता कि हो सकता है मेरे पूर्वाधिकारी ने बात-चीत के दौरान पर मौखिक आश्वासन दिया हो, लेकिन मेरे पास उसका कोई रिकार्ड नहीं है।

George Fernandes : My second question is whether it is a fact that during his visit to Kabul to participate in the World Health Conference, the Coylonese representative there referred to the assurance given by the previous Health Minister Dr. Sushila Nayar that India would support the Ceylonese nominee in 1967 although she had not kept her promise during the previous three elections; whether it is also a fact that the External Ministry had suggested that the name of Dr. K. N. Rao, who happens to be the Son-in-law of the former President of India, should not be forwarded as a nominee of the Govt. of India and that the assurance given to Ceylonese should be implemented and whether it is also not a fact that the Hon. Minister bad told the Ceylonese representative that being a member of the new Government which had emerged after the General Elections, he was not bound by the assurance given by his predecessor in this regard?

डा० श्री० चन्द्र शेखर : मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहूँगा कि जब मैं विश्व स्वास्थ्य संगठन सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता की हैसियत से भाग लेने गया था, तो मेरी बात-चीत केवल श्रीलंका के राजदूत से ही नही अपितु श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, बर्मा तथा इन्डोनेशिया के प्रतिनिधिमन्डलों के नेताओं से भी हुई थी और उन्होंने यह सुझाव

दिया था कि हम सब अपने-अपने उम्मीदवार खड़े करें। उस समय तक मुझे वैदेशिक-कार्य मंत्रालय ने जेनेवा स्थित हमारी सरकार के कार्यालय से मालूम करके यह आश्वासन दे दिया था कि स्वास्थ्य सेवाओं के हमारे महा निदेशक का नाम भारत सरकार के मनोनीत व्यक्ति के रूप में भेजा जा चुका है। यह मेरे मंत्री बनने से पहले की बात है, इसलिये मैं मंत्री की हैसियत से भारत सरकार द्वारा खड़े किये गये उम्मीदवार का समर्थन करने के लिये बाध्य था।

George Fernandes : The question is whether the Ambassador of Ceylone had referred to the assurance given by the previous Minister and whether he told him that he was not bound by the assurance referrd to.

डा० श्री० चन्द्रशेखर : जैसे कि मैंने बताया, दक्षिण पूर्व एशियाई खण्ड के कई राजदूत तथा प्रतिनिधिमंडल मुझसे मिले और अपने उम्मीदवारों के गुणों तथा अर्हताओं का उल्लेख करते हुए अपने दावों का जोरदार समर्थन करने लगे। ऐसी स्थिति में मुझे मजबूरन तथा बाध्य होकर कहना पड़ा कि मैं सरकारी प्रतिनिधि हूँ और मैं भारत सरकार के निदेश का पालन करने के लिये बाध्य हूँ।

George Fernandes : I am asking about Ceylon.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि क्या श्रीलंका के प्रतिनिधि ने हमारे भूतपूर्व मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन का उल्लेख किया था ?

डा० श्री० चन्द्रशेखर : गैर-सरकारी तौर पर हुई ऐसी किसी बात का मुझे ख्याल नहीं है। मैं उनका रिकार्ड नहीं रखता।

Shri Ram Sewak Yadav : He has resorted to a white lie.

Foreign Aid

*512. **Shri Prakash Vir Shastri** :
Shri Shiv Kumar Shastri :
Dr. Surya Prakash Puri :
Shri Ram Avatar Sharma :
Shri Mahant Digvijai Nath :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether a proposal to reduce gradually the amount of foreign aid is under the consideration of Government; and

(b) if so, when a final decision is likely to be taken thereon ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) and (b) As indicated in the Third Five Year Plan the main objective of economic planning was gradually to redure dependence on foreign aid and to achieve self sufficiency. This being part aud parcel of the objective of the planning cannot be regarded as a separate proposal about which a decision is necessitated.

Shri Prakash Vir Shastri : May I know the total amount received from abroad during the last three Five Year Plans for various projects and other development programmes and also the foreign capital invested in various companies under various agreemants? May I also knew the amount of interest India is paying annually on this amouut?

Shri Morarji Desai : 6,006 million dollors have been received so far during the Third Five Year Plan. We have received a total amount 9,433 million dollors during all the three years. I have no figures of intrest at present. I will give these figures lateron.

Shri Prakash Vir Shastri : The former Governor of the Reserve Bank of India had recently stated in his statement that the economic condition of the country deteriorate further and we might resort to foreign loan, to pay the interst on foreign loan. May I know whether the Ministry of Finance has prepared any scheme to improve the economic condition of the country and if so the outlines thereof?

Shri Morarji Desai : At the initial stage we will have to obtain loans from abord to repay the foreign debts. There is nothing wrong in it. No doubt we will have some diffilculties in the beginning but we will get return from the utilization of foreign loans. We have requested the World Bank to extend the period of repayment of these loans so that we may easily repay them. They are considering our request. The final decision has not yet been taken.

Shri Ram Avatar Sharma : The Hon. Finance Minister has just stated that there is nothing to take foreign loanes to repay the previous foreign debts. May I know whether there is any proposal under consideration gradually to reduce the amount of foreign aid.

Shri Morarji Desri : I have already stated that it becomes necessary to obtain loans for the repayment of previous debt. I have also stated the manner it will be repaid.

Shri Shiv Kumar Shastri : May I know whether the Hon. Minister during his recent visit abroad had a talk with foreign country for loans for the repayment of previous debts and if so what were its results?

Shri Morarji Desai : I have just answered this question.

Shri Shiv Narain : May I know whether Government have any programme to collect money by small saving scheme in the country?

Shri Morarji Desai: The Small Saving Scheme is already in operation in the country but this scheme alone does not serve the purpose.

Shri Rabi Ray : May I know whether the attention of the Hon. Minister has been drawn to the fact that the amount of foreign aid has been increasing day by day and on the other hand the rate of growth has been decling as a result of which we have become bank crupt and we have to resort to devoluation under the pressure of America? How long we will have to depend on foreign aid ? May I also know whether Government have any scheme to take loan from International Bodies such as World Development Authority or World Development Body instad of individual countries with a view to safeguard our soverei-gnty ?

Shri Morarji Desai : We get loans from the World Bank as as well as from individual countries because the World Banks' loan alone can not meet our entire demand.

Shrimati Lakshmikanthamma : May I know the obstacles coming in the way of foreign aids which is required for making India selfreliant as reiterated by the Prime Minister that this aid is for no aid ?

Shri Morarji Desai : This foreign aid is not attached with any strings. It depends upon the aid giving countries whether they are in a position to give aid.

श्री नन्द कुमार सोमानी : क्या यह सच है कि विश्व बैंक के कथनानुसार हमे विदेशी सहायता में कमी का एक कारण यह है कि सहायता देने वाले देश उस सहायता के उपयोग से सन्तुष्ट नहीं है ?

श्री मोरारजी देसाई : मैं माननीय सदस्य की इस धारणा से सहमत नहीं हूँ ।

श्री दामानी : पिछले पाँच वर्षों में हमारा विदेशी ऋण 2,320 करोड़ रुपये बढ़ गया है। इस वर्ष निर्यात की तुलना में हमारा आयात बढ़ गया है । अतः मैं जानना चाहता हूँ कि बढ़े हुए आयात के अनुसार निर्यात बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

श्री मोरारजी देसाई : इसके बारे में मैंने तथा वाणिज्य मंत्री ने समय-समय पर बताया है।

Shri Ram Sewak Yadav : Keeping in view our foreign exchange crisis and economic crisis may I know whether we import consumers goods out of the foreign loans or it has declined?

Shri Morarji Desai : We do not import consumers' goods. We only import raw materials required for our industry and which is not available in India. We import Machinary equipments, spare parts and also foodgrains.

श्री पें० वेंकटासुब्बया : अभी उपप्रधान मंत्री ने कहा है कि विदेशी सहायता पर निर्भर न रह हम आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं । अतः क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या वित्त मंत्रालय तथा भारत सरकार द्वारा योजना बनाते समय इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि अधिक विदेशी सहायता न ली जाये ?

श्री मोरारजी देसाई : इसी बात को ध्यान में रख कर योजना आयोग तथा सरकार कार्य कर रही है । हमें आशा है कि अगले 8-10 वर्ष में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेंगे।

Shri Ram Charan : May I know whether Finance Minister's son was also with him during his recent visit abroad? May I also know whether the foreign exchange for this purpose was given by some International Body or by the Government?

Shri Morarji Desai : If I am required to answer this, I can answer this.

Shri Tulshidas Jadav : You must answer so that the things become clear.

श्री मोरारजी देसाई : : मैं बता दूँ कि कुछ दिन पहले एक लिखित प्रश्न में इसका उत्तर दिया जा चुका है जो कि सभा के सामने है।

Shri Kanwar Lal Gupta : May I Know whether it a fact that we are not likely to get the requisite foreign aid this year and if so, how it is sought to be met? what are the names of the countries who have agreed to the deferred payment of interesl or who would not charge interst?

Shri Morarji Desai : It is very difficult for me to give the details offhand, but I can only say that since the U. S. Senate has cut down the amount of aid asked for by the U.S. President, the amount of aid will be reduced to some extent. The quantum of reduction is not known at present. We will try to manage with what is available and will not seek aid from other quarters.

Shri Kanwar Lal Gupta : Regarding interest also I wanted to know.

Shri Morarji Desai : I have already stated that the details can be furnished later on. Previously England charged 6 percent interest, but now the repayment is spread over 25 years and we will not have to give anything for the first ten years. Germany and Japan have also reduced the rate of interest and increased the period of debt service.

Shri Tulsidas Jadhav : How does our question of loan assistance compares with that obtained by other countries? Is our period of debt service is relatively larger?

Shri Morarji Desai : It is very difficult to draw a comparison. I do not agree that India has obtained larger loans than those obtained by other countries.

श्री इंद्रजीत गुप्त : रुपये का अवमूल्यन करते समय यह तर्क दिया गया था कि इससे अधिक विदेश सहायता आकर्षित होगी । क्या अवमूल्यन के प्रत्याशित परिणाम निकले हैं ? क्या माननीय मंत्री अवमूल्यन को विदेशी सहायता प्राप्त करने का एक प्रभावशाली तरीका समझते हैं ? क्या इस अफवाह में कोई सचाई है कि सरकार दूसरी बार अवमूल्यन करने जा रही है ? क्या वह यह समझते हैं कि अवमूल्यन विदेशी सहायता प्राप्त करने में विफल रहा है ?

श्री मोरारजी देसाई : मैं नहीं समझता कि अवमूल्यन अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिये किया गया था । मैं उस समय सरकार में नहीं था और मुझे इसके कारण पता नहीं है । हमारी आर्थिक दशा को सुधारने के लिये अवमूल्यन किया गया था । परन्तु जैसा कि मैंने पहले बताया इसके प्रत्याशित अच्छे प्रभाव नहीं निकले हैं । आर्थिक विशेषज्ञों की अब भी इस बारे में दो रायें हैं। परन्तु जब तक मैं इस पद पर हूँ मैं दोबारा अवमूल्यन नहीं होने दूंगा ।

श्री वासुदेवन नायर : यदि विश्व बैंक आप से कहेगा तब ?

श्री मोरारजी देसाई : मैं ऐसा करने से पहले त्यागपत्र देकर चला जाऊंगा ।

Shri George Fernandes : You have told your secret and now they will try to dislodge you.

Shri Morarji Desai : I have my own convictions and my colleagues have their own convictions. There can be a difference of opinion. I may be wrong and others may be right. Regarding this devaluation also the economists have divergent views. There are persons who still subscribe to the views that the devaluation was imperative. First, England was very emphatic about not resorting to devaluation, but later on it had to. Therefore, what is the use of talking like that.

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच है कि सरकार को चतुर्थ पंचवर्षीय योजना को स्थगित करने के लिये मजबूर होना पड़ा क्योंकि अवमूल्यन के बावजूद पर्याप्त विदेशी सहायता नहीं आ रही है ?

श्री मोरारजी देसाई : पहले तो यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता, दूसरे मैं यह कहने के लिये तैयार हूँ कि चतुर्थ योजना में, विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण नहीं अपितु हमारी अपनी कठिनाइयों के कारण विलम्ब हो रहा है । वे कठिनाइयाँ हमारे आन्तरिक संसाधनों और देश की हाल सम्बन्धी हैं ।

श्री रा० की० अमीन : क्या माननीय वित्त मंत्री ने हमारी राष्ट्रीय आय और निर्यात क्षमता को ध्यान में रख कर विदेशी सहायता पर कोई अधिकतम सीमा रखी है ?

श्री मोरारजी देसाई : इसकी अधिकतम सीमा हमारे इसके लाभप्रद ढंग से उपयोग करने की सीमा है ।

श्री देवव्रत बरुआ : यह एक सुज्ञात तथ्य है कि अमरीका सामान्य रूप से सरकारी उपक्रमों के पक्ष में नहीं है। क्या इन समाचारों में कोई सचाई है कि अमरीका इस सम्बन्ध में हमें मंत्रणा देना चाहता है ?

श्री मोरारजी देसाई : जहाँ तक मुझे पता है हमें अमरीका या अन्य किसी सरकार इस बारे मे कोई मंत्रणा प्राप्त नहीं हुई है कि हमें अपने सरकारी उपक्रम किस तरह चलाने चाहिये । मंत्रणा तो कोई भी दे सकता है, परन्तु प्रश्न यह है कि क्या हम उस मंत्रणा को उपयोगी समझते हैं यदि हम इसको उपयोगी समझते हैं तो वह हमारा विचार बन जाता है; यदि वह उपयोगी नहीं है तो हम उसे रद्द कर देते हैं ।

Shri Madhu Limaye : It is a fact that while on the one hand Government is trying to obtain the meximum foriegn aid, on the other hand the available foreign aid is not being put to use because the draft of the plan has not been prepared?

Shri Morarji Desai : It is not wholly true, Where our plans are not ready, we have not asked for assistance. It is not that entire foreign assistance is meant for the plan. Then there are different schemes and each scheme does not materialise in one year, some of them run for 5-6 years and the plan assistance is obliged as and when it comes.

Inter-State River Disputes

513. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) the further steps taken by Government for settling the various inter-State River Disputes; and

(b) the extent to which they have been successful ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) :

(a) and (b) A number of important inter-State problems relating to irrigation, flood control and powar have olready been settled amicably through negotiations among the concerned States. Some disputes still romain to be settled. Efforts are being continued to arrive at an amicable settlement on the outstanding disputes. A statement givtng information regarding some of the disputes already settled and these still outstanding is laid on the Table of the House. [**Placed in Library See No. Lt. 1900/67**]

Shri Y. S. Kushwah: When there already exists an agreement between Madhy Pradesh and Maharashtra regarding Narmada River Project, why is the Central Government coming in their way ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० क० ल० राव) : नर्मदा नदी के बारे में दोनों राज्यों के बीच कोई समझौता नहीं है समझौते के लिये ही तो हम प्रयत्न कर रहे हैं । आशा है कि शीघ्र ही समझौता हो जावेगा ।

Shri Y. S. Kushwah : May I know whether in the recent Chief Ministers' meeting the Central Government pressurised the Madhya Pradesh Chief Minister to come to terms with Gujrat ?

डा० कु० ल० राव : मैं पहले बता चुका हूँ कि इस मास की 18 तारीख को हम चर्चा करने वाले हैं और आशा है कि किसी मित्रतापूर्ण समझौते पर पहुंचना सम्भव होगा ।

श्री मनुभाई पटेल : मध्य प्रदेश में मुख्य मंत्री और गुजरात के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री बलवन्त राय मेहता के बीच एक समझौता था कि इस नदी क्षेत्र का समुचित विकास होना चाहिये । पहले उस करार पर हस्ताक्षर किये गये, परन्तु बाद में एक पत्र द्वारा उस समझौते को तोड़ दिया गया था । यदि कोई विवाद हो तो केन्द्रीय सरकार हस्तक्षेप कर सकती है । परन्तु, यदि एक पक्ष करार का पालन न करे तो क्या प्रक्रिया अपनाई जायेगी ?

पिछले पत्र में मेरे प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया था कि अगस्त तक इस विवाद को निपटा दिया जायेगा, परन्तु अभी तक ऐसा नहीं किया गया है । अब 18 तारीख निश्चित की गई है । यदि 18 तारीख को बातचीत में सफलता नहीं मिली तो क्या सरकार इस राष्ट्रीय परियोजना की क्रियान्विति के लिये कुछ कदम उठायेगी ?

डा० कु० ल० राव : गुजरात और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों के बीच किसी करार के बारे में मुझे पता नहीं है । माननीय सदस्य शायद उस दस्तावेज का जिक्र कर रहे हैं जिसपर दोनों राज्यों के विभिन्न मंत्रियों ने हस्ताक्षर किये थे यह 1963 की बात है । परन्तु उस पर मुख्य मन्त्रियों के हस्ताक्षर नहीं थे और न ही राज्य सरकारों ने उसकी पुष्टि की थी । अतः हम उसको करार के रूप में मान्यता नहीं देते ।

जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है ऐसे मामले में कोई तिथि निश्चित करना संभव नहीं है । हम इतना ही कह सकते हैं कि हम अपना भरसक प्रयत्न कर रहे हैं और आशा कर रहे हैं कि कोई संतोषजनक हल निकल आयेगा ?

Shri Jagannath Rao Joshi : May I know whether in the projected talks centre would take upon itself the responsibility of completing the Punasa Dam or this matter will linger on as hereto fore?

डा० कु० ल० राव : पुनासा बान्ध नर्मदा नदी के विकास के लिये बहुत महत्वपूर्ण है । पुनासा मध्यप्रदेश में स्थित है । स्वभावतः मध्यप्रदेश सरकार को आवश्यक सहायता के लिये केन्द्र से मांग करनी चाहिये ।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है । मैं स्पष्ट आश्वासन चाहता हूँ कि क्या केन्द्र सहायता देगा ।

Shri Deorao Patil : The Krishna-Godavri problem is pending for a long time. There has been a meeting between the concerned Chief Minister's and they also have a meeting with the Prime Minister but this problem has not been solved so far. I would like to know whether Government would consider this problem and solve it in accordance with the River Disputis Act. Keeping in view the development problems of the three states ?

डा० कु० ल० राव : प्रधान मंत्री के साथ मुख्य मंत्रियों को गत बैठक में नदी में कुल पानी पश्चिम की ओर उसके मोड़ तथा क्रेस्ट गेटों के बारे में आंकड़े एकत्र करने की बात कही गई थी । जैसे ही आवश्यक आंकड़े एकत्र हो जाते हैं कार्यवाही की जायेगी ।

श्री जे० एच० पटेल : **

डा० कु० ल० राव : इस समस्या को हल करने के लिये हम पूरा प्रयत्न कर रहे हैं । वास्तव में कृष्णा-गोदावरी परियोजना पर काम रोका नहीं गया है । हम महसूस करते हैं कि इस समस्या को शीघ्र हल करना देश के हित में ही है । यदि यह समस्या बातचीत से हल नहीं होती तो अन्तर्राज्य नदी विवाद अधिनियम के अनुसार हल करने का यत्न करेंगे इसके बाद न्यायाधिकर का प्रश्न उत्पन्न होगा ।

श्री मु० न० नाधमूर : इस तथ्य को देखते हुए कि महाराष्ट्र तथा मैसूर दोनों राज्यों ने ने इस समस्या को अन्तर्राज्य नदी विवाद अधिनियम के अन्तर्गत हल करने की इच्छा प्रकट की है तो क्या सरकर यह आश्वासन देगी कि जब से अर्थात 1960-61 से इस प्रश्न को उठाया गया है दोनों राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा ? क्या यह भी सच है कि सरकार इन परीक्षण की मंजूरी नहीं दे रही है और वित्त देने में विलम्ब कर रही है हालांकि इनको एक राष्ट्रीय परियोजना समझा जाता है ?

डा० कु० ल० राव : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य को ठीक जानकारी के लिये बताना चाहता हूँ कि गत सात वर्षों में आन्ध्र प्रदेश में कुछ छोटे तालाबों को छोड़कर किसी परियोजना की मंजूरी नहीं दी गई है ।

श्री कमलनाथन् : हागनेकल विद्युत परियोजना के बारे में मैसूर और मद्रास राज्यों में झगड़ा है । केन्द्रीय सरकार ने इस समस्या को हल करने तथा समझौता कराने के बारे में क्या कार्यवाही की है ?

डा० कु० ल० राव : इस परियोजना के बारे में मैसूर और मद्रास में ऐसा कोई झगड़ा नहीं है । हम इस परियोजना का महत्व जानने का प्रयत्न कर रहे हैं और इस बारे में 30 दिसम्बर को बातचीत की जायेगी ।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या पानी सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के लिये माननीय मंत्री तदर्थ आधारों पर इनको हल करने की सलाह देंगे अथवा क्या वह कैचमैंट क्षेत्र, राज्यों द्वारा सप्लाई किये जाने वाले कुल पानी, कमांड क्षेत्र और बेसीन के कल्चरेबल क्षेत्र पर विचार करेंगे ?

डा० कु० ल० राव : संविधान के अन्तर्गत अन्तर्राज्य जल विवाद अधिनियम पास किया गया है और यदि सरकार इस बात से संतुष्ट हो जाती है कि बातचीत द्वारा समस्या हल करना सम्भव नहीं तो इस अधिनियम के अन्तर्गत हल किया जाता है ।

**प्रश्न कन्नड़ भाषा में पूछा गया ।

** Question in Kannada.

श्री लकप्पा : विभिन्न राज्यों में नदी के पानी के बारे में बातचीत पूर्णतया असफल रही है। इस असफलता को देखते हुए क्या यह सरकार संविधान के अनुच्छेद 262 के उपबन्धों से काम लेगी अथवा क्या यह मामला बोर्ड को सौंपा जायेगा अथवा क्या इन विवादों को हल करने के लिये कोई समय सीमा निर्धारित की जायेगी ? इस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

डा० कु० ल० राव : भारत जैसे बड़े देश और अन्तर्राज्य नदी समस्याओं को देखते हुए हमारी ये समस्यायें कुछ अधिक नहीं हैं। वास्तव में दो ही समस्याओं को हल करना शेष हैं। इन दो समस्याओं को हल करने का हम यत्न कर रहे हैं।

Shri Nathu Ram Ahirwar : I would like to know whether the Government is forcing the Madhya Pradesh Government to agree to supply the desired quantity of water to Gujarat and then complete the Punasa Dam ?

डा० कु०ल० राव : जब भी अन्तर्राज्य नदी पर किसी परियोजना की मंजूरी दी जाती है तो सम्बन्धित राज्यों को इस बारे में कोई समझौता करना होता है। ऐसे समझौते के अभाव के कारण ही पुनासा बांध में विलम्ब हो रहा है।

श्री तिन्नेटि विश्वनाथम : खाद्य को देखते हुए क्या यह अच्छा नहीं है कि जिस क्षेत्र में अधिक फसल उगाई जा सकती है उसको अधिक पानी दिया जाये और दूसरे राज्य की मांग को देखते हुए उसको धान सप्लाई कर दिया जायेगा।

डा० कु० ल० राव: यह एक सुझाव है।

Shri Onkar Lal Berwa : It was decided to give equal water to both Rajasthan and Madhya Pradesh from the Gandhi Sagar Dam but in 1966 more quantity of water was supplied to Madhya Pradesh as result there of the Rajasthan could not get sufficient water for their harvest. I would like to know whether this trend will continue is some action will be taken in the part of the Government to distribute the water equally amongs there two states ?

डा० कु० ल० राव : गांधी सागर परियोजना देश की एक अच्छी परियोजनाओं में से है जिस बारे में मध्य प्रदेश और राजस्थान में पूर्णतया समझौता हो चुका है, गत वर्ष तथा चालू वर्ष में पानी के समान वितरण के बारे में हमने एक व्यापक योजना बनाई है। यदि कोई कठिनाई है जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है तो वह हमें लिख सकते हैं और हम उस पर कार्यवाही करेंगे ?

कच्चे पटसन की तस्करी

*514. **श्री बाबू राव पटेल** :
श्री क० प्र० सिंह देव :
श्री मयाचन :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री महराज सिंह भारती :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री न० कु० सांघी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: (क) पूर्णिया से नेपाल की सीमा में प्रतिदिन कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का कच्चा पटसन चोरी छिपे भेजा जा रहा है, क्योंकि नेपाल में विराट नगर में व्यापारी लोग उनके लिये ज्यादा दाम देते हैं

(ख) क्या ऐसे अपराधों को रोकने के लिये बिहार-नेपाल सीमा पर पुलिस तैनात की गई है ;

(ग) क्या इस तस्करी के कारण भारत के कच्चा पटसन उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और यदि हाँ तो किस सीमा तक, और

(घ) इस प्रकार की तस्करी को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) नेपाल में व्यापारियों से अच्छे दाम मिलने के कारण भारत से नेपाल को चोरी-छिपे जूट ले जाने की कुछ रिपोर्टें मिली है। पूर्णियां से नेपाल की चोरी-छिपे ले जाये गये कच्चे जूट की वास्तविक मात्रा तथा मूल्य का ठीक-ठीक अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

(ख) बिहार-नेपाल सीमा के कुछ स्थानों पर पुलिस की चौकियां हैं, परन्तु केवल जूट के तस्कर व्यापार का पता लगाने के लिये कोई पुलिस तैनात नहीं की गई है ।

(ग) जहां तक सरकार को पता है, भारत से नेपाल को कच्चे जूट की तस्करी के कारण भारत के जूट उद्योग पर कोई असर नहीं पड़ा है ।

(घ) सीमा पर सभी निरोधक तथा गुप्त-सूचना एजेन्सियों को चौकन्ना कर दिया गया है तथा सीमा से लगे बिहार और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अतिरिक्त निरोधक कर्मचारी इस काम के लिये तैनात कर दिये गये हैं ।

श्री बाबू राव पटेल : क्या यह सच है कि निर्यात संवर्धन योजना के वापस लिये जाने के फलस्वरूप इस क्षेत्र में तस्कर व्यापार बढ़ गया है और नेपाल द्वारा निर्यात के लिये 70 प्रतिशत रियायत दिये जाने के फलस्वरूप कलकत्ता के पटसन व्यापारी तस्कर व्यापार में लगे हुए हैं ?

श्री मोरारजी देसाई : जी नहीं ।

श्री बाबू राव पटेल : क्या सरकार ऐसे व्यापारियों का जो नेपाल में चोर बाजार में धन एकत्र कर रहे हैं पता लगाने के लिये गम्भीरता से कार्यवाही करेगी ?

श्री मोरारजी देसाई : सदस्य यदि अपनी जानकारी से मुझे अवगत करेंगे तो कार्यवाही की जायेगी ।

Shri Maharaj Singh Bharati : During the last two years of drought we imported jute from theri tawel and Nepal. I would like to know whether it is not a fact that the price of the high quality of Jute here is low and as a result thereof it is being smuggled to foreign countries though Nepal? I would also like to know whether the Government is taking steps to purchase the total production of high quality Jute at reasonable price?

Shri Morarji Desai : This is not a fact that we are not trying to purchase the high quality Jute. Whatever steps may be taken some smuggling will go on. No one trying to check it.

Shri Hardayal Devgun : It appears that the smuggling of jute and pulses is on the increase. I would like to know whether any action is being taken by Government to check this or not? I want a categorical reply.

Shri Morarji Desai : I have already given the detail in this respect.

Setting Up of Industries With Japanese Collaboration

*515. **Shri Mohan Swarup :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Minister of Industry, Kerala, visited Japan recently with a view to enter into agreements with some firms in Japan for setting up industies in Kerala;

(b) if so, whether the Central Government accorded permission in this regard; and

(c) if not, the attitude of Government towards the matter ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri MorarJi Desai):

(a) Yes, Sir.

(b) and (c) while permdission was given for the visit for discussions in respect of undentakings which had received Central Government's approval in principle, while granting clearance, it was clarified that the terms of technical collaboration would need Central Governmet's approval before finalisation and that all discussions should be subject to this condition.

Shri Mohan Swarup : The tendency of separation on the increase in the country. I would like to know whether the direct negotiations between the states and foreign countries will not prove harmful to the country? What action is being taken by Government to check this tendency ?

Shri Morarli Desai : I have already explaned the terms in which they were allowed to carry on the negotiations. If they will go beyond that we will not sanction the concerned projects. That is the biggest hurdle which we can put in the way.

Shri O. P. Tyagi : Japan has given more importance to small scale industries keeping in view her increasing population. We have also faced with the similar problem keeping in view this fact whether any action is being to taken to encourage the small scale industries.

Shri Morarii Desai : Something has been done in this regard also.

श्री पें० बैंकटासुब्बया : माननीय सदस्य श्री मोहनस्वरूप ने एक मूलभूत प्रश्न पूछा है कि क्या राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार की अनुमति से विदेशी सरकार के साथ सहयोग और सहायता के लिये सीधे बातचीत कर सकती हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह हमारे संघीय ढांचे के अनुकूल है और कि इससे देश की पृथकता की भावना को बढ़ावा नहीं मिलेगा और यदि हां, तो क्या सरकार इस बारे में कोई दृढ़ नीति अपना रही है कि विदेशों से की जाने वाली बातचीत केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा ही की जायेगी।

श्री मोरारजी देसाई : मैंने पहले ही बताया है कि राज्य मंत्री द्वारा की जाने वाली बातचीत केन्द्रीय सरकार की अनुमति से निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत की जायेगी। अन्य कोई भी बातचीत रद्द समझी जायेगी और इस पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। वे कोई अन्तिम निर्णय नहीं कर सकते।

श्री पें० बैंकटासुब्बया : परन्तु आप उनके बातचीत की अनुमति देंगे।

श्री मोरारजी देसाई : भारत सरकार द्वारा स्वीकार की गई योजनाओं के लिये बातचीत की अनुमति दी जायेगी। अन्य योजनाओं के लिये नहीं।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : आप अपने प्रतिनिधि भेज सकते हैं।

श्री मोरारजी देसाई : यदि प्राइवेट पार्टियां विदेशों में एक दूसरे से बातचीत कर सकती हैं तो मेरे विचार में केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा अन्य सरकारों से बातचीत करने में कोई हानि नहीं है; राज्य सरकार को किसी प्राइवेट पार्टी से कम अधिकार नहीं है।

Shri S. M. Banerjee : Sir, the Hon. Finance Minister had recently gone to Japan. May I know whether in his talk there he had found there that some firms of private or public sector are interested to set up any industries here? If so, what is reaction of Government in this regard?

Shri Morarii Desai : I had not discussed the matter regarding setting up any porticular industry. I had tried to improves the relations between the two countries. If they are interested to come here we will welcome them. This is what I had discussed. I had not discussed anything regarding any particular industry.

Shri A. B. Vaipayee : I was astonished to listen to the answer of the Deputy Prime Minister. The Chief Minister should have a fresh hand to get the work done which the private firms can do. My submission is that private parties control the companies while the Chief Minister has controls over his state and to some extent over the country. The Hon. Deputy Prime Minister has said that they can have no agreement on the basis of conditions had agreed to by the centre. If agreement does not take place on the basis of those conditions that will be treated as null and void. May I know, therefore, from the Hon. Deputy Prime Minister whether he does not feel that in this way of an agreement is agreed to and later on rejected some complications may arise? May I therefore know whether it is not possible to send some representative of the central Government or Minister of Finance along with the Chief Minister when he goes for negotiation so that no such complications arise in future?

Shri Morrrji Desai : The doubt raised by the Hon. Member may prove true. But the Chief Minister had not gone there it was the Minister of Industry who had gone. Now if Minister of Industry goes and if some representative is sent along with him then.....

Shri A.B. Vajpayee : He should be sent for his help.

Shri Morarji Desai : If they want help we can send one. But if they don't want any help that no one should be sent. If such a thing happens, if they do any thing violating the conditions we will reject it and they will not be sent for the second time.

श्री कृष्णमूर्ति : अध्यक्ष महोदय, जहां तक करने का सम्बन्ध है, न तो गैर-सरकारी प्रतिनिधि वहां पर उद्योग स्थापित करने के लिये जाते हैं और न ही भारत सरकार वहां पर अधिक उद्योग स्थापित करने की मंजूरी देती है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि उप-प्रधान मंत्री द्वारा स्वीकार की गई शर्तों पर जब निजी तौर पर व्यक्ति विदेशी फर्मों के साथ बातचीत करते हैं, विदेशों में जाते हैं और कुछ ठेके लेकर आते हैं तथा भारत सरकार उन उद्योगों को आरम्भ करने की मंजूरी देती है तो राज्य सरकारों को छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित करने की अनुमति देने में

क्या नुकसान है क्योंकि इससे बेरोजगारी की समस्या पंचवर्षीय योजना से अधिक हल हो जायेगी ?

श्री मोरारजी देसाई : मैंने इसकी कब आपत्ति की है ; यदि उनके पास धन है तो वे जो चाहे कर सकते हैं ।

श्री कृष्ण मूर्ति : यदि उन्हें अन्य देशों की सरकारों से ऋण मिल जाये तो क्या उससे आपको आपत्ति होगी ।

श्री मोरारजी देसाई : निस्सन्देह मैं उन्हें ऐसा नहीं करने दूँगा यदि वे ऐसा मेरी अनुमति के बिना करते हैं ।

श्री स० कुन्दू : उप-प्रधान मंत्री ने वैसे तो बहुत से देशों का दौरा किया है परन्तु उन्होंने जापान का दौरा भी किया है। उन्होंने सभा में जो वक्तव्य दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि वहां पर कुछ व्यापारियों को तथा कुछ राजनीतियों को मिले थे। उन्होंने बाद में यह भी कहा है कि यह ट लाभदायक थी । मैं यह सही-सही जानना चाहता हूँ कि क्या जापान मे व्यापारियों तथा राजनीतिज्ञों के साथ जो उनकी भेंट हुई क्या उसके फलस्वरूप उनके सहयोग से कोई व्यापार परियोजनाएँ तैयार की गई थीं ।

श्री मोरारजी देसाई : मैंने बहुत स्पष्ट कह दिया है कि ऐसी किन्ही प्रस्तावों पर चर्चा नहीं की गई थी । इसलिए उन्हें अन्तिम रूप दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता । बातचीत साधारण तौर पर हुई थी । वे इस देश की कई नीति सम्बन्धी मामलों और शर्तों को जानना चाहते थे। मैं यह जानना चाहता था कि वहां क्या हो रहा है और उन्हें क्या दिक्कत पेश आती थी। वह भी यह जानना चाहते थे कि हमे क्या दिक्कत हो रही है। हमने इन बातों पर चर्चा की थी और विचारविनिमय किया था ।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : जापानी फर्मों के साथ छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगों में सहयोग लेने के सम्बन्ध में, जैसा कि बड़े उद्योग के सम्बन्ध में है, सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री मोरारजी देसाई : वही नीति लागू होगी । यदि सहयोग लेना उपयोगी और आवश्यक समझा गया तो उसकी अनुमति दी जायेगी ।

अल्प-सूचना प्रश्न

Short Notice Question

Engineers of Barauni Oil Refinery

10. **Shri Yogendra Sharma** : **Shri Ramavatar Shastri** :
Shri Bhogendra Jha :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the management of the Barauni Oil Refinery in Bihar have served retrenchment notices on 35 engineers working in the construction wing of the Refinery;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) the number of retrenched engineers belonging to Bihar and to other States separately ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया):

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) केवल एक फालतू इंजीनियर की हाल ही में छंटनी की गई है, जो मैसूर राज्य से था।

मैं आपकी अनुमति से यह भी बताना चाहता हूँ कि चाहे छंटनी के नोटिस नहीं दिये गये हैं परन्तु 1967-68 में लगभग 48 इंजीनियर और सहायक इंजीनियर के फालतू हो जाने की सम्भावना है। हम उनमें से अधिक से अधिक व्यक्तियों को दूसरा रोजगार देने का प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु ऐसा न होने पर छंटनी करना जरूरी हो जायेगा।

Shri Bhogendra Jha : Sir those thirty-five Engineers are such persons who have already put in some service in Gauhati and later on in Barauni and now they are going to be retrenched and in his reply the Hon. Minister has send that arrangements will be made to give them alternative jobs. In this connection I would like to know from the Hon. Minister whether he is prepared to give this much assurance that they will not be removed her an alternate job is offered to them ?

श्री रघुरमैया : यह कैसे हो सकता है। इन लोगों को केवल इस निर्माण कार्य के लिये ही नियुक्त किया गया था। वास्तव में उनकी छंटनी तब ही हो जानी थी जबकि दूसरा बरौनी कारखाना चालू हो गया था। परन्तु तीसरे कारखाने के काम की वजह से उन्हें रख लिया गया था तथा हम उन्हें अपनी संस्थापनों में रोजगार देने का प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु यदि हम उन्हें नहीं खपा सकें तो इसके सिवाये और क्या चारा है।

Shri Bhogendra Jha : The Hon. Msnister has not given the correct reply of my question. I had said that these thirty-five engineers were first employes in Gauhati Oil Refinery and now they are working in Barauni oil Refinery and a joint is a going to be installed in Haldia also. Therefore new recruitment should not he made for that plant and instead these persons should be absoarbed there? I would like to know what prevent Government to announce the same?

श्री रघुरमैया : जहां तक हल्दिया तेल शोधक कारखाने का सम्बन्ध है इसका निर्माण-कार्य इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जायेगा जिसके पास अपने इंजीनियर्स हैं। तब भी हमें आशा है कि हम कुछ इंजीनियरों को हल्दिया में और कुछ को अन्य संस्थापनाओं में खपा सकेंगे ऐसा अनुमान है कि सभी खपायें जायेंगे। शेष व्यक्तियों के नाम हमने विभिन्न सरकारी उपक्रमों को तथा कुछ अन्य सरकारी संस्थाओं के पास रोजगार दिये जाने के लिये भेज दिये हैं।

Shri Yogeudra Sharma : May I know from the Hon. Minister whether it is a fact that the engineers working in Barauni Oil Refinery are not happy because they are being

removed from service without resonable ground, and they have demanded that an enquiry should be made in this connection? As for as their complaint is concerned it is regarding its management. The management is retiring some persons on account of favouritism, nepotism etc. and giving him promotions though they are not having the requisite qualifications. May I know whether the Hon. Minister is aware that the four executive engineers there namely, Sarvshri S. K. Kanungo, S. C. Ahuja, K. K. Madan and Y. K. Murdu are not having the requisite qualifications. Secondly, the other condition for an engineer there should be that he should be a graduate in engineering and these four persons are not graduats in engineering and even then they have become executive engineers. While on the other hand such persons who are having the requirsite qualifications are being discharged. Therefore may I know whether he is going to accede to the demand of those engineers and other employes that an enquiery should be made in this regard so that farouritism and nepotism may be put an end to there and the refinary may have a smorth soiling.

श्री रघुरमैया : माननीय सदस्य ने बहुत से ऐसे बयान दिये हैं जिनका इस मामले से कोई सम्बन्ध नहीं हैं। यदि कोई ऐसे मामले हैं जहाँ अनुचित रूप से पदोन्नति तथा पक्षपात किया गया है तो वह ऐसे मामलों को हमारे पास भेज सकते हैं और हम उनपर विचार करेंगे। जहां तक छंटनी का सम्बन्ध है मैं इस बात से संन्तुष्ट हूँ कि छंटनी प्रायः वरिष्ठता के आधार पर होगी। केवल जहां कोई अधिकारी स्थानापन्न स्थिति में काम कर रहा है वहां उसे स्थायी पद पर रख लिया जायेगा या ऐसे व्यक्ति को जो विशेषज्ञ हो उसे रख लिया जायेगा। छंटनी किये जाने वाले लोगों की सूची मेरे पास है। जहाँ तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है मेरे पास कोई जानकारी नहीं है। वह हमें लिखकर भेज सकते हैं।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : क्या माननीय मंत्री को इस बात का पता है कि बहुत से ऐसे भारतीय इंजीनियर जो केमिकल इंजीनियरी में आगे शिक्षा लेने के लिये भारत से बाहर चले गये वे भारत में नहीं आना चाहते हैं। क्योंकि उन्हें रोजगार की अच्छी सुविधायें नहीं मिलती हैं। दूसरे मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए वह इन लोगों को रोजगार देने के लिये योजना आयोग से सलाह करके एक एकीकृत योजना बनाने को तैयार हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह तो बरौनी की बात है। आप तो अखिल भारतीय समस्या पर विचार कर रहे हैं। यदि आप बरौनी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : वह मेरे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर दे-दें, मैं उससे संतुष्ट हो जाऊंगा।

श्री स०मो० बनर्जी : श्री योगेन्द्र शर्मा के प्रश्न का उत्तर देते समय माननीय मंत्री श्री रघुरामैया ने बताया था कि वह इस बात से संतुष्ट है कि छंटनी वरिष्ठता कनिष्ठता के आधार पर होगी। मैं यह जानना चारता हूँ कि क्या उन्हें कोई ऐसी शिकायत मिली है कि उन इंजीनियरों की, जिनको बाद में नियुक्त किया गया था और जो वास्तव में कनिष्ठ थे, पदोन्नति की गई थी जबकि वरिष्ठ इंजीनियरों को पदोन्नत नहीं किया गया था ताकि उन्हें वहां पर रखा जा सके इससे पता लगता है कि पक्षपात और भाई भतीजावाद वहां पर हैं। क्या उन्होंने इसके लिये अपनी तसल्ली कर ली है। यदि नहीं तो क्या वह इसकी जांच करेंगे।

श्री रघुरामैया : मुझे व्यक्तिगत रूप से याद नहीं है कि मुझे कोई ऐसी शिकायत मिली है। यदि मुझे कुछ समय दिया जाये तो मैं इस बात का पता करूँगा कि क्या कोई शिकायत कार्यालय में आई है जिसका मुझे पता नहीं चला है।

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता): मैं यह बताना चाहता हूँ कि किसी भी संसत्सदस्य से ऐसी शिकायत हमारे पास नहीं आई है।

श्री स० मो० बनर्जी : हमारा इससे कोई मतलब नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते है कि उनके पास कोई शिकायत नहीं आई है।

Shri Bhogendra Jha : We have had a talk with Shri Metha in this connection and have told him that semething wrong has taken place in this regard and this matter should be investigate and in reply he has told us that he was expecting a reply from there and will look with it after that.

श्री अशोक मेहता : जब माननीय सदस्य मेरे पास आये और मुझे मिले तो मैंने उनसे कहा मेरे पास ऐसा प्रार्थना-पत्र नहीं आया है उन्होंने कहाकि इन इंजीनियरों ने विहार सरकार के लिये प्रार्थना-पत्र तैयार किया था और मैंने कहा कि यदि बरौनी तेल शोधक कारखाने को उसकी प्रति मिल गई है तो मैं उसे लेकर उस पर विचार करूँगा। यदि उन्होंने उसे सीधे बिहार सरकार को भेज दिया तो मैं बिहार सरकार से नहीं ले सकता हूँ अतः मैंने माननीय सदस्य से यह प्रार्थना की कि वह यह पता लगावें कि क्या इंजीनियरों ने उसे सीधे बिहार सरकार को भेजा है और यदि हां तो वह उसकी एक प्रति लेकर मुझे भेज दें। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री मेरी इस बात से सहमत होंगे कि मैंने उन्हें यही कहा था।

श्री योगेन्द्र शर्मा : वे बिहार सरकार के पास नहीं पहुँच सकते हैं परन्तु उन्होंने उसे तेल निगम को भेजा है, जो मंत्रालय के अधीन है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह बात स्पष्ट कर दी है।

श्री हेम बरुआ : फालतू इंजीनियरों की समस्या गोहाटी तेल शोधक कारखाने में भी उत्पन्न हुई थी जब वहाँ पर निर्माण-कार्य पूरा हुआ था परन्तु उस समस्या को बरौनी तेलशोधक कारखाने के निर्माण-कार्य में उन्हें खपा कर कुछ हद तक हल कर लिया गया था। चूँकि इन इंजीनियरों को काफी अनुभव है क्योंकि उन्होंने गोहाटी तेल शोधक कारखाने के निर्माण-कार्य और बरौनी में भी काम किया हुआ है इसलिये क्या कारण है कि तेल शोधक कारखानों का काम पूरा होने पर उन्हें और रोजगार देने के लिये कोई योजना नहीं बनाई हुई है।

श्री अशोक मेहता : दुर्भाग्य की बात तो यह है कि तेल-शोधक कारखानों का निर्माण इस लिये नहीं किया जाता है कि इंजीनियरों को वहाँ रोजगार दिया जाये। उसके लिये कई पहलुओं को ध्यान में रखा जाता है। जहाँ तक हल्दिया तेल शोधक कारखाने का सम्बन्ध है निर्माण-कार्य 18 महीनों के बाद आरम्भ होगा उस अवधि के दौरान मैं लोगों को रोजगार देने के लिये ही उन्हें वहां पर नहीं रख सकता। दूसरे, यह बताया गया है कि हल्दिया तेल शोधक कारखाने का काम इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जायेगा। उनके पास अपने कर्मचारी हैं। जिन अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता होगी उन्हें, जैसे कि मेरे सहयोगी ने बताया है, इन लोगों के

अनुभव को ध्यान में रखते हुये उनके अनुभव आदि का लाभ उठाने का पूरा प्रयत्न किया जायेगा। परन्तु मैं यूँही नहीं कह सकता कि यदि उनकी सेवाओं की आवश्यकता न भी हुई तब भी उन्हें रखा जायेगा।

श्री हेम बरुआ : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैं यह जानना चाहता था कि क्या इन इंजीनियरों को जिन्हें अब फालतू घोषित किया गया है उन्हें कारखानों में ही खपा लिया जायेगा। मंत्री महोदय ने बताया है कि हल्दिया तेल शोधक कारखाने का निर्माण-कार्य 18 महीने के पश्चात् ही आरम्भ हो सकता है तो क्या हमें यह समझ लेना चाहिये कि इन इंजीनियरों को 18 महीने के बाद हल्दिया में खपाया जायेगा।

श्री अशोक मेहता : ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कुछ को खपाया जा सकता है और कुछ को नहीं भी खपाया जा सकता है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के पास भी बहुत से इंजीनियर हैं जो यह काम करते हैं। मुझे पता है कि माननीय सदस्य को इन सब बातों का पता है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माननीय मंत्री ने कुछ समय पहले कहा था कि यदि उनकी छंटनी की भी गई तो उन्हें अन्य तेल शोधक कारखानों अथवा अन्य सरकारी परियोजनाओं में खपाने का पूरा पूरा प्रयास किया जायेगा। छंटनी करते समय आजकल ऐसा आश्वासन सदा ही दिया जाता है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसे उन इंजीनियरों को अथवा अन्य कारीगरों को जिन्हें निर्माण-कार्य की अवधि के दौरान बरौनी में फालतू घोषित किया जा चुका है और जिनकी छंटनी की गई है उन्हें कहीं खपाया गया है अथवा वे अभी बेकार ही हैं।

श्री रघुरामैया : जहां तक मुझे इस समय जानकारी है केवल एक ही व्यक्ति की हाल में छंटनी की गई थी। अन्यथा उन्हें या तो स्थायी रूप से खपाया गया था या वे स्वेच्छा से सेवा-निवृत्त हो गये थे। मैं अभी इसकी पुष्टि करना चाहूँगा।

श्री हेम बरुआ : स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने का क्या मतलब है ?

श्री रघुरामैया : मेरा कहने का मतलब था कि वे स्वैच्छा से बाहर चले गये हैं।

Shri Maharaj Singh Bharti : Those private firms which do construction work they dont have their own plants and they like contracts from Government and others and engage their engineers there. I would like to know since when our plans are going on, so many plants are being set up then why such an arangement cannot be made that they are provided with work continuously ?

श्री रघुरामैया : जैसा मैंने कहा है इस मामले में हमने बोकारो स्टील प्लांट, दि हिन्दुस्तान स्टील प्लांट, दि हिन्दुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन, दि त्रिवेणी स्टक्चरल लिमिटेड, दि फर्टिलाइनर्स कारपोरेशन तथा विभिन्न अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी उपक्रमों का उल्लेख किया है।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : माननीय मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर को ध्यान में रखते हुये कि जो इंजीनियर तेल शोधक कारखाने के निर्माण-कार्य में लगे हुये हैं उन्हें तेल शोधन के काम में नहीं लगाया जा सकता, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या निर्माण-कार्य के बाद इंजीनियरों को हमेशा ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाया करेगा और यदि हां, तो सरकार का विचार

इसके लिये क्या कार्यवाही करने का है कि उन इंजीनियरों को ऐसा पाठ्यक्रम दिया जाये जिससे उन्हें तेल शोधक कारखाने में ही खपाया जा सके।

श्री अशोक मेहता : यह बात मेरी समझ में नहीं आई है। निर्माण-कार्य करने वाले लोग निर्माण-कार्य करते हैं। कोई ऐसा भी समय हो सकता है जबकि कोई निर्माण-कार्य न हो। वैसे तो प्रायः हर तरह का निर्माण-कार्य होता रहता है। वे अर्हताप्राप्त निर्माण-कार्य के अनुभवी इंजीनियर हैं तथा उनके अनुभव का लाभ तेलशोधक कारखानों के निर्माण-कार्य के लिये उठाया जा सकता है। इसलिये निस्सन्देह जहां कहीं निर्माण-कार्य होगा उन्हें वहां खपाया जायेगा। मैं निर्माण-कार्य इंजीनियरों से उत्पादन काम नहीं ले सकता। वह एक भिन्न काम है। उसके लिये विभिन्न कलाओं की आवश्यकता होती है। अतः हम इसके लिये प्रत्येक प्रयत्न कर रहे हैं कि इन व्यक्तियों को जहां कहीं निर्माण-कार्य हो वहां उन्हें खपाया जाये। यदि उन्हें खपाया भी गया तो कोई और व्यक्ति रह जायेगा। हमें यह भी देखना होता है कि हमारे सभी नौजवान इंजीनियरों को रोजगार मिले।

Shri Hukam Chand Kachwai : May I know whether it is made clear to the engineers who are appointed as in Barauni Refincy or other Refineries that they can be retrenched after the construction work is over ? If so. whether they object to this condition and whether any objection has been raised so for ? If so, the nature thereof ?

श्री रघुरामैया : जब किसी भी इंजीनियर को नियुक्त किया जाता है तो उसे यह पहले ही बतला दिया जाता है कि उसकी नियुक्ति केवल निर्माण-कार्य के लिये ही की गई है। इसमें कोई सन्देह की बात नहीं है।

परमाणु संयंत्र

*574. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय परमाणु संयंत्र कम लागत वाली शक्ति-बिजली अथवा भाप तैयार करने तथा पानी से नमक निकालने में असमर्थ है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन संयंत्रों ने यदि शक्ति का उत्पादन किया है तो कितनी शक्ति का और इस शक्ति का कृषि में कहां तक उपयोग किया गया है ?

प्रधान मंत्री, तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :

(क) और (ख) जिन तीन परमाणु शक्ति घरों का निर्माण चालू है, उनमें केवल बिजली ही पैदा होगी। आशा है इन शक्तिघरों में पैदा की गई बिजली की लागत उसी क्षेत्र के तापीय बिजली घरों के मुकाबिले में प्रतिस्पर्धी होगी। यदि परमाणु शक्ति संयंत्रों का यूनिट आकार बढ़ा दिया जाये, तो बिजली काफी कम लागत पर पैदा की जा सकती है। ऐसे एक संयंत्र के साथ लगा हुआ डीजल से चलने वाला एकक उचित लागत पर ताजा पानी पैदा कर सकता है।

(ग) तीनों परमाणु बिजलीघरों का निर्माण अभी चालू है।

Shri Shiva Chandra Jha : In how many Nuclear Plants in India agricultural experiments are being carried on and in how many cases success has been achieved and to that

extent they have been utilised in agriculture and how far has it increased the agricultural production ?

Shrimati Indira Gandhi : I cannot give the details. But very good work has been done in this regard. But it is still at the experimental stage.

Shri Ram Sewak Yadav : Is that satisfactory ?

Shrimati Indira Gandhi : That is sutisfactory. But the research is confined to that place only.

Shri Shiva Chandra Jha : Is it not a fact that the officers of the American Atomic Energy Commission into recently visited India had suggested that the cost of atomic energy can be reduced by installing a giant size reactor and Dr. Sarabhai and other Indian officers had accepted that suggestion and if so will it not be more economical to establish a giant size plant in Bihar where uronium in natural form is available and where thorium deposits are found in the largest quantities in the world and where thermal power is available in the intial stages ? In view of this do Government propose to establish a giant size nuclear plant there and not, why not ?

Shrimati Indira Gandhi : Our three plants are under construction and at present there is no proposal to have any other plant.

Shri Shiva Chandra Jha : Have the American scientists not expressed the view that the giant size atomic reactor will produce much cheaper energy and have not our scientists agreed to that ?

Shrimti Indira Gandhi : I have already stated that if such big plants are established the energy produced will be much cheaper.

Shri Nitiraj Singh Chaudhry : May I know whether Gevernmens will reconsider its decision regarding the construction of giant size nuclear power station in view of that Dr. Vikram Sarabhai has stated that power generation will be much cheaper and fertiliser factories can be established with that and that import of sulphur and ammonia can be reduced by this ?

Shrimati Indira Gandhi : It is under consideration but this cannot be done inmediately.

Shri O. P. Tyagi : What are the considerations which weigh with the Government while selecting sites for those plants and why no plant has been established in U. P. ?

Shrimati Indira Gandhi : The sites of the present plants has been recommended by committee after due thought.

Shri Baswant : By what time the construction of Tarapur Atomic Power Station will be completed and what will be the cost of the power produced there ?

Shrimati Indira Gandhi : It will be completed by october next year. Its capacity will be 380 megawatts.

श्री समर गुह : इस देश में परमाणु शक्ति पैदा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है ? क्या हमारा मुख्य उद्देश्य केवल उर्जा पैदा करना है या आवश्यकता पड़ने पर प्लूटोनियम पैदा करने का भी है ? हमारे देश में कोयला काफी है और तापीय बिजली घर अपेक्षाकृत कम लागत पर स्थापित किये जा सकते हैं। प्रस्तावित परमाणु शक्ति घरों तथा तापीय बिजली घरों की

अपेक्षाकृत लागत क्या है ? क्या ये परमाणु शक्ति घर पूर्ण रूप से आयातित यूरेनियम पर आधारित हैं ? भारत में ब्रीडर टाइप के रिएक्टर क्यों स्थापित नहीं किये जा रहे हैं जो कि स्वदेशी थोरियम पर ही आधारित हैं ? साधारण यूरेनियम पर आधारित फ्रांसीसी किस्म के परमाणु बिजली घरों को क्यों अधिमान नहीं दिया गया था ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : ये परमाणु बिजली घर, जिनका निर्माण हो रहा है, केवल बिजली पैदा करेंगे । अनुमान है कि इनमें पैदा की जाने वाली बिजली की लागत दुगनी होगी । प्रति किलोवाट बिजली की लागत इस प्रकार है: तारापुर; महाराष्ट्र: परमाणु शक्ति 4 50 रु०; तापीय, 5.30 रु० । राजस्थान : परमाणु 5.71 रु० । मुझे खेद है कि तापीय बिजली के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं ।

श्री समर गुह : मेरे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है । यह क्या है ? मैं विरोध प्रकट करता हूँ ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कृपया बैठ जायेंगे । आपका प्रश्न बहुत लम्बा था और आपने नीति का उल्लेख किया था । प्रश्न काल में नीति पर चर्चा नहीं की जा सकती ।

श्री हेम बरुआ : प्रश्न काल में जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रश्न पूछे जाते हैं । श्री समर गुह जानकारी प्राप्त करने का ही प्रयत्न कर रहे थे । किन्तु माननीय प्रधान मंत्री ने कोई उत्तर नहीं दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काफी बड़ा भी था और नीति सम्बन्धी भी था ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : श्रीमान्, जैसा कि आपने कहा 7 सर्वथा भिन्न प्रश्न पूछे गये हैं ।

श्री समर गुह : वे एक ही प्रश्न के उप-खण्ड थे ।

Shri Shashi Bhushan : He may be given a reply in writing.

अध्यक्ष महोदय : यदि चाहें तो प्रधान मंत्री आपको बाद में जानकारी दे सकते हैं । वह अधिक उपयोगी होगी ।

श्री समर गुह : मुझे आपका संरक्षण चाहिये । यह मेरा विशेषाधिकार है । इस विषय पर कम से कम आधे घंटे की चर्चा होनी चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस सभा में पिछले 10 मास से हैं । वह जानते हैं कि आधे घंटे की चर्चा की अनुमति तुरन्त नहीं दी जाती है । इसके लिये नियम है । आप भी प्रयत्न कर सकते हैं ।

श्री समर गुह : मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ । मैं इस सभा में जानकारी चाहता हूँ । आधे घंटे की चर्चा होनी चाहिये..

अध्यक्ष महोदय : अब कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा ।

श्री समर गुह : **

Shri K. N. Tiwary : In view of the present postures of china, are Government prepared to reconsider its policy regarding the manufacture of atom bombs ?

Shrimati Indira Gandhi : As a rule policy matters are not discussed during the question hour. We have several times reiterated our policy that we will not manufacture atomic bombs.

श्री गिरिराज सिंह : क्या परमाणु संयंत्र में पैदा किये गये 'फिशनेबल मैटिरियल' को जमा किया जा रहा है और अनुसन्धान प्रयोगशालाओं को शांति प्रयोजनों के लिये वितरित किया जा रहा है और ऐसा करने के लिये आवश्यकता पड़ने पर हम अपनी नीति बदलते हैं ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मुझे इसकी जानकारी नहीं है ।

गैर-सरकारी व्यक्तियों को राजनयिक पारपत्र जारी करना

*575. श्री राम चरण : श्री मोलहू प्रसाद :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय ने अगस्त, 1967 तथा अक्तूबर 1967 के बीच कुछ राजनयिक पारपत्र गैर-सरकारी व्यक्तियों को अमरीका, कैनेडा ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, आदि का दौरा करने के लिये जारी किये थे जब कि राजनयिक पारपत्र केवल सरकारी कर्मचारियों को जारी किये जाते हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त अवधि में उक्त देशों का दौरा करने के लिये किसी मंत्री के निकटतम सम्बन्धियों को राजनयिक पारपत्र जारी किये गये थे; और

(ग) यदि हां, तो मंत्रियों के सम्बन्धियों को किन आधार पर राजनयिक पारपत्र जारी किये गये थे ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री ब० रा० भगत):

(क) जी हां । राजनयिक पासपोर्ट जारी करना केवल अधिकारियों तक ही सीमित नहीं है ।

(ख) और (ग) जी हां । नियमों के अंतर्गत इस तरह के रिश्तेदारों को राजनयिक पासपोर्ट जारी किये गये थे ।

Shri Ram Charan : What are the names of the persons to whom diplomatic passports have been issued; to what relatives of the Minister these have been issued and on what basis ?

**कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया ।

**Not recorded.

Shri B. R. Bhagat : It is difficult to read out all the names. In all 31 diplomatic passports were issued during the period August to October.

अध्यक्ष महोदय : यदि नामों की सूची अधिक लम्बी है, तो उसे सभापटल पर रख दिया जाये ।

श्री ब० रा० भगत : मैं इसको सभापटल पर रख सकता हूँ ।

Shri Ram Charan : On what grounds this had been issued in fauour of Shrimati Kanta Desai who is a capitalis', when its issue is restricted only to the Government employees.

श्री ब० रा० भगत : वह उप-प्रधान मंत्री के साथ उनके यूरोप और अमरीका के सरकारी दौरे पर गई थीं और यह पूरी तरह नियमों के अन्दर आता है ।

एक माननीय सदस्य : किस लिये ?

श्री ब० रा० भगत : निकट सम्बन्धी नियम कहता है...

Shri Molahu Prasad : What is the criteria followed for the issue of this passport ? Are there any rules under which citizens of one Country can go to another Country without a visa ?

Shri B. R. Bhagat : Indian citizens can go to Nepal without visa. If there is an agreement between the neighbouring country, the system of visa can be dispensed with, but generally one can not go without a passport.

श्री मनोहर लाल सोंधी : क्या भारत सरकार अव्यवस्थित ढंग से राजनयिक पारपत्र जारी कर के 'वीजा' का उल्लघन नहीं कर रही है क्योंकि भारत के उस अभिसमय पर हस्ताक्षर किये हुए हैं जिसके अनुसार विशेषाधिकारों और सुविधाओं का उद्देश्य व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना नहीं अपितु राजनयिक प्रतिनिधिमण्डलों के सुचारु रूप से कार्य करने को सुनिश्चित करना है ?

श्री ब० रा० भगत : जी नहीं । अभिसमय का कोई उल्लंघन नहीं है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : What relatives under the rules can be issued a diplomatic passport ? Are there any non relatives who have been issued a passport, if so what are their names and whom did they accompany ?

Shri B. R. Bhagat : Under the rules only near relatious such as, husband, wife, son and daughter, are allowed.

Shri Kanawar Lal Gupta : What is meant by near relatiosn ?

अध्यक्ष महोदय : वह सारी चीज सभापटल पर रख रहे हैं ।

श्री कंवर लाल गुप्त : क्या निकट सम्बन्धी में नौकरानी भी शामिल है ?

Shri B. R. Bhagat : I said that under the rules only husband, wife, son and danghter are allowed.

श्री मनोहर लाल सोंधी : यह 'वीजा' अभिसमय की भावना के विरुद्ध है । आपको अभिसमय का अध्ययन करना चाहिये ।

श्री नाथ पाई : क्या कोई मंत्री, भारत सरकार की ओर से किसी सरकारी कार्य पर जाते समय, उदाहरणार्थ एक सम्मेलन में भाग लेने के लिये जाते समय राजनयिक विज़ा पर अपने परिवार के किसी सदस्य को अपने साथ ले जा सकता है ? माननीय मंत्री ने कहा कि हमने अपने पड़ोसी देशों के सम्बन्ध में 'वीज़ा' की पद्धति को समाप्त कर दिया है । वास्तव में ऐसी बात नहीं है । कोई देश हमारा पड़ोसी है या दूर का है, इससे उसका कोई सम्बन्ध नहीं है । यह तो पारस्परिकता के आधार पर निर्भर करता है ।

श्री ब० रा० भगत : मैंने कहा था कि पारस्परिकता के आधार पर सभी देशों के साथ हमने वीज़ा पद्धति को समाप्त नहीं किया है और मैंने कहा नेपाल की तरह जो कि एक पड़ोसी देश है । परन्तु अन्य देश भी हैं जिनके साथ हम वीज़ा की पद्धति का पालन नहीं करते । मैंने इस बात पर बल दिया था कि जहां पर दो देशों के बीच करार होता है । मैं समझता हूँ माननीय सदस्य ने मुझे ठीक तरह नहीं सुना ।

श्री नाथ पाई : हो सकता है ; बहुत शोर था ।

श्री ब० रा० भगत : मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता । जहां तक मंत्री की पत्नी ....

श्री नाथ पाई : बेटा और बेटी ।

श्री हेम बरुआ : पत्नी भी ।

श्री ब० रा० भगत : वर्तमान नियम जो हमने बनाये हैं और जिन्हें राजपत्र में भी अधिसूचित किया गया है, उनमें इन श्रेणियों के लिये राजनयिक पारपत्र जारी करने का उपबन्ध है, मैं उनको सभापटल पर रख सकता हूँ ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

बैंकिंग उद्योग के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीति

*516. **श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री विभूति मिश्र :**
श्री योगेन्द्र झा : **श्री रा० की० अमीन :**
श्री शारदानन्द : **श्री श्रीचन्द गोयल :**
श्री अमृत नहाटा : **श्री ना० स्व० शर्मा :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकिंग उद्योग के सम्बन्ध में सरकार ने कोई राष्ट्रीय नीति निर्धारित की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई):

(क) और (ख) कानून द्वारा और प्रशासनिक कार्यवाही द्वारा बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण लागू करने का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्ताव में यह भी व्यवस्था है कि एक राष्ट्रीय ऋण परिषद स्थापित की जाये जिससे विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं तथा ऋण-नीतियों में ताल-मेल स्थापित हो। कुछ ऐसे उपाय भी किये गये हैं जिनसे बैंको पर कुछ मामलों में कड़ा नियंत्रण रखा जा सके। प्रस्ताव का विस्तृत रूप संसद के समक्ष शीघ्र ही प्रस्तुत किया जायेगा।

घाटे की अर्थ-व्यवस्था

*517. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री दी० चं० शर्मा:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र द्वारा 256 करोड़ रुपये की सहायता दिये जाने के बावूजद भी राज्यों के 1966-67 के आय व्ययकों का कुल घाटा 120 करोड़ रुपये का था ; और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या भविष्य में यह घाटा बढ़ने की सभावना है; और यदि हां, तो कितना ;

(ग) क्या यह सच है कि राज्यों के आय व्ययकों में आवर्तक वार्षिक घाटे के तथा भविष्य में उनमें घाटा बढ़ने के फलस्वरूप राज्य केन्द्रीय सरकार को ऋण की अपनी किस्तों की राशि का भुगतान नहीं कर सकेंगे और इसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) : (क) ग्यारह राज्यों के 1966-67 के बजटों (संशोधित) अनुमानों में कुल 81.23 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है। इन अनुमानों में, केन्द्र से प्राप्त 108 करोड़ रुपये (शुद्ध) के तदर्थ ऋणों को भी हिसाब में लिया गया है, जो सात राज्यों को दिये गये थे ताकि वे अपनी जमा से अधिक निकली गयी रकमों कों चुका सकें। ये घाटे इसलिए हुए कि राज्य सरकारों ने कुछ ऐसी जिम्मेदारियां ओढ़ लीं जिनकी पूर्ति उपलब्ध साधनों से नहीं की जा सकती थी।

(ख) राज्यों के बजटों के सबसे हाल की छानबीन से पता चलता है कि राज्यों के मौजूदा दायित्वों के आधार पर, तेरह राज्यों को चालू वर्ष मे अपने बजट सम्बन्धी लेनदेनों में घाटा रहेगा। लेकिन अभी इस बात का सही-सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि घाटा कितना होगा या यह 1966-67 की तुलना में कितना अधिक होगा।

(ग) जिस सीमा तक कोई राज्य सरकार, आवर्तक वार्षिक घाटों से बचने के लिए, कदम उठाने में असमर्थ रहेगी, वहाँ तक उसे अपने दायित्वों की, जिसमें केन्द्रीय ऋणों का चुकाया जाना भी शामिल है, पूर्ति करने में कठिनाई होगी। चूंकि केन्द्रीय साधनों में, राज्यों द्वारा चुकायी जाने वाली रकमों को भी हिसाब में लिया जाता है, इसलिए इन रकमों के चुकाये न जाने से राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा।

(घ) सभी राज्य सरकारों को सलाह दी गयी है कि वे अपने खर्चों को, स्पष्ट रूप से नजर आने वाले अपने साधनों तक की ही सीमित रखें ।

विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा कर्मचारियों की छंटनी

*518. **श्री अब्राहम :** **श्री एस्थोस :**
श्री वि० कु० मोडक : **श्री उमानाथ :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि विदेशी तेल कम्पनियां यह प्रचार कर रही हैं कि सरकार की तेल संबंधी नीति तथा भारतीय तेल निगम की कार्यवाहियों के कारण उन्हें अपने कर्मचारियों को फालतू घोषित करना पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार द्वारा नियुक्त गोखले जांच आयोग उपर्युक्त विचारों और दूसरे मिलते जुलते मामलों की जांच कर रहा है ।

आदिम जातियों के कल्याण के लिये धन का नियतन

*519. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री चक्रपाणि : **श्री रमानी :**

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में आदिम जातियों के कल्याण के लिये दी जाने वाली राशि में केन्द्रीय सरकार द्वारा कटौती कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और चालू वर्ष में आदिम जातियों के कल्याण के लिए कुल कितनी धनराशि दी गई है;

(ग) क्या आदिम जातियों के कल्याण के लिये वित्तीय सहायता में वृद्धि करने का सरकार का विचार है;

(घ) यदि हां, तो कब और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मन्त्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) :

(क) नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता; 7.94 करोड़ रुपये ।

(ग) प्रयत्न किया जा रहा है ।

(घ) और (ङ) मामला विचाराधीन है ।

परिवार कल्याण योजनाएं

*520. श्री मंरडी : श्री यशपाल सिंह :
श्री स० मो० बनर्जी : श्री स० चं० बेसरा :

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने चौथी पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम के मसौदे में परिवार कल्याण योजनाओं के लिये नये तरीके का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह):

(क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने परिवार कल्याण योजनाओं के लिए किसी नए तरीके का सुझाव नहीं दिया था ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में हड़ताल के कारण तेल के उत्पादन में कमी

*521. श्री रा० रा० सिंह देव : श्री न० कु० सोंधी :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : श्री य० अ० प्रसाद :
श्री वेदव्रत बरुआ :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में हड़ताल होने के परिणामस्वरूप तेल और गैस के उत्पादन में कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो हड़ताल के परिणाम-स्वरूप कितनी हानि हुई है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) जा नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

तेल की खोज के लिये खम्भात की खाड़ी का सर्वेक्षण

*522. श्री मयावन : श्री डा० रानेन सेन :
श्री राजदेव सिंह : श्री देवराव पाटिल :

क्या पेट्रोलियम रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्भात की खाड़ी में तेल के निक्षेपों की खोज के लिए रूसी विशेषज्ञों द्वारा किये गये भूकम्पीय सर्वेक्षण के सम्बन्ध में अन्तिम प्रतिवेदन सरकार को मिल गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) 14.11.1967 को तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

(ख) रूसी विशेषज्ञों की सिफारिशें निम्न हैं :–

(i) उन संरचनाओं का और भूकम्पीय सर्वेक्षण, जो मालूम हुई हैं किन्तु जिनका विस्तार रूप से सर्वेक्षण नहीं हुआ है;

(ii) बम्बई के दक्षिण क्षेत्र एवं काठियावार पेनीशुला के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र को पूरा करने के लिए क्षेत्रीय भूकम्पीय सर्वेक्षण; और

(iii) एक संरचना का, जिसका पहले ही विस्तार में सर्वेक्षण किया गया है, गहरा अन्वेषी व्यधन।

सरकारी क्षेत्र के उर्वरक कारखानों में व्यवस्थात्मक परिवर्तनों का विचार करने वाली समिति

*523. **श्री जनार्दन :**
श्री प० गोपालन :
श्री राममूर्ति :
श्री स० चं० वेसरा :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री ज्योतिर्मय वसु :
श्री अनिरूधन :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उर्वरक कारखानों में व्यवस्थात्मक परिवर्तनों की संभावनाओं का विचार करने के लिए कोई समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) इसके निदेश पद क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) जी हां। एक अध्ययन दल नियुक्त किया गया है।

(ख) और (ग) एक विवरण पत्र सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०** 1901/67]

रुपये का विनिमय मूल्य

*524. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**
श्री पाशाभाई पटेल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी बाजारों में रुपये का मूल्य इसके अधिकृत विनिमय मूल्य से कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप भविष्य में रुपये का और अवमूल्यन होगा ?

उप-प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) और (ख) विदेशी बाजारों में भारतीय रुपये का मूल्य, अधिकृत विनिमय-दर से केवल इन्हीं मामलों में कम होता है, जिनका सम्बन्ध सीमान्तक (मार्जिनल) लेन-देनों से है और जो गैर-कानूनी और अनधिकृत होते हैं । ऐसे लेन-देनों का आर्थिक महत्व बहुत कम होता है ।

(ग) जी, नहीं ।

States Entering into Collaboration with Foreign Countries

*525. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Finance** be pleased to State:

(a) whether Government are seized of the difficulties likely to arises a result of the direct negotiations by the States with the foreign countries for collaboration and financial assistance;

(b) whether the State Governments are vested with the necessery powers; and

(c) if so, whether Government propose to bring about a change in the position?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) to (c) Under the existing precedure State Governments are not authorised to undertake direct negotiations with the foreign countries for collaboration and financial assistance without prior approval of the Central Government.

भूमिहीन किसानों को भूमि का आवंटन

*526. **श्री हुकम चन्द कछवाय** :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री 6 जुलाई, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 965 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूमिहीन किसानों को भूमि देने के प्रश्न पर इस बीच निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें और कितना समय लगने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग) भूमिहीनों को भूमि देने तथा राजस्थान नहर के क्षेत्र में अन्य लोगों को भूमि देने सम्बन्धी प्रस्तावित नियमों में राजस्थान सरकार द्वारा पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश सरकारों द्वारा गई टिप्पणियों को ध्यान रखते हुऐ संशोधन किया जा रहा है । इस सरकार से संशोधित नियमों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

भारतीय तेल निगम

*527. **श्री भोगेन्द्र झा** :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम इस समय तेल का कितना व्यापार करता है ;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को ये हिदायतें दी गई हैं कि वे भारतीय तेल को प्राथमिकता देने की नीति अपनायें ; और

(ग) यदि हां, तो इन हिदायतों का किस सीमा तक पालन किया जाता है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) भारतीय तेल निगम की विभिन्न पैट्रोलियम उत्पादों की बिक्री इस समय प्रति मास 5 लाख किलो लिटर है ।

(ख) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से प्रार्थना की गई है कि वे, उस हद तक जहां तक निगम मांगों को पूरा कर सके, पैट्रोलियम उत्पादों को भारतीय तेल निगम से खरीदें बशर्तेकि कारपोरेशन की शर्तें प्रतियोगी हों ।

(ग) यह विश्वास किया जाता है कि सरकार की प्रार्थना को आमतौर पर माना जा रहा है ।

Family Planning Schemes

*528. **Shri Yajana Datt Sharma:** **Shri Shri Chand Goel:**
Shri Sharda Nand: **Shri N. S. Sharma:**

Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state:

(a) the details of Family Planning Schemes in various States of the country and the amount of expenditure incurred thereon so far and the amount likely to be incurred during the current year; and

(b) the targets fixed for these schemes in various States and the extent to which they have been achieved ?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) :

(a) A Statement containing the reguired information is laid on the table of the Sabha, [**Placed in Library: See No. Lt-1902/67**]

(b) The targets for the IUCD Programme were laid from the year 1965-66 and for both the IUCD and Sterilisation Schemes from the year 1966-67. Another statement showing the targets and their achievnents during 1965-66, 1966-67 and 1967-68 on the basis of reports received upto 10-11-1967 is laid on the table of the Sabha, [**Placed in Library See No. Lt-1903/67**]

कीटनाशी दवाइयां

*529. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत की राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा किये गये एक अध्ययन के अनुसार खेती की पैदावार की प्रति वर्ष होने वाली 20 प्रतिशत हानि को रोकने के लिये भारत को 344,000 मीट्रिक टन कीटनाशी दवाइयों की आवश्यकता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कीटनाशी दवाइयों के उत्पादन की वर्तमान दर के अनुसार अपेक्षित उत्पादन स्तर तक पहुँचने में लगभग 15 वर्ष लग जायेंगे ; और

(ग) यदि हाँ, तो कीटनाशी दवाइयों की माँग पूरी करने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) गणना इस अनुसार पर आधारित है कि हर एक क्षेत्र की आवश्यकताओं को सिफारिश किये गये पादप-रक्षा के साधनों के प्रयोग से पूरा किया जा सकता है और किया जायेगा ।

(ख) और (ग) जी नहीं । यह यथार्थ होगा कि उत्पादन के अपेक्षित स्तर का मेल समय-समय की सही माँग से किया जाए । देश में कीटनाशी दवाइयों के उत्पादन में वृद्धि के तमाम यत्न किये जा रहे हैं ताकि 1970-71 तक 210 मिलियन एकड़ में लगभग 84,000 मीटरी टन के लक्ष्य को पूरा किया जा सके । विभिन्न कीटनाशी दवाइयों के उत्पादन के लिए यूनिटों की स्थापना के लिए कई पार्टियों को तदनुसार औद्योगिक लाइसेन्स जारी किये गए हैं । जब तक ये यूनिट पूर्ण उत्पादन नहीं करते तब तक मांग और सप्लाई के अन्तर को आयात द्वारा पूरा किया जायेगा ।

फुटकर निकास-केन्द्र समिति (रिटेल आउटलेट कमेटी)

*530 **श्री यशपाल सिंह :** **श्री मुहम्मद इस्माइल :**
श्री उमानाथ : **श्री वि० कु० मोडक :**
श्री रमानी :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय तेल निगम द्वारा नये फुटकर पैट्रोल पम्प लगाये जाने के बारे में श्री आर० आर० मोरारका की अध्यक्षता में बनाई गई फुटकर निकास केन्द्र समिति की सिफारिशों पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) फुटकर निकास-केन्द्र समिति (रिटेल आउटलेट कमेटी) की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) अभी प्रश्न नहीं उठता ।

अस्पतालों में स्पिरिट की कमी

*531 **श्री रवि राय :**

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्पिरिट की कमी के कारण बहुत से अस्पतालों में तत्काल आपरेशन नहीं किये जा सकते ;

(ख) क्या दिल्ली के अस्पतालों में जाने वाले रोगियों को डाक्टर यह कह रहे हैं कि उनका इलाज तब शुरू होगा जब वे बाजार से स्पिरिट लायेंगे ; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इसके संबंध में जाँच की है और इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब०सू० मूर्ति) :

(क) जी नहीं।

(ख) ऐसा कोई भी मामला सरकार के सामने नहीं लाया गया है।

(ग) दिल्ली में स्पिरिट की कमी है । फिर भी एक्साइज डिपार्टमेंट को यह कहा गया है कि अस्पतालों के लिये वह स्पिरिट का सुरक्षित भंडार रखें ।

तेल शोधक कारखानों का कार्य-संचालन

*532. **श्री प्रेम चंद वर्मा** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम के तेल शोधक कारखानों में उत्पादन निर्धारित समय से दो वर्ष बाद आरम्भ हुआ था ;

(ख) यदि हाँ, तो प्रत्येक तेल शोधक कारखाने में उत्पादन शुरू होने में कितना विलम्ब हुआ तथा इससे प्रत्येक कारखाने में कितनी हानि हुई है ;

(ग) क्या ऐसे प्रत्येक कारखाने में उत्पादन आरम्भ होने में देरी होने के कारणों का पता लगाने के लिये कोई जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) जी हां । बरौनी और गुजरात शोधनशालाओं के विभिन्न एककों के चालू होने में देरी हुई है ।

उपर्युक्त दो शोधनशालाओं के विभिन्न एककों में विलम्ब 12 से लेकर 24 महीनों के बीच में है । विभिन्न एककों में विलम्ब के परिणामस्वरूप हानि का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

(ग) और (घ) देरी होने के मुख्य कारण ये थे :—

(i) कुछ निर्माण-ठेकेदारों से कठिनाइयां और

(ii) आवश्यक उपकरण और साज-सामान की प्राप्ति में विलम्ब ।

विवाह सम्बन्धी समान कानून

*533. **श्री समर गुह** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनसंख्या वृद्धि को रोकने की योजना बनाते हुए इस बात पर विचार किया है कि परिवार नियोजन योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिये

सारे देश में तथा सभी धार्मिक सम्प्रदायों के लोगों के लिये विवाह सम्बन्धी समान कानून बनाया जाना चाहिये ;

(ख) यदि हाँ, तो भारत में विवाह सम्बन्धी समान कानून बनाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर):

(क) और (ख) सब के लिए विवाह-सम्बन्धी समान कानून बनाने में अनेक कठिनाइयां हैं। इसलिए सरकार ने देश में एक ऐसा कानून बनाने के लिए अभी विचार नहीं किया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Price Control of Essential Commodities

*534. **Shri Bibhuti Mishra** :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are considering the price control on essential commodities; and

(b) if so, the information of broad details thereof ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai):

(a) and (b) The question of price control of essential commodities is under constant review and remedial action is taken as and when necessary.

पश्चिमी घाट में सोने की तस्करी

*535. **मधु लिमये** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पश्चिमी घाट में तथा विशेषतःबम्बई क्षेत्र में मारे गये अनेक छापों की ओर दिलाया गया है जिनमें तस्करी का सोना बहुत बड़े परिमाण में पकड़ा गया था।

(ख) यदि हाँ, तो 1 जनवरी, 1967 से लेकर आज तक ऐसे कितने छापे मारे गये हैं और कुल कितना सोना पकड़ा गया है ;

(ग) यह सोना कहां से लाया गया था और तस्कर तथा बिचौलिये किस तरीके से इसे लाते हैं और बेचते हैं ;

(घ) क्या किन्हीं व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया है। उन्हें दण्ड दिया गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) से (ङ) इस सम्बन्ध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायगी ।

दिल्ली में समाचार पत्रों के भवनों का निर्माण

*536. श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कुछ दैनिक समाचार पत्रों के मालिकों ने बैंकों अथवा सरकार से ऋण ले कर बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली, पर बड़े-बड़े भवन बनाये हैं अथवा बना रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उन समाचार पत्रों के नाम क्या हैं, उन्हें कितना-कितना ऋण दिया गया है तथा गारंटी देने वाले लोगों के नाम क्या हैं अथवा उन प्रत्याभूतियों का ब्यौरा क्या है जिन पर ऋण दिया गया है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) समाचार पत्रों को दिल्ली में भवन बनाने के लिये सरकार ने कोई ऋण नहीं दिया है प्रचलित प्रथाओं के अनुसार बैंक वाले अपने घटकों के बारे में कोई जानकारी नहीं देते । निम्नलिखित समाचार पत्रों को बहादुर शाह जफर मार्ग पर भूमि दी गई है :

इंडियन एक्सप्रेस

टाइम्स आफ इंडिया

पैट्रिआट

प्रताप

नेशनल हिराल्ड

मिलाप

तेज

हल्दिया-बरौनी पाइप-लाइन

*538. श्री स० चं० सामन्त :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री 1 जून, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 211 और 212 के उत्तरों के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष हल्दिया-बरौनी पाइप-लाइन के संबंध में पड़े हुए सब मामलों का निबटारा कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो रानीगंज कोयला क्षेत्र के खान मालिकों को कितनी राशि मुआवजे के रूप में दी गई है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) :

(क) जी हां, ।

(ख) अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया । कलकत्ता हाई कोर्ट से फैसले की प्रति अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है।

आय-कर संबंधी बकाया मामले

*539. **श्री सरजू पाण्डेय :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि निर्धारण वर्ष 1965-66 के अन्त में आय-कर सम्बन्धी बकाया मामलों की संख्या 21.7 लाख थी ; और

(ख) कम आय पर प्रत्यक्ष-कर के मामलों सम्बन्धी त्यागी समिति की सिफारिश पर सरकार ने यदि कोई कार्यवाही की है तो क्या ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) कर-निर्धारण के जिन मामलों का निपटाना होना बाकी है उनकी संख्या तारीख 31-3-1966 को 21,69,529 थी।

(ख) प्रत्यक्ष करों के सम्बन्ध में त्यागी समिति की सिफारिश सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई थी तथा अक्टूबर 1960 में थोड़े आयकर के मामलों के निपटान के सम्बन्ध में हिदायतें जारी कर दी गई थीं ।

चण्डीगढ़ स्थित स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसन्धान संस्था के कर्मचारियों की हड़ताल

*540. **श्री श्रीचन्द गोयल :**

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चण्डीगढ़ स्थित स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्था के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणियों के कर्मचारियों ने आम हड़ताल कर रखी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस संस्था को 750 रोगी शय्याओं में से किसी की भी देखभाल नहीं की जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति को संभालने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार किया गया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) से (ग) जी, हां । चण्डीगढ़ स्थित स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्था के तीसरी तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों ने एक दिन की 16 नवम्बर 1967 को सांकेतिक हड़ताल की थी । उस रोज उन्होंने अस्पताल के मरीजों की देख भाल नहीं की। परन्तु हड़ताल पर गये कर्मचारियों की अनुपस्थिति में अस्पताल का कार्य स्नातकोत्तर विद्यार्थियों,

नर्सों तथा शिक्षक कर्मचारियों ने किया । संस्था के प्राँगण में स्थित सैनिक अस्पताल के कर्मचारियों ने भी सहायता दी ।

Concessions to Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

3256. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Social Welfare** be pleased th state :

(a) the details of concessions given to Scheduled Castes and Seheduled Tribes in various States in respect of education; and

(b) the number of students State-wise availing themselves of the concessions referred to above ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Shrimati Phulrenu Guha) : (a) Exemption from tuition fee Scholarships.

Boardings grants.

Free supply of books, uniforms etc.

Mid-day meals.

(b) A statement is laid on the Table of the House. [**Placed in Library See no. LT-1904/67**]

Social Welfare Scheme

3257. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Social Welfare** be pleasod to state :

(a) the numbor of annual grants sanctioned and spent by the Central and State Governments on social welfare schemes since the commencement of the scheme till August 1967; and

(b) the items on which the grants were spent and the number of grants surrendered, if any ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Social Welfare (Shri Asoka Mehta) :

(a) The information is not readily available. It would require considerable time and labour and expense in collecting the information which would not be commensurate with the results likely to be achieved. Under the circumstances, the Government regret their inability to collect the information.

Income Tax Assessees

3258. **Shri Molahu Prasad** :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total number of income-tax assessees in all the States and Union Territories of the country;

(b) the number of assessees connected with Legislatures, Judiciary and Executive and of farmers, traders and industrialists among them; and

(c) the number of persons belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes out of those refferred to in parts (a) and (b) above ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) As on 30th September 1967, there were 27,53,388 assessees on the General Index Register of the Income-tax department.

(b) and (c) Such information is not maintained.

बिजली पैदा करना

3259. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में बिजली पैदा करने की कुल अधिष्ठापित क्षमता 60,000 मेगा किलोवाट से अधिक है ;

(ख) क्या यह सच है कि देश में 42000 मेगा किलोवाट से कम बिजली का पारेषण करने की सुविधायें विद्यमान हैं ;

(ग) बिजली पारेषण की सुविधाओं की कमी के कारण देश में तैयार की गई कितनी बिजली बेकार जाती है ; और

(घ) सरकार द्वारा राज्यों के बिजली बोर्डों को अविलम्ब पारेषण लाइनें बिछाने का कार्य आरम्भ करने के लिये न कहे जाने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) देश में बिजली पैदा करने की कुल अधिष्ठापित क्षमता इस समय 125 लाख किलोवाट है जिससे 50,0000 लाख किलोवाट प्रति वर्ष बिजली पैदा की जा सकती है ।

(ख) और (ग) देश के कुछ क्षेत्रों में पारेषण सुविधाओं के अभाव के कारण बिजली नहीं दी जा सकी, जहाँ एक राज्य से दूसरे राज्य को विद्युत दी जा सकती थी। कम प्रयुक्त उत्पादन क्षमता का अनुमान लगाना सम्भव नहीं है क्योंकि अतिरिक्त विद्युत शक्ति के पारेषण के लिये प्रत्येक मामले में पारेषण सुविधाओं को जुटाया जा रहा है और नये क्षेत्रों में बिजली ले जाने के लिये नई पारेषण लाइनों को बिछाया जा रहा है।

(घ) केन्द्रीय सरकार ने सब राज्यों की बिजली बोर्डों से यह अनुरोध किया है कि वे अपनी-अपनी पारेषण व्यवस्था को ठीक रूप से काम में लायें।

विद्युत शक्ति का उपयोग

3260. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शारावती परियोजन (मैसूर), कोठागुदाम (आन्ध्र प्रदेश), पम्बा (केरल) तथा तलचेर (उड़ीसा) जैसी हाल ही में स्थापित बिजली परियोजनाओं द्वारा पैदा की गई विद्युत शक्ति के प्रयोग के संबंध में केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा आँकड़े प्रकाशित न किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ख) उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित बिजली परियोजनाओं द्वारा पैदा की गई विद्युत शक्ति के प्रयोग के संबंध में आधुनिकतम आंकड़े क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) प्रत्येक राज्य में स्थित बिजली पैदा करने वाली विभिन्न परियोजनाओं द्वारा पैदा की गई बिजली साँझा पारेषण और वितरण व्यवस्था को भेज दी जाती है जहां से बिजली विभिन्न उपभोक्ताओं को बांटी

जाती है। इसलिये प्रत्येक परियोजना से कितनी बिजली का उपयोग होता है इस बारे में आँकड़े रखना व्यावहारिक नहीं है। तदनुरूप केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों की प्रत्येक व्यवस्था द्वारा बेची गई बिजली के आँकड़े प्रति वर्ष प्रकाशित करता है।

निम्नलिखित परियोजनाओं द्वारा 1966-67 में पैदा की गई विद्युत शक्ति का ब्यौरा निम्न प्रकार है :

	लाख किलोवाट
शारावती	12549.81
कोठागुदाम	3079.83
पम्बा	2725.67

तलचर परियोजना में अभी काम चालू नहीं हुआ है।

दिल्ली में जाली करेंसी नोट छापने के छापेखाने का पता चलना

3261. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में, दिल्ली में किसी ऐसे छापेखाने का पता चला है जिसमें एक-एक हजार रुपये के जाली करेंसी नोट छापे जाते थे ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) यदि इस दल ने कुछ जाली नोट बाजार में चला दिये हों, तो उन्हें चलने से वापस लेने के लिए सरकार किन उपायों पर विचार कर रही है ; और

(घ) ऐसे किन उपायों पर विचार किया जा रहा है जिससे इस बात की निश्चित रूप से व्यवस्था हो जाय कि भविष्य में ऐसी जालसाजी नहीं होगी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी, हां।

(ख) सितम्बर 1967 में, सौ-सौ रुपये के पांच जाली नोट चलाते हुए दो व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे। बात में की गयी जांच के परिणामस्वरूप 11 और जाली नोट, 265 आधे छपे नोट एक प्रेसिंग मशीन और कई सहायक पुर्जे और नोट छापने के काम आने वाला कच्चा माल बरामद किया गया। बाद में चार और व्यक्ति गिरफ्तार किये गये।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक और नोट जारी करने वाले अन्य अधिकरणों को इस बात की आम हिदायतें दे दी गयी हैं कि जब उनके सामने कोई जाली नोट पेश किया जाय तो वे उसे जब्त कर लें।

(घ) जाली करेंसी नोट और जाली बैंक नोट बनाने से सम्बन्धित अपराध भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आते हैं, जिसमें ऐसे अपराधों के लिए कड़ी सजा की पहले से ही व्यवस्था की गयी है ताकि लोग ऐसा अपराध न करें। जाली नोट छापने और जालसाजी के अपराधों के सम्बन्ध में राज्यों के पुलिस अधिकारी कार्रवाई करते हैं और वे इस मामले में नजर रखते हैं। गृह मंत्रालय का केन्द्रीय जांच कार्यालय भी, अपराधियों द्वारा अपनाये जाने वाले विभिन्न

तरीकों का रिकार्ड रखकर और जाली भारतीय करेंसी से प्रचलन के सम्बन्ध में समय-समय पर पुनर्विचार करके जाली भारतीय करेंसी की समस्या का बराबर अध्ययन करता रहता है। कुछ विशिष्ट मामलों में, यह कार्यालय राज्यों के पुलिस अधिकारियों की सहायता भी करता है।

मैसर्स प्रमोद पिक्चर

3262. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'लव इन टोकियो' के निर्माता तथा 'प्रमोद पिक्चर' के मालिक श्री प्रमोद चक्रवर्ती के घर तथा कार्यालय पर किसी तारीख को छापा मारा गया था और तलाशी के दौरान कितनी धनराशि तथा किस प्रकार के सबूत बरामद किया गया था ;

(ख) 31 मार्च, 1967 को समाप्त होने वाले वर्ष तीन वर्षों के दौरान, फिल्म उद्योग के किन किन व्यक्तियों के घरों पर कितने छापे मारे गये और प्रत्येक छापे में पकड़ी गई नकद राशि, बहुमूल्य वस्तुओं तथा अन्य सबूतों की सूची क्या है ; और

(ग) इन व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) 'लव इन टोकियों' फिल्म के निर्माता तथा मेसर्स प्रमोद फिल्म्स, बम्बई के मालिक श्री प्रमोद चक्रवर्ती के व्यावसायिक तथा निवास स्थानों को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 16.8.67 को तलाशी ली गई और कुछ दस्तावेज पकड़े गये। इन तलाशियों में कोई मुद्रा नहीं पकड़ी गई। इस समय प्राप्त साक्ष्य के स्वरूप के बारे में कुछ भी बता सकना सम्भव नहीं है, क्योंकि जांच पड़ताल अभी भी जारी है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में बंजारों को शामिल किया जाना

3263. **श्री देव राव पाटिल** : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय बंजारा सेवा संघ ने यह मांग की है कि समस्त देश के बंजारों को अखिल भारतीय आधार पर अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में शामिल किया जाए ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस विषय पर क्या निर्णय किया है ; और

(ग) बंजारा जाति की अखिल भारतीय सूची बनाने के बारे में क्या कार्रवाई की गई है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह):

(क) हां, श्रीमान।

(ख) 12 अगस्त, 1967 को सदन में लाये गये अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक, 1967 में सूचियों के दोहराए जाने के विषय में सरकार के निर्णय समावेष्टित हैं।

(ग) संविधान में अखिल भारतीय आधार पर अनुसूचित आदिम जातियों के अभिज्ञान की अनुमति नहीं है।

आंध्र प्रदेश में आदिम जातीय बस्तियां

3264. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार आंध्र प्रदेश में और आदिम जातीय बस्तियां बनाना चाहती है ;

(ख) बनाई जा रही आदिम जातीय बस्तियों की संख्या तथा नाम क्या है तथा प्रत्येक व्यक्ति को कितनी भूमि दी गई है ; तथा

(ग) आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में जातापुकोटा तथा चिनोगोरा की आदिम जातीय बस्तियों के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह):

(क) से (ग) आवश्यक जानकारी एकत्रित की जा रही है और जितना शीघ्र सम्भव हो सकेगा उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा ।

गुजरात में सरकारी क्षेत्र में लगी पूंजी

3265. **श्री नरेन्द्र सिंह महोडा:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में सरकारी क्षेत्र में कुल कितनी पूंजी लगी हुई है; और

(ख) अन्य राज्यों में लगी पूंजी के बारे में अखिल भारत औसत की तुलना में इसका अनुपात क्या है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई) :

(क) और (ख) यह मान लिया गया है कि इस प्रश्न का सम्बन्ध सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों से है, मार्च 1966 के अन्त में गुजरात में 26.6 करोड़ रुपये की ऐसी पूंजी लगी थी जबकि भारत के अन्य राज्यों में कुल 1916 करोड़ रुपये की पूंजी लगी थी। इन आंकड़ों में विमानों पोतों जिसे किसी एक राज्य के नाम में दर्ज नहीं किया जा सकता। ऐसी ही अन्य चीजें भी हैं जैसे तेल, पाइपलाइन, अनुसंधान उपकरण आदि जिनके बारे में राज्यवार आंकड़े एकत्र करना सुलभ नहीं होता ।

गुजरात को सहायता

3266. **श्री नरेन्द्र सिंह महोडा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अकाल सम्बन्धी सहायता-कार्यों के लिए केन्द्रीय सरकार ने गुजरात सरकार को 1966-67 में कुल कितनी रकम दी थी; और

(ख) उसमें से कितनी रकम इस्तेमाल की गयी ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई : (क) 1965-66 और 1966-67 में सूखा-पीड़ितों के सहायता के कार्यों पर किये गये खर्च के लिए, राज्य सरकार को 1966-67 में 3'03 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गयी थी ।

(ख) सहायता के लिए दी गई रकम पूरी की पूरी खर्च कर दी गयी है।

गुजरात के गांवों में पीने के पानी की सप्लाई

3267. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1966-67 में केन्द्रीय सरकार द्वारा गुजरात को छेद करने वाले बरमे दिये जाने के परिणामस्वरूप उसके कितने गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

गुजरात में कुष्ठ रोग

3268. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :**

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन के सर्वेक्षण के अनुसार गुजरात में हजारों लोग कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस रोग को रोकने तथा इसका उन्मूलन करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गुजरात में कुष्ठ रोगियों का कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम, जो 1955 से शुरू किया गया था, के अधीन इस राज्य में 5 कुष्ठ रोग नियंत्रण यूनिट और 70 सर्वेक्षण शिक्षा तथा उपचार केन्द्र खोले गये थे। इनके अतिरिक्त दो स्वयंसेवी संस्थाओं को भी इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिये सहायता दी जाती है। अब तक राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम का प्रसार राज्य की 31 लाख की जनसंख्या तक हो चुका है। अनुमानित 31860 रोगियों में से 13527 रोगियों को दर्ज किया जा चुका है।

राष्ट्रीय पेय जल संभरण तथा सफाई योजना के अन्तर्गत गुजरात को केन्द्रीय सहायता

3269. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :**

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में सरकार ने गुजरात को राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीय जल संभरण तथा सफाई योजना के अंतर्गत कितनी और किस रूप में सहायता दी है; और

(ख) कितने शहरों और गावों में ये योजनायें क्रियान्वित की गई हैं अथवा की जा रही हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति):

(क) 1966-67 तक प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार राज्यों को केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के लिये ग्रामीण जल संभरण योजनाएं सहित "स्वास्थ्य" योजनाओं के लिये केन्द्रीय

सहायता एकमुश्त में नियत की या दी जाती हैं । अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि किसी राज्य के किसी एक केन्द्रीय सहायता-प्राप्त स्वास्थ्य योजना को कितनी राशि दी जाती है । तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात सरकार को ग्रामीण जल संभरण योजनाओं सहित सब "स्वास्थ्य" योजनाओं के लिये निम्नलिखित राशि दी गई :

वर्ष	लाख रुपये में
1961-22	96.79
1962-63	79.86
1963-64	77.25
1964-65	77.89
1965-66	125.46

तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में गुजरात सरकार को "ग्रामीण पेय जल संभरण योजनाओं" के लिये जो केन्द्रीय सहायता ऋण के रूप में दी गई, उसका विवरण निम्नलिखित है :—

वर्ष	लाख रुपये में
1961-62	90.72
1962-63	55.14
1963-64	101.96
1964-65	83.73
1965-66	135.89

राष्ट्रीय पेय जल संभरण तथा सफाई कार्यक्रम के अधीन केन्द्रीय सहायता निम्नलिखित दो रूपों में दी जाती है :

शहरी पेय जल संभरण योजनाएं	100 प्रतिशत ऋण
ग्रामीण पेय जल संभरण योजनाएं	50 प्रतिशत सहायतानुदान

(ख) राज्य सरकार से अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और जानकारी प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सहकारी समितियों को मकान बनाने के लिए ऋण

3270. **श्री श्रीनिवास मिश्र :**

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा कम आय तथा मध्यम आय वर्गों के लोगों के लिये मकान बनाने के हेतु दिये खये कितने ऋणों का उपयोग राज्यवार सहकारी समितियों के माध्यम से किया गया है ;

(ख) क्या सहकारी समितियों के माध्यम से इन ऋणों का उपयोग समान प्रतिशत में किये जाने का कोई उपबन्ध है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या वह उपबन्ध लागू किया गया है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभापटल पर रख दी जायेगी ।

कूले निधि

3273. **श्री दामानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न प्रयोजनों के लिए कूले निधि से मिलने वाली रकमों में 1966-67 में कोई वृद्धि हुई थी; और

(ख) यदि ऐसा है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) और (ख) कूले निधि, भारत स्थित उन व्यापारिक फर्मों और उद्योगों को ऋण देने के लिए है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका से सम्बद्ध है। 1966-67 में इस निधि के अन्तर्गत कुल 20.66 करोड़ रुपये की रकम जमा हुई थी, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है:

	(करोड़ रुपयों में)
31-3-67 तक जमा कुल रकम	112.79
31-3-66 तक जमा कुल रकम	92.73
1966-67 में जमा रकम	20.66

उत्तर प्रदेश में कृषि वित्त निगम द्वारा स्वीकृत ऋण

3274. **श्री सरजू पाण्डे** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में कृषि सम्बन्धी प्रायोजनाओं को चलाने के लिए कृषि वित्त निगम ने 1966-67 में कोई ऋण सहायता की स्वीकृति दी थी; और

(ख) यदि ऐसा है, तो उपर्युक्त अवधि में इस्तेमाल करने के लिए कितनी रकम वितरित की गई ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) और (ख) 1966-67 में पुनर्वित्त-सहायता की कोई योजना कृषि पुनर्वित्त निगम को उत्तर प्रदेश से नहीं मिली थी। किन्तु नल-कूप खोदने की एक योजना उसे सितम्बर, 1967 में मिली थी जिसकी मंजूरी उसने नवम्बर, 1967 में दी है। इस योजना पर कुल 147.70 लाख रुपया खर्च होने वाला है जिसमें से निगम ने 132.93 लाख रुपया देने का वचन दिया है। मंजूर की गयी इस रकम में से अब तक कोई अदायगी नहीं की गई है।

राजस्थान में आदिम जातीय लोगों के लिए मकान

3275. **श्री मीठा लाल मीना** :

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समाज कल्याण विभाग ने राजस्थान में एक आवास योजना कार्यान्वित की है ;

(ख) यदि हां, तो उन गाँवों के क्या नाम हैं, जहाँ उक्त योजना के अन्तर्गत अब तक मकान बनाए गए हैं ;

(ग) अन्य गांवों में मकान बनाना शुरू न करने के अथवा उन्हें पूरा न करने के क्या कारण हैं; तथा

(घ) अब तक इस योजना पर क्या खर्च हुआ है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह):

(क) से (घ) प्रत्येक आदिम जातीय विकास खण्ड के लिए योजना के बजट में आवास समेत सामाजिक सेवाओं के लिए 1.20 लाख रुपये की व्यवस्था होती है । यह व्यवस्था सीमित होने के कारण सभी गांवों को आवृत करना सम्भव नहीं है । राजस्थान में आदिम जातीय विकास खण्डों के नाम नीचे दिए गए है :–

1. कुशलगढ़ ।	जिला	बाँसवाड़ा
2. भुकिया ।	"	बांसवाड़ा
3. सिमलवाड़ा ।	"	डुंगरपुर
4. खेरवाड़ा ।	"	उदयपुर
5. पीपलखुंट ।	"	बाँसवाड़ा
6. सिमलवाड़ा ।	"	डुंगरपुर
7. खेरवाड़ा ।	"	उदयपुर
8. सज्जनगढ़	"	बांसवाड़ा
9. डुंगरपुर ।	"	डुंगरपुर
10. कोटरा ।	"	उदयपुर
11. डुंगरपुर ।	"	डुंगरपुर
12. कोटरा ।	"	उदयपुर
13. तलवाड़ा ।	"	बांसवाड़ा
14. प्रतापगढ़	"	चित्तोरगढ़
15. बिचीबाड़ा ।	"	डुंगरपुर
16. बिचीबाड़ा ।	"	डुंगरपुर
17. असपुर	"	डुंगरपुर
18. सागवाड़ा ।	"	डुंगरपुर

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में असिस्टेंट इंजीनियर

3276. **श्री देविन्दर सिंह :** क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में सीधे भर्ती किये गये 22 असिस्टेंट इंजीनियरों को, जिन्होंने नियमों के अधीन अभी अपना प्रशिक्षण पूरा नहीं किया था, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में सब-डिवीजनों के इन्चार्ज के रूप में नियुक्त किया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि असिस्टेंट इंजीनियरों के ग्रेड पर पदोन्नति के संबंध में

विभागीय पदोन्नति समिति (डी० पी० सी०) द्वारा स्वीकृत अनुभाग अधिकारियों की तालिका के अधिकारियों की नियुक्ति अभी नहीं हुई है; और

(ग) यदि हां, तो स्वीकृत तालिका के अनुभाग अधिकारियों की अपेक्षा सीधे भर्ती हुए अप्रशिक्षित अधिकारियों की नियुक्ति के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ग) एक उपयुक्त अधिकारी ने जब यह पाया कि कुछ सीधे भरती किये गये कुछ अधिकारियों को जितना प्रशिक्षण मिला था वह पर्याप्त था तो उसने प्रशिक्षण का समय कम करके 22 ऐसे सीधे भर्ती किये गये अधिकारियों को असिस्टेंट इन्जीनियर ग्रेड में नियुक्त किया जिन्होंने सब-डिवीजनों का स्वतंत्र रूप से भार संभाला ।

(ख) असिस्टेंट इंजीनियर के ग्रेड में सीधे भर्ती होने वालों के अभाव में सेक्शन अफसरों के लिये पदोन्नति के नियुक्त कोटे से भी अधिक उन्हें पदोन्नति करने का आश्रय देना पड़ा । स्थायी असिस्टेंट इंजीनियर स्थापित करने के लिये जो पदोन्नति की तालिका बनाई गई थी वह समाप्त हो चुकी है । सीधी भर्ती होने तक तदर्थ आधार पर सेक्शन अफसरों की असिस्टेंट इंजीनियरों के पदों पर जो अल्पावधि के लिये नियुक्तियां की जाती हैं, उसके लिये तालिका बनाई जाती हैं और एक ऐसी तालिका अभी विद्यमान है । जो सेक्शन अफसर असिस्टेंट इंजीनियरों के पदों पर तदर्थ आधार पर नियुक्त किये जाते हैं जैसे ही असिस्टेंट इंजीनियर सीधे भर्ती कर लिये जाते हैं तैसे ही उन्हें अपने पहले पद पर वापस जाना पढ़ता है ।

M/s Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd. and M/s Mckanzies Ltd.

3277. **Shri Nihal Singh** : **Shri Onkar Singh** :

Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8692 on the 10th August, 1967 and state :

(a) whether it is a fact that one and the same family is running the firms of M/s Mckanzies Ltd. and M/s Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd ;

(b) the Income-tax paid by them during the last five years, the amount of Indian capital invested there in the particulars of the articles manufactured by them and the names of their Directors ;

(c) whether an enquiry into the affairs of both these Companies has since been completed ;

(d) if so, the details thereof ;

(c) whether the inquiry regarding such contracts awarded by the Central and State Governments as contained inflated figures in respect of labour has been completed ;

(f) whether the enquiry into the affairs of these companies prior to 1965 has also been completed ; and

(g) if so, the details thereof ?

The Deputy Prime Minister and Mintster of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) These are limited companies and not firms. Mckanzies Ltd. is a public limited company while Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd. is a private limited company. Three out of five directors of Mckanzies Ltd. and all the directors of Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd. belong to the same family.

(b) The tax paid by the two companies are as below :—

Assessment Year.	Tax paid for that year	
	Mckanzies Ltd.	Oriental Timber Trading Corporation.
	Rs.	Rs.
1963-64	2,86,877	31,700
1964-65	2,54,893	Loss
1965-66	3,18,869	-do-
1966-67	3,50,359	-do-
1967-68	3,75,659	-do-

The subscribed capital of Mckanzies Ltd. is Rs. 22 lakhs and that of Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd. is Rs. 20 lakhs. The entire capital is Indian. Mckanzies Ltd. manufacture railway wagons, concrete vibrators, trailors etc. and also undertake engineering contracts. Oriental Timber Trading Corporation manufactures different kinds of paper.

The names of their present directors are :—

M/s Mckanzies Ltd.

Shri Purshotam Jhunjhunwala.
Shri Ramjilal Jhunjhunwala
Shri Maneklal Premchand.
Shri S. K. Handoo.
Shri Girdharilal Jhunjhunwala.

M/s Oriental Timber Trading Corporation (P) Ltd.

Shri Banwarilal Jhunjhunwala.
Shri Bhagwati Prasad Jhunjhunwala.
Shri Champalal Jhnnjhunwala.
Shri Radhakrishna Rangta.
Shri Ashvin Lal Shah,
Shri Ghasiram J. Jalan.

(c) Enquiries in connection with the regular asessments of both these companies are in progress.

(d) Does not arise.

(e) No such inflated figures of wages have come to notice so far.

(f) No, Sir.

(g) Does not arise.

Firms af M/s Ramji Lal Jhunjhunwala

3278. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Finance** [be pleaseed to refer to the reply given to Unstarred Quertion No. 8693 on the 10th August, 1967 and state :

(a) whether the enquiry regarding the firms belonging to Shri Ramji Lal Jhunjhunwala has since been complated ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Houses for Middle Income Group

3279. **Shri Shashi Bhushan Bajpai:** Will the Minister of **works, housing and supply** be pleased to state:

(a) the number of Central Government employees of middle income group working in Delhi for whom new houses were constructed by Government since the inception of this scheme;

(b) the time by which these houses are likely to be allotted;

(c) whether Government's attention has been drawn to the complaints that in many of these houses, there is no water and electric supply and there are also no proper sanitation arrangements; and

(d) if so, the steps so far taken or praposed to be taken by Government to remove them ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh):

(a) to (d) About 1800 houses of types II, III and IV for Government employees drawing between Rs. 110 and Rs. 699 were under construction in sectors VIII. IX and XII of Ramakrishnapuram. Some of them have been completed and the remaining are still in progress. Electricity is not available for these quarters. for this reason, water supply also could not be arranged by the corporation as without electoicity, water could not be pumped up. Government have now commissioned generating sets for producing electricity to boost up water to overhead tanks. Water supply has thus been arranged and sanitation arrangments also exist. Supply of electricity for domestic use is expeeted in the course of next year.

(b) The houses with water supply but without electricity are now being allotted by the Directorate of Estates in batches. Of the 864 quarters in the first 3 batches, 176 were allotted in October, 1967; and 688 in November, 1967. Another 308 houses are likely to be allotted in further batches before 15th December, 1967.

Retirement of Temporary Works Assistants

3280. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Works Assistants in the C. P. W. D. were retired in a temporary capacity during the last year and current year even though they had put in nearly forty-one years of service;

(b) whether it is also a fact that these retiring Works Assistants were neither paid any gratuity nor pension ;

(c) if so, the number of such employees who were retired without the payment of pension and gratuity but had put in twenty years or more than twenty years' service ; and

(d) the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh):

(a) It is extremely improbable that a person who had worked for 41 years as a work Assistant in C. P. W. D. would have retired in a temporary capacity but if any specific ease is brought to notice it will be examined and a reply given.

(b) Under the rules, temporary officials who retire from regular classified establishment of the C. P. W. D. are not eligible for any pension or Death-cum-Retirement gratuity. Work Assistants who retire in a temporary capacity from the Workcharged Establishment or those who were in the Workcharged Establishment and subsequeutly transferred to regular establishment would however be eligible for the benefits of Workmen's Contributory Provident Fund which includes Government contribution at fixed rate of interest thereon.

Temporary Work Assistants retiring from the regular classified establishment are however eligible for terminal gratuity according to the rules, provided they had completed 5 years' continuous service at the time of retirement.

(c) The information is not readily available.

(d) An employee is retired on reaching the age of superannuation which is 58 years in the Regular Establishment and 60 years in the Workcharged Establishment. Under the rules, only permanent employees are eligible for pension. Thus eligibility for pension is dependent on the status, permanent or temporary, of the employees at the time of retirement.

केरल में चीन के पेनों की बिक्री

3281. **श्री बाबूराव पटेल :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में "हीरो" तथा "यूथ" नामक चीन में बने फाउन्टेन पेन भारी संख्या में बेचे जा रहे हैं और उनकी बिक्री से प्राप्त राशि साम्यवादी दल के जेब में जा रही है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इन फाउन्टेन पेनों के बैरलों में जैसा कि बताया जाता है, सोने तथा हैरोइन का पाउडर भरा रहता है जिसे स्थानीय साम्यवादियों की निधि को बढ़ाने के लिये बेचा जाता है ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि केरल में फाउन्टेन पेन, करेन्सी नोट तथा कई अन्य निषिद्ध वस्तुएं चीन की सैकड़ों नावों के जरिये नियमित रूप से चोरी छिपे लायी जाती हैं जिन्हें केरल की लम्बी तट-लाइन के उन स्थानों पर रात में उतारा जाता है जहां तस्करी के माल को पकड़ने की कोई व्यवस्था नहीं है; और

(घ) यदि हां तो इस तस्करी को रोकने तथा हमारी अर्थ व्यवस्था को अस्तव्यस्त होने से बचाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) चीन में बने फाउन्टेन पेन, जिनमें 'हीरो' तथा 'यूथ' फाउन्टेन पेन भी शामिल है, केरल के विभिन्न भागों में कभी-कभी बेचे जाते हैं। इस प्रकार की वस्तुयें देश में प्रायः सिंगापुर तथा मलेशिया से आने वाले यात्रियों के असबाब के रूप में आती हैं जो दक्षिण-पूर्वी समुद्र तट के बन्दरगाहों पर जहाज से उतरते हैं । ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है कि चीन में बनी वस्तुएं बड़ी मात्रा में चोरी छिपे केरल में लायी जा रही हैं अथवा बेची जा रही हैं और उनकी बिक्री से होने वाली आमदनी साम्यवादी दल द्वारा रखी जा रही है ।

(ख) और (ग) सरकार को ऐसी कोई सूचना नहीं है ।

(घ) सवाल नहीं उठता ।

Nizam of Hyderabad

3282. **Shri Hukam Chand Kachwai : Shri Marandi : Shri S. C. Besra :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the present Nizam of Hyderabad has sent buillion of rupees including gems 'Hope' and 'Jeckon' worth Rs. 25 crores to Turkey ;

(b) whether it is also a fact that the bodyguards of the Nizam and the elder princess of the late Nizam have lodged complaints in this regard ; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) Government have no information that the present Nizam of Hyderabad has sent buillion of rupees including gems 'Hope' and 'Jecken' worth Rs. 25 crores to Turkey.

(b) Government have not received any complaint from the bodyguards or the elder princess of the late Nizam in this regard. Some complaints were received from some other sources. However, allegations of this nature have been made by Ahmedunnissa Begum, daughter of the late Nizam in a writ petition filed in the Andhra Pradesh High Court, which is yet to come up for consideration of the Court. Further, previously one Mir Mahbood Ali Khan and Nazni Begum also made similar allegations in the course of another court proceeding. The Andhra Pradesh High Court, in its judgement, found the allegation that the Nizam had attempted to dispose of valuable jewellery by smuggling the same into the foreign markets, to be baseless.

(c) For preventing illegal export of any article, the normal precautionary measures and preventive steps are taken to the best extent possible.

Power Supply for Tubewells

3283. **Shri O. P. Tyagi.** Will the Minister of **Irrigation and power be** pleased to state :

(a) the number of farmers who applied for power connections for their tube-wells in the country during the last three years ;

(b) the number of farmers provided with power connections upto March, 1967 ;

(c) the number of tube-wells lying idle for want of power connections ; and

(d) the reasons for not providing power connections to them?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao).

(a) The number of applications as specially reported for energising tubewells of all types is 1,23,765.

(b) 6,48,061 wells were energised upto 31st March, 1967.

(c) The number of applications pending as specifically reported for energising tubewells is 39,230.

(d) The main reasons for not giving power connections to the pending applications is paucity of funds.

सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक प्रतिष्ठान

3284. **श्री बलराज मधोक** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए क्षेत्रीय नियम स्थापित करने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी, हां।

(ख) सरकार इस सिफारिश पर विचार कर रही है ।

नाइलोन के धागे का आयात

3285. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात विनियमों के उल्लंघन और / अथवा देश में नाइलोन धागे की बिक्री और आयात से सम्बन्धित किसी अपराध के लिये (एक) एस० वाई० ए० पटेल (दो) मेसर्स एशिया ट्रेडिंग कम्पनी (तीन) मैसर्स नोबल ट्रेडिंग कम्पनी और (चार) मैसर्स रवीमनी तोयलानी एण्ड सन्ज और / अथवा उनके भागीदारों के विरुद्ध कोई मुकदमा चलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनका अपराध क्या है और अपराधों का किन परिस्थितियों में पता लगा है ;

(ग) इन अपराधियों को कब पकड़ा गया था ; और

(घ) इन फर्मों/भागीदारों के विरुद्ध जांच अथवा मुकदमे किस स्थिति मे हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) से (ग) प्राप्त सूचना के आधार पर सीमाशुल्क अधिकारियों ने अन्यों के साथ-साथ नीचे लिखी फर्मों की तलाशी ली :—

(1) श्री वाई० ए० पटेल

(2) मेसर्स असलम ट्रेडिंग कम्पनी

(3) मेसर्स नोवल ट्रेडिंग कम्पनी

(4) मेसर्स के० टोपनदास एन्ड कम्पनी

तलाशियों के फलस्वरूप ऊपर बताई गई फर्म (1), (3) और (4) के यहां से विभिन्न मात्रा में विदेशी नायलन की सूत बरामद की गई जो जांच पड़ताल के बाद या तो देश में लुके छिपे लाई गई पाई गई अथवा यदि वह वैध लाइसेन्सों के अन्तर्गत लाई गई थी तो वह उन आयात लाइसेन्सों में दी गई शर्तों का उल्लंघन करके बेची गई थी।

सीमा-शुल्क विनियमों के अन्तर्गत निम्नलिखित फर्मों के खिलाफ कार्यवाही की जा चुकी है :–

(1) श्री वाई० ए० पटेल

(2) मेसर्स नोबल ट्रेडिंग कम्पनी के श्री अब्दुल सत्तार अबुबकर

(3) श्री खीमजी टोपनदास, प्रोप्रायटर मेसर्स के० टोपनदास एण्ड कम्पनी

मेसर्स असलम ट्रेडिंग कम्पनी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है । ऊपर बताये गये तीन व्यक्ति तारीख 3–4–67 और 5–4–67 को गिरफ़्तार किये गये थे ।

(घ) मेसर्स असलम ट्रेडिंग कम्पनी के कुछ बरामदशुदा दस्तावेजों की अभी भी छानबीन हो रही है, जबकि अन्य तीन मामलों में जाँच पड़ताल पूरी हो चुकी है और उनमें विभागीय न्याय-निर्णय की कार्यवाही चल रही है ।

निजाम की सम्पत्ति पर सम्पदा शुल्क

3286. **श्री मधु लिमये** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजाम की सम्पत्ति पर देय सम्पदा शुल्क का अन्तिम रूप से निर्धारण कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सम्पदा शुल्क के रूप में कितनी राशि देय है और सम्पदा की कुल लागत कितनी है जिस पर यह शुल्क देय है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी; नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

होटल अकबर, नई दिल्ली

3287. **श्री बाबूराव पटेल** :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनपथ होटल के पास वाले प्लाट पर बनाये जाने वाले नये होटल का नाम होटल अकबर रखने के बारे में सरकार ने अन्तिम निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस होटल का नाम अकबर के नाम पर रखने के क्या कारण हैं ?

निर्माण आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Properties of Ex-rulers

3288. **Shri R. K. Sinha**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of ex-rulers in respect of whom action has been taken or is being taken to re-assess their property ;

(b) whether it also includes Hyderabad ;

(c) the number of other ex-rulers regarding whose properties complaints have been received by Government ;

(d) the action taken or proposed to be taken thereon and the results of action already taken ;

(e) the names and number of such ex-rulers whose property has been under assessed and who have evaded taxes or have paid less tax by declaring less than their actual property; and

(f) the action taken by Government against such ex-rulers ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) The information in respect of all the ex-Rulers in whose cases re-assessment proceedings were started or are being started under the Wealth-tax Act, 1957, is not readily available. The collection of the information from all the Wealth-tax Circles in the country would involve considerable time as records of past 11 years will have to be examined.

(b) In the case of late Nizam of Hyderabad, the Wealth-tax assessment for the year 1957-58 was re-opened and the re-assessment was completed on 18-1-1965.

(c) to (f) The information in respect of all the ex-rulers against whom complaints regarding their properties or for evasion of tax have been received is not readily available. The collection of this information from the various Wealth-tax circles in the country will involve considerable time and labour. Whenever any information or complaint is received action is taken to verify the same and the assessment or re-assessment as the case may be, is made after taking into account the result of investigations.

Gold Recovered Throngh Raids In Bombay

3289. **Shri R. S. Vidyarthi:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Customs Officers have recovered gold bearing foreign markings valued at Rs. 21 lakhs through raids in Bombay during the first week of September, 1967 ;

(b) if so, the action taken by Government in this regard ; and

(c) the quantity of gold recovered and the country whose marking it bears ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai).

(a) In the first week of September, 1967 the officers of the Bombay Central Excise Collectorate seized gold bearing foreign markings valued at about Rs. 1,08,000 at the international rate in two cases in Bombay.

(b) Both the cases are under departmental adjudication. In one case the person from whom the gold was seized was arrested and subseguently enlarged on bail.

(c) The total weight of the gold scized is 1100 tolas. The seized gold bears markings of France.

Foreign Exchange Earnings from Export of Oil Products

3290. **Shri Ram Avtaer Sharma :** **Shri Shiv Kiumar Shastri :**
Dr. Surya Prakash Puri : **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Ramji Ram :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to refer to the reply given

to Unstarred Question No. 1585 on the 23rd November, 1967 and state the annual foreign exchange earnings to Government by the export of motor spirit, naphtha, H.S.D. and paraffin wax ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghu Ramaiah) : The foreign exchange earnings on account of exports of Motor Spirit, Naphtha, H.S.D., Furnace Oil and Paraffin Wax, have been as follows :—

	Rs. lakhs
1966	875.63
1967 (January-October)	1180.43

Grants to 'Bhartiya Dalit Varg Sangh'

3291. **Shri Molahu Prasad**: Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have given lakhs of rupees as annual grants to **Bharatiya Dalit Varg Sangh** during the last twenty years ;

(b) whether the said grants are given for social welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes ;

(c) whether Government have audited the books of this institution or Sangh ;

(d) whether Government are aware that these grants have been misused for political activities ;

(e) if so, whether Government considered the question of discontinuing grants to this institution ; and

(f) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Department of Social Welfare (Shrimati Phulrenu Guha):

(a) Grants have been sanctioned to the Bharatiya Dalit Varg Sangh since .1953-54. The following grants were released for the period from 1961-62 to 1966-67.

Year	Grant released
1961-62	Rs. 1,30,671
1962-63	Rs. 1,33,821
1963-64	Rs. 1,00,930
1964-65	Rs. 1 ,31,753
1965-66	Rs. 1,20,129
1966-67	Rs. 1,16,600

(b) Grants are limited to the welfare of Scheduled Castes only.

(c) Audit has been conducted by the Accountant General, Central Revenues.

(d) There have been isolated cases where employees have done political work in addition to normal duties.

(e) Yes ; but as the cases which came to notice were of a minor nature it was considered adequate to ask the organisation to take corrective steps.

(f) Does not arise.

Property Returns of Central Government Employees

3292. **Shri Molahu Prasad.** Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8784 on the 10th August, 1967 and state the considerations which have weighed with Government in not making a suitable provision in the rules for not verifying the correctness of the information furnished by Government Officers in the annual immoveable property returns ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh):

Annual immovable property returns submitted by officers are recorded only after necessary scrutiny. The existing provisions in the Government Servants Conduct Rules imply verification of the correctness of information in appropriate cases where the competent authority considers it necessary to do so.

भूतपूर्व संसद सदस्यों की ओर शेष राशियाँ

3293. **श्री ना० स्व० शर्मा :** **श्री शारदा नन्द :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी : **श्री जगन्नाथ राव जोशी :**

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने भूतपूर्व संसद सदस्यों ने गत छः महीने से अधिक समय से, उनकी ओर बकाया मकान, फर्नीचर और बिजली के सामान का किराया नहीं दिया है ;

(ख) ऐसे प्रत्येक संसद सदस्य से कितनी धनराशि लेनी शेष है ; और

(ग) सरकार द्वारा उन राशियों को वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) और (ख) यह एक लम्बी सूची है । इसमें अन्तर्गस्त संख्या 250 से ऊपर है और बकाया राशि 1,30,000 रु० से अधिक है ।

(ग) सम्बन्धित भूतपूर्व संसद सदस्यों की अन्तिम राशियों से इनकी वसूली करने के से उनकी वसूली करने के लिये लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालयों को बकाया राशियों के बारे में सूचना दी जाती है । यदि इस प्रकार वसूली संभव नहीं होती है तो भूतपूर्व संसद सदस्यों या उनके वारिसों को भुगतान करने के लिये लिखा जाता है । यदि कोई भूतपूर्व सदस्य राज्य विधान मण्डल का सदस्य बन जाता है तो उस विधान मण्डल के सचिवालय को उस सदस्य के वेतन में से वसूली करने के लिये लिखा जाता है यदि ये सब प्रयत्न विफल रहते हैं तो कानूनी कार्यवाही की जाती है ।

अफीम का निर्यात

3294. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफीम के निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ;

(ख) क्या किसानों को अफीम की खेती करने का लाइसेंस देने के लिये सरकार का एक उदार नीति अपनाने का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्तमंत्री (श्री मोरारि जी देसाई) :

(क) और (ख) अन्तर्राष्ट्रीय करारों (इन्टरनेशनल कन्वेन्शंस) के अनुसार अफीम का इस्तेमाल केवल वैज्ञानिक और औषधीय कार्यों में प्रयोग तक ही दृढ़तापूर्वक सीमित रखा गया है और अफीम के निर्यात/आयात का काम सम्बन्धित सरकारों द्वारा ही नियन्त्रित किया जाता है। इसीलिये विश्व के विभिन्न भागों की कच्ची अफीम की मांग तथा उस पर निर्भर करने वाली भारत से अफीम के निर्यात में वृद्धि की संभावना सीमित हो है। फिर भी, जहां तक संभव हो सकता है, भारत से अफीम का निर्यात बढ़ाने के लिये सरकार निम्नलिखित कदम उठाती आ रही है :—

(1) अफीम का मूल्य प्रतिवर्ष, अन्तर्राष्ट्रीय रख और विशेष रूप से हमारे प्रमुख प्रतियोगियों द्वारा लिये जाने वाले मूल्य को ध्यान में रखकर दुहराया जाता रहता है।

(2) भारत से अधिकाधिक मात्रा में अफीम की खरीदी को प्रोत्साहन देने के लिये कतिपय देशों में ग्राहकों को उतनी अफीम पर दाम में रियायत दी जाती है जितनी उनके द्वारा निर्माण कार्यों में ली और अन्य देशों को निर्यात की जाती है।

(3) जिन देशों में भारतीय अफीम की बिक्री बढ़ने की सम्भावना है उन देशों के लिये एजेन्ट नियुक्त कर दिये गये हैं।

(ख) और (ग) पोस्ता को खेती के लिये लाइसेंस दिये जाने वाला रकबा मुख्य रूप से निर्यात के लिये अफीम की आवश्यकता पर निर्भर करता है और पोस्त की खेती के लिये लाइसेंस देने सम्बन्धी नीति की प्रतिवर्ष समीक्षा की जाती है जिससे आवश्यक रकबे के लिये लाइसेन्स दिये जा सकें।

लाइसेन्स देने सम्बन्धी सिद्धान्तों का निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि अफीम के चोरी-छिपे निकल जाने के अवसरों को कम से कम किया जा सके और औसत पैदावार निम्नलिखित प्रकार के उपायों मे अधिक से अधिक बढ़ायी जा सके :—

(1) अकुशल किसानों तथा अनुत्पादक खेतों को हटाना ;

(2) पोस्त को खेती का सश्लिष्ट क्षेत्रों में सीमित रखना ; और

(3) अधिक अच्छी और अधिक आर्थिक नियन्त्रण की स्थिति उत्पन्न करना।

जहां तक 1967–68 का फसल का सम्बन्ध है, इस फसल के लिये पहले से ही बनाये गये लाइसेन्सी-नियमों के अन्तर्गत आवश्यक रकबा उपलब्ध होने की सम्भावना है और इसलिये लाइसेन्स देने की नीति को अधिक उदार बनाने का सवाल नहीं उठता।

Gold Recovered in Bombay

3295. **Shri Ram Singh Ayarwal** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the customs officials have recovered gold valued at Rs. 7.50 lakhs during a raid in Bombay during the last week of September, 1967 ; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) on 27th September, 1967 the officers of Bombay Central Excise Collectrorate seized 2000 tolas of gold bearing foreign markings valued at about Rs. 1,97,000/- at the international rate from a shop at Lamington Road, Bombay.

(b) The case is under departmental adjudication.

रुबी जनरल इंश्योरेंस कम्पनी

3296. **श्री जि० ब० सिंह :**
श्री कामेश्वर सिंह :
श्री श्रीधरन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया गया है कि रूबी जनरल इश्योरेंस कम्पनी के जनरल इंश्योरेंस कम्पनी के जनरल मैनेजर ने इस कम्पनी के एक अंशधारी की इस मांग को अस्वीकार कर दिया है कि उस कम्पनी की लेखा परीक्षा रिपोर्ट तथा उसके अंशधारियों की सूची दी जाय; और

(ख) यदि हाँ, सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (ख) रूबी जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी के एक भागीदार श्री प्रभात कुमार भानु ने बीमा नियंत्रक द्वारा नियुक्त लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट की एक प्रति मांगी थी । उन्हें लेखा-परीक्षक की उक्त रिपोर्ट नहीं दी जा सकी, क्योंकि वह 'सविशेषाधिकार दस्तावेजों' की श्रेणी में आती है, श्री भानु को इस स्थिति से अवगत करा दिया गया है ।

जहां तक हिस्सेदारों की सूची का सवाल है, कोई भी हिस्सेदार विधि-सम्मत खर्च देकर कम्पनी से उसकी एक प्रति प्राप्त कर सकता है ।

श्री रामनारायण रुईया के परिवार का आयकर निर्धारण

3297. **श्री मधु लिमये** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1956-57 में आयकर विभाग द्वारा श्री राम नारायण रुईया (बम्बई) के परिवार के मामले । मामलों को असामान्य परिस्थितियों में निबटाये जाने के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में किसी जांच का आदेश दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो जांच का क्या निष्कर्ष निकला है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) सरकार का ध्यान रामनारायण सन्स (प्राइवेट) लिमिटेड के मामले में मार्च 1955 में किये गये कर-निर्धारणों की ओर दिलाया गया है । कोई असाधारण परिस्थितियां नहीं थीं ।

(ख) कर-निर्धारिती ने सट्टे में 58.72 लाख रुपये का घाटा होना बताया था । घाटा होने का जो दावा किया गया है और जिसके फरजी होने का सन्देह है उसका ब्योरा कर-निर्धारण वर्ष के अनुसार नीचे दिया जा रहा है ;

कर-निर्धारण वर्ष	सट्टे में हुआ घाटा जिसके फरजी होने का सन्देह है
	रुपये (लाख में)
1944-45	11.57
1945-46	3.28
1946-47	5.45
1947-48	1.82
1948-49	10.41
1949-50	14.67
1950-51	9.16
1951-52	2.36
	58.72

आयकर अधिकारी ने 1944-45, 1948-49 तथा 1949-50 के कर-निर्धारण वर्षों के लिये कर निर्धारण का काम क्रमशः 6-2-1954, 31-3-1953 तथा 30-6-1954 को पूरा किया, तथा 36.65 लाख रुपये के पूरे-के-पूरे घाटे को उसके फरजी होने के सन्देह में नामंजूर कर दिया ।

बकाया कर-निर्धारण वर्षों के घाटे के वस्तुतः होने के बारे में आयकर अधिकारी जांच कर रहा था । जांच-पड़ताल ठीक ढंग से हो, इस दृष्टि से इस मामले का अधिकार-क्षेत्र बम्बई केन्द्रीय कार्यक्षेत्र के एक जांच-पड़ताल सर्कल को अन्तरित कर दिया गया था ।

प्रस्तुत साक्ष्य तथा आयकर अधिकारी की रिपोर्ट के अध्ययन के बाद निरीक्षण निदेशक (जाँच-पड़ताल) ने तारीख 12-3-1955 को कर-निर्धारण काम पूरा करने के तरीके के बारे में आयकर आयुक्त को हिदायतें दी थी । तद्नुसार, कर-निर्धारण वर्ष 1944-45 से लेकर 1951-52 तक के कर-निर्धारण का कार्य इन जांच-परिणामों के अनुसार पूरा कर लिया गया था । प्रत्येक कर-निर्धारण वर्ष में सट्टे में हुए मंजूर अथवा

नामंजूर घाटे के ब्यौरे तथा जिन तारीखों को ये कर-निर्धारण किये गये वे तारीखें नीचे दी जा रही हैं :

	सट्टे में हुआ घाटा जिसे फर्जी होने के सन्देह में नामंजूर कर दिया गया	सट्टे में हुआ घाटा जिसे वस्तुतः हुआ मान लिया गया	कर-निर्धारण की तारीख
	रुपये (लाख में)	(रुपये लाख में)	
1944-45	2.73	8.84	15-3-1955
1945-46	3.00	.28	16-3-1955
1946-47	शून्य	5.45	30-4-1947
1947-48	1.50	.32	16-3-1655
1948-49	2.50	7.91	14-3-1955
1949-50	शून्य	14.67	22-3-1955
1950-51	7.00	2.16	23-3-1955
1951-52	1.50	.85	24-3-1955

(ग) तथा (घ) कोई जांच करना आवश्यक नहीं समझा गया है, क्योंकि निरीक्षण निदेशक (जाँच-पड़ताल) के कर्त्तव्य का यह भी एक अंग है कि वह इस प्रकार के मामलों की जाँच करे तथा क्षेत्र अधिकारियों को हिदायते दे।

लूप

3298. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली मे एक विचार गोष्ठी में भाग लेते हुए उनके मंत्रालय में राज्य-मंत्री ने यह बात स्वीकार की थी कि 'लिपे' के लूप में बनावट का दोष है और सरकार द्वारा मगाये गये 10 करोड़ रूसी लूपों के शतप्रतिशत सफल होने का दावा किया गया था;

(ख) यदि हां, तो 'लिपे' के लूप को लोकप्रिय बनाने पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है;

(ग) उस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले कि रूसी लूप भारतीय परिस्थितियों में उपयुक्त रहेंगे, सरकार ने लाक्षणिक तथा अन्य कौन से परीक्षण किये हैं;

(घ) क्या भारतीय तथा विदेशी विशेषज्ञों की राय ली गई हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने दोषपूर्ण लूपों को हटाने के लिए कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) :

(क) इस समय प्रयोग में लाये जाने वाले 'लिपे' के लूप में कुछ प्रतिशत मामलों में रक्त के बहने सिर दर्द आदि के होने का पता लगा है, परन्तु उचित उपचार द्वारा इनको दूर किया जा सकता है । कुछ रूसी लूप परीक्षण के लिये प्राप्त किये गये हैं । अभी तक कोई क्लीनिकल परीक्षण नहीं किये गये हैं ।

(ख) सरकार द्वारा प्रचार परिवार नियोजन के समूचे कार्यक्रम के लिये किया जाता है। अतः अकेले लूप पर किये गये व्यय का हिसाब लगाना संभव नहीं है ।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय

3299. **श्री राम चरण :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीनों पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत योजनाएं बनाने और उनको क्रियान्वित करने के लिये उनके मंत्रालय के सभी अधीनस्थ कार्यालयों में नियुक्त किये गये तकनीकी तथा अन्य कर्मचारियों ने अपना अपना काम पूरा कर लिया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनके मंत्रालय के पास चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत उतनी सहायक योजनाएं नहीं है, जितनी पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में थी;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन अधिकारियों की छंटनी करने अथवा उनका अन्यत्र तबादला करने का है, जिनके पास कोई काम नहीं हैं; और

(घ) क्या सरकार ने अपने सभी अधीनस्थ कार्यालयों के कार्यसंचालन की भली भांति जांच की है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (घ) तृतीय पचवर्षीय में शामिल की गईं अनेक योजनाएं अभी चालू हैं और कुछ नई योजनाएं भी आरम्भ की जा रही हैं । अस्थायी कर्मचारियों को, काम पूरा होने पर, जहां तक संभव होता है अन्य काम पर लगा लिया जाता है और ऐसा संभव न होने पर ही सेवा से मुक्ति का नोटिस दिया जाता है । अधीनस्थ कार्यालयों के कार्यभार का पुनर्विलोकन निरन्तर रूप से किया जाता है और वैकल्पिक काम देने का भरसक प्रयत्न किया जाता है ।

उर्वरकों का उत्पादन

3300. **श्री श्रीचन्द्र गोयल :** **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
श्री प्रकाश वीर शास्त्री : **डा० सूर्य प्रकाश पुरी :**

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्धारित सीमा तक कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिये देश को कितनी मात्रा में उर्वरक की आवश्यकता है ;

(ख) उर्वरक के उत्पादन की देश में स्थापित क्षमता कितनी है; और

(ग) कुल मांग को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) 1970-71 तक के लिये उर्वरकों की आवश्यकता का अनुमान निम्न है :—

(एक) नाइट्रोजन उर्वरक	24 लाख टन नाइट्रोजन
(दो) फोस्फेट उर्वरक	10 लाख टन P_2O_5
(तीन) पोटाश उर्वरक	7 लाख टन K_2O
(ख) नाइट्रोजन उर्वरक	6,81,000 लाख टन नाइट्रोजन
फोस्फेट उर्वरक	2,86,830 लाख टन P_2O_5

(ग) नये उर्वरक कारखाने स्थापित करके और वर्तमान कारखाने का विस्तार करके आवश्यकता पूरी करने का विचार है। उर्वरक परियोजनाओं के अतिरिक्त दुर्गापुर, कोचीन, मद्रास बरौनी, नामरूप (विस्तार) और ट्राम्बे (विस्तार) में सरकारी क्षेत्र में उर्वरक कारखाने स्थापित किये जा रहे हैं।

कानपुर, कोटा, गोआ, मंगलौर, गाजियाबाद, मिरजापुर, विशाखापत्तनम (विस्तार) और बाजवा (विस्तार) के स्थानों पर गैर-सरकारी क्षेत्र में नये उर्वरक कारखानों का अनुमोदन किया गया है। इसके अतिरिक्त सहकारी क्षेत्र में काण्डला के स्थान पर एक उर्वरक कारखाना स्थापित किया जा रहा है। चूंकि इनमें से कुछ कारखाने 1970-71 तक अपनी पूरी उत्पादन क्षमता तक नहीं पहुंच पायेंगे। इसलिये नाइट्रोजन और फोस्फेट उर्वरक आयात करने का भी विचार है। पोटाश उर्वरक की पूरी आवश्यक मात्रा आयात करनी पड़ेगी।

Smuggled Goods sold in Delhi

3301. **Shri Prakash Vir Shastri:** **Dr. Surya Ptrakash Pui :**
Shri Shiv Kumar Shastri: **Shri Ram Avtar Sharma:**
Shri Ramji Ram:

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that smuggled goods are selling in large quantities in Delhi now-a-days ;

(b) whether it is also a fact that these goods largely include fountain pens, cosmetics and similar other small articles ; and

(c) whether Government have tried to find out the means by which these goods are reaching here ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai):

(a) to (c) Foreign goods such as watches, fountain pens and cosmetics are sold in Delhi in small quantities. Such goods are often brought by passengers from abroad as part of their baggage and they subsequently find their way to the market. They are also sometimes smuggled into India through the west coast.

Recession

3302. **Shri N. S. Sharma**: Will the Minister of **Finance** be please to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the conclusion arrived at by the Economic and Scientific Research Foundation on "Recession and After" ; and

(b) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai):

(a) Yes, Sir.

(b) Government is aware of the reasons for the present recession and has been taking measures from time to time to meet the emerging situation.

बाडमेर के निकट हवाई अड्डा

3303. **श्री बलराज मधोक**: क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में बाड़मेर के निकट हवाई अड्डे के निर्माण प्रभारी एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के व्यवहार तथा आचरण के विरुद्ध भ्रष्टाचार और सीमेंट की चोरी के बारे में कोई शिकायतें की गई हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इन शिकायतों के बारे में जाँच करने के लिये सरकार ने क्या कार्य वाही की है ?

निर्माण आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) उक्त इंजीनियर के विरुद्ध तीन शिकायतें प्राप्त हुई है । दो शिकायतों पर भेजने वाले का नाम नहीं था और तीसरी को जाँच के पश्चात झूठी पाया गया ।

(ख) आरोपों की मौके पर जाँच करने के लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सतर्कता एकक के एक इंजीनियर अधिकारी को भेजा गया था । भ्रष्टाचार का कोई मामला स्थापित नहीं हुआ और सीमेंट की कोई चोरी नहीं पाई गई ।

राज्यों में मेहतरों का जीवन स्तर

3305. **श्री रणधीर सिंह** :

क्या स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य सरकारों को मेहतरों की दशा सुधारने उनके वेतन मानों और मजूरी की दरों में वृद्धि करने के लिये चालू वर्ष में कोई वित्तीय सहायता की गई है ;

(ख) यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति):

(क) से (ग) सूचना प्राचना प्राप्त की जी रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Strike in Sindri Fertilizers Factory

3306. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Petroleum ad Chemicals** be pleased to state the estimated daily loss sustained by the Sindri Fertilizer Factory as a result of the recent strike by workers there?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah): The loss suffered during the 12 days strike is estimated at Rs. 67 lakhs i.e. about Rs. 5.58 lakhs per day.

लोक निर्माण विभाग मनीपुर द्वारा उठाई गई हानि

3307. **श्री मेघचन्द्र :**

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या (एक) वर्ष 1964 के प्रारम्भिक भाग में लोक निर्माण विभाग चिंगमिरोंग (मनीपुर) के गोदाम में से सीमेंट की 590 बोरियां गायब हो जाने और (दो) चालू वर्ष में हाल में लोक निर्माण विभाग, मनीपुर के इक्फाल पूर्वी डिवीजन में 15000 रु० का गबन हो जाने के बारे में कोई जांच की गई है; और

(ख) यदि हां, तो उस जाँच का क्या परिणाम निकला है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) जी हां, पुलिस तथा विभागीय दोनों ओर से जांच हो रही है । इम्फाल पूर्वी डिवीजन में 18,502 रु० गायब हो गया न कि 15000 रु० ।

(ख) **मामला (एक)** यह मामला सच मिला परन्तु पुलिस इसका पता नहीं लगा पाई। प्रारम्भिक विभागीय जाँच भी की जा रही है परन्तु अभी पूरी नहीं हुई है ।

मामला (दो) इस मामले की इम्फाल पुलिस द्वारा जाँच हो रही है। परन्तु पूरी नहीं हुई है । मनीपुर प्रशासन ने डिवीजन के कोषाध्यक्ष को मुअत्तल कर दिया है तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर से कहा है कि सम्बंधित एक्जीक्यूटिज इंजीनियर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करें जो कि विभाग का कोष लेने तथा बाँटने वाला अधिकारी था । यह किया जा रहा है ।

उड़ीसा के लिए सहायता निधि

3308. **श्री क० प्र० सिंह देव :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य में अभूतपूर्व बाढ़, तूफान और सूखे की स्थिति को देखते हुए उस राज्य की चौथी आयोजना के लिए विशेष रूप से अतिरिक्त रकम निर्धारित करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रामगुंडा परियोजना

3309. **श्री क० लकप्पा :**

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामगुंडा परियोजना के लिये अरकावधी नदी पर रामगुंडा स्थान को उपयुक्त नहीं समझा गया है और एक अन्य स्थान का प्रस्ताव रखा गया है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या दोनों स्थानों के बारे में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व सरकार का विचार प्रस्तावित परियोजना के लिए अपनी ओर से प्राक्कलन तथा आंकड़े इकट्ठे करने का है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री डा० कु० ल० राव):

(क) जी हां ।

(ख) रामगुंडा स्थान पर सामान्य नदी स्तर 2445 का बांध बाढ़ का नियन्त्रण नहीं कर सकेगा तथा इस स्तर से ऊँचा कोई स्तर बांध के लिये व्यावहारिक नहीं है क्योंकि इसका प्रभाव तिप्पागोंडानाहाली स्थित बंगलौर की पानी योजना पर पड़ेगा;

(ग) जी नहीं । मैसूर सरकार से प्रार्थना की है कि वे मंचनाबेले स्थान की पुनः जांच करें ।

Fertilizer Factory at Gorakhpur

3310. **Shri Nihal Singh :** **Shri Ram Singh Ayarwal :**

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether the fertiliser factory at Gorakhpur has started working properly ;

(b) if so, the expenditure incurred thereon so far ;

(c) whether this factory has been set up in collaboration with some foreign firm or company and, if so, the terms and conditions agreed to in this regard; and

(d) the types of fertilisers produced at this factory ?

The Miniser of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghu Ramaiah) :

(a) No, sir. The trial runs of the equipments are presently in progress.

(b) An expenditure of about Rs. 28 crores has been incurred on the construction of the factory till October, 1967.

(c) No sir. But the main plants have been obtained from the Toyo Engineering Corporation of Japan.

(d) When in production, the factory will produce Fertilizer grade prilled urea.

दिल्ली में स्त्रियों का अनैतिक पणन

3312. **श्री क० लक्प्पा :**

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में स्त्रियों का अनैतिक पणन रोकने के लिए सरकार ने अब तक क्या उपाय किए हैं; तथा

(ख) उनके अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) :

(क) स्त्रियों और लड़कियों का अनैतिक पणन दमन अधिनियम, 1956 में, जो 1 मई, 1956 से दिल्ली में लागू है, स्त्रियों का अनैतिक पणन निषिद्ध है। अधिनियम में अपेक्षित आवश्यक उपाय, जैसे कि सुरक्षा गृह की स्थापना; विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति; गैर सरकारी सलाहकार समिति का गठन, इत्यादि, दिल्ली प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं।

(ख) अधिनियम के लागू किए जाने के परिणामस्वरूप, वेश्यावृत्ति के क्षेत्र बंद कर दिए गए हैं ।

Damaged Dams

3313. **Shri Nihal Singh.** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the number of dams constructed during the last 20 years and which gave way during the period from January, 1967 to-date ;

(b) the loss of life and Government and private property caused thereby ;

(c) whether enquiries have been made to find out the causes of breaches in these dams ; and

(d) if so the action taken against the persons responsible therefor ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) :

(a) Only one dam, namely, Nanak Sagar Dam on Deoha river in Uttar Pradesh, breached during the monsoon of 1967.

(b) The breach caused the following damage in Nainital and Pilibhit districts :—

Area affected	2.76 lakh acres
Houses damaged	822
Human Lives lost	46
Cattle heads lost	522

(c) and (d) An inquiry committee has been set up by the Uttar Pradesh Government. The report of the Committee is awaited.

दिल्ली में नशाबन्दी कानून

3314. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली प्रशासन को नशाबन्दी कानूनों के उदारीकरण के लिए कहा है;

(ख) यदि ऐसा है तो मोटे तौर पर वे सुझाव क्या हैं; और

(ग) उनके प्रति दिल्ली प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) :

(क) से (ग) सार्वजनिक स्थानों पर शराब मना है और दिल्ली में वर्ष में 132 मद्य-निषेध दिवस हैं । विदेशी पर्यटकों के लिये इस पाबन्दी में कुछ ढील कर दी गई है ताकि भारत में अधिक पर्यटक आयें। यह इस प्रकार है :

(1) प्रवृत होटलों में केवल विदेशी पर्यटको के लिए ऐसे पृथक कक्षों का प्रबन्ध जहां उन्हें भोजन के साथ या उसके बिना भी ऐलकोहल से बने पेय दिये जा सकें ।

(2) विदेशी पर्यटकों को यह अनुमति है कि वे अपने विदेशी और भारतीय दोनों प्रकार के मेहमानों को पृथक कक्ष में मनोरंजन प्रदान कर सकें ।

(3) विदेशी पर्यटकों को प्रवृत होटलों के भोजन कक्ष में खाने के साथ ऐलकोहल से बने पेय ग्रहण करने की अनुमति है ।

(4) प्रवृत होटलों में ठहरे हुए भारतीयों को अनुमति है कि वे मद्य-निषेध दिवसों को छोड़कर शेष दिनों में अपने विदेशी मेहमानों का पृथक कक्ष में मनोरंजन कर सकें।

(5) विदेशी पर्यटक मद्य-निषेध दिवसों में भी ऐलकोहल से बने पेय खरीद सकते हैं ।

कलकत्ता स्थित कालटैक्स के प्रतिष्ठान का प्रबन्ध लिया जाना

3315. **श्री प० गोपालन :** **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री ज्योतिर्मय बसु : **श्री नायनार :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम कालटैक्स (इण्डिया) लिमिटेड के कलकत्ता स्थित पहाड़पुर प्रतिष्ठान को अपने अधिकार में ले रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिष्ठान के कर्मचारियों के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति अपनाने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया): (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सिंचाई और गांवों में बिजली लगाने पर परिव्यय

3316. **श्री मरण्डी :**

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या यह सच है कि सरकार ने सिंचाई और गाँवों में बिजली लगाने पर लिये जाने वाले व्यय की राशि में चालू वर्ष में 50 करोड़ रु० की वृद्धि करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां तो इस धन का उपयोग किस प्रकार किया जायेगा ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने भारत के रिजर्व बैंक को कहा है कि वह सिंचाई और बिजली के लिये भारतीय कृषि वित्त निगम के माध्यम से ऋण दे; और

(घ) क्या इस प्रयोजन के हेतु धन के बारे में विश्व बैंक से भी बातचीत की जा रही है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) इस प्रकार के कार्यों का कृषि सुधार निगम द्वारा वित्तीय सहायता देने का एक सुझाव विचाराधीन है ।

(घ) जी नहीं ।

दिल्ली में पेय जल की सप्लाई पर अपव्यय

3317. **श्री मरंडी :**

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी की पेय जल सप्लाई के नये स्रोत का पता लगाने के लिये जो लाखों रुपये की धनराशि व्यय की गई है वह बेकार गई है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा की सरकारों द्वारा की गई आपत्तियों के कारण योजनाओं को क्रियान्वित नहीं किया जा सका; और

(ग) यदि हाँ, तो उन्होंने क्या आपत्तियाँ की हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव):

(क) जी नहीं।

(ख) निम्न योजनाओं को हरियाणा सरकार द्वारा उठाई गई आपत्ति के कारण क्रियान्वित नहीं किया गया :

अनंगपुर जलाशय योजना ।

गाजियाबाद नलकूप योजना का विरोध उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया ।

(ग) हरियाणा सरकार दिल्ली के लिये पानी सप्लाई करने की अनंगपुर जलाशय योजना के लिये इसलिये सहमत नहीं हुई क्योंकि इससे एक विकासशील गांव को पानी में डूबने की समस्या होती । अब धौज अथवा कोट में वैकल्पिक स्थान की खोज हो रही है ।

जहां तक गाजियाबाद नलकूप योजना का सम्बन्ध है, उत्तर प्रदेश की सरकार का विचार है कि दिल्ली को पानी सप्लाई करने से उनकी सिंचाई योजना में बाधा पड़ेगी । नजदीक के क्षेत्र में गहरे नलकूप खोदने की खोज जारी है ।

दिल्ली में अपमिश्रण विरोधी अभियान

3318. **श्री धीरेश्वर कलिता :**

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अपमिश्रण विरोधी अभियान प्रभावहीन सिद्ध हुआ है क्योंकि स्थानीय निकायों के पास इस कुरीति को समाप्त करने के साधन नहीं हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) दिल्ली में खाद्य अपमिश्रण को रोकने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :—

(1) मिलों और गोदामों में खाद्य की किस्म के बारे में सावधानी से जांच की जाती है ।

(2) दिल्ली नगर निगम में खाद्य अपमिश्रण विरोधक अधिनियम के अन्तर्गत खाद्य के नमूने एकत्र करने के लिये 8 इन्सपेक्टर नियुक्त किये हैं । इसके अतिरिक्त सभी सफाई इन्सपेक्टरों को इस अधिनियम के अन्तर्गत खाद्य इन्सपेक्टर के रूप में काम करने की शक्तियां दी गई हैं ।

(3) दिल्ली नगर निगम ने दिल्ली में खाद्य अपमिश्रण विरोधी गतिविधियों के समन्वय तथा उनको कार्यान्वित करने के लिये एक सहायक स्वास्थ्य अधिकारी को लगाया है । सभी उप-स्वास्थ्य अधिकारियों, सहायक स्वास्थ्य अधिकारियों और दिल्ली नगर निगम के मुख्य सफाई इन्सपैक्टरों को शक्तियाँ दी गई हैं ।

(4) न्यायालयों में खाद्य अपमिश्रण निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत आये मामलों से निपटने के लिये दिल्ली नगर निगम द्वारा एक म्युनिसिपल प्रोसिक्यूटर लगाया गया है।

(5) दिल्ली नगर निगम ने खाद्य संबंधी बेघशाला में इस समस्या से निपटने के लिये पूरे उपकरण तथा कर्मचारी हैं।

(6) छापे आमतौर पर मारे जाते हैं।

(7) खाद्य की जो वस्तुएँ नंगी पड़ी रहती हैं उनकी पूरी तरह जाँच की जाती है।

(8) इस क्षेत्र में गतिविधियों को केन्द्रीय जाँच ब्यूरो और दिल्ली प्रशासन रिब्यू समन्वित कर रहे हैं।

कैम्बे की खाड़ी में खुदाई कार्य

3319. **श्री मयाबन :** **श्री राजदेव सिंह :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने कैम्बे की खाड़ी के कुछ भागों में सीधे खुदाई करने के प्रश्न पर विचार किया है; और

(ख) क्या अन्य भागों में खुदाई करने के लिये विदेशों के साथ कोई समझौता हो गया है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) जी, हाँ।

(ख) अभी, नहीं।

प्रत्यक्ष करों सम्बन्धी कानूनों का सरलीकरण

3320. **श्री मयाबन :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रत्यक्ष करों सम्बन्धी कानून को युक्तिसंगत बनाने तथा उसका सरलीकरण करने के बारे में श्री भूतलिंगम के अन्तरिम प्रतिवेदन में की गई सभी सिफारिशों को सरकार ने क्रियान्वित कर दिया है ;

(ख) यदि नहीं तो उनमें से कितनी सिफारिशें सरकार द्वारा मान ली गई हैं;

(ग) उन्हें क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) शेष सिफारिशों को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रत्यक्ष कर कानून के युक्तियुक्तकरण और सरलीकरण पर श्री भूतलिंगम की प्रथम अन्तरिम रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों तथा उन पर की गयी कार्यवाही के बारे में टिप्पणियों का विवरण-पत्र सदन की मेज पर रखा जाता है । [**पुस्तकलय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1905/67]

पटरियों पर सोने वाले व्यक्ति

3321. **श्री मोहन स्वरूप :** **श्री क० प्र० सिंह देव :**

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में पटरियों पर सोने वाले व्यक्तियों की संख्या पाँच हजार से अधिक है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पटरियों पर सोने वाले इन व्यक्तियों के प्रयोग के लिये पक्के पनाह-घर बनाने के हेतु निगम ने 15 लाख रुपये का अनुदान मांगा है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप- मंत्री (श्री इकबाल सिंह):

(क) जी हाँ, अनुमान लगाया गया है कि लगभग 4,000 से 5,000 के बीच व्यक्तियों को रात को सोने के लिये पनाह-घरों की आवश्यकता है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मकानों का निर्माण

3322. **श्री मोहन स्वरूप :** **श्री धीरेश्वर कलिता :**

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में मकानों की निरन्तर कमी होती जा रही है किन्तु फिर भी मांग की तुलना में नये मकानों का निर्माण बहुत ही कम हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में आगामी वार्षिक योजनाओं में क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह):

(क) जी हाँ । तीसरी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक मकानों की कुल कमी अनुमानतः 714 लाख थी इसमें 114 लाख शहरों में तथा 600 लाख ग्रामीण क्षेत्र में तथा इसमें 550 लाख कच्चे मकान है जिन्हें दोबारा बनाने की आवश्यकता है अथवा काफी सुधार की आवश्यकता है ।

(ख) क्योंकि देश के विकास के अन्य क्षेत्रों, जैसे कि कृषि, सिंचाई, विद्युत आदि हैं, के लिये साधनों की आवश्यकता है जोकि सीमित हैं, यह संभव नहीं है कि इस कार्य के लिये पर्याप्त

राशि रखी जाये जब तक कि मकानों के निर्माण को राष्ट्रीय योजना में काफी प्राथमिकता न दी जाये । फिर नवम्बर, 1967 में मद्रास में जो हाल ही में निर्माण, नगरीय विकास तथा नगर योजना मंत्रियों का सम्मेलन हुआ उसमें राज्य सरकारों को बताया गया कि वे मकानों के निर्माण के लिये पर्याप्त प्राथमिकता दें तथा इस कार्य के लिये और धन दें तथा उस धन को अन्य विकास के कार्यों में न प्रयोग में लायें । यह आशा की जाती है कि 1968-69 की वार्षिक राज्य सरकारों की मकान सम्बन्धी योजनाओं में 30,000 से भी अधिक मकानों के बनाने का प्रबन्ध होगा ।

नगरीय तथा ग्राम्य आयोजन

3323. **श्री धीरेश्वर कलिता :**

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगरीय तथा ग्राम्य आयोजन संगठन की गतिविधियों को तेज करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) और (ख) नगरीय तथा ग्राम्य आयोजन राज्य सरकारों का विषय है । फिर भी भारत सरकार ने एक योजना प्रारंभ की कि राज्य सरकार 93 नगर तथा कस्बों के विकास की व्यापक विकास योजना बनायें जिन्हें तीसरी पंच वर्षीय योजना में शामिल किया गया था और केन्द्र ने उसके लिये शत प्रतिशत सहायता देने को कहा । तीसरी योजना की अवधि में 3 करोड़ रु० में से राज्य सरकारों ने केवल 1.60 करोड़ रु० ही व्यय किये । 1966-67 तथा 1967-68 के लिये राज्य सरकारों को 1.65 करोड़ रु० मंजूर किये हैं । तीसरी योजना में तो 93 परियोजनायें मंजूर करने की तुलना में चौथी पंच वर्षीय योजना के मसौदे में 206 और परियोजनाओं को शामिल किया है । राज्य सरकारों से भी कहा है कि विकास की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये उचित कानून बनायें । इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये नगरीय तथा ग्राम्य आयोजन संस्था से कहा है कि राज्य सरकारों को आवश्यक तकनीकी परामर्श दें । साथ ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व क्षेत्र की विकास योजनायें बनाने के लिये भी कहा है ।

"Smuggling in Delhi"

3324. **Shri Y. S. Kiushwah :**
Shri Surya Prakash Puri :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Shihv Kumar Shastri :
Shri Prakash Vir Shastri :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of vehicles seized by the Delhi Collectroate in conection with smuggling during the last five years ;

(b) the number of the vehicles which have been auctioned and of those which remain unsold ; and

(c) the sale proceeds of the auctioned vehicles ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai):

(a) 53 vehicles were seized by Delhi Collectorate of Central Excise and Customs in connection with smuggling during the last five years. Of these, 45 vehicles were confiscated and 8 were released.

(b) 9 vehicles have been auctioned and 36 vehicles are pending disposal.

(c) Rs. 25,900.

Central Board of Renvenue

3325. **Shri Y. S. Kushwah :** **Shri Ramji Ram :**
Shri Shiv Kumar Shastri : **Shri Prakash Vir Shastri :**
Shri Ram Avtar Sharma :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the number of Departments of the five Directorates functioning under the Central Board of Revenue and Excise where no recruitment rules etc. have been framed ;

(b) if so, the reasons therefor and whether Government received any complaints in this regard ; and

(c) if so, the nature of those complaints and the action Government propose to take in this regard ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai):

(a) The Central Board of Revenue has been reconstituted into two Boards, namely, the Central Board of Direct Taxes and the Central Board of Excise and Customs. There are the following five Directorates under the two Boards :—

(1) Directorate of Inspection (Income-tax) ;

(2) Directorate of Inspection (Investigation) ;

(3) Directorate of Inspection (Research, Statistics and Publication) ;

(4) Directorate of Inspection (Customs and Central Excise) ;

(5) Directorate of Revenue Intelligence.

As regards the Directorates at (1) to (3) above, recruitment rules in respect of non-gazetted Class III and Class IV posts have been framed and notified. The gazetted posts in these Directorates are generally filled up by officers belonging to the respective cadres of the Income-tax Department.

As regards the Directorates at (4) and (5) above, recruitment to Class III and Class IV posts is regulated through executive instructions which have issued from time to time from the Government. Formal recruitment rules have been drafted and these are being processed in consultation with the Ministry of Home Affairs.

As regards gazetted Class I and II posts in these Directorates, with the execption of the posts of Administrative Officer, all Class I and Class II posts in the Directorate of a Inspection (Custom and Central Excise) and Directorate of Revenue Intelligence are held by officers drawn from the Collectorates of Customs and Central Excise on tenure basis. The recruitment rules in respect of all Class I and Class II posts in the Directorate of Inspection (Customs and Central Excise) have been notified. In respect of the Directorate of Revenue Intelligence, recruitmen rules have been framed and notified for the post of Administrative Officer, in respect of the other posts recruitment rules are being drafted.

(b) No specific complaints have been received by the Government in this regard so far.

(c) Question does not arise in view of (b) above.

Deaths by Abortion

3326. **Shri Y. S. Kushwah :** **Shri Ramji Ram :**

Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that he had said in Calcutta sometime back that 2 lakh ladies die every year as a result of abortion ; and

(b) if so, the measures being taken by Government to tackle the problem ?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar).

(a) Yes. In my inaugural address to a seminar on "Family Planning" held in Calcutta on the 7th November, 1967, I had mentioned that 2 lakh ladies die every year as a result of abortion in the hands of quacks and untrained persons.

(b) Measures to tackle this problem are under consideration. One such measure may be the liberalization of the abortion laws as recommended by the Shantilal Shah Committee.

Allotment in Ramakrishnapuram, New Delhi

3327. **Shri Ramji Ram.** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the recent allotments of quarters in Sector, 8, Ramakrishnapuram, New Delhi the quarters were offered without water and electricity ;

(b) whether it is also a fact that Government have clearly mentioned to the allottees that the electricity cannot be provided at least for one year and the persons-accepting allotment would have to make their own arrangements ;

(c) if so, the reasons therefor ; and

(d) the reasons for the allotment of quarters in the absence of adequate arrangements of water and electricity ?

The Deputy Minister in the Ministry of works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) :

(a) Water has been provided in all the quarters which have been released for allotment but the provision of electricity could not be made.

(b) Yes.

(c) and (d) There being an acute shortage of residential accommodation in the general pool in Delhi and keeping in view the persistent demand from the Government employees for allotment of residential accommodation it has been considered advisable to make allotment of quarters in Sector VIII in R. K. Puram without electricity, till such time as the Delhi Municipal Corporation are able to provide electricity.

नये उर्वरक कारखाने

3328. **श्री श्रद्धाकर सुपाकर :**

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के चार नये उर्वरक कारखानों में उत्पादन कब आरम्भ हो जायेगा; और

(ख) उसमें से प्रत्येक कारखाने की कुल अनुमानित उत्पादन क्षमता कितनी कितना होगी ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया):

(क) सरकारी क्षेत्र की नये उर्वरक परियोजनाओं में उत्पादन की तारीखों के विभिन्न चरण इस प्रकार हैं :—

(i) गोरखपुर	..	दिसम्बर, 1967
(ii) नामरूप	..	जनवरी, 1968
(iii) दुर्गापुर	..	अक्तूबर, 1969
(iv) कोचीन	..	अक्तूबर, 1969
(v) मद्रास	..	मार्च, 1970

(ख) परियोजनाओं की क्षमता इस प्रकार है :

		नाईट्रोजन
(i) गोरखपुर	..	80.00. टन वार्षिक
(ii) नामरूप		45.000 " "
(iii) दुर्गापुर	..	152.000 " "
(iv) कोचीन		152.000 " "
(v) मद्रास	...	190.000 " "

दिल्ली में विश्व बैंक के कर्मचारियों को रखना

3329. **श्री जनार्दनन :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के सम्बन्ध में सीधी जानकारी एकत्रित करने के हेतु विश्व बैंक का प्रस्ताव बड़ी संख्या में कर्मचारियों को दिल्ली में रखने का है ;

(ख) क्या विश्व बैंक ने इस प्रस्ताव के लिये सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर ली है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किये गये हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) से (ग) भारत सरकार से परामर्श करने के पश्चात् विश्व बैंक ने निर्णय किया है कि भारत में सात पेशावर अधिकारी रखे। यह इस लिये किया गया है कि जिन परियोजनाओं के लिये बैंक सहायता देता है उनकी प्रगति की पूरी जानकारी बैंक को रहे तथा भारत सहायता संघ का नेता होने के कारण बैंक को ऐसा करने से चालू आर्थिक विकास के बारे में बार बार अपने मिशन भेजे बिना जानकारी प्राप्त होती रहेगी ।

Prince of Silver

3330. **Shri Raghuvir Singh : Shri Yashpal Singh : Shri Himatsingka :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been drawn to the rise in prices of silver ;

(b) whether Government are aware that silver ornaments are being exported on large scale ; and

(c) if so, the steps Government propose to take in this regard ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai):

(a) Yes, Sir.

(b) and (c) Government have issued instructions that exports of silver ornaments, manufactures etc. should be licensed only if their declared value is not less than the prevailing international price of silver plus five per cent. Vigorous preventive measures are also taken to curb smuggling.

Bonus to D. D. A. Employees

3331. **Shri Ram Gopal Shalwale.** Will the the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Delhi Development Authority has decided to pay 10 per cent bonus to its employees ;

(b) whether it is also a fact that no such bonus is paid to the employees of other offices under the Delhi Administration ; and

(c) if so, the reasons for granting bonus to the employees working under the Delhi Development Authority ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh):

(a) The Delhi Development Authority has made interim payment of bonus at 4 percent to its employees. Final percentage has not yet been decided.

(b) The Government emplooees under Delhi Administration are not entitled to bonus.

(c) The employees of Delhi Development Authority are "Industrial Workes" as defined in the Industrial Disputes Act, 1947, and are therefore covered by the Bonus Act, 1965.

Purchase of India By D. D. A.

3332. **Shri Ram Gopal Shalwale.** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the rate at which land acquired by the Delhi Development Authority during the last year, had been purchased by them ;

(b) whether it is also a fact that this land, after development, was disposed of at higher rates by them ; and

(c) if so, the amount of profit earned by the said Authority during the last year ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

मनीपुरी तम्बाकू से कैंसर

3333. श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री शारदानन्द :
श्री अटल बिहारी बाजपेयी :
श्री ना० स्व० शर्मा :

क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा आयोजित तथा सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा के प्रधानाचार्य की अध्यक्षता में, मुंह के कैंसर के बारे में किये गये सर्वेक्षण में बताया गया है कि मुंखग्रसनी संकीर्णपथ कैंसर का मुख्य कारण मनीपुरी तम्बाकू है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) जी हां ।

(ख) स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा द्वारा तम्बाकू खाने को निरुत्साहित किया जाता है ।

Seizure of Foreign Exchange at Palam Airport

3334. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4835 on the 6th July, 1967 and state :

(a) whether the inquiry into the seizure of foreign exchange at Palam Airport has since been completed ;

(b) if so, the findings thereof ; and

(c) if not, the reasons for the delay ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai):

(a) and (c) The seizure was of Indian currency and not foreign currency. Further enquiries in the matter have been stayed by orders of High Court on a writ filed by the assessee.

(b) Does not arise.

Gold Seized in Bombay

3335. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that gold worth Rs. 30 lakhs was seized at Lakhori Vedar in Bombay in the third week of August, 1967 ; and

(b) if so, the number of persons against whom action has been taken and the nature of action taken against them ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai):

(a) Gold bullion with foreign markings valued at about Rs.29 lakhs at the then existing market rate was seized near Lakdi Bunder on the 21st August, 1967 by the Customs authorities at Bombay.

(b) 8 persons were arrested and released on bail. Further investigations are in progress.

Fixed Deposits with Banks in Delhi

3336. **Shri Shashi Bhushan Bajpai** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether his attention has been drawn to such banks in Delhi, as have got fixed deposits of many people since 1947 which should have been returned by them to the depositors in 1948, but have not been repaid so far and whenever the depsoitors see the officials in this connection they are disposed of ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ;

(c) whether Government's attention has been drawn towards Punjab and Kashmir Bank which is still in operation and which has not repaid the depsoitors' money lying with them since 1947 ;

(d) if so, the action being taken by Government to get such payments made to the public from such banks ; and

(e) the rules with regard to the withdrawal of amounts deposited before partition.

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai):

(a) and (b) Government are not aware that banks in Delhi have failed to repay fixed deposits on maturity ; unless they are either in liquidation or are working under a scheme of arrangement sanctioned by a court, or when the deposits in question are in the nature of security deposits which can be repaid only after the completion of contracts.

(c) and (d) The Punjab and Kashmir Bank is working under a scheme of arrangement sanctioned by the Punjab High Court in May, 1948 and modified from time to time. According to the Court's directions, 10% of the amounts due as on the 15th August, 1947 has already been paid in the form of shares in the Bank. Those depositors who have not withdrawn at least 25% of the deposits as they stood on the 15th August, 1947 will be paid an amount that will bring the total drawals to 25% of the said deposits, within a period of six months from the date of payment of compensation by Government in respect of properties left behind by the bank in Pakistan. About 53% of the compensation has not yet been paid for want of realisation and full particulars about the claimants from whom payments are due to the bank.

(e) There are no special rules for withdrawing amounts deposited before partition in the areas now forming part of India.

Compulsory Medical Service in Rural Areas

3337. **Shri R. S. Vidyarthi** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided that the students, after completing their education in medical colleges, would be sent to work in villages ; and

(c) if so, when this decison is likely to be implementated ?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar).

(a) No.

(b) The recommendation made by the Conference of Deans and Principals on this subject is under consideration of the Government and the advice of the State Governments and Medical faculties has been sought.

Printing of Currency Notes

3338. **Shri R. S. Vidyarthi**: Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to print currency notes worth Rs. 1.3 crores per day during 1966-67 ;

(b) whether it is also a fact that currency notes valuing Rs. 3 crores have been printed every day during March, 1967 ; and

(c) if so, the percentage of currency against which reserves have been kept?

The Deputy Prime Minisiteer and Minister of Finance (Shri Morarji Desai):

(a) During 1966-67, the Currency Note Press, Nasik Road printed notes valued at approximately Rs. 1763 crores with an average daily out-turn of about Rs. 4.8 crores.

(b) In March, 1967 notes worth Rs. 201.90 crores were printed amounting to a daily average of Rs. 6.73 crores in value.

(c) Notes printed during a period are initially held in stock at the Currency Note Press at the issue offices of the Reserve Bank and currency chests and a good proportion of the notes are issued in replacement of worn out notes. Reserves are held only against bank notes actually in circulation. These are fully covered by reserves.

विदेशों को अदा किया गया ब्याज

3339. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में, हर साल बाहर के देशों को सरकार ने कुल कितने ब्याज की अदायगी की ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : पिछले तीन वर्षों में विदेश/विदेशी अभिकरणों को सरकार द्वारा अदा की गयी ब्याज की कुल रकम इस प्रकार है :–

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	रकम
1964-65	80.95
1965-66	84.84
1966-67	134.37

(ऊपर दिये गये आंकड़े उन रकमों के हैं जो समय-समय पर प्रचलित विनियम दरों के अनुसार वास्तव में दी गयी हैं, अर्थात् 5-6-66 तक दी गयी रकमों का भुगतान अवमूल्यन से पहले की विनिमय-दर पर और उसके बाद की रकमों का भुगतान अवमूल्यन के बाद की विनिमय-दर पर किया गया)।

पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी से प्राप्त सहायता

3340. **श्री हरदयाल देवगुण :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में वर्षवार पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी से अलग अलग कुल कितनी सहायता प्राप्त हुई है; और

(ख) आगामी तीन वर्षों में कितनी सहायता प्राप्त होने की सम्भावना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) गत तीन वर्षों में पश्चिमी जर्मनी की सहायता इस प्रकार है :

	करोड़ रु० में
1964-65	73.08
1965-66	66.07
1966-67	48.46

पूर्वी जर्मनी से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई ।

(ख) विदेशी सहायता वार्षिक आधार पर प्राप्त होती है । इस कारण अगले तीन वर्षों में प्राप्त होने वाली सहायता के बारे में कहना संभव नहीं है।

आंख और कान, नाक तथा गले से विभागों का अलग अलग किया जाना

3341. **श्री भोगेन्द्र झा :**

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किये गये निर्णय के अनुसार देश के सब मेडिकल कॉलेजों में आंख तथा कान, नाक और गले के विभागों को अलग अलग किया जायेगा ;

(ख) यदि हाँ, तो उन कॉलेजों के नाम क्या हैं जिनमें इन विभागों को अभी तक अलग अलग नहीं किया गया है ;

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) भारतीय चिकित्सा परिषद् ने कहा है कि मेडिकल कालेजों की मापक आवश्यकताओं के अनुसार अवर स्नातक स्तर पर आंख और कान, नाक तथा गले के विभागों को अलग अलग कर देना चाहिये । फिर भी परिषद् ने इस ओर कोई निर्देश नहीं दिया है ।

(ख) और (ग) (क) भाग के उत्तर को देखते हुए यह सूचना एकत्रित नहीं की है ।

M/s Oriental Timber Trading Corporation and M/s Mchanizies Ltd. Bombay.

3342. **Shri Onkar Singh** : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8691 on the 10th August, 1967 and state :

(a) the details of the terms and conditions of agreement concluded between M/s Oriental Timber Trading Corporation and M/s Mechkanizies Ltd. while entering into partnership ;

(b) the total number of contracts obtained by these companies and the amount of Income-tax paid by them to Governmnt.

(c) whether the figures of the wages paid to the workers as shown to the income-tax authorities were exaggerated ;

(d) the reasons for which information regarding the persons constituting the M/s Mechanzies Ltd. could not be obtained ; and

(e) the amount of capital investment of each member of the Board of the said companies ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) The partnership agreement contains the usual clauses specifying the profit sharing proportions, contribution of capital by the partners and the business to be carried on by the partnership.

(b) Four contracts were obtained. Tax paid by the two firms towards these contracts is Rs. 1,25,200.

(c) No such exaggeration has come to notice so far.

(d) This company was incorporated as far back as 1907. The details of the promotors not available, as the information pertains to a period beyond 20 years, the records for which are not available.

(e) The information is not readily available and will be laid on the Table of the House.

दिल्ली छावनी में काम करने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को क्वार्टरों का अलाटमेंट

3344. **श्री हेम राज :**

क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली छावनी क्षेत्र के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संस्था से कोई अभ्यावेदन मिला है कि उन्हें दिल्ली और नई दिल्ली में क्वार्टरों का अलाटमेंट किया जाये; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह):

(क) और (ख) दिल्ली छावनी क्षेत्र के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संस्था की ओर से प्राप्त हुआ अभ्यावेदन विचाराधीन है ।

Family Planning Schemes

3346. **Shri Yajna Datt Sharma** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state the extent of success achieved in removing the prejudices or impressions against the family planning among the villagers and among those groups of people whose religious heads are averse to Family Planning ?

The Minister of State for Hrealth, Family Planning and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar): Experience in the field shows that there is no wide spread or orgarised opinion against Family Planning in the rural areas. Wherever localised prejudices do exist intensive motivational compaigns have been successful in overcoming them. The field studies also reveal that religion is not an obstacle in the way of acceptance of Family Planning. Many social and religious leaders are coming out openly in favour of responsible parenthood.

जीवन बीमा निगम द्वारा शेयरों में पूंजी लगाना

3347. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में, प्रति वर्ष जीवन बीमा निगम ने शेयरों में कुल कितनी पूंजी लगाई; और

(ख) जीवन बीमा निगम ने किन किन औद्योगिक उपक्रमों तथा कम्पनियों के शेयर खरीदे तथा शेयरों में लगाई गई पूंजी का ब्यौरा क्या है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क)

वर्ष	विनियोजित रकम (करोड़ रुपयों में)
1-1-62 से 31-3-63	15.97
1963-64	9.67
1964-65	10.27
1965-66	23.92
1966-67	6.87

(ख) भारतीय जीवन बीमा निगम के पास किस किस कम्पनी के कितने शेयर हैं, यह जाहिर करना लोक हित में नहीं होगा।

Contraband Goods and Gold Seized in Bombay

3348. **Shri Yajna Datt Sharma** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that contraband goods worth Rs. 73 lakhs including 33,000 tolas of gold were seized in Bombay during the second week of August, 1967 ;

(b) if so, the action taken by Government in this regard ; and

(c) the place from where these goods and gold had been brought ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai):

(a) No seizure of contraband goods worth Rs. 73 lakhs was effected in Bombay during the second week of August, 1967. However, on 3rd August, 1967 contraband goods worth approximately Rs. 35 lakhs including 33,000 tolas of gold were seized on Panvel-Khopoli Road about 60 miles from Bombay.

(b) and (c) The seized goods have remained unclaimed. The matter is still under investigation.

Taxes from Centre Due to Calcutta Corporation

3349. **Shri Yajna Datt Sharma:** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1571 on the 23rd November, 1967 and state :

(a) The amount of arrears on different accounts payable by the Central Government to the Calcutta Corporation ; and

(b) the reasons for not making the payment so far ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) The amount of arrears on different accounts for which the Calcutta Corporation has made claims totals Rs. 43.43 lakhs. These are being scrutinised, and after setting off excess payments etc., the amount is likely to be appreciably less.

(b) The payment can be made only after the claims are scrutinised to verify the assessment of properties and the correctness of the calculations. There have been also cases of non-receipt of bills for correct claims in cases where partial services are only provided. In order, however, to expedite matters, instructions have already been issued to Departments concerned to make "on account" payment, if verification of the claims was likely to involve delay, and this is being done.

हरियाना को बिजली की आवश्यकता

3350. **श्री रणधीर सिंह :**

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरियाणा को बिजली की प्रति वर्ष कितनी आवश्यकता होती है ;

(ख) पंजाब की तुलना में हरियाणा को प्रति वर्ष अब कितनी बिजली मिलती है ;

(ग) बिजली की कमी के कारण हरियाणा में किन फसलों तथा किन किन उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(घ) भविष्य में बिजली की कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) से (घ) राज्य सरकारों से मांगी गई सूचना प्राप्त की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

यमुना जल का विवाद

3351. **श्री रणधीर सिंह :**

क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओखला तथा अन्य स्थानों की यमुना नदी के डाउन स्ट्रीम पानी का सिंचाई के लिये प्रयोग करने के बारे में हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश की सरकारों के बीच विवाद अभी तक हल नहीं हुआ है ;

(ख) यदि हां तो इस समझौते का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं हो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) गुड़गांव नहर (हरियाणा राज्य) स्वीकृति के अनुसार आगरा नहर (उत्तर प्रदेश राज्य) में 5 मील पर पानी लेगी । गुड़गाँव नहर के लिये यमुना नदी में पश्चिमी यमुना

नहर के कुलाबों द्वारा पानी छोड़ा जायेगा तथा आगरा नहर को पाँचवे मील पर नये ढंग से बनाया जायेगा । उत्तर प्रदेश की सरकार ने आगरा नहर को नये ढंग से बनाने में जो कठिनाइयां बताई हैं उसको देखते हुए तकनीकी स्तर पर वैकल्पिक कार्य करने के बारे में उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा केन्द्रीय पानी और बिजली आयोग के अधिकारी बातचीत कर रहे हैं। उसमें अन्तिम निर्णय अभी नहीं हुआ है । अन्तरिम प्रबन्ध के रूप में जोकि 1967-68 के लिये लागू होंगे, गुड़गांव नहर को उसकी वर्तमान आवश्यकता, जोकि कुल आवश्यकता का दसवाँ भाग है, आगरा नहर द्वारा दिया जायेगा ।

(ख) और (ग) प्रश्न हो नहीं उठते ।

असम और गुजरात में गैस का मूल्य

3352. **श्री रा० की० अमीन :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) असम और गुजरात में प्रति क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस का क्या मूल्य निर्धारित किया है ; और

(ख) असम और गुजरात में निर्धारित किये गये गैस के मूल्यों में अन्तर होने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) असम में आयल इंडिया लिमिटेड ने जो प्राकृतिक गैस बेची है उसका मूल्य मैदान के बाहर 0.00877 रु० प्रति क्यूबिक मीटर से लगाकर 0.05262 प्रति क्यूबिक मीटर तक है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के द्वारा गुजरात में तैयार किये गये तेल का मूल्य मध्यस्थ ने 0.05600 प्रति क्यूबिक मीटर (मैदान के बाहर) निश्चित किया है ।

(ख) असम में जो मूल्य निश्चित किये हैं वह ऑइल इंडिया लिमिटेड जोकि गैस के तैयार करने वाले हैं तथा उपभोक्ताओं के बीच बात चीत द्वारा निश्चित हुता है । गुजरात में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तैयार किये गये तेल का मूल्य मध्यस्थ ने निश्चित किया हैं ।

राजस्थान में सिंचाई और बिजली प्रायोजनाएं

3354. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई राज्यों को अपने बजटों में भारी घाटा हो रहा है और केवल राजस्थान में चालू वर्ष में 5 करोड़ रुपये से अधिक का घाटा होने का अनुमान है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि रुपये की कमी के कारण, राजस्थान में सिंचाई की और बिजली पैदा करने की, दर्मियानी दर्जे की योजनाओं की उपेक्षा हो रही है ; और

(क) यदि हां, तो सरकार का, इस स्थिति का किस तरह सामना करने का विचार है ताकि इन योजनाओं के काम में बाधा न पड़े ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) यह सच है कि चालू वर्ष में कई राज्यों के बजटों में काफी घाटा होने की सम्भावना है । चालू वर्ष के लेनदेनों के परिणामस्वरूप राजस्थान के बजट में घाटा होने का अनुमान नहीं है। पर जिन पिछले दायित्वों को चालू वर्ष में लाया गया है उनके परिणामस्वरूप इस वर्ष के अंत में राज्य सरकार को 5 करोड़ रुपये से अधिक का घाटा हो सकता है।

(ख) चूंकि राज्य सरकार को जो साधन उपलब्ध हैं वे सीमित हैं, इसलिए यह सच है कि सभी क्षेत्रों के विकास-कार्यक्रम इससे प्रभावित हुए हैं । लेकिन उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत किसी खास क्षेत्र की उपेक्षा किये जाने का सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ग) राज्य की आयोजना के लिए जितनी सहायता देना स्वीकार किया जा चुका है उससे अधिक सहायता देना केन्द्र के लिए सम्भव नहीं होगा । यदि राज्य सरकार की राय में किसी प्रायोजना को उच्च प्राथमिकता देना उचित हो और वह उसके लिए साधन जुटा सकती हो तो वह उस प्रायोजना के लिए राज्य की आयोजना के अन्तर्गत अधिक व्यय की व्यवस्था कर सकती है।

पूर्व-निर्मित मकान

3356. **श्री यशपाल सिंह :**

क्या **निर्माण आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व निर्मित मकानों में निर्माण का अध्ययन करने के लिये सरकार का विचार कुछ इन्जिनियर रूस भेजने का है ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या देश में पूर्व-निर्मित मकान बनाने वाले और अधिक कारखाने स्थापित करने का सरकार का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जवाहर ज्योति

3357. **श्री बाबूराव पटेल :**

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहर ज्योति को नई दिल्ली से ताशकन्द ले जाने तथा वापिस लाने पर कितना धन खर्च होगा ;

(ख) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जो जवाहर ज्योति को ले जायेंगे और उन पर कितना खर्च होगा और ज्योति किस प्रकार ले जायी जायेगी ;

(ग) क्या प्रति वर्ष ऐसा किया जायेगा; और

(घ) जवाहर ज्योति अन्य किन-किन देशों में तथा कब ले जायी जायेगी और उस पर कितना खर्च होगा ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क, से (घ) जवाहर ज्योति ताशकन्द नहीं ले जायी गई थी । जवाहर ज्योति को अन्य किसी देश में लेजाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

उद्यान विभाग की नरसरी

3358. **श्री प्रेम चन्द्र वर्मा :**

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्यान विभाग द्वारा कितनी नरसरियों की व्यवस्था की जाती है तथा उनमें कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिये कोई जांच की है कि उन नरसरियो में इन पर किये जा रहे खर्च के अनुसार कार्य हो रहा है ,

(ग) क्या यह सच है कि बहुत सी नरसरियों के बड़े हिस्सों पर सब्जियां उगाई जाती हैं जिनका उपयोग विभिन्न सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण , आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) 3 नरसरियाँ तथा 54 कर्मचारी ।

(ख) जी हाँ ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

गोहाटी में पकड़ा गया सोना

3359. **श्री प्रेम चन्द्र वर्मा :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत अगस्त मास में गोहाटी में एक व्यापारी से 20,000 रुपये के मूल्य का सोना पकड़ा गया था जिस पर लन्दन की एक फर्म के निशान थे और 60 तोला सोना और पकड़ा गया था जो लेखावाह्य था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सोने को पाकिस्तान से चोरी छिपे लाया गया था और सम्बन्धित व्यापारी के पाकिस्तान में कुछ सम्बन्ध थे ; और

(ल) यदि हां, तो क्या जांच में कुछ अन्य तथ्यों का पता लगा है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) 25 अगस्त, 1967 को गौहाटी में एक व्यापारी से विदेशी मार्का का 100 तोला सोना पकड़ा गया था जिसका मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय दर पर लगभग 9,900 रुपया था । उसी दिन गौहाटी के दूसरे व्यापारी से लगभग 58 तोला वजन वाले सोने के जेवर तथा सिक्के

इस सकारण विश्वास पर पकड़े गये थे कि उनपर स्वर्ण नियंत्रण नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है।

(ख) अब तक की गई जांच पड़ताल से यह प्रकट नहीं होता कि विदेशी मार्का का सोना पाकिस्तान से चोरी छिपे लाया गया था अथवा सम्बन्धित व्यक्ति के पाकिस्तान में सम्बन्ध हैं।

(ग) यह सवाल पैदा नहीं होता।

हिन्दुस्तान ऐन्टी बायोटिक्स

3360. **श्री प्रेमचन्द्र वर्मा :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एन्टी बायोटिक्स को 43,468 रु० के मूल्य की अतिरिक्त विदेशी मुद्रा की अदायगी इस लिये करनी पड़ी क्योंकि उनकी अमरीकी सहयोगकर्ता को 28 फरवरी, 1966 तक देय धनराशि की अदायगी नहीं की गई थी; और

(ख) यदि हां तो क्या इस विलम्ब के लिये किन्हीं व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया गया है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) जी नहीं कोई अतिरिक्त विदेशी मुद्रा की अदायगी नहीं की गई।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली की बस्तियों का मानचित्र

3361. **श्री म० ला सोंधी :**

क्या **निर्माण आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने न तो दिल्ली में स्वीकृत तथा अस्वीकृत बस्तियों की नवीनतम स्थिति का परिचय देने वाला कोई मानचित्र तैयार किया है और न ही उसके पास इन बस्तियों में प्रति वर्ष बनाये जाने वाले मकानों के आंकड़े हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रखी जायेगी।

नगरीय भूमि के दाम

3362. **श्री म० ला० सोंधी :**

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में नगरीय भूमि के दामों के सम्बन्ध में कोई तकनीकी अध्ययन किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उसकी एक प्रति सभा-पटल पर रखने का है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) वर्ष 1966 में नगर तथा देहात योजना संगठन ने चुने हुए शहरों में नगरीय भूमि की कीमतों का सर्वेक्षण किया था।

(ख) इस विषय पर एक लेख 26 जनवरी, 1966 के "योजना" वार्षिक अंक में प्रकाशित किया गया था। एक प्रति सभा पटल पर रखी गई है। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 1906/67]

अर्जित भूमि का मुक्त करना

3363. **श्री म० ला० सोंधी:**

क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली शहर की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप बड़े पैमाने पर भूमि का अर्जन करने, उसका विकास करने तथा उसे बेचने में दिल्ली विकास प्राधिकार के असमर्थ रहने के कारण दिल्ली में अनुपलभ्य बनाई गई भूमि को मुक्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या यह सच है कि विकसित भूमि उपलब्ध कराने हेतु सब प्रकार की कमी का मुकाबला करने के लिये दिल्ली विकास प्रधिकार के पास न तो धन है और न ही सामर्थ्य ;

(ग) यदि हां, तो क्या बहुत बड़े पैमाने पर मकान का निर्माण करके उनको किराये पर देने के लिये दिल्ली विकास प्राधिकार तथा गैर-सरकारी कम्पनियों का संयुक्त उद्यम शुरू कराने का सरकार का विचार है; और

(घ) क्या दिल्ली की आवास तथा भूमि सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करने तथा आगामी 50-60 वर्षों के लिये आवास सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने के उपायों की सिफारिश करने के लिये एक समिति नियुक्त करने का सरकार का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(घ) जी, नहीं।

ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य चिकित्सा सेवा

3364. **श्री श्रीचन्द गोयल:**

क्या स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को चिकित्सा सहायता देने के लिये कोई पर्याप्त प्रबन्ध नहीं है ;

(ख) क्या सरकार के विचाराधीन कोई ऐसा प्रस्ताव है कि सेवाओं में नियुक्त डाक्टरों के लिये कुछ वर्षों तक गावों में सेवा करना अनिवार्य बनाया जाये ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) देश के विभिन्न राज्यों में स्थित 4,683 प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को चिकित्सा सहायता दी जा रही है। इसके अलावा, वहां आधुनिक तथा देशी दवा के ग्रामीण औषधालय हैं।

(ख) और (ग) राज्य पदालि से किसी भी चिकित्सा अधिकारी का तबादला उसकी पद-स्थिति के अनुरूप राज्य में कहीं भी किया जा सकता है। इस मामले को विनियमित करना राज्य सरकारों का काम है।

अत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य

3365. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1967 और अक्टूबर, 1967 में अत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के तुलनात्मक मूल्य क्या थे; और

(ख) प्रत्येक वस्तु के मूल्य में प्रतिशत कितनी वृद्धि या कमी हुई ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) अत्यावश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के जुलाई, 1967 और अक्तूबर 1967 के अन्त में थोक मूल्यों के सूचना अंकों की सारणी संलग्न विवरण में दी गयी है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1907/67] इन मूल्यों में हुए प्रतिशत परिवर्तन भी इस में दिये गये हैं।

औद्योगिक विकास बैंक

3366. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा 30 जून, 1967 को समाप्त हुए वर्ष में मंजूर की गई सहायता पहले की अपेक्षा कम है;

(ख) यदि हां, तो यह इससे पहले के दो वर्षों में मंजूर की गयी सहायता से कितनी कम है ;

(ग) मंजूर की गई सहायता/ऋणों की रकम में कमी होने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या बैंक की, छोटे पैमाने के उद्योगों को सहायता देने की कोई विशेष योजना है, और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और उपयुक्त तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष मंजूर की गयी सहायता में से, छोटे पैमाने के उद्योगों को कितनी सहायता दी गयी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा 1966-67 में स्वीकृत सहायता की रकम में इससे ठीक पहले के वर्ष, अर्थात् 1965-66 के मुकाबले कुछ कमी रही। विकास बैंक द्वारा गारंटी को छोड़कर विभिन्न रूपों में स्वीकृत कुल सहायता की रकम, जो 1964-65 में 50.50 करोड़ रुपया

थी, बढ़कर 1965–66 में 70.10 करोड़ रुपया हो गयी और 1966-67 में घट कर 64.20 करोड़ रुपया रह गयी।

(ग) कुल मिलाकर स्वीकृत सहायता में कमी होने का मुख्य कारण यह था कि प्रचलित मुद्रा-बाहुल्य और उपलब्ध साधनों की कमी को देखते हुए, सहायता स्वीकार करने के लिए अधिक छंटाई का आधार अपनाना आवश्यक समझा गया ताकि प्राप्त धन के अधिकतम उपयोग की सुनिश्चित व्यवस्था की जा सके। कमी का कारण कुछ हद तक यह भी था कि पुनर्वित्त और सीधे सहायता प्राप्त करने के लिए दिये गये आवेदन-पत्रों की संख्या कम थी।

(घ) और (ङ) छोटे पैमाने के उद्योगों को सहायता देने के लिए विकास बैंक द्वारा कोई विशेष योजना नहीं चलायी जाती। पर विकास बैंक ने छोटे पैमाने के उद्योगों को ऋण देने के लिए, पुनर्वित्त सम्बन्धी सहायता के रूप में 1964-65 में 4.30 लाख रुपये, 1965 66 में 19.40 लाख लाख रुपये और 1966–67 में 25 45 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। विकास बैंक ने राज्य वित्त निगमों के शेयरों और बाण्डों में काफी अधिक मात्रा में रुपया भी लगाया है जो छोटे पैमाने और मध्यम दर्जे के उद्योगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं।

हाल ही में औद्योगिक विकास बैंक ने, कृषि उपकरणों के सम्बन्ध में लेन-देनों की न्यूनतम सीमा को समाप्त करके और अन्य मशीनों के लिए इस सीमा को 50,000 रुपये से घटाकर 10,000 रुपया करके देश में बनी मशीनों की बिक्री के कारण हुंडियों के पुनर्शोधन की अपनी योजना को उदार बना दिया है। उपयुक्त मामलों में, विलम्बित भुगतान की अधिकतम अवधि को भी 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष कर दिया गया है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों का आन्दोलन

3367. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों ने सरकार को चेतावनी दी है कि वे फिर से आन्दोलन आरम्भ करेंगे ; और

(ख) यदि हाँ, तो उनकी माँगें क्या हैं तथा उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

परिवार नियोजन के लिये सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहन

3368. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन के मानदण्डों को स्वीकार करने वाले सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहन के रूप में वेतन वृद्धि देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) से (ग) निम्नतर आय वर्ग के उन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को जो निर्धारित संख्या में बच्चों के बाद वन्ध्यकरण करवा लेते हैं, कुछ वृद्धियां देने के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है । इसका ब्यौरा तैयार किया जा रहा है ।

नए नोटों की गड्डी में कमी

3369. **श्री समर गुह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये एक और दो रुपये के सौ सौ रुपयों के बण्डलों में कभी कभी एक नोट कम पाया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकार की कमी के कारणों की जांच करेंगी ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का सरकार का विचार है ?

उप प्रधान तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) से (ग) नोटों के इस प्रकार कम हो जाने के मामलों की शिकायत यदा कदा ही की गयी है । किसी गड्डी में एक नोट की कमी या अधिकता कभी-कभी गड्डी बनाने में गलती हो जाने के कारण होती है । फिर भी, प्रेस में और रिजर्व बैंक के निर्गम-कार्यालियों में विभिन्न स्तरों पर बार-बार जाँच करने की वित्तृत व्यवस्था है । छापे गये और जारी किये गये नोटों की अधिक संख्या को देखते हुए इस प्रकार के अवसर बहुत कम पैदा हुए हैं । बैंक की खिड़की (काउन्टर) पर की गयी शिकायतों की जांच सम्बद्ध कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने के विचार से की जाती है ।

Production of Pesticides

3370. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether the production of pesticides, 'B.H.C.' and 'D.D.T.' which are useful for agriculture, has gone down during the last few years and is likely to go down further this year;

(b) if so, the reasons therefor and the action taken to increase the production ;

(c) whether it is a fact that D. D. T. is being adulterated by mixing chalk powder ; and.

(d) if so, the action taken to check the adulteration?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghu Ramaiah):

(a) No, Sir. The production of BHC and DDT has not shown any decline but on

the other hand has gradually increased from 6156 and 2660 in 1964 to 8277 and 2758 tonne in 1966 respectively. The estimated production in 1967 of BHC is 10,000 tonnes and DDT 3200 tonnes.

(b) Does not arise.

(c) Government are not aware of this and no complaint has been received.

(d) Does not arise.

शिमला में 'होलिड होम'

3371. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये सारे देश में केवल एक 'हौलिडे होम' है जो शिमला में है जब कि रेलवे जैसे विभागों के अपने कर्मचारियों के लिये सारे देश में अनेक 'हौलिडे होम' हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि शिमला स्थित केवल एक 'होलिडे होम' का आधा भाग उनके सरकार ने एक गैर-सरकारी होटल के मालिक को पट्टे पर दे दिया है जिससे केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों के लिये स्थान और भी कम हो गया है जो ग्रीष्म काल में आराम और आमोद-प्रमोद के लिये शिमला जाना चाहते हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि 'हौलिडे होम' के लगभग 30 सेट हिमाचल प्रदेश सरकार को सौंप दिये गये हैं ;

(घ) यदि हां, तो क्या पट्टे को समाप्त करने तथा हिमांचल प्रदेश से 30 सैट वापस लेने का कोई प्रस्ताव है ताकि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी इसका लाभ उठा सकें ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) ग्राण्ड होटल में 141 कमरे हैं जिनमें से 28 कमरे केवल हिमाचल प्रदेश सरकार के लिये नियत किये गये थे और कुछ कमरों का उपयोग कार्यालय के लिये किया जा रहा था । शेष 99 कमरे सरकारी अधिकारियों तथा सामान्य व्यक्तियों के उपयोग के लिये थे ।

99 कमरों में से एक भाग, जिसमें 51 कमरे हैं, एक गैर सरकारी होटल चलाने वाले को किराये पर 15 अप्रेल, 1965 से दिया गया था और शेष 48 कमरों को सरकारी अधिकारियों, संसद सदस्यों आदि के लिये 'होलिडे होम' में बदल दिया गया था । 'होलिडे होम' में से कोई भी भाग पट्टे पर नहीं दिया गया है ।

(घ) और (ङ) हिमाचल प्रदेश सरकार से यह अनुरोध पहले ही किया जा चुका है कि ग्रांड होटल के कमरों को वह छोड़ दे, परन्तु इसने ऐसा नहीं किया है । होटल के भाग

की पट्टे की अवधि 14 अप्रेल 1968 को समाप्त होगी । फिर पट्टे पर देने या न देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

वार्धा के निकट मेडिकल कालेज

3372. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री 1 जून 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1201 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कस्तूरबा स्वास्थ्य संस्था सेवाग्राम ने वार्धा के निकट एक मेडिकल कालेज खोलने का प्रस्ताव इस बीच क्रियान्वित कर दिया है ;

(क) यदि नहीं, तो इस समय यह प्रस्ताव किस स्थिति में है ;

(ग) क्या इस संस्था को वित्तीय सहायता देने के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) कस्तूरबा स्वास्थ्य संस्था ने वित्तीय सहायता के लिये अनुरोध किया है जिस पर महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कोरबा परियोजना

3373. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री 1 जून 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1185 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के उर्वरक निगम ने कोरबा परियोजना से संबद्ध अपना संशोधित प्रतिवेदन इस बीच प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) और (ख) भारत के उर्वरक निगम ने मध्य प्रदेश में कोयले पर आधारित संयंत्र के बारे में तकनीकी-आर्थिक सम्भावना सम्बन्धी अध्ययन किया था। वह अध्ययन सरकार को मिल गया है और सरकार उस पर विचार कर रही है ।

चौथी योजना की कालावधि में मुख्य परियोजनाएं

3374. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन अतिरिक्त बड़ी परियोजनाओं को छांटने के किसी आशय को अन्तिम रूप दे दिया गया है, जिनके लिए चौथी योजनावधि में केन्द्रीय सहायता दी जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) चौथी योजना के लिये इस प्रकार की कौन-कौन सी परियोजनाओं का चयन किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1908/67]

कोचीन में तापीय संयंत्र

3375. **श्री मणिभाई जे० पटेल :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री 1 जून 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 231 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार द्वारा कोचीन तापीय संयंत्र के बारे में भेजे गये पुनरीक्षित परियोजना प्रतिवेदन की इस बीच केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा जांच कर ली गई है ;

(ख) क्या जैनेरेटिंग प्लांट तथा उपकरण प्राप्त करने के बारे में निर्णय कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने पुनरीक्षित प्रतिवेदन की जांच की थी और आयोग के एक अधिकारी ने परियोजना का दौरा भी किया था। राज्य बिजली बोर्ड से यह अनुरोध किया गया है कि आयोग के निरीक्षणों को ध्यान में रखते वह इस प्रतिवेदन को नया रूप दे ।

(ख) और (ग) परियोजना को बोर्ड द्वारा नया रूप दिये जाने तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे अनुमोदित किये जाने के बाद परियोजना के लिये बिजली पैदा करने वाले संयंत्र तथा उपकरण प्राप्त करने के बारे में निर्णय किया जायेगा ।

रूसी ऋणों का भुगतान

3376. **श्री मधु लिमये** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1960-61 से लेकर 1966-67 तक प्रति वर्ष रूस सरकार को ऋणों की अदायगी के रूप में कितनी धनराशि दी गई ; और

(ख) रूस के साथ हाल ही में किये गये व्यापार करारों के आधार पर 1967-68 से लेकर 1970-71 तक प्रति वर्ष रूस को ऋणों की राशि की अदायगी करने के लिये हमें अपने निर्यात में कितने प्रतिशत वृद्धि करने की आवश्यकता होगी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 1960-61 से

1966-67 तक के दौरान रूस को आर्थिक सहकार ऋण करारों के अन्तर्गत मूलधन और ब्याज के भुगतान के लिये निम्न राशियां दी गईं :

(करोड़ रु० में)

	मूलधन	ब्याज	कुल
1960–61	5.43	1.29	6.72
1961–62	5.40	1.21	6.61
1962–63	10.79	1.48	
1963–64	7.86	2.94	
1964–65	8.37	3.78	
1965–66	4.77	5.14	
1966–67	18.54	8.99	

(ख) चूंकि रूसी ऋणों का पुनर्भुगतान, प्रत्येक परियोजना के लिये माल का संभरण पूरा होने के एक वर्ष पश्चात से आरम्भ होता है, इसलिये किसी भी समय पुनर्भुगतान का सही अनुमान लगाना संभव नहीं होगा। चालू अनुमान के अनुसार 1967-71 के दौरान निर्यात की निम्न प्रतिशतता द्वारा मूलधन तथा ब्याज का पुनर्भुगतान निम्न होगा :—

	प्रतिशतता
1967-68	28.1
1968-69	26.5
1969-70	23.7
1970-71	20.7

सरकारी प्रतिभूतियों में लगाई गई भविष्य निधि

3378. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भविष्य निधि में जमा राशि सरकारी प्रतिभूतियों में लगाई जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर कितना वार्षिक ब्याज दिया जाता है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोराजी देसाई) : (क) सरकारी कर्मचारियों की भविष्य निधि को अलग से विनियोजित नहीं किया जाता है, अपितु उसे सरकार के पास निक्षेप के रूप में समझा जाता है। तथापि, लघु बचत की प्रतिभूतियों और राज्य सरकार की प्रतिभूतियों सहित केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में कर्मचारी भविष्य निधि और कोयला खान भविष्य निधि का धन लगाया जाता है। अन्य भविष्य निधियों के लिये विनियोजन का कोई तरीका निर्धारित नहीं किया गया है। परन्तु आयकर से छूट प्राप्त करने के लिये निधियों की शेष राशियों को आयकर नियमों के अनुसार विनियोजित करना पड़ता है।

(ख) सरकारी कर्मचारियों की भविष्य निधि की राशियों पर ब्याज इस धारणा पर दिया जाता है कि धन भारत सरकार की प्रतिभूतियों में विनियोजित किया जाता है । ब्याज की दर जो पिछले वर्ष 4.6 प्रतिशत इस वर्ष बढ़ा कर 4.8 प्रतिशत कर दी गई है। जहां तक कर्मचारी भविष्य निधि और कोयला खान भविष्य निधि का सम्बन्ध हैं, ब्याज की दर विनियोजित राशि से होने वाली आय के आधार पर निश्चित की जाती है । इन दो निधियों द्वारा चालू वर्ष के दौरान 5 प्रतिशत ब्याज दिया गया और यह न केवल चालू वर्ष की राशि अपितु भविष्य निधि की समूची राशि पर लागू होता है । अन्य भविष्य निधि के लिये ब्याज की दर प्रति वर्ष न्यासधारी बोर्ड द्वारा निश्चित किया जाता है ।

मेसर्स प्रमोद पिक्चर्स द्वारा पौण्ड पावना का हस्तान्तरण

3379. **श्री कामेश्वर सिंह**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान प्रमोद पिक्चर्स द्वारा पौण्ड पावना का लन्दन से टोकियो में अवैध हस्तान्तरण किये जाने की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इसका पता लग जाने पर भारत के रिजर्व बैंक ने इसपर आपत्ति की थी ; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) प्रवर्तन निदेशालय को यह सूचना मिली थी कि मेसर्स प्रमोद फिल्म्स, बम्बई ने, जापान में स्थान-गत शूटिंग पर होने वाले व्यय के लिये कुछ विदेशी वितरकों द्वारा प्रेषित रकमों के रूप में विदेशी मुद्रा प्राप्त की है ।

(ख) अपेक्षित सूचना रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से प्राप्त की जा रही है ।

(ग) प्रर्वतन निदेशालय ने मेसर्स प्रमोद फिल्म्स के मालिक श्री प्रमोद चक्रवर्ती के व्यापार तथा निवास स्थानों की 16 अगस्त, 1967 को तलाशी ली थी तथा कुछ दस्तावेज पकड़े थे । जाँच-पड़ताल अभी भी चल रही है ।

मेसर्स जे० पी० एण्ड सन्स

3380. **श्री कामेश्वर सिंह :**

क्या वित्त मंत्री 13 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5491 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेसर्स जे० पी० एण्ड सन्स, बम्बई द्वारा आयकर की अदायगी न किये जाने के बारे में की जा रही जांच इस बीच पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

स्प्रिंग बनाने के लिये सामग्री का आयात

3381. **श्री कंवर लाल गुप्त :**

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों में उन फर्मों को मोटरों के स्प्रिंग बनाने की सामग्री का आयात करने के लिये कितनी रकम के लाइसेंस दिये गये, जिन्हें मोटर गाड़ियों के स्प्रिंग की सप्लाई के लिये दरों के आधार पर ठेके दिये गये थे ;

(ख) क्या यह सच है कि उनमें से कुछ फर्मों ने अपनी सप्लाई पूरी नहीं की परन्तु आयात लाइसेंसों का उपयोग किया; यदि हां, तो उन फर्मों के क्या नाम हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि इनमें से 9 फर्में अभी भी सरकार को माल सप्लाई कर रही हैं ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) इन फर्मों के विरुद्ध कार्यवाही न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि कुछ मांगकर्ताओं ने संभरण तथा पूर्ति महानिदेशक से स्प्रिंग के विलम्ब से सप्लाई किये जाने या न सप्लाई किये जाने के विरुद्ध कोई शिकायतें की थी, परन्तु उनकी इन शिकायतों के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) 1965 में मोटर गाड़ियों के लिये स्प्रिंगों के संभरण के लिये महानिदेशक पूर्ति तथा निपटान ने पांच फर्मों के साथ दर सम्बन्धी ठेके किये थे । इन ठेकों की शर्तों के अनुसार फर्मों को अपने प्रबन्ध द्वारा ही स्प्रिंगों के निर्माण के लिये कच्चा माल प्राप्त करना था । महानिदेशक पूर्ति तथा निपटान द्वारा इस कच्चे माल के आयात के लिये कोई सहायता नहीं दी गई थी ।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

मोटर गाड़ियों के लिये स्प्रिंग की सप्लाई

3382. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्ति तथा नियतन महानिदेशालय ने मोटर गाड़ियों के लिये पिछले दो वर्षों में किस दर पर स्प्रिंग खरीदे थे ;

(ख) उस महानिदेशालय ने किस दर पर मोटर गाड़ियों के स्प्रिंग खरीदने के लिये हाल में क्रयादेश दिया है ;

(ग) क्या यह सच है कि वर्तमान दर गत दो वर्षों की दर से बहुत कम है, हालांकि सामान के दाम बढ़ गये हैं ; और

(ख) सरकारी कर्मचारियों की भविष्य निधि की राशियों पर ब्याज इस धारणा पर दिया जाता है कि धन भारत सरकार की प्रतिभूतियों में विनियोजित किया जाता है । ब्याज की दर जो पिछले वर्ष 4.6 प्रतिशत इस वर्ष बढ़ा कर 4.8 प्रतिशत कर दी गई है। जहां तक कर्मचारी भविष्य निधि और कोयला खान भविष्य निधि का सम्बन्ध हैं, ब्याज की दर विनियोजित राशि से होने वाली आय के आधार पर निश्चित की जाती है । इन दो निधियों द्वारा चालू वर्ष के दौरान 5 प्रतिशत ब्याज दिया गया और यह न केवल चालू वर्ष की राशि अपितु भविष्य निधि की समूची राशि पर लागू होता है । अन्य भविष्य निधि के लिये ब्याज की दर प्रति वर्ष न्यासधारी बोर्ड द्वारा निश्चित किया जाता है ।

मेसर्स प्रमोद पिक्चर्स द्वारा पौण्ड पावना का हस्तान्तरण

3379. **श्री कामेश्वर सिंह**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान प्रमोद पिक्चर्स द्वारा पौण्ड पावना का लन्दन से टोकियो में अवैध हस्तान्तरण किये जाने की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इसका पता लग जाने पर भारत के रिजर्व बैंक ने इसपर आपत्ति की थी ; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) प्रवर्तन निदेशालय को यह सूचना मिली थी कि मेसर्स प्रमोद फिल्म्स, बम्बई ने, जापान में स्थान-गत शूटिंग पर होने वाले व्यय के लिये कुछ विदेशी वितरकों द्वारा प्रेषित रकमों के रूप में विदेशी मुद्रा प्राप्त की है।

(ख) अपेक्षित सूचना रिजर्व बैंक आफ इण्डिया से प्राप्त की जा रही है ।

(ग) प्रर्वतन निदेशालय ने मेसर्स प्रमोद फिल्म्स के मालिक श्री प्रमोद चक्रवर्ती के व्यापार तथा निवास स्थानों की 16 अगस्त, 1967 को तलाशी ली थी तथा कुछ दस्तावेज पकड़े थे। जाँच-पड़ताल अभी भी चल रही है ।

मेसर्स जे० पी० एण्ड सन्स

3380. **श्री कामेश्वर सिंह** :

क्या वित्त मंत्री 13 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5491 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेसर्स जे० पी० एण्ड सन्स, बम्बई द्वारा आयकर की अदायगी न किये जाने के बारे में की जा रही जांच इस बीच पूरी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

स्प्रिंग बनाने के लिये सामग्री का आयात

3381. **श्री कंवर लाल गुप्त :**

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) गत तीन वर्षों में उन फर्मों को मोटरों के स्प्रिंग बनाने की सामग्री का आयात करने के लिये कितनी रकम के लाइसेंस दिये गये, जिन्हें मोटर गाड़ियों के स्प्रिंग की सप्लाई के लिये दरों के आधार पर ठेके दिये गये थे ;

(ख) क्या यह सच है कि उनमें से कुछ फर्मों ने अपनी सप्लाई पूरी नहीं की परन्तु आयात लाइसेंसों का उपयोग किया; यदि हां, तो उन फर्मों के क्या नाम हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि इनमें से 9 फर्में अभी भी सरकार को माल सप्लाई कर रही हैं ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) इन फर्मों के विरुद्ध कार्यवाही न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ङ) क्या यह भी सच है कि कुछ मांगकर्ताओं ने संभरण तथा पूर्ति महानिदेशक से स्प्रिंग के विलम्ब से सप्लाई किये जाने या न सप्लाई किये जाने के विरुद्ध कोई शिकायतें की थी, परन्तु उनकी इन शिकायतों के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) 1965 में मोटर गाड़ियों के लिये स्प्रिंगों के संभरण के लिये महानिदेशक पूर्ति तथा निपटान ने पांच फर्मों के साथ दर सम्बन्धी ठेके किये थे । इन ठेकों की शर्तों के अनुसार फर्मों को अपने प्रबन्ध द्वारा ही स्प्रिंगों के निर्माण के लिये कच्चा माल प्राप्त करना था । महानिदेशक पूर्ति तथा निपटान द्वारा इस कच्चे माल के आयात के लिये कोई सहायता नहीं दी गई थी ।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

मोटर गाड़ियों के लिये स्प्रिंग की सप्लाई

3382. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्ति तथा नियतन महानिदेशालय ने मोटर गाड़ियों के लिये पिछले दो वर्षों में किस दर पर स्प्रिंग खरीदे थे ;

(ख) उस महानिदेशालय ने किस दर पर मोटर गाड़ियों के स्प्रिंग खरीदने के लिये हाल में क्रयादेश दिया है ;

(ग) क्या यह सच है कि वर्तमान दर गत दो वर्षों की दर से बहुत कम है, हालांकि सामान के दाम बढ़ गये हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार दरों में कमी होने के कारणों का पता लगाने के लिये जाँच करने का है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) पिछले दो वर्षों में पूर्ति तथा नियतन महानिदेशक ने 100 से अधिक किस्म के स्प्रिंग खरीदे हैं । इनके मूल्य प्रति स्प्रिंग 58 रु० से लेकर 265 रु० तक थे ।

(ख) से (घ) विभिन्न प्रकार की मोटर गाड़ियों के लिये विभिन्न प्रकार के स्प्रिंगों के लिये हाल ही में टेंडर खोले गये थे और उनमें दी गई दरें मूल्यों में कमी की सामान्य प्रवृत्ति बताती हैं ।

मूल्यों में यह कमी बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता और प्रतिस्पर्धा के कारण है । पूर्ति तथा नियतन महानिदेशालय का काम कम से कम मूल्यों पर खरीदना है । सरकार द्वारा जांच करने का कोई प्रश्न नहीं है ।

बिहार में बैंकिंग उद्योग

3383. **श्री शिवचन्द्र झा :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में बैंकिंग उद्योग का विकास नहीं हुआ है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर आज तक बिहार के किसानों ने कहां तक और कितनी राशि के बैंक ऋणों का उपयोग किया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 1966 के अन्त में बिहार में 16 वाणिज्यिक बैंक 227 अधिकारियों सहित कार्य कर रहे थे । जून 1960 के अन्त में 5 सहकारी समितियां काम कर रही थी जो बिहार के 75 प्रतिशत ग्रामों को प्रभावित करती थीं । इस आंकड़ों के आधार पर बिहार बैंकिंग की दृष्टि से इतना अविकसित नहीं है जितने कि अन्य राज्य हैं; यद्यपि अग्रेतर सुधार की गुंजाइश है ।

(ख) किसी भी क्षेत्र में बैंकों की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि उस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में धन निक्षेपों के आकर्षित करने की कितनी संभावना है ताकि उस धन को व्यापार उद्योग, कृषि आदि में लगाया जा सके ।

(ग) बिहार में कृषकों द्वारा बैंक ऋणों के उपयोग सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध नहीं है । 1951-52 और 1964-65 के दौरान सहकारी बैंकों द्वारा कृषकों को 43·33 करोड़ रु० के ऋण दिये गये थे ।

गृह निर्माण सम्बन्धी योजना

3384. **श्री शिवचन्द्र झा : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर अब तक गृह निर्माण पर कितनी धनराशि लगाई गई है ;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि से अब तक कितने नये मकान बनाये गये हैं ;

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कितने मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) लक्ष्य को प्राप्त न कर सकने के क्या कारण हैं ;

(ङ) क्या सरकार ने "ट्रैलर हाऊस" बनाने के लिये धनं नियत किया है ; और

(च) यदि हां, तो अब तक ऐसे कितने मकान बनाये गये हैं तथा बेचे गये हैं और एक ट्रैलर हाऊस की कीमत कितनी है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबालसिंह) :

(क) और (ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर 1966-67 के अन्त तक इस मंत्रालय की गृह निर्माण योजनाओं की क्रियान्विति के लिये योजना तथा जीवन बीमा निगम की निधियों से लगभग 284 करोड़ रु० विनियोजित की गई थी और योजनाओं के अन्तर्गत लगभग 4.2 लाख मकान बनाये गये थे ।

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजनावधि के अन्त तक 6.43 लाख मकानों का लक्ष्य रखा गया था । 1966-67 के लिये कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं रखा गया था ।

(घ) मुख्य कारण यह है कि राज्य सरकारें आवास को पर्याप्त प्राथमिकता नहीं देती । उनकी वार्षिक योजनाओं में दी गई नाकाफी निधियों का भी पूरा उपयोग नहीं किया जाता है । इसके अतिरिक्त, चीनी और पाकिस्तानी हमलों और प्राकृतिक आपदाओं का भी मकानों के निर्माण की गति पर विपरीत प्रभाव पड़ा है ।

(ङ) जी नहीं ।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाने

3385 **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार नेफ्था तथा अमोनियम पर आधारित कारखानों के अतिरिक्त कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाने स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) कोयले पर आधारित उर्वरक कारखानों के लिए यदि कोई विदेशी सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया है तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया):

(क) प्रति दिन 600 मीट्रिक टन अमोनिया तथा 1000 मीट्रिक टन यूरिया के आधार पर कोर्बा के बारे में पटेल प्रतिवेदन पर पुनर्विचार करने के लिये उर्वरक निगम को कहा गया था । वह प्रतिवेदन मिल गया है और उस पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) कोर्वा क्षेत्र में कोयले का जो उत्पादन किया जाता हैं उसका कारगर और लाभप्रद उपयोग करने के लिये ।

(ग) जी नहीं ।

आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत कर निर्धारण सम्बन्धी याचिकाएं

3386. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान, महीने वार पश्चिम बंगाल के कर-आयुक्तों के समक्ष आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 271 (4 क) के अन्तर्गत कर निर्धारण सम्बन्धी कितनी याचिकाएं पेश की गईं ; कितनी याचिकाओं का निपटारा किया जा चुका हैं और कितनी याचिकाएं विचाराधीन हैं ;

(ख) इन मामलों के निपटाने में बिलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) विचाराधीन याचिकाओं का शीघ्र निपटारा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायगी ।

(ग) बकाया कर-निर्धारण के सारे मामलों का 31 मार्च, 1969 से पहले निपटान करने के लिए कार्यवाही की गई है । धारा 271 (4 क) के अधीन पेश की गई दरख्वास्तों का सम्बन्ध कर-निर्धारण के बकाया मामलों से आता है और इसलिए इस कार्यवाही से उनका अपने आप निपटान हो जायगा ।

Fertilizer Factories

3387. **Shri Onkar Lal Berwa.** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that two firms of West Germany and Holland have made an offer to set up three fertilizer factories in India ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chaemicls and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah) :

(a) to (c) In March 1967, Mr. Thomas Guest, a Director of British Indian Development Corporation, London approached the Ministry of Petroleum and Chemicals with a general proposal that a consortium of German, Dutch and British firms would be willing to set up fertilizer plants in collaboration with Govt. of India. The proposal did not contain essential information which all entrepreneurs desirous of Govt's participation always supply. Further information was called for, which is still awaited.

Rural Housing Schemes in M. P.

3388. **Shri G. C. Dixit.** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the amount sanctioned for Rural Housing Schemes in Madhya Pradesh for 1966-67.

(b) the amount incurred on this work by State Government during the above period; and

(c) the amount sanctioned for the State for this work for the year 1967-68 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) :

(a) Rs. 1.60 lakhs was allocated for the Village Housing Projects Scheme.

(b) On the basis of the actual expenditure for the first three aquarters and the anticipated expenditure for the last quarter of 1966-67 , reported by the State Government, Central assistance of Rs. 1.13 lakhs was released. The actual expenditure for the year has not been reported by the State Government.

(c) Rs. 2.75 lakhs has been allocated.

Urban Development in M. P.

3389. **Shri G. C. Dixit.** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the amount allocated to Madhya Pradesh for Urban Developmes in the Third Five Year Plan ; and

(b) the cities and towns developed thereby ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) :

(a) and (b): A sum of Rs. 16.50 lacs was allocated to the Govocrment of Madhya Pradesh for the preparation of comprehensive development plans for the cities of Bhopal, Jabalpur Bhilai and for the Bhilai Region. The State Government incurred an expenditure of Rs. 6.49 lacs only. While surveys in respect of other projects are in progress, the State Government have prepared and approved the "interim development plan" for Bhopal. The comprehensive development plan for Bhopal is under preparation.

उर्वरकों की उत्पादन लागत

3390. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयला, नेफ्था तथा अमोनिया से तैयार किये जाने वाले प्रति 100 टन उर्वरकों की अलग-अलग उत्पादन लागत कितनी है ;

(ख) प्रत्येक एक्क के लिये अलग अलग कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ती है;

(ग) क्या कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाना न लगाने का अन्तिम रूप से निश्चय कर लिया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो मध्य प्रदेश में कोशा अथवा पेंच घाटी अथवा गोति टोरिया में कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाना स्थापित न करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया): (क) उत्पादन लागत उत्पादित उर्वरक की किस्म, कारखाने के आकार, उसके स्थान, कच्चे माल के मूल्य तथा उपयोगिता के अनुसार अलग अलग होती है। इन तीन कारखानों अर्थात कोयले पर आधारित, नेफ्था पर आधारित तथा अमोनिया पर आधारित, की तुलनात्मक लागत के आंकड़े तैयार करते समय कई ऐसी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है जो व्यावहारिक रूप में बहुत कम लागू होती हैं । सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि कोयले पर आधारित कारखानों में उत्पादन लागत उपर्युक्त अन्य दो प्रकार के कारखानों की उत्पादन लागत की तुलना में थोड़ी अधिक होती है ।

(ख) कोयले पर आधारित कारखाने का हमें हाल ही का कोई अनुभव नहीं है । दुर्गापुर तथा कोचीन में प्रतिदिन 1000 मीट्रिक टन यूरिया की क्षमता वाले कोयले पर आधारित कारखानों में क्रमशः 16.4 करोड़ रुपये तथा 17.2 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है ।

(ग) और (घ) जी, नहीं मध्य प्रदेश में कोयले पर आधारित एक कारखाना स्थापित करने के बारे में भारतीय उर्वरक निगम द्वारा किये गये आर्थिक तथा व्यावहारिकता सम्बन्धी अध्ययन पर विचार कर रही है।

केन्द्रीय करों की वसूली

3391. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1967 को केन्द्रीय करों की कुल बकाया राशि कितनी थी;

(ख) कितने व्यक्तियों हिन्दू अविभक्त परिवारों, फर्मों, निगमों में से कितनों पर करों की 1 करोड़ से अधिक की राशि का भुगतान करना शेष है और उनमें से प्रत्येक पर किननी और राशि कब से बकाया है; और

(ग) उन प्रथम दस व्यक्तियों, फर्मों आदि के नाम क्या हैं; जिनके विरुद्ध सबसे अधिक राशि बकाया है तथा प्रत्येक पर कितनी राशि बकाया है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की पेज पर रख दी जायगी ।

मध्य प्रदेश में बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लिए सहायता

3392. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के लिए मध्य प्रदेश को शत-प्रतिशत सहायता देने का है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि देने का विचार है ; और

(ग) यह राशि किस किस परियोजना के लिए दी जायेगी ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) चम्बल परियोजना के लिए पहले ही शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जा रही है । बाध परियोजना के लिए भी शत-प्रतिशत सहायता देने का निर्णय किया गया है तथा परियोजना का मामला विचाराधीन हैं ।

(ख) और (ग) चालू वर्ष में दी जाने वाली प्रस्तावित राशि के बारे में अभी निर्णय किया जाना है ।

फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड कर्मचारी संघ

3393. **श्री श्रीधरन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड कर्मचारी संघ से जुलाई, 1966 में कोई ज्ञापन पत्र मिला था जिसमें फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड के प्रबन्धकों के विरुद्ध आरोप लगाये गये थे;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार ने इन आरोपों के बारे में जांच की हैं और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया):

(क) से (ग) जी हां । जुलाई, 1966 में फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड कर्मचारी संघ से एक ज्ञापन मिला था इस सम्बन्ध में तथ्यों का पता लगाया गया था और यह पाया गया उस ज्ञापन में लगाये गये आरोपों में कोई सार नहीं था ।

भारतीय राज्य बैंक के पर्यवेक्षण कर्मचारियों के वेतनक्रमों का संशोधन

3394. **श्री मि० सू० मूर्ति** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय राज्य बैंक के पर्यवेक्षण-कर्मचारियों की उपलब्धियां उतनी ही सेवा-अवधि वाले लिपिक कर्मचारियों की अपेक्षा कम हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या पर्यवेक्षण-कर्मचारियों के वेतन-मानों में संशोधन करने का सरकार का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) और (ख) भारतीय राज्य बैंक ने अभी हाल ही में निर्णय किया है कि यदि किसी कर्मचारी की, पर्यवेक्षण-कर्मचारी के रूप में पदोन्नति होने के समय या उसके बाद किसी समय उसकी कुल उपलब्धि, जिसमें मूल वेतन, महंगाई भत्ता, मकान

किराया भत्ता और नगर पूरक भत्ता, यदि मिलता हो तो, शामिल है, उस कुल उपलब्धि से कम हो जिसे वह लिपिक / कोषाध्यक्ष बने रहने की हालत में प्राप्त करता, तो उपर्युक्त उपलब्धियों के अन्तर के बराबर की रकम समायोजन भत्ते के रूप में दी जायगी। यह निर्णय पहले की की तारीख यानी एक जनवरी, 1967 से लागू किया गया है।

मैसर्स बिहारीलाल राम चरण, कानपुर

3395. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1957 और 1961 में आयकर की बकाया रकम को बट्टे खाते डालने के लिये झूठे शपथपत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में मेंसर्स बिहारीलाल राम चरण, कानपुर के साझेदारों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है या करने का प्रस्ताव है;

(ख) 30·41 लाख रुपये को गलत तौर पर बट्टे खाते डालने के लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) मेसर्स बिहारीलाल रामचरण और उसके साझेदारों से उक्त बकाया राशि वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या किये जाने का विचार है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) बिहारीलाल राम चरण के भागीदारों द्वारा दायर किये गये शपथ पत्र झूठे हैं या नहीं, इसका फैसला, बट्टे खाते डाली गयी मांग के एक अंश की वसूली के लिए विभाग द्वारा दायर किये गये दीवानी मुकदमे में होगा। झूठे शपथ-पत्र दायर करने के लिये कार्यवाही का मामला दीवानी मुकदमे का फैसला हो जाने के बाद लिया जायगा।

(ख) निर्धारितियों ने रकम को बट्टे खाते डालने का आदेश जालसाजी और भ्रामक निवेदन करके प्राप्त किया था, अतएव अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का सवाल पैदा नहीं होता।

(ग) 13.16 लाख रुपये की उस रकम की वसूली के लिये दीवानी मुकदमा दायर किया गया है जिसकी वसूली की कार्यवाही शुरू नहीं की गई थी और जिसे आयकर अधिनियम के उपबन्धों के अधीन वसूल नहीं किया जा सकता था। मामला अदालत में पड़ा है। बाकी को 17.25 लाख रुपये की रकम की वसूली के लिये, आयकर अधिनियम के अधीन वसूली-कार्यवाही शुरू की गयी थी और वसूली-कार्यवाही चल रही है। कर-निर्धारिती ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में रिट दरख्वास्त की है, जो अभी न्यायालय के विचाराधीन है।

मेसर्स लक्ष्मी रतन काटन मिल, कानपुर

3396. **स० मो० बनर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानपुर की मेसर्स लक्ष्मी रतन काटन मिल को भारतीय राज्य बैंक ने जो अग्रिम

रकम दी थी, उसमें से 6 सितम्बर, 1966 को, जब मिल बन्द हुई, मिल के नाम कितनी रकम बकाया थी;

(ख) इस समय भारतीय राज्य बैंक का कितना रुपया कम्पनी के नाम बकाया है, और

(ग) उस रकम की वसूली के लिये क्या उपाय किये गए हैं अथवा किये जाने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) और (ख) भारतीय राज्य बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 44 (1) के अधीन, राज्य बैंक को, अपने ग्राहकों के कामकाज के सम्बन्ध में कोई सूचना देने की मनाही है, क्योंकि ऐसा करना बैंकरों की प्रचलित कार्य-प्रणाली और प्रथा के विरुद्ध होगा ऐसी स्थिति में जो बातें पूछी गयी हैं वे बतायी नहीं जा सकतीं ।

(ग) सितम्बर, 1966 में मिल के बन्द हो जाने के बाद, राज्य बैंक ने, मिल को दिये गये ऋणों के लिए अतिरिक्त समर्थक प्रतिभूति (कोलैटरल सिक्योरिटी) प्राप्त कर ली है। कम्पनी ने यह भी मान लिया है कि वह बैंक के पास गिरवी रखे हुए सामान को परिष्करण और बिक्री के लिए ले जाने से पहले उसकी कीमत चुका देगी । आशा की जाती है कि बकाया रकम इस प्रकार धीरे धीरे घटती जायगी और अन्त में साफ हो जायगी ।

तवा परियोजना

3397. **नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** 10 अगस्त, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8795 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तवा परियोजना के लिए दी जाने वाली धनराशि के बारे में इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1968-69 में उक्त परियोजना के लिए कितनी सहायता दी जायेगी; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो अन्तिम निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (ग) तवा परियोजना के लिये दी जाने वाली ऋण-सहायता का प्रश्न विचाराधीन है । इस पर शीघ्र ही अन्तिम निर्णय किये जाने की आशा है ।

प्राकृतिक गैस के मूल्य

3398. **श्री पाशाभाई पटेल** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम तथा गुजरात में तेल के कुओं से प्राकृतिक गैस निकालने पर कितना खर्च आता है, और इसका विक्रय मूल्य क्या है तथा दोनों में कितना अन्तर है;

(ख) क्या खाद्य क्षेत्रों की भांति ही प्राकृतिक गैस तथा तेल के लिये पृथक पृथक जोन बनाने और उसी आधार पर उनके वितरण पर प्रतिबन्ध लगाने का सरकार का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) आसाम में ऑयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा और गुजरात में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा वाणिज्यिक पैमाने पर गैस का उत्पादन किया जाता है । भौगोलिक परिस्थिति, गैस की किस्म (एसोसियेटेड अथवा फ्री), उत्पादन की जाने वाली गैस की मात्रा, मूल्य ह्रास तथा परिशोधन की अवधि के अनुसार उत्पादन लागत भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न होती है।

चूंकि इन दोनों के बारे में कारण समान अथवा तुलनात्मक नहीं है इसलिये आसाम और गुजरात में उत्पादन लागत के तुलनात्मक आंकड़े देना संभव नहीं है ।

आसाम ऑयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा बेची जाने वाली प्राकृतिक गैस के मूल्य तेल क्षेत्र द्वार पर 8.77 रुपये प्रति 1000 घन मीटर से 52.62 रुपये प्रति 1000 घन मीटर के बीच भिन्न भिन्न हैं । गुजरात में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा उत्पादित गैस के मूल्य तेल क्षेत्र द्वार पर मध्यस्थ द्वारा 56 रुपये प्रति 1000 घन मीटर निर्धारित किये गये हैं;

(ख) जी, नहीं ।

(ग) क्षेत्र, जिनमें लाभप्रद परिवहन तथा वितरण हो सकता है, उत्पादित मात्रा, किस्म और मांग तथा वैकल्पिक ईंधन अथवा प्रयुक्त होने वाले माल की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं । इन बातों के कुल प्रभाव के अनुसार ही इनका उपयोग उतने ही क्षेत्रों तक सीमित किया जाता है जहां तक इनकी लाभप्रद सप्लाई हो सकती है । तथापि अशोधित तेल के मामले में तेल का वितरण कारखाने की स्थिति पर निर्भर करता है और परिवहन के विभिन्न साधनों के उपलब्ध होने से अधिक क्षेत्रों में तेल भेजा जा सकता है ।

आसाम में पेट्रोलियम-रसायन उद्योग-समह

3399. **श्री मयाबन :** **श्री धीरेश्वर कलिता :**
श्री सरजू पाण्डेय :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान आसाम में एक पेट्रोलियम-रसायन उद्योग-समूह स्थापित करने के लिये सहायता देने के हेतु सहमत हो गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस उद्योग को स्थापित करने के लिये जापान ने कुल कितनी सहायता देने की पेशकश की है;

(ग) इस परियोजना का काम कब आरम्भ होने की सम्भावना है;

(घ) परियोजना पर कुल कितना धन व्यय होगा; और

(ङ) इस परियोजना में कब तक उत्पादन आरम्भ हो जायेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया): (क) जी, नहीं । भारत सरकार को ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है ।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

Sluice Gates at Nagarjuna Sagar Dam

3400. **Shri Bal Raj Madhok.** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that sluice gates at the Nagarjuna Sagar Dam are still to be installed and in the absence of which the full irrigation capacity of the dam is not being utilised ;

(b) whether it is also a fact that this work can be completed with a small amount ; and

(c) if so, the reasons for the delay ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao):

(a) Yes, the gates are still to be installed. Andhra Pradesh Government have represented that the gates are necessary for the development of full irrigation potential as sanctioned.

(b) The work of installation of the gates is estimated to cost about Rs. 2 crores.

(c) The request of the Andhra Pradesh Government for the approval of the proposal to instal the gates is under consideration.

Silver Recovered in Bombay

3401. **Shri Ram Singh Ayarwal.** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that silver worth Rs. 7 lakhs was recovered from sea bed in Bombay during the second week of November, 1967 ; and

(b) if so, the outcome of the enquiry conducted, if any, in this regard ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai):

(a) Yes, Sir. Silver ingots valued approximately at Rs. 7.78 lakhs were recovered from the sea bed at Mahim Bunder, Bombay on the 9th November, 1967.

(b) One person has been arrested and released on bail. One lorry has also been seized. Further investigations are in progress.

बरौनी और गोहाटी तेल शोधक कारखानों को हुई हानि

3402. **श्री वामानी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बरौनी और गोहाटी तेलशोधक कारखानों को चालू करने में देरी होने के कारण हुई हानि का भारतीय तेल निगम को मुआवजा दिया है, यदि हां ; तो कितना ;

(ख) क्या इस राशि को वसूल किया जायेगा; और

(ग) यदि हां, तो कैसे ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) से (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

Electrification of Assam and U. P. Villages

3403. **Shri Nihal Singh**: Will the Minister of **Irrigation and power** be pleased to state :

(a) the number of villages in Assam and Uttar Pradesh States selected by Government for the electrification ;

(b) the progress achieved so far in this regard ;

(c) the amount of assistance given by the Centre to these States during 1967-68 ; and

(d) when this work is likely to be completed ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao):

(a) to (d) State Government including Assam and Uttar Pradesh were informed by the Government of India that the bias in rural electrification schemes from 1966-67 should be towards connecting irrigation pumps for increasing agricultural production. According to the Draft Plans prepared by the two State Governments, the targets for the number of localities to be electrified during Fourth Plan period was 490 in respect of Assam and 500 in respcet of U. P. However, as the Fourth Plan has not been finalised, no specific targets have been laid down. Up to 31.3.67, 89 villages and 9883 villages were electrified in Assam and U. P. respectively. For the period 1967 to 1969 116 and 160 villages are proposed to be electrified in Assam and U. P. respectively. In 1967-68, carmarked Central assistance for rural electrification has been provided for the extent of Rs. 750 lakhs for U. P. and Rs. 60 lakhs for Assam.

भवन-निर्माण सामग्री के ऊंचे दाम

3404. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह-निर्माण कार्यक्रमों में इसलिये धीमी प्रगति हो रही है क्योंकि भवन-निर्माण सामग्री की कमी है और उसके दाम भी अधिक हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार देश में सस्ती भवन-निर्माण सामग्री बनाने को प्रोत्साहन देने के हेतु क्या कार्यवाही कर रही है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी ।

(ख) मेरे मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय गृह-निर्माण संगठन देश में भवन सामग्री उद्योगों की संस्थापना को नयी अथवा सस्ती भवन-निर्माण सामग्री बनाने का परामर्श देता है जिससे

बचत होगी और निर्माण-कार्य शीघ्र हो सकेगी इसके प्रयास से दिल्ली कलकत्ता, मद्रास, आसाम और पम्पुर (काश्मीर)में पांच यंत्रीकृत ईंटों के प्लांट, कटनी और भोंडा में दो लाइन हाइड्रेटिंग प्लांट, बंदूप (महाराष्ट्र), कन्ननूर, सीतापुर, दंदेली, रामपुर, ईटारसी, कलकत्ता और मैसूर में आठ पार्टिकल बोर्ड प्लांट तथा बलियापटम (केरल) बनदूप और गोहाटी में तीन गन्ना प्लांट तथा 90 सीजनिंग और परिरक्षण प्लांट स्थापित हुये हैं। इसके अलावा एन्नूर, मद्रास और बनडैल (पश्चिम बंगाल) में दो सेलुलर कंक्रीट प्लांट तथा विशाखपटनम, मदुरै, मद्रास और बम्बई में चार अस्फालटिक कासगेटिड शीट प्लांट कार्यान्विति की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्य सरकारें तथा अन्य अभिकरण गुजरात, मैसूर, मद्रास में दस ब्रिक प्लांट (दो प्लांट), पश्चिम बंगाल (दो प्लाँट), आसाम, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश पाँच सैण्ड लाइम ब्रिक प्लांट, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में कलकत्ता और त्रिपुरा में दो लाइट वेट एग्रीगेट प्लांट स्थापित करने के लिये विचार कर रही है।

राष्ट्रीय गृह निर्माण संगठन ने इस क्षेत्र में देश की विभिन्न अनुसंधान संस्थाओं के अनुसंधानों के परिणामों को बढ़ावा देने के रूप में, ब्रिक और लाइम मैनुफैक्चर एवं लाइम-सुर्खी मिक्शचर तथा इंडस्ट्रियल वेस्ट्स फलाई ऐश के प्रयोग की वर्तमान प्रथाओं में सुधार करने के लिये सहायता की है ताकि निर्माण-कार्य में दुर्लभ तथा मूल्यवान सामग्री, सीमेंट आदि का प्रयोग कम करना पड़े।

Printing of Hindi Publications

3405. **Shri Raghuvir Singh Shastri.** Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether arrangement s for timely printing of Hindi publications of various Ministeries and other allied officers and translated version of Debates and other Parliamentary papers in Hindi exist in Government Presses ;

(b) whether the expansion of the Government Presses has been made to facilitate the progressive use of Hindi ;

(c) if so, the details thereof ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) :

(a) The existing Hindi printing capacity has fallen short of the increasing demand.

(b) and (c) A second shift in the Government of India Press, Faridabad, using six mono machines equipped for Hindi printing, is expected to be commissioned shortly. Subject to availability of foreign exchange, Hindi printing machines will be set up on a larger scale than envisaged before in the new Government of India Press, Ring Road, New Delhi. Similar steps are being taken in the other Government of India Presses.

(d) Does not arise.

संश्लिष्ट औषधियों और शल्य चिकित्सा के औजारों का निर्यात

3406. **श्री मरंडी :** **श्री स० चं० बेसरा :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने संश्लिष्ट औषधियों, प्रतिजैविक पदार्थों और शल्य चिकित्सा सम्बन्धी औजारों के लिये मण्डियों की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये एक चार-सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल पश्चिम एशिया में भेजा था ;

(ख) यदि हाँ, तो प्रतिनिधि मण्डल को कितनी सफलता प्राप्त हुई है ; और

(ग) प्रतिनिधि मण्डल ने कितने देशों का दौरा किया है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) सरकार ने इंडियन ड्रग्स ऐण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के शल्य उपकरणों तथा अन्य उत्पादों के निर्यात की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये एक तीन सदस्यीय व्यापार प्रतिनिधि मण्डल को मध्य एशिया तथा पूर्वी अफ्रीका के देशों में भेजने के लिये उस कम्पनी के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया था।

(ख) प्रतिनिधि मण्डल ने यह पता लगाया कि इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के उत्पादों की किस्म और मूल्य को देखते हुये इस क्षेत्र में अन्य प्रतिस्पर्धाकर्ताओं की तुलना में शल्य उपकरण काफी मात्रा में बिक सकते हैं। प्रतिनिधि मण्डल ने तीन टेंडरों के लिये अपनी कुटेशन्स भेजी है तथा इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड को तीन और टेंडरों का नोटिस मिला है। छोटी मात्रा की सप्लाई के लिये उन्हें उसी समय क्रयादेश मिल गये थे।

(ग) दस देश।

पेट्रोलियम और तेल उत्पादन

3407. **श्री वेणीशंकर शर्मा :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने और किन-किन स्थानों पर पेट्रोलियम की खोज की जा रही है तथा इस कार्य पर प्रति वर्ष कितना धन व्यय किया जा रहा है ;

(ख) इन स्थानों पर तेल मिलने की कितनी सम्भावना है ; और

(ग) भारत में पेट्रोलियम और इसके उत्पादों की कितनी खपत होती है, इसमें से कितनी मात्रा देश में उपलब्ध हैं और कितनी मात्रा में उनका आयात किया जा रहा है तथा यह आयात किन-किन देशों से किया जा रहा है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) गुजरात, जम्मू और काश्मीर, बिहार, आसाम, त्रिपुरा, मद्रास, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान तथा खम्भात की खाड़ी और नेफा के विभिन्न भाग में भू-तत्वीय तथा भू-भौतिकीय सर्वेक्षण किया जा रहा है।

पृथक पृथक तेल क्षेत्रों / ढांचों में खुदाई-कार्य के ब्यौरा की सूचना भारत के रक्षा नियम. 1962 के अन्तर्गत नहीं दी जा सकती ।

1966-67 में पेट्रोलियम निकालने पर 25 करोड़ 79 लाख रुपये व्यय किये गये थे ।

(ख) गुजरात और आसाम में उतने तेल का पता चला है जो बाजार में बेचा भी जा सकता है । जहाँ तक अन्य क्षेत्रों का सम्बन्ध है, वाणिज्यिक मात्रा में तेल / गैस की सम्भावना का पता लगाने के बारे में अभी कोई निर्णय नही किया जा सकता ।

(ग) 1966 में पेट्रोलियम के उत्पादों की कुल खपत 130 लाख टन हुई थी जिसमें 20 लाख टन पेट्रोलियम उत्पाद का आयात रूस, यूगोस्लाविया, रूमानिया, ईरान और अमरीका से किया गया था । इसके लिये 40 लाख 56 हजार टन देशी अशोधित तेल को साफ करना अपेक्षित था तथा 70 लाख 46 हजार टन अशोधित तेल साऊदी अरब, ईरान और कुवेत से आयात किया गया था ।

सरकारी उपक्रमों में वरिष्ठ प्रबन्धक पद

3408. **श्री हिम्मत सिंहका** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी उपत्रमों सम्बन्धी मेनन समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुये सरकारी उपक्रमों में वरिष्ठ प्रबन्धक पदों को समाप्त करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ख) इस समय विभिन्न सरकारी उपक्रमों में अधीनस्थ कर्मचारियों और श्रमिकों की तुलना में कितने अधिकारी हैं और प्रत्येक मामले में अधिकारियों का प्रतिशत कर्मचारियों की तुलना में क्या है ; और

(ग) सभी सरकारी उपक्रमों को मिला कर उनमें कर्मचारियों और श्रमिकों की तुलना में अधिकारियों का औसत प्रतिशत क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) मेनन समिति ने वरिष्ठ प्रबन्धक पदों को समाप्त करने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया । संभवतः माननीय सदस्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के वरिष्ठ असैनिक अधिकारियों की नियुक्ति के प्रश्न के सम्बन्ध में की गई सिफारिशों का उल्लेख कर रहे हैं । वर्तमान नीति के अनुसार भारत सरकार के सचिव/ अध्यक्ष / मुख्य कार्यकारी के पदों पर या सरकारी उद्यमों के बोर्डों पर नियुक्त नहीं किये जाते जब तक कोई विशेष कारण ही न हों, या उनकी नियुक्ति उपक्रम के कार्य की प्रारम्भिक स्थिति तक ही की जाती है (अथवा) किसी संयुक्त कार्य में जिसमें विदेशियों का सहयोग हो (अथवा) जहाँ योजना और संगठन की समस्या पैदा हो जाये ।

(ख) और (ग) यह सूचना एकत्र की जा रही है और शीघ्रातिशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

विश्व बैंक द्वारा कृषि कार्यक्रम को वित्तीय सहायता

3409. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक द्वारा कृषि विकास सम्बन्धी जोरदार कार्यक्रम की कुछ प्रायोजनाओं को वित्तीय सहायता दिये जाने का विचार है ;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी ऐसी प्रायोजनायें चुनने का विचार है, जिन्हें विश्व बैंक से सहायता मिलेगी; और

(ग) इन प्रायोजनाओं की स्थापना कहाँ की जायगी और किस आधार पर इनका चुनाव किया गया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी हां ।

(ख) इस समय एक प्रायोजना पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) उत्तर प्रदेश के दो जिलों (वाराणसी और एटा) में नलकूपों (ट्यूब वेलों) और भूमिगत जल सम्बन्धी अन्य सुविधाओं के आस-पास जोरदार खेती करने के प्रस्ताव पर अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा, जो विश्व बैंक से सम्बद्ध संस्था है, विचार किया जा रहा है । इस योजना के लिये इन दो जिलों का चुनाव तकनीकी और आर्थिक कारणों से, अर्थात् इस आधार पर किया गया है कि इन जिलों में विविध-प्रकार की ऐसी समस्यायें हैं जिन्हें हल करने से प्राप्त होने वाला अनुभव उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्से में तथा अन्य स्थानों में कृषि के विकास के लिये लाभदायक सिद्ध होगा । इन समस्याओं का सम्बन्ध राज्य के और गैर-सरकारी क्षेत्र के नलकूपों के विकास और संचालन, विभिन्न प्रकार की चट्टानों में छेद करने, विभिन्न प्रकार के ऋण संगठनों, अर्थात् सहकारी सरकारी और वाणिज्यिक बैंकों के आपसी सम्बन्धों, जमीन की किस्मों और खारेपन आदि से है ।

बम्बई के एक चलचित्र कलाकार श्री राजकपूर द्वारा विदेशी मुद्रा की जमाखोरी

3410. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आर० के० फिल्मस और स्टूडियो के मालिक श्री राजकपूर के पास 27 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा होने का पता लगा है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या यह भी सच है कि इस अपराध के लिये उस पर जुर्माना किया गया है और वह जुर्माने को किस्तों में दे रहा है;

(ग) सरकार को उससे अभी और कितनी किश्तें लेनी हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोराजी देसाई):

(क) और (ख) प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 1964 में की गई जांच-पड़ताल से पता चला कि श्री राजकपूर ने विदेशी मुद्रा विनिमय विनियम अधिनियम की धारा 4 (3) के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुये लगभग 26,000 रुपये की विदेशी मुद्रा अपने पास रख छोड़ी थी । यह

मुद्रा 24 अगस्त 1964 को उसके पास से पकड़ी गयी थी । न्यायनिर्णय के बाद, प्रवर्तन निदेशक ने पकड़ी गई उक्त विदेशी मुद्रा को जब्त करने के अलावा राजकपूर पर 3,000 रुपये का दण्ड भी लगाया । लगाये गये दण्ड की पूरी रकम 22 जनवरी 1965 को अदा कर दी गयी थी ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

फिल्मों से सम्बन्धित लोगों से वसूल की जाने वाली आय-कर और धन-कर की बकाया राशि

3411. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्मों से सम्बन्धित निम्नलिखित लोगों पर मार्च, 1967 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों में प्रतिवर्ष कितना आय-कर तथा धन-कर लगाया गया और उन पर कर की कितनी राशि बकाया है :

(एक) श्री मनोज कुमार (दो) कुमारी वहीदा रहमान (तीन) निर्माता निदेशक श्री बी० आर० चोपड़ा (चार) श्री शम्मी कपूर (पाँच) निर्माता निदेशक श्री राजकपूर (छै) संगीत निदेशक शंकर जय किशन और (सात) कुमारी राजश्री;

(ख) इनसे कर की बकाया राशि वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इन पर कितना जुर्माना किया गया है और कर की वसूली के लिये इनकी कितने मूल्य की सम्पत्ति को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासंभव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

Family Planning Devices

3412. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Health, Famliy Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that family planning devices are being extensively used by boys and girls, studying in colleges, and by other unmarried persons consequent upon which the moral character of the people is deteriorating ; and

(b) if so, whether Government propose to frame rules under which such devices would be supplied to married persons only ?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) No such report has been received by the Government.

(b) Does not arise. The existing rules already provide that the family planning devices would be offered to married persons only.

Printing of Currency Notes

3413. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the reasons for which the currency notes circulated by the Central Government bear an impression of three lions only in the National Emblem printed thereon and the reasons for which the words **Satyamev Jayate** have been omitted therefrom ; and

(b) whether Government propose to rectify this error ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) and (b) The design of the Capital of the Ashoka Pillar was adopted for incorporation in the notes in lieu of the King's head which used to appear on them before India became independent. This decision was taken before the motto had been finally decided upon. However, the matter will be further considered.

मनीपुर से आयकर का वसूल किया जाना

3414. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966–67 और वर्ष 1967—68 में अब तक मनीपुर से कुल कितना आयकर वसूल किया गया ;

(ख) आज तक आयकार की कितनी रकम बकाया है ; और

(ग) उसको वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) 1966-67 — 7,61,000 रुपये

1967-68 (अब तक) — 3,24,000 रुपये

(ख) 10 लाख रुपये ।

(ग) प्रत्येक मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर ऐसी सारी कार्यवाही की जाती है, जो कानून में विहित है ।

बाली नगर, दिल्ली

3415. **श्री रामचरण** :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली में नजफगढ़ रोड पर बाली नगर में कुछ प्लाट मालिकों को मकान बनाने के लिये ऋण दिया है;

(ख) क्या बाली नगर के कुछ प्लाट मालिकों को दिल्ली प्रशासन ने 'अनापत्ति प्रमाणपत्र, देने से इन्कार कर दिया है ; जिसकी उन्हें जीवन बीमा निगम से ऋण लेने के लिये आवश्यकता है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) बाली नगर बस्ती में जमीन बेचने वालों के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त होने के कारण जीवन बीमा निगम के लिये माँगे गये 'अनापत्ति प्रमाणपत्र देने के बारे में अस्थायी रूप से इन्कार किया गया था । अब ये प्रमाण-पत्र जारी कर दिये गये हैं और साथ ही उनमें शिकायतों का भी उल्लेख कर दिया है और जिससे जीवन बीमा निगम इस सम्बन्ध में अपना निर्णय कर सके ।

संयुक्त अरब गणराज्य में तेल की खोज

3416. **श्री वी० चं० शर्मा :** श्री रा० की० अमीन :
श्री हिम्मत सिंहका : श्री रा० बरुआ :

क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाल सागर के निकट संयुक्त अरब गणराज्य में राज्यक्षेत्र में तेल की खोज के कार्य में भारत का भाग लेने का विचार है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यह मामला इस समय किस अवस्था में है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

सफदरजंग स्कूल आफ नर्सिंग

3417. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और सार्वजनिक नर्सिंग में डिप्लोमा देने के लिये 1967 में आरम्भ किये गये सफदरजंग स्कूल आफ नर्सिंग के पास अब भी कोई उचित भवन नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वहां पर विद्यार्थियों के लिये होस्टल की सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं और विद्यार्थी किराये के मकानों में रहते हैं जिससे परिवहन की कठिनाइयों के अतिरिक्त उनके प्रशिक्षण पर भी प्रभाव पड़ता है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) सफदरजंग अस्पताल में स्कूल आफ नर्सिंग के लिये कक्षा के कमरों की सुविधायें संतोषजनक हैं।

(ख) विद्यार्थी नर्सों को किराये के भवन में रखा गया है और उनके लिये परिवहन की व्यस्था की गई है।

(ग) धन उपलब्ध होने पर होस्टल बनाये जाने का विचार है ।

अन्दमान के लोक निर्माण विभाग के भन्डार

3419. **श्री गनेश** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान लोक निर्माण विभाग के दो एस० डी० ओ० द्वारा की गई आंशिक जांच से यह पता लगा था कि वहाँ पर भारी कमी है और घोखा धड़ी हुई है ; और

(ख) क्या जांच सम्बन्धी प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रखने का सरकार का विचार है ;

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) जी हाँ ।

(ख) वर्ष 1961—62 तथा 1964—65 में की गई जांच से भण्डारों के अधिक तथा कम होने का पता लगा है । 1966—67 की जांच अभी-अभी पूरी हुई है और आंकड़ों की छानबीन की जा रही हैं आधिक्य-तथा कमी का कारण गलत लेखे हैं । गलतियों को ठीक करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

(ग) जी नहीं । जांच के प्रतिवेदन में 6,000 मदें हैं और वह 200 पृष्ठों में अंकित हैं सभा—पटल पर इतना अधिक ब्योरा रखने का कोई लाभ नहीं होगा ।

बिहार राज्य सुपरफास्फेट फैक्टरी के लिये गन्धक

3420. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिन्दरी में स्थित बिहार राज्य सुपरफासफेट फैक्टरी को उस के द्वारा चालू वर्ष में मांगे गये गन्धक का कोटा नहीं दिया गया है ?

(ख) यदि हां, तो क्या इस फैक्टरी ने बम्बई की डिप्टन नामक फर्म से 700 रुपये प्रति टन की ऊँची दर पर गन्धक खरीदा था।

(ग) गन्धक बेचने की नियंत्रित दर क्या है तथा उसके आयात के लिये किन-किन फर्मों को लाइसेंस दिये गये थे ; और

(घ) इस बात के लिये क्या कार्यवाही की गई है कि यह नियंत्रित वस्तु चोर बाजार में न बेची जाये ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) जी हां, बिहार स्टेट सुपरफास्फेट फैक्ट्री, सिन्दरी को उपलब्ध गन्धक के समुचित वितरण के आधार पर उसकी आवश्यकता का 50 प्रतिशत गन्धक दी गई है ।

(ख) सूचना प्राप्त की जा रही है और उसे सभा पटल पर रखा जायेगा ।

(ग) परम्परागत साधनों से आयातित गन्धक का मूल्य आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा निर्धारित किया जाता है और वह मूल्य 455 रुपये तथा 525 रुपये प्रति मीट-रिक टन के बीच है । गैर-परम्परागत साधनों से भी गन्धक का आयात किया जाता है और इस गन्धक का कोई मूल्य नहीं निर्धारित किया जाता है ।

गन्धक के आयात के लिये लाइसेंसधारियों के नाम आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक द्वारा प्रकाशित औद्योगिक लाइसेंसों, आयात लाइसेंसों तथा निर्यात लाइसेंसों के साप्ताहिक बुलेटिन में दिये जाते हैं, उसकी एक प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

(घ) परम्परागत साधनों से आयातित गन्धक के वितरण पर डी० जी० टी० डी० का नियंत्रण होता है। गैर- परम्परागत साधनों से आयातित गन्धक के वितरण पर नियंत्रण रखना उचित नहीं समझा गया है ।

बन्ध्यकरण आपरेशन

3421. **श्री बेणी शंकर शर्मा** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बन्ध्यकरण आपरेशन अभियान के आरम्भ से लेकर वर्ष-वार अलग-अलग कितने मुसलमानों, अनुसूचित जातियों तथा अन्य हिन्दू जातियों के पुरुषों तथा महिलाओं के बन्ध्यकरण आपरेशन किये गये हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० चन्द्रशेखर): दो विवरण सभा -पटल पर रखे गये हैं, [पुस्तकालय में रखे गये, देखिये संख्या एल० टी० 1909 67] विवरण संख्या 1 में 1962 से बन्ध्यकरण किये गये व्यक्तियों की संख्या तथा 1965 से जब लूप कार्यक्रम आरम्भ हुआ था, लूप लगवाने वाली महिलाओं की संख्या बताई गई है, विवरण संख्या 2 में दिसम्बर, 1965 को समाप्त होने वाली अवधि तक नसबन्दी तथा ट्यूबक्टोमी के सम्बन्धी उपलब्ध आंकड़े दिये गये हैं। उसके बाद नसबन्दी तथा ट्यूबक्टोमी के सम्बन्ध में पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं है। सम्प्रदाय-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

खतरनाक तथा अप्रिय (आफेन्सिव) व्यवसाय

3422. **श्री राम चरण : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आटा पीसने की चक्कियों, कॉटन-कार्डिंग मिलों, तेल मिलों और मुद्रणालयों के व्यवसाय "खतरनाक तथा अप्रिय व्यवसाय" की श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं ;

(ख) उक्त विभिन्न व्यवसायों के लिये वार्षिक लाइसेंस शुल्क सहित लाइसेंस देने की शर्तें क्या हैं तथा नई दिल्ली नगरपालिका के अधीन नई दिल्ली के क्षेत्र में किस प्राधिकार द्वारा ये लाइसेंस दिये जाते हैं ;

(ग) क्या ये लाइसेंस देने और इनके नवीकरण सम्बन्धी नियम अथवा उपनियमों में गत पांच वर्षों में संशोधन / परिवर्तन किया गया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो वे संशोधन क्या हैं तथा गत पाँच वर्षों में नई दिल्ली क्षेत्र में उक्त व्यवसायों के लिये पृथक-पृथक कुल कितने लाइसेंसस दिये गये और कितने लाइसेंस की अवधि बढ़ाई गई ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) जी, हां, वे पंजाब नगरपालिका अधिनियम की धारा 121, जो नई दिल्ली नगरपालिका पर लागू होती है, में दी गई खतरनाक अथवा अप्रिय व्यवसायों की परिभाषा के अन्तर्गत आते हैं ।

(ख) वे क्षेत्र के निवासियों के लिये न तो हानिकारक और नहीं खतरनाक होने चाहिए। उन्हें दिल्ली बृहद् योजना की शर्तें पूरी करनी चाहिए ।

शुल्क :—	1 आटा पीसने की चक्कियां	50 रुपए
	2 कॉटन-कार्डिंग मिलें	50 रुपए
	3 तेल मिलें	50 रुपए
	4 मुद्रणालय	20 रुपए

नई दिल्ली क्षेत्र में लाइसेंस देने वाला प्राधिकार नई दिल्ली नगरपालिका है ।

(ग) नियमों में कोई संशोधन नहीं किये गये हैं । तथापि दिल्ली बृहद् योजना के उपबन्धों के अन्तर्गत विभिन्न व्यवसायों की स्वीकृत क्षेत्रों में ही अनुमति दी जाती हैं और लाइसेंस देते समय नई दिल्ली नगरपालिका को इस बात को ध्यान में रखना पड़ता है ।

(घ) जैसा कि उपरोक्त भाग (ग) में लिखा है । गत पाँच वर्षों में दिये गये / नवीकरण किये गये लाइसेंसों की कुल संख्या इस प्रकार है :—

1 आटा पीसने की चक्कियां	21
2 कॉटन-कार्डिंग मिलें	1
3 तेल मिलें	3
4 मुद्रणालय	17

कोलार की सोने की खानों के कर्मचारियों को चिकित्सा-सम्बन्धी सहायता

3423. **श्री कृष्णन:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह मालूम है कि कोलार की सोने की खानों के कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को चिकित्सा-सम्बन्धी सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं ; और

(ख) इन सुविधाओं की व्यवस्था के लिये नई इमारत में चिकित्सा-कक्ष (मेडिकल वार्ड) न खोलने के कारण क्या हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) कोलार सोना-खान प्रतिष्ठानों द्वारा, अपने कर्मचारियों और उनके आश्रितों को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएं मुफ्त दी जाती हैं ।

(ख): अस्पताल में दाखिल होने लायक मरीजों के लिए, नया मेडिकल वार्ड 25 जून, 1967 को खोला गया था। अगर माननीय सदस्य, बहिरंग रोगियों के ब्लाक के बारे में कह रहे हों, तो इस ब्लाक में उपकरण आदि लगाने का काम हो रहा है, और आशा है कि इसे दो महीने में खोल दिया जायेगा।

कोलार की सोने की खानें

3424. **श्री कृष्णन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलार की सोने की खानों के मजदूरों में आम असंतोष है ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं ; और

(ग) इस असंतोष को दूर करने के लिखे क्या उपाय किये गये हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) से (ग) सरकार को किसी आम असन्तोष की जानकारी नहीं है। खानों में काम करने वाले श्रमिकों के संघ समय-समय पर अपनी सेवा-सम्बन्धी शर्तों के बारे में कुछ मामले उठाते रहते हैं। इन पर विचार किया जाता है और उनके गुणदोषों के आधार पर उनके बारे में उचित कार्रवाई की जाती हैं। हाल ही में इस बात की सूचना मिली है कि कुछ श्रमिक संघ 1-12-62 से 31-3-64 तक की अवधि के बोनस के प्रश्न के बारे में चिन्तित हैं। यह मामला 1965 में केन्द्रीय सरकार के औद्योगिक न्यायाधिकरण, बम्बई को फैसले के लिए सौंपा गया था और यह अभी न्यायाधिकरण के विचाराधीन है।

कोलार की सोने की खानें

3425. **श्री कृष्णन्**:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलार की सोने की खानों में, सन्तोषजनक रूप से काम चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो खानों की स्थिति सुधारने का उपाय क्या हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) से (ग) कोलार की सोने की खानों में 1965-66 से मुख्यतः कई प्रकार की प्राकृतिक दुर्घटनाओं और खानों से धातु निकालने की परिस्थितियां प्रतिकूल होने और कच्ची धातु की किस्म घटिया होने के कारण सोने के उत्पादन पर काफी बुरा प्रभाव पड़ा। 1966-67 में औसत दर्जे की कच्ची धातु की पिसाई से निकलने वाले सोने की मात्रा 7 ग्राम प्रति मेट्रिक टन थी, जबकि 1961-62 में यह मात्रा 7.64 ग्राम प्रति मेट्रिक टन थी। पीसी जाने वाली कच्ची धातु की मात्रा में (मेट्रिक टनों में) कमी रही जिसका कारण प्राकृतिक दुर्घटनाओं की वजह से खानों से धातु निकाले जाने की परिस्थितियों का प्रतिकूल होना था जिसमें से मुख्य ये थीं :

(1) चैम्पियन रीफ खान में 26-11-1962 को बड़े पैमाने पर चट्टानें फटीं, जिससे ग्लेन की कच्ची धातु रेखा (ग्लेन ओर शूट) और खान के कच्ची धातु के दक्षिणी अंग को कांफी क्षति पहुंची। इस खान में से निकाले जाने वाले सोने की 40 से 50 प्रतिशत मात्रा इन विभागों से उपलब्ध होती थी। चैम्पियन रीफ खान की उत्तरी परत वाले विभाग में बड़े पैमाने पर आग लगी; जिसके परिणामस्वरूप जुलाई 1965 से फरवरी 1966 तक उस क्षेत्र को चारों तरफ से बंद कर देना पड़ा। इस खान में 1966-67 में तीन बार फिर छोटे पैमाने पर आग लगी। इसके अलावा सितम्बर-नवम्बर, 1966 में अभूतपूर्व वर्षा के कारण खानों में पानी भर गया। दिसम्बर, 1966 में, जमीन खिसकने से, चट्टानों के कई बार लगातार फटने से, नीचे उतरने के एक सहायक उप-मार्ग और उससे संलग्न सतही स्तरों को काफी क्षति पहुँची। चैम्पियन रीफ खान में हुई इन प्राकृतिक दुर्घटनाओं का असर यह हुआ कि कच्ची धातु के उत्पादन में कमी हो गयी।

(2) मैसूर की खान बहुत ही पुरानी है इसलिए इसमें धातु के भण्डार सीमित हैं। विभिन्न तकनीकी कारणों से, इसमें से कच्ची धातु निकालने का काम सीमित करना पड़ा है।

(3) नंदीद्रुग की खान में कच्ची धातु के भण्डार बड़ी मात्रा में हैं लेकिन यह धातु अपेक्षाकृत पटिया दर्जे की है। उस खान से होने वाले खनिज धातु के उत्पादन को भी आघात पहुँचा, क्योंकि 1965-66 में खान के दूसरे सहायक उप-मार्ग को एक दुर्घटना से क्षति पहुँची और 1966-67 के दौरान, अभूतपूर्व वर्षा होने के कारण, खान के कई हिस्सों में पानी भर गया।

कोलर की सोने की खानों में सोने का उत्पादन बढ़ाने के लिए, इस वर्ष के शुरू में, एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गयी थी, जिसका काम चैम्पियन रीफ खान के उत्तरी क्षेत्रों को फिर से खोलने के सम्बन्ध में स्थिति की जांच करना और उसके लिए उपाय सुझाना था। समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट दे दी है और खान सुरक्षा निरीक्षणालय द्वारा सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है। इन सिफारिशों के क्रियान्वित किये जाने के बाद कोलार की सोने की खानों में सोने का उत्पादन बढ़ जायगा। इसके अतिरिक्त, नन्दी द्रुगखान में कच्ची धातु का उत्पादन बढ़ाने की योजना को क्रियान्वित करके इस खान में उत्पादन बढ़ाने के लिए भी प्रयत्न किये जा रहें हैं।

कोलार की सोने की खानों के श्रमिक-क्षेत्रों में सफाई का प्रबन्ध

3426. **श्री कृष्णन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोलार की सोने की खानों के श्रमिक-क्षेत्रों में सफाई सम्बन्धी स्थिति और अधिक खराब हो गयी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि विभिन्न खानों के सफाई-विभागों को मिलाकर एक अलग विभाग बना दिया गया है जो मजदूर वर्गों के लिए हानिकर है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) एक केन्द्रीय राज्य-सम्पत्ति विभाग की स्थापना की गयी है जिसमें मितव्ययता और कार्यकुशलता की दृष्टि से खा-ों के सफाई सम्बन्धी सारे विभाग भी मिला दिये गये हैं। ऐसा होने से श्रमिक वर्गों को कोई असुविधा नहीं हुई है ।

मैसूर में बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई योजनाएं

3427. **श्री अगाड़ी :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1965-66, 1966-67 तथा 1967-68 में मैसूर सरकार द्वारा बाढ़ नियंत्रण तथा बाढ़ नियन्त्रण एवं सिंचाई की कुछ योजनाएं प्रस्तुत की गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं में से प्रत्येक पर होने वाले व्यय का अनुमान क्या है ;

(ग) कौन-कौन सी योजनाएँ स्वीकृत हो गई हैं; और

(घ) यदि उनमें से कोई योजनाएं निलंबित हैं, तो उसके कारण क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव):

(क) से (घ) मैसूर सरकार से सितम्बर, 1966 में एक योजना अर्थात् मनचनाबेल बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई योजना प्राप्त हुई थी, जिसके अन्तर्गत बंगलौर जिले में रामनगर नगर से लगभग 13 मील दूर मनचनाबेल के निकट अरकावली नदी पर एक बांध का निर्माण किया जाना है। इस योजना पर 316.78 लाख रुपए व्यय होने का अनुमान है और यह विचाराधीन है ; राज्य सरकार से कुछ और छानबीन करने के लिये कहा गया है ताकि इस परियोजना पर व्यय को यथासंभव कम किया जा सके और उसे चरणों में क्रियान्वित किया जा सके ।

अपर कृष्णा परियोजना के लिये विदेशी सहायता

3428. **श्री अगाड़ी :**

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य में अपर कृष्णा परियोजना के लिये विदेशी सहायता प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो मशीन, धन तथा तकनीकी जानकारी के सम्बन्ध में किस-किस देश से कितनी कितनी सहायता की मांग की गई है; और

(ग) इस समय यह मामला किस स्थिति में है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) :

(क) मैसूर राज्य में अपर कृष्णा परियोजना के लिये विदेशी योजना प्राप्त करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ;

(ख) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Less Developed Colonies Union Delhi

3429. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to state :

(a) whether the residents of unauthorised colonies in Delhi have set up an organisation known as "Less-developed Colonies' Union" to safeguard their interests ;

(b) whether the said organisation have urged the Delhi Administration for the regularisation of unauthorised colonies in order to solve the housing problem in the Capital ;

(c) whether such a request has also been made to Government ; and

(d) if so, the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) :

(a) to (d) The Government is not aware of any such Union. The policy of the Government regarding regularisation of unauthorised colonies has already been explained in reply to Unstarred Question No. 3330 answered in the Lok Sabha on the 22nd June, 1967.

मंत्रियों द्वारा किया जाने वाला व्यय

3430. **श्री दामानी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1966-67 के आय व्ययक के अन्तर्गत जितने खर्च की व्यवस्था की गई थी, वह वर्ष भर में समान रूप से खर्च किया गया था ;

(ख) क्या सरकार का विचार अप्रैल-जून, जुलाई-सितम्बर, अक्तूबर-दिसम्बर और जनवरी-मार्च, प्रत्येक तिमाही के दौरान प्रत्येक मंत्रालय द्वारा किये गये खर्च के सम्बन्ध में एक विवरण सभा-पटल पर रखने का है; और

(ग) विभिन्न मंत्रालयों द्वारा खर्च का समान रूप से वितरण न किये जाने के क्या कारण हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं । चूंकि सरकारी खर्च विभिन्न प्रकार का होता है, इसलिये सारे वर्ष में उसके समान होने की आशा नहीं की जा सकती है ।

(ख) ऐसा विवरण तैयार करने में बहुत अधिक समय लगेगा और वर्ष के अन्त में विभिन्न मंत्रालयों के बीच केवल खाते में दिखाये जाने वाले लेखे-जोखों का विभिन्न मंत्रालयों आदि के हिसाब में लगाने में कठिनाई होगी !

(ग) सरकार खर्च में केवल कर्मचारियों का वेतन तथा अन्य स्थायी व्यय ही नहीं अपितु संयंत्र और मशीनों, सिविल कार्य पर व्यय, राज्यों तथा अन्य लोगों को अनुदान तथा ऋण, ऋणों की अदायगी और उन पर ऋण आदि भी सम्मिलित होते हैं । जब कि पहले किस्म का व्यय

अर्थात् वेतन तथा अन्य स्थायी व्यय, सारे वर्ष में लगभग समान ही होता है, अन्य प्रकार का व्यय संभरण समय अनुरूचि, निर्माण कार्यक्रम, ऋण प्राप्त कर्ताओं और अनुदान प्राप्त करने वालों की आवश्यकताओं आदि पर निर्भर होने के कारण वर्ष में समान रूप से नहीं होगा फिर निर्माण पर व्यय का एक बड़ा भाग साफ मौसम में होता है, जो वर्ष का उत्तरार्द्ध में होता है ।

भारतीय तेल निगम के उत्पादों की विदेशी मंडियां

3431. **श्री दामानी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम औद्योगिक मन्दी के कारण फालतू हुए अपने उत्पादों के विदेशी बाजारों में खपत करने की सम्भावनाओं का पता लगा रहा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस निगम के प्रयास कहां तक सफल रहे हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख) भारतीय तेल निगम लिमिटेड अपनी शोधन शालाओं तथा कोचीन स्थित सरकारी क्षेत्र की शोधन शाला की उत्पादों के वितरण का काम करता है, इसकी शोधनशालाओं जो देश में ही स्थित है, के उत्पाद देश में ही खप जाते हैं । भारतीय तेल निगम अपनी आवश्यकताओं में फालतू उत्पादों का निर्यात कर रहा है । आशानुकूल मांग के न होने के कारण केवल तेज गति वाला डीजल तेल फालतू हुआ है । भारतीय तेल निगम द्वारा अप्रैल-सितम्बर, 1967 की अवधि में इस उत्पाद की 1,39,000 किलो मात्रा का निर्यात किया गया है ।

आसाम में पनबिजली की क्षमता

3432. **श्री रा० बरुआ :** क्या **सिंचाई और विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की पन बिजली की कुल क्षमता में से 30 प्रतिशत क्षमता आसाम में है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) 60 प्रतिशत लोड फैक्टर के हिसाब से आसाम राज्य में पन बिजली की क्षमता का 2.57 मिलियन किलोवाट होने का अनुमान है जो देश की कुल पन बिजली क्षमता का 6 प्रतिशत है तथापि आसाम, नेफा और मनीपुर पूर्वोत्तर क्षेत्र में 60 प्रतिशत लोड फैक्टर के हिसाब से लगभग 12.5 मिलियन किलोवाट की क्षमता होने का अनुमान है जो देश की पन बिजली की क्षमता का लगभग 30 प्रतिशत है ।

(ख) यह आंशिक रूप से तो आसाम में मांग की धीमी गति के कारण है और

आंशिक रूप से आसाम में उपलब्ध प्राकृतिक गैस के उपयोग द्वारा तापीय विद्युत के विकास के कारण है ।

पानी को गन्दा होने से रोकना

3433. **श्री रा० बरुआ** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेजी से औद्योगिक विकास के कारण तथा मलमूत्र और गंदगी के स्वच्छ पानी में गिरने के कारण पानी को गन्दा होने से रोकने के लिये कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विका मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) और (ख) भारत सरकार ने राज्य सरकारों को एक प्रारूप विधेयक परिचालित किया है जिसमें पानी के गन्दा होने के रोकने तथा जल की शुद्धता को बनाये रखने और इस उद्देश्य से जल दूषण रोक बोर्डों की स्थापना का उपबन्ध किया गया है ।

इस विधेयक के अन्तर्गत राज्यों में जल दूषण नियंत्रण बोर्डों तथा एक केन्द्रीय जल दूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की जायेगी जो राज्य बोर्डों के कार्य का समन्वय करेगा । तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन की व्यवस्था करेगा और व्यक्तियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा ?

Samples of Eatables from Super Bazar

3434. **Shri Ram Gopal Shalwale.** Will the Minister of **Health, Planning and Urba Development** be pleased to state :

(a) whether Government have issued any instructions for not taking samples of estables from the stores which are being run by the Cooperative Societies including Super Bazar;

(b) if so, the reasons therefor ;

(e) if not, the number of samples of eatables taken from Super Bazar by the Health Department during the period from the 15th July ; 1966 to the 30th September, 1967 and the 1st October, 1967 to the 21st November, 1967 ;

(d) the number of samples for which results have been declared and the number of samples approved and dis-approved ; and

(e) the number of cases against the Super Bazar management pending in courts and the number of cases in which conviction or fine was awarded ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urabn Development. (Shri B. S. Murthy) :

(a) No.

(b) Does not arise.

(e) The number of samples of eatables taken from Super Bazar is as indicated below :

(i) From 15-7-66 to 30-9-67		Nil
(ii) From 1-10-67 to 21-11-67	..	6
(d) Results declared	..	6
Approved as found according to Standard	..	5
Dis-approved		1
(e) No. of cases pending in Courts		1
No. of cases in which conviction or fine awarded		Nil

अशोक होटल

3435. **श्री कृ० मा० कौशिक** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने **की कृपा करेंगे कि** :

(क) क्या उनका ध्यान 20 नवम्बर, 1967 के दैनिक समाचारपत्र 'टाइन्स ऑफ इंडिया' में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि देश में पर्यटक विभाग के अमरीकी अतिथि मि० आर० एच० पिक जिस किसी भी होटल में ठहरे हैं, वह इतना बुरा नहीं है जितना कि चाणक्यपुरी में सरकार द्वारा चलाया जाने वाला होटल ;

(ख) अमरीकी अतिथि द्वारा व्यक्त किये गये इस असंतोष के कारणों का पता लगाने के लिये क्या कार्यवाही की गई हैं ;

(ग) क्या उस होटल में ग्राहकों द्वारा अपनी शिकायतें लिखी जाने के लिये कोई शिकायत पुस्तक रखी हुई है ; और

(घ) क्या उस अमरीकी अतिथि से मिलकर उसकी शिकायत जानने का सरकार का विचार है ताकि यदि कोई गलती हुई हो, तो उसको ठीक किया जा सके ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) होटल के प्रत्येक रिहायशी कमरे में एक प्रपत्र की व्यवस्था है जिसमें अतिथि से यह प्रार्थना की जाती है कि वह होटल में खाने की किस्म डाइनिंग हाल सर्विस कमरे में सर्विस, होटल के कर्मचारियों का शिष्टाचार और सामान्य स्तर/सुविधाओं के बारे में अपने विचार लिखें। उसे इसके लिये भी कहा जाता है कि वह होटल के प्रबन्धकों के ध्यान के लिये विशेष टिप्पणी लिखें। मि० पिक ने इस प्रपत्र को नहीं भरा। विशिष्ट शिकायतों की ओर फौरन ध्यान दिया जाता है और कुछ मामलों में स्वयं अतिथि के साथ भी बातचीत की जाती है इस प्रकार के अन्धाधुन्ध वक्तव्यों के बारे में, जैसे कि वर्तमान मामले में दिये गये हैं, कोई कार्यवाही करना कठिन है। तथापि, कम्पनी इस विशिष्ट अतिथि से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयत्न कर रही है ।

भेषज परिषदें

3436. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समस्त राज्यों में भेषज परिषदें बनाई जा चुकी हैं ;

(ख) यदि हां, तो (एक) उड़ीसा में यह परिषद् कब से कार्य कर रही है, (दो) प्रथम परिषद् की अवधि कब समाप्त हुई थी और (तीन) क्या दूसरी अवधि के लिये एक परिषद् की अधिसूचना जारी की गई थी और क्या सभापति तथा उपसभापति का चुनाव हुआ था ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान भारतीय भेषज संस्था की उड़ीसा राज्य की शाखा द्वारा पारित संकल्प की ओर दिलाया गया है जिसमें यह आशेप लगाया गया है कि पुरानी परिषद् अब भी काम कर रही है और उसका कार्यभार नई परिषद् को नहीं सौपा गया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) जी, नहीं।

(ख) उड़ीसा राज्य भेषज परिषद् 30 दिसम्बर, 1959 से बनाई गई थी । भेषज अधिनियम, 1948 की धारा 25 के अन्तर्गत राज्य परिषद् का नामनिर्देशित अथवा निर्वाचित सदस्य अपने नामनिर्देशन अवथा चुनाव की तरीख से पांच वर्ष की अवधि के लिये सदस्य रहेगा अथवा जब तक उसका उत्तराधिकारी विधिवत नाम निर्देशित नहीं होता है या निर्वाचित नहीं होता है जो भी अधिक हो। क्या परिषद् की दूसरी अवधि के लिये अधिसूचना दी गई और क्या सभापति तथा उपसभापति का चुनाव हुआ या नहीं यह जानकारी प्राप्त की जा रही है।

(ग) जी, हाँ ।

(घ) भेषज अधिनियम, 1948 की धारा 24 में यह उपबन्ध है कि राज्य परिषद् के चुनाव के बारे में कोई भी विवाद राज्य सरकार को भेजा जायेगा जिसका इस मामले में निर्णय अन्तिम होगा ।

मणिपुर की बायटे आदिम जाति का अनुसूचित आदिम जातियों में शामिल किया जाना

3437. **श्री मेघचन्द्र :** क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मणिपुर की बायटे आदिम जाति को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल नहीं किया गया है जबकि असम की बायटे आदिम जाति को असम की अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में शामिल कर लिया गया है ;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि ऐसा है, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाये हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह):

(क) बायटे नाम की कोई जाति मणिपुर या असम में अनुसूचित आदिम जातियों की सूची में नहीं है।

(ख) हां ।

(ग) 12 अगस्त, 1967 को सदन में लाये गये अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक में सूचियों के दोहराए जाने के विषय में सरकार के निर्णय समावेष्टित हैं ।

गंडक परियोजना

3438. **श्री विश्वनाथ राय :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्षा ऋतु के दौरान गंडक नदी में विनाशकारी बाढ़ आने के फलस्वरूप स्वयं गंडक परियोजना के लिये कोई खतरा पैदा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) विगत वर्षा ऋतु के दौरान और बाढ़ों के कारण गंडक परियोजना को कोई खतरा पैदा नहीं हुआ है । तथापि, पिछले कुछ वर्षों में गंडक नदी ने पश्चिम की ओर बढने की प्रकृति दिखाई है और गत वर्ष उत्तर प्रदेश में चितौनी बांध के एक भाग में पानी भर गया था जिससे पश्चिमी गंडक नहर के वर्तमान बांध को खतरा पैदा हो गया था । बांध के पास नदी को नियंत्रण में लाने के लिये किये गये पर्याप्त उपायों से नदी को नहर के बांध से दूर रखने में काफी सहायता मिली है । इन साधनों को और अधिक मजबूत बनाया जा रहा है ।

राजस्थान के लिये पाइपलाइन योजना

3439. **श्री अमृत नाहाटा :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर भारत की नदियों के जल का उपयोग राजस्थान की मरुभूमि की सिंचाई के लिये करने के लिये एक पाइपलाइन की योजना का कोई नक्शा सरकार को प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विमुद्रीकरण

3440. **श्री अमृत नाहाटा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार मुद्राबाहुल्य रोकने के लिये विमुद्रीकरण करने का विचार कर रही है जिससे देश में मुद्राबाहुल्य निरोधक वातावरण तैयार करने और विश्वास की मनोवृत्ति का निर्माण करने में सहायता मिल सके ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

जी, नहीं । सरकार कृषि और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा दे कर और अत्यावश्यक वस्तुओं की उपलब्धि में वृद्धि करने और उनके वितरण को नियमित करने के लिये उपयुक्त उपाय करके, मूल्यों को स्थिर करने का वातावरण बनाने और विश्वास की भावना पैदा करने का प्रयत्न करती है । बजट और मुद्रा सम्बन्धी नीतियों द्वारा कुल मांग के स्तर पर काबू रखा जाता है ।

चीनियों द्वारा परिचालित मुद्रा

3441. **श्री कृष्णन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि चीनियों द्वारा तिब्बती सीमा, पश्चिम बंगाल, नागालैंड और केरल में जाली भारतीय मुद्रा पहुंचायी और चलायी जा रही है; और

(ख) इसका पता लगाने और इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :

(क) सरकार के पास इस बात की कोई सूचना नहीं है कि चीन द्वारा छापे गये करेंसी नोट इन क्षेत्रों में चल रहे हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ब्रिटिश पौंड का अवमूल्यन

3442. **श्री यशपाल सिंह** : **श्री वि० ना० शास्त्री** :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश पौंड के अवमूल्यन से भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का अनुमान लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इससे उत्पन्न होने वाली स्थिति को सुधारने के लिये क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार घटनाओं पर नजर रखे हुए है और हमारे हितों की रक्षा करने और उनको बढ़ावा देने के लिए, जो भी उपाय आवश्यक होंगे, किये जायेंगे ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में उर्वरक कार्यक्रम

3443. **श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक दल के, जिसने भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना में उर्वरक कार्यक्रम और उसके लिये बैंक की सहायता की सम्भावना पर बातचीत करने के लिये नई दिल्ली का दौरा किया था, प्रतिवेदन पर विचार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस दल ने क्या-क्या सिफारिशें की थीं और उनमें से किन-किन को मंजूर किया गया है ; और

(ग) विश्व बैंक का क्या सहायता देने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया):

(क) विश्व बैंक का एक दल 14 जुलाई से 23 जुलाई, 1967 तक भारत में रहा था। इस दल ने चौथी योजना की अवधि में उर्वरक के उत्पादन के अनुमानों के बारे में सरकार के साथ विचार विमर्श किया और उन तरीकों पर भी विचार किया जिनके द्वारा भारतीय उर्वरक निगम/विश्व बैंक गैर-सरकारी क्षेत्र में स्वीकृत परियोजनाओं को शीघ्र क्रियान्विति में मदद कर सके। दल ने इस बारे में कोई औपचारिक प्रतिवेदन नहीं दिया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) बैंक ने अभी तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है कि भारत में उर्वरक परियोजनाओं के लिये कितनी सहायता उपलब्ध हो सकेगी । भारतीय उर्वरक निगम/बैंक प्रत्येक परियोजना पर उसके महत्व के आधार पर विचार करता है और विशिष्ट परियोजनाओं के हिसाब से सहायता की राशि निश्चित करता है । भारतीय उर्वरक निगम कानपुर उर्वरक परियोजना में 11.5 मिलियन डालर के विनियोजन के बारे में पहिले ही व्यवस्था कर चुका है।

ईरान से अशोधित तेल

3444. **श्री दी० चं० शर्मा :** **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने अमरीकी तथा ईरानी फर्मों के सहयोग से ईरान में तटदूर खुदाई का जो कार्य हाथ में ले रखा है उसके फलस्वरूप क्या भारत को ईरान से अशोधित तेल मिलने की सम्भावना है; और

(ख) यदि हां, तो कितना तेल मिलने की सम्भावना है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) और (ख) ईरान के तटदूर क्षेत्रों में तेल की खोज का काम अब भी चल रहा है और अभी ऐसे किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचना कठिन है कि इस स्रोत से वाणिज्यिक मात्रा में कितना तेल उपलब्ध हो सकेगा।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त द्वारा शिकायतों की जांच पड़ताल

3445. श्री प्र० रं० ठाकुर : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के मुख्य कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में विभिन्न प्रकार की शिकायतें संबद्ध व्यक्तियों द्वारा प्रति वर्ष बढ़ती हुई संख्या में भेजी जाती हैं ;

(ख) यदि ऐसा है तो उनकी जांच पड़ताल की क्या प्रक्रिया है ;

(ग) क्या आयुक्त ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि संबद्ध अधिकारियों द्वारा देर की जाती है, वही पुराने उत्तर दिये जाते हैं और कि मामले को निपटाने की दशा में कुछ भी नहीं किया जाता ;

(घ) क्या उन्होंने अपनी पन्द्रहवीं रिपोर्ट में यह मांग की है कि उन्हें सरकारी कागजों तक पहुँच प्राप्त होनी चाहिये ताकि शिकायतों की छानबीन के अपने संवैधानिक अधिकारों को अमल में ला सकें ;

(ङ) आयुक्त के कायालयों के पुनर्गठन की योजना में शिकायतों की जांच-पड़ताल और सुझावों इत्यादि के पालनार्थ कुछ तरीकों के विकास, जो संस्था के ठीक कार्य के लिये बड़े आवश्यक उपाय हैं, की दशा में क्या कुछ कदम उठाये गये हैं ; और

(च) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह):

(क) हां । प्राप्त हुई शिकायतों की संख्या इस प्रकार है :

1663–64	1,257
1964–65	2,153
1965–66	3,051

(ख) प्राप्त हुई शिकायतें संबद्ध अधिकारियों के पास भेजी जाती हैं ताकि तथ्य प्राप्त हो सकें, उनके प्राप्त होने पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जाता है । कुछ थोड़े से चुने गए मामलों में तो आयुक्त की संस्था के अधिकारियों द्वारा घटनास्थल पर ही जाकर जांच-पड़ताल की जाती है ।

(ग) हां ।

(घ) हां ।

(ङ) हां । पाँच अनुसन्धान एकक स्थापित किये गये हैं ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

सड़क कूटने वाले इंजन

3446. **श्री मेघ चंद्र :**

क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि मनीपुर के लोक निर्माण विभाग ने हाल ही में सड़क कूटने वाले जो इंजन खरीदे थे, वे खराब हैं ;

(ख) यदि हां, तो सड़क कूटने वाले कितने इंजन खरीदे गये थे, उनको किस फर्म ने सप्लाई किया था और इनकी खरीद पर सरकार ने कुल कितना व्यय किया ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस सौदे की जाँच करने का है।

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीइकबाल सिंह) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि लोक निर्माण विभाग, मनीपुर ने सड़क कूटने वाले इंजन खरीदे थे। तथापि, लोक निर्माण विभाग, इम्फाल की ओर से फरवरी/मई, 1967 के दौरान मैसर्स गार्डन रीच वर्कशाप (भारत सरकार का एक उपक्रम) को सड़क कूटने के 9 इंजनों के लिये दो ठेके दिये गये थे मैसर्स गार्डन रीच वर्कशाप्स द्वारा सप्लाई किये गये सड़क कूटने के इंजनों में लोक निर्माण विभाग ने निर्माण सम्बन्धी कुछ दोष बताये ।

(ख) सड़क कूटने के इंजनों की कुल संख्या 9 है। सप्लाई करने वाले मैसर्स गार्डन रीच वर्कशाप्स हैं। सड़क कूटने वाले प्रत्येक इंजन का मूल्य 51,000 रुपये है।

(ग) जी, नहीं इस बारे में निर्माताओं के साथ बातचीत की गई है जो ठेके की शर्तों के अधीन सप्लाई करने की तिथि से बारह महीने के अन्दर अपनी लागत पर दोषों को दूर करने के लिये उत्तरदायी हैं।

बर्मा से स्वदेश लौटे पेंशन-भोगी लोग

3447. **श्री नम्बियार :**

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बर्मा से स्वदेश लौटे और मद्रास राज्य में बसे हुए पेंशन भोगी लोगों को अवमूल्यन के पश्चात पुनरीक्षित दरों पर पेंशन नहीं दी गई है ;

(ख) क्या बर्मा के महालेखापाल ने भारत के महालेखापाल को बर्मा की सरकार की ओर से उनकी अधिकृत विनिमय दरों पर पेंशन की राशि का भुगतान करने का अधिकार दिया है ;

(ग) क्या मद्रास के महालेखापाल को छोड़कर अन्य महालेखापाल विनिमय की पुनरीक्षित दर को अपना रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो नियमित रूप से भुगतान करने और पेंशन भोगी लोगों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) से (घ) 6 जून 1966 से रुपये के अवमूल्यन के तत्काल बाद, महालेखापाल, बर्मा ने भारत में सभी महालेखापालों को

सलाह दी थी कि बर्मा के "क्यात्स" का विनियम दर एक भारतीय रुपया = 0.6349 बर्मा का 'क्यात्स' के बराबर होगा और 6 जून, 1966 को या उसके बाद दी जाने वाली पेंशन की अदायगियां बर्मा स'घ की सरकार की ओर से इसी नये दर के अनुसार विनियमित होनी चाहिये। क्योंकि महालेखापाल बर्मा के पत्र में पेंशन दर रुपयों के रूप में नहीं बताया गया था, इसलिये बर्मा संघ की सरकार को एक पत्र लिखा गया था जिसमें यह पूछा गया था कि क्या भारतीय रुपयों के रूप में पेंशन देने के लिये, 'क्यात्स' के लिये विनिमय का नया दर 'रुपयों' के रूप में अदा की जाने वाली पेंशन पर लागू होगा। बर्मा सरकार से उत्तर मिल जाने तक, बर्मा द्वारा रुपयों में दी जाने वाली पेंशन अवमूल्यन से पूर्व प्राप्त दरों पर ही की जा सकती है। जिन मामलों में बढ़े हुए दरों पर इस प्रकार की पेंशनों की अदायगी की गई है, उनके सम्बन्ध में अब यह हिदायतें जारी की गई हैं कि जबतक बर्मा की सरकार ऊँचे दरों पर अदायगी की सलाह नही देती तबतक बाद की अदायगियाँ पुराने दरों पर दी जायें।

राज्य व्यापार निगम द्वारा रॉक फास्फेट और गंधक प्राप्त करने का दोषपूर्ण तरीका

3448. **श्री राजदेव सिंह :**

क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उर्वरक संस्था ने उनके मंत्रालय को एक ज्ञापन दिया है कि राज्य व्यापार निगम द्वारा रॉक फास्फेट प्राप्त करने का तरीका दोषपूर्ण है और इससे उर्वरक के उत्पादन के बढ़ाने में बाधा पड़ती है :

(ख) क्या यह भी सच है कि उर्वरक की उत्पादन लागत में 67 प्रतिशत वृद्धि के लिये राज्य व्यापार निगम द्वारा रॉक फास्फेट और गंधक प्राप्त करने का दोषपूर्ण तरीका जिम्मेदार है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इनको प्राप्त करने की अपनी नीति का पुनरीक्षण करने का है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया):

(क) जी, हाँ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों की अतिरिक्त आय का निवेश

3449. **श्री रा० बरुआ :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या, इस वर्ष की बहुत अच्छी फसल और उसके परिणामस्वरूप देहाती क्षेत्रों के लोगों की क्रय-शक्ति में होने वाली वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, अतिरिक्त धनराशि को उपयोगी कामों में लगाये जाने के लिये कोई-कदम उठाने की बात सोची जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों ने किस हद तक इस अतिरिक्त आय को हस्तगत करने और उसे राष्ट्रीय पूँजी का रूप देने की इच्छा प्रकट की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) और (ख) अपनी बचत को स्वेच्छा से लगाने के लिए, शहरी और देहाती क्षेत्रों के लोगों को बचत के अनेक साधन उपलब्ध हैं। इसके अलावा, इस वर्ष अच्छी फसल होने की सम्भावना को देखते हुए, राष्ट्रीय बचत संगठन ने, हाल ही में, राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे पंचायतों के सक्रिय सहयोग से देहाती क्षेत्रों में बचत की रकमें प्राप्त करने के लिए विशेष आन्दोलन चलाएं। जहां तक देहाती बचतों पर कर लगाने का सम्बन्ध है, यह विषय वस्तुतः राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। हाल ही में राष्ट्रीय विकास परिषद् की जो बैठक हुई थी, उसमें इस विषय पर विचार किया गया था, और देहाती-क्षेत्र से अतिरिक्त बचत जुटाने के तरीकों के सम्बन्ध में कुछ सुझाव दिये गये थे।

दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा नर्सिग कालेज की सम्बद्धता का समाप्त किया जाना

3450. **श्री रा० बरुआ :**

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय का विचार नर्सिग कालेज की सम्बद्धता को समाप्त करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति):

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Central Excise Association of Uttar Pradesh

3451. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Central Excise Assocition of Uttar Pradesh had submitted a Memorandum of their demands to the Central Government on the 9th September, 1967 ;

(b) if so, what are their main demands ; and

(c) the action taken by Government thereon ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) No Memorandum dated 9th September, 1967 appears to have been recieved from the Central Excise Association of Uttar Pradeh by Government. However, earlier a Memorandum dated 28.4.67 was received from this Association.

(b) The main demands of the Association are as below :—

(i) Routine checks should be made really effective by reducing their percentage. Bulletins, instructions, trade notices etc. should be supplied to all Inspectors.

(ii) Charge-sheets against staff for non-adherence to impractical procedures and charge-sheets framed after 3 years of Commi ssion of an alleged wrong act should be dropped, unless in the latter case the charge is of a very serious nature.

(iii) Rotation of staff should be eliminated.

(iv) Persons due for transfer should be informed well ahead and every attempt made to post as many people as possible to the place of their choice.

(v) Promotion prospects of Class III exceutive cadres should be reexamined and all anomalies done away with.

(c) The suggestions are under examination.

तीस जनवरी मार्ग नई दिल्ली की झुग्गियां

3452. **श्री म० ला० सोंधी :**

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमि तथा विकास अधिकारी ने कोई आश्वसन दिया था कि तीस जनवरी मार्ग नई दिल्ली पर बनी धोबियों की झुग्गियों को नहीं गिराया जायेगा ;

(ख) यदि हाँ, तो झुग्गियों को क्यों गिरा दिया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि 25 अप्रैल, 1967 को इन धोबियों को पुनः बसाने के बारे में विकास भवन नई दिल्ली में एक बैठक हुई थी ; और

(घ) यदि हां, तो उस बैठक में किये गये निर्णय को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) :

(क) जी, नही।

(ख) सरकारी जमीन से अनधिकृत वासियों को हटाने के लिये इन झुग्गियों को गिरा दिया गया था ।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कुछ हैडवर्क्स का पंजाब को हस्तान्तरण

3453. **श्री देविन्दर सिंह :**

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनसे पंजाब के भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने पंजाब स्थित कुछ हैडवर्क्स पंजाब राज्य को हस्तान्तरित कर देने का अनुरोध किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के अन्तर्गत फीरोजपुर, हारिके और सूपर हैडवर्क्स का नियंत्रण भाखड़ा प्रबन्धक बोर्ड द्वारा अपने हाथ में लिया जाना था, परंतु पंजाब के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार से इन हैडवर्क्स को न लेने की प्रार्थना की है । इस मामले पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) मामले पर विचार किया जा रहा है ।

Ayurvedic Contraceptives

3454. **Shri Arjun Singh Bhadoria.** Will the Minister of **Health, Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) the steps taken so far by Government in the direction of finding out some ayurvedic contracetpives ; and

(b) the total number of deaths of women so far as a result of the use of loops ?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhatr):

(a) A Seminar of Vaidyas and Hakims on Family Planning was held at New Delhi on the 18th and 19th July, 1967. As recommended by that Seminar, information on recipts for contraceptives pertaining to indigenous system of medicine has been collected as far as possible. A number of recip es were furnished by the Vaidyas/Hakims and they have been scruitinised by an Expert Committee constituted for this purpose. 56 reciepes have been recommended for clinical evaluation before further researches are carried out.

(b) No death has been reported so far as a result of the use of loops.

Unsuccessful Cases of Loops

3455. **Shri Arjun Singh Bhadoria.** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) the percentage of unsuccessful cases of loops to the total numbes of loops used so far in the country ;

(b) the expenditure involved on the insertion of loop per woman and on the operation of per male ; and

(c) the total number of deaths which occurred in the country as a result of unsuccessful cases of loops and operations ?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar):

(a) No statistical data is available regarding the total number of cases in which loop has not been successful, Prsegnancy rate with loop in situ varies from 0.8% to 2.9%. A statistical analysis of the data reported on 20,695 women who received I.U.C.D. and were followed up at 19 centres in different parts of the country brought out, inter alia, that the termination rate of the loop at the end of 12 and 24 months were 23 and 40 per hundred insertions respectively. About 50% accepters did not have any complaint whatsoever. 24.5% of the complaints were on account of bleeding, followed by psychological complaints, which accounted for nearly 16%. A substantial number of women did not remove the loop inspite of these minor complaints.

(b) The Govt. of India reimburses to the States at the rate of Rs. 11 , Rs. 30 -, Rs. 40 per case of I. U. C. D. / Vasectomy/Tubectomy. Thi covers payment on account of compensation money to the individual, promoter, payment to the doctor, cost of drugs, dressing, etc. Besides this pay etc. of the staff is also involved. The total expenditure involved on the insertion of loop per women and on the sterilisation operation per male has not been specifically calculated.

(c) No deaths have been reported as a direct result of insertion of loop or sterilization operation.

Third Pay Commission

3456. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the circumstances under which the Second Pay Commission was appoinnted ;

(b) whether Government propose to appoint the Third Pay Commission now ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) :

(a) The Second Pay Commission was appointed in August, 1957 as the Government decided that, taking into account the changes that had taken place since the First Pay Commission submitted its Report, the economic conditions in the country and the implications and requirements of developmental planning, an examination of the structure of emoluments and conditions of service of the Central Government employees had become necessary.

(b) No, Sir.

(c) It is not considered opportune at present to appoint a Pay Commission, for the following reasons :—

(i) The recommendations of the Second Pay Commission were implemented only in 1960 and the Central Government employees are being compensated for the rise in cost of living by suitable adjustments in dearness allowance from time to time ;

(ii) The present policy is against revision of salary structures at any level, as a measures of economy ;

(iiii) There will be repercussions on State Government employees.

सरकारी कर्मचारियों के स्थानान्तरण के समय क्वार्टरों का नियतन

3457. **श्री एस ० एम० जोशी** :

क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसी भी सरकारी विभाग में नियुक्त सरकारी कर्मचारी अपनी बारी पर सरकारी क्वार्टर पाने का हकदार हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि किसी मंत्रालय के एक विभाग में दूसरे मंत्रालय के किसी दूसरे विभाग में प्रतिनियुक्ति पर जाने पर भी सरकारी कर्मचारी जिसके पास अपना क्वार्टर होता है, सरकार द्वारा दिये गये क्वार्टर में रह सकता है ।

(ग) क्या यह सच है कि जिन कर्मचारियों का प्रतिनियुक्ति पर अर्द्धसरकारी विभागों अथवा स्वायत्त निकायों में तबादला हो जाता है उनके पास भी वही क्वार्टर बना रहता है परन्तु ऐसे निकायों में स्वायी रूप से रख लिये जाने पर उनको तुरन्त क्वाटर से वंधित कर दिया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार स्वायत निकायों में स्थायी रूप से रख लिये जाने वाले

कर्मचारियों को जिनको अपने क्वार्टर छोड़ने पड़ते हैं, सरकार का क्या सुविधायें देने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपसंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख) पात्र कार्यालयों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी अपनी बारी पर सामान्य पूल से रिहायशी मकान के अलाटमेंट के हकदार है । ऐसे सरकारी कर्मचारी एक ही स्थान पर एक पात्र कार्यालय से दूसरे पात्र कार्यालय में तबादला होने पर सामान्य/पूल के क्वार्टर को अपने पास रख सकते हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) जो सरकारी कर्मचारी अर्द्ध-सरकारी विभागों/स्वायत्तशासी निकायों में प्रतिनियुक्ति पर जाते हैं, इन संगठनों में स्थायी रूप से नियुक्त हो जाने पर सरकारी कर्मचारी नहीं रहते और उनके लिए वैकल्पिक रिहायशी मकान की व्यवस्था करना सम्बन्धित संगठन का उत्तरदायित्व है ।

मनीपुर में मानसिक अस्पताल

3458. **श्री मेघचन्द्र** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानसिक अस्पताल की स्थापना के लिये चालू वर्ष में मनीपुर की वार्षिक योजना में कोई धनराशि निर्धारित की गई है ;

(ख) यदि हां, तो अस्पताल की स्थापना के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति):

(क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) धन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए 1968–69 में दो मानस रोग चिकित्सालय स्थापित करने का विचार है । ऐसा समझा जाता है कि इनसे इस समय जो आवश्यकता है जसकी पूर्ति हो जायेगी।

डिगबोई तेल क्षेत्र

3459. **श्री वि० ना० शास्त्री** :

क्या पेट्रोलियम, रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डिगबोई तेल क्षेत्र में निकट भविष्य में तेल समाप्त हो जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो इसका तेल संसाधनों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) :

(क) और (ख) जी नहीं । परन्तु यह क्षेत्र 76 वर्ष पुराना होने के कारण उसमें कच्चे तेल का उत्पादन धीरे धीरे घटता जा रहा है । फिर भी आसाम आयल कम्पनी तकनीकी उपाय अपनाने के सम्बन्ध में तकनीकी एवं आर्थिक पहलुओं पर विचार कर रही है जिससे यथासम्भव इस प्रवृत्ति को रोका जा सके ।

लखीमपुर में तेल के भण्डार वाले नये क्षेत्र

3460. **श्री वि० ना० शास्त्री :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम के लखीमपुर जिले में तथा नेफा में तेल के भण्डार वाले नये क्षेत्रों का पता लगाया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ।

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) और (ख) डम डम और निगरू क्षेत्रों में आयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा खोज की जा रही है और उन्होंने परीक्षण के लिये कुछ कुएं खोदे हैं । इन क्षेत्रों में तेल की सम्भावना का पता लगाने से पूर्व भी और खुदाई करने की आवश्यकता है ।

भारतीयों द्वारा विदेशों में होटलों का खोला जाना

3461. **श्री महाराज सिंह भारती :**

क्या **वित्त मंत्री** 23 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 212 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में भारत के ' तन्दूरी मुर्गों ' और 'जलेबी' आदि की बहुत मांग है; और

(ख) विदेशों में इस प्रकार का कारोबार आरम्भ करने अथवा इस प्रकार के होटल खोलने के लिये विशेष सहायता न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) प्रदर्शनियों में जैसाकि 'एक्सपो' 67 में खोले गये रेस्तरां में कुछ भारतीय भोज्य पदार्थ लोगों द्वारा पसन्द किये गये थे । इसके अतिरिक्त सरकार को कोई ऐसी स्पष्ट सूचना नहीं मिली कि विदेशों में किसी खाने की मांग बढ़ी है ।

(ख) भारतीयों द्वारा विदेशों में होटल और रेस्तरां खोलने के लिये बहुत कम आवेदनपत्र प्राप्त हुए हैं और कोई विशेष सहायता देने का प्रश्न ही नहीं उठा है ।

10, जलपथ नई दिल्ली

3462. **श्री म० ला० सोंधी :** **श्री हिम्मत सिंहका :**

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में जनपथ स्थित बंगला नं० 10 का गत दो वर्ष से कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में किराये के रूप में कुल कितनी हानि हुई और क्या इसे ठीक हालत में रखा गया है;

(ग) कितने व्यक्तियों को यह बंगला देने की पेशकश की गई थी और उन्होंने किन कारणों से इसे लेने से इन्कार किया; और

(घ) इस बंगले को किस रूप में प्रयोग करने का सरकार का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) जी नहीं। स्व० श्री लाल बहादुर शास्त्री के परिवार द्वारा खाली कर देने के बाद यह बंगला 23 मार्च, 1966 से 23 जून, 1966 तक खाली रहा और उसके पश्चात यह बंगला एक सरकारी कार्यालय के लिये दिया गया था जिसने 22 मई, 1967 को इसे खाली कर दिया और तब से लेकर यह खाली पड़ा है ।

(ख) एफ० आर० (क) के अनुसार इस बंगले का मासिक किराया रु० 1380.85 पैसे प्रति मास है । इस बंगले की देखभाल केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा की जाती है ।

(ग) और (घ) इस बंगले की अलाटमेंट का प्रश्न विचाराधीन है और निकट भविष्य में निर्णय कर लिये जाने की सम्भावना है ।

दिल्ली में छोटे प्लाटों की मांग

3463. **श्री महाराज सिंह भारती :**

क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़े तथा मध्यम आकार के प्लाटों की मांग घट रही है, क्योंकि ऐसे 1600 प्लाटों के लिये केवल 3000 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, जबकि दिल्ली में पंखा रोड तथा वजीराबाद के 300 छोटे प्लाटों के लिये 23,000 आवेदनपत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो छोटे प्लाटों की संख्या में वृद्धि करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) जी, हां । दिल्ली विकास अधिकरण को पंखा रोड और वजीरपुर रिहाइशी योजनाओं के अन्तर्गत मध्य आय वर्ग के 1600 प्लाटों के लिये 3.152 आवेदन-पत्र और वजीरपुर रिहाइशी योजना में निम्न आय वर्ग के 300 प्लाटों के लिये 13,334 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ख) निम्न आय वर्ग के लिये अधिक प्लाटों की व्यवस्था करने से सम्बन्धित एक प्रस्ताव पर दिल्ली विकास अधिकरण विचार कर रहा है ।

L. I. C. Loan to Rajasthan

3464. **Shri Ramesh Chandra Vyas** : Will the Minister of **Finance** be please do state :

(a) whether it is a fact that the Rajasthan Government had applied in August, 1966 to the Life Insurance Corporation of India for a loan of four crores of rupees for completing certain incomplete drinking water projects and for rural electrification and the Corporation had agreed to grant the loan ;

(b) whether it is also a fact that the Life Insurance Corporation has not so far advanced this loan to the State Government ;

(c) if so, the reasons for the delay ; and

(d) the steps being taken by Government to get this loan released at an early date ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) The Government of Rajasthan approached the L.I.C. for a loan aggregating Rs. 2 crores for various Municipalities in the State for their water supply schemes in August, 1966 and the Rajasthan State Electricity Board asked for a mortgage loan of Rs. 2 crores from the Corporation "to finance expenditure on the construction of transmission line from Atomic Power Station at Kota to Jaipur" in November, 1966.

(b) to (d) The loan or water supply schemes was sanctioned in December, 1966 with the stipulation that the amount should be drawn latest by 31st March, 1967 after completion of the requisite formalities. The sanction for the said loan, however, lapsed at the end of the financial year 1966-67 as the regtuired formalities were not complied with ; the Corporatio and the Government of Rajasthan are still in correspondence about this matter

As regards the loan asked for by the Rajasthan State Electr city Board, the L.I.C. informed the Board in October, 1967 that it would sanction a loan of Rs. 1 crore ; the Board's acceptancen and compliance with requirements of loan are still awaited.

नेफथा की कमी

3465 **श्री महाराज सिंह भारती** :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री 23 नवम्बर, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 216 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तेल शोधक कारखानों में कारखानेवार नेफ्था का उत्पादन कितना होता है और विभिन्न उद्योगों में अलग अलग नेफ्था की अनुमानित खपत कितनी होती है; और

(ख) क्या यह सच है कि वर्ष 1970-71 तक उर्वरक उद्योग को छोड़ कर नेफ्था पर आधारित शेष सभी उद्योगों के लिये नेफ्था की बड़ी कमी हो जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) भारत सुरक्षा अधिनियम, 1962 के अधीन तेल शोधक कारखानेवार उत्पादन के आंकड़े या अलग अलग उत्पादों के कुल आंकड़े नहीं बताये जा सकते ।

(ख) जी, नहीं ।

गुजरात में गैस का मूल्य निर्धारित करने के लिये पंच फैसला

3465-क. **श्री रा० की० अमीन :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैस के मूल्य निर्धारित करने के लिये भारत सरकार और गुजरात के बीच डा० वी० के० आर० वी० राव मध्यस्थ बने थे;

(ख) क्या उन्होंने जब पंचाट दिया था तो वह पहले ही मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे और इस प्रकार उनका भी इस विवाद से सम्बन्ध था; और

(ग) यदि हां, तो मध्यस्थ नियुक्त करने के लिये बनाई गई परम्पराओं से यह कहाँ तक संगत है ?

पट्रोलियम और रसायन तथा समाल कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया): (क) से (ग) गुजरात में स्थित तेल क्षेत्रों से पैदा होने वाली प्राकृतिक गैस के मूल्य के बारे में विवाद गुजरात सरकार और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के बीच था । फरवरी 1964 में प्रो० वी० के० आर० वी० राव को उनके निजी रूप में मध्यस्थ नियुक्त किया गया था । इस तथ्य के कारण और क्योंकि भारत सरकार का इस विवाद से कोई सम्बन्ध नहीं, इसलिये उनके मध्यस्थ के रूप में कार्य करने से किसी भी परम्परा का उल्लंघन नहीं हुआ फिर भी जब वह भारत सरकार के परिवहन तथा नौहवन मंत्री बने तो मध्यस्थ ने इस बात को सुनिश्चित कर लिया था कि क्या दोनों पक्षों को उनका मध्यस्थ बना रहना स्वीकार्य है ।

Scheme for Construction of Satyara Dam in M. P.

3465-ख. **Shri Lakhan Lal Gupta.** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is fact that there is a scheme to construct Satyara Dam in Raipur District, Madhya Pradesh ;

(b) if so, whether the work on the said dam has been started and the amount likely to be incurred thereon ; and

(c) the manner in which the water stored consequent to the construction of the said dam is likely to be utilised ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao):

(a) : Yes.

(b) No the scheme is under consideration.

(c) The Satara Project is intended for supply of water required for the proposed

expansion of Bhilai Steel Plant. Surplus waters will be used for extension of irrigation under the Mahanadi canals.

ऐस्सो और बरमा-शैल के तेलशोधक कारखाने

3465–**ग. श्री समर गुह** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऐस्सो और बर्माशैल ने क्रमशः 70 रुपये और 80 रुपये प्रतिटन क्षमता के ठेके पर हस्ताक्षर करने के 31 से 38 महीने बाद उत्पादन आरम्भ किया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि रूस द्वारा निर्मित बरौनी और कोयाली तेल शोधक कारखाने में 205 रुपये और 155 रुपये प्रतिटन की लागत पर किये गये ठेकों पर हस्ताक्षर करने के 59 और 54 महीने बाद उत्पादन आरम्भ हुआ ;

(ग) क्या किसी अन्य विदेशी कम्पनी ने 50 रुपये प्रतिटन की लागत से मद्रास में तेल शोधक कारखाना बनाने की पेशकश की थी और ठेके पर हस्ताक्षर करने के 30 महीने बाद उत्पादन आरम्भ करने के लिये कहा गया था ; और

(घ) यदि हां, तो उत्पादन की अधिक लागत पर ठेका स्वीकार किये जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) ऐस्सो और बरमाशैल के तेल शोधक कारखानों ने क्रमशः 101 रुपये तथा 107 रुपये प्रतिटन क्षमता पर ठेकों पर हस्ताक्षर करने के 32 महीने और 37 1/2 महीने बाद उत्पादन आरम्भ किया था ।

(ख) बरौनी और कोयाली तेल शोधक कारखानों ने क्रमशः 205 रुपये और 155 रुपये प्रतिटन के हिसाब से ठेकों पर हस्ताक्षर करने के 36 महीने और 27 महीने बाद उत्पादन आरम्भ किया था; इन लागतों में बिजली घर, पानी सप्लाई की योजना आदि जैसी अधिक व्यापक क्षेत्र की सुविधाएं और सेवायें सम्मिलित हैं ;

(ग) जी हां । फिलिप्स पेट्रोलियम कम्पनी यू० एस० ए० ने निश्चित धनराशि के आधार पर दक्षिण भारत में 25 लाख टन का तेल शोधक कारखाना बनाने की पेशकश की थी । फिर भी इस निश्चित धन-राशि वाले ठेके में आयात शुल्क, रेल-सड़क सुविधाएँ, बिजली और पानी की सप्लाई, भूमि, जहाजों पर चढ़ाने/उतारने जैसी चीजें सम्मिलित नहीं हैं । पूरे तेल शोधक कारखाने की कुल लागत 29 करोड़ रुपये है (जिसमें अवमूल्यन का प्रभाव भी सम्मिलित है) ।

(घ) दक्षिण भारत में उपरोक्त भाग (ग) में उल्लिखित तेल शोधक कारखाने की पेशकश वर्ष 1962 में की गई थी और वह ऐस्सो और बर्मा-शैल तेल शोधक कारखाने

क्रमशः 101 रुपये और 107 रुपये प्रतिटन की तुलना में 116 रुपये की लागत पर पूरा किया गया ।

परिवार नियोजन कार्यक्रम में वन्ध्यकरण

3465–घ. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार नियोजन कार्यक्रम में वन्ध्यकरण भी सम्मिलित है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से अब तक, राज्यवार, कितने व्यक्ति, पुरुष तथा महिलाओं का बन्ध्यकरण किया गया है ; और

(ग) इस से लोगों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

एण्टीबायटिक्स परियोजना, ऋषिकेश

3465–ङ. **श्री कं० हाल्दर** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने हाल ही में एक फर्म पर छापा मारा था और इण्टरनेशनल केमीकल कार्टलस द्वारा ऋषिकेश एण्टीबायटिक्स परियोजना में तोड़फोड़ की योजना का पता लगाया था ;

(ख) क्या इस छापे में परियोजना से सम्बन्धित कुछ दस्तावेज पकड़े गये है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख) केन्द्रीय जाँच ब्यूरो बम्बई में तीन फर्मों की तलाशी ली थी जो एण्टीबायटिक्स प्रोजेक्ट, ऋषिकेश के निर्माण से सम्बन्धित थी और परियोजना के हिसाब-किताब से सम्बन्धित कुछ दस्तावेज पकड़े थे। इन दस्तावेजों से इण्टरनेशनल केमीकल कार्टल्स द्वारा एण्टीबायटिक्स प्रोजेक्ट में तोड़फोड़ की किसी योजना का पता नहीं चलता।

(ग) तोड़फोड़ की किसी योजना का पता न चलने के कारण सरकार द्वारा आगे कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

एलाटियों द्वारा अतिक्रमण

3466–च. **श्री रमेश चन्द्र व्यास** :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरोजिनी नगर, नई दिल्ली और देव नगर (करोल बाग) स्थित सरकारी क्वार्टरों के अलाटियों ने अपने क्वार्टरों के सामने बजरी के बने मार्गों पर अतिक्रमण किया है और यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इन क्वाटरों के कुछ ऐलाटियों ने जो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कार्य करते हैं, अपने क्वार्टरों की अत्यधिक मरम्मत करवा ली है और सरकारी भण्डारों आदि से सामग्री ले कर क्वार्टरों में बगीचे लगा लिये हैं ; और

(ग) यदि हां, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) नहीं :

(ख) नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सनलाइट कालोनी, मोती बाग, नई दिल्ली

3465–छ. **श्री वेदव्रत बरुआ** :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोती बाग, नई दिल्ली के निकट रिंग रोड पर स्थित सनलाइट कालोनी की भूमि अधिकारियों ने वर्ष 1951 में अर्जित कर ली थी और इस मामले में उच्च न्यायालय ने 25 जनवरी 1966 को इस प्लाट के मालिकों के पक्ष में निर्णय दिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या कालोनी के प्लाट के मालिकों को भूमि का कब्जा दे दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) नहीं। हमारा विचार उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का है।

नशाबन्दी

3465–ज. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र शासित क्षेत्र नशाबन्दी समाप्त कर रहे हैं या समाप्त करने का विचार रखते हैं ;

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या उनका यह कार्य संविधान की धारा 15 के विरुद्ध नहीं हैं ; और

(ग) संविधान की मर्यादा बनाए रखने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

बिरला की फर्मों से सम्बन्धित आयकर की फाइलें

3465-भ. **श्री कामेश्वर सिंह :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयकर अपवंचन की सीमा निर्धारण करने के लिये बिरला की फर्मों से सम्बन्धित आयकर की सभी फाइलें कलकत्ता से दिल्ली पहुंच गई हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

उप प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):

(क) और (ख) मामले की सर्वाङ्गीण छानबीन करने के लिए उसे निरीक्षण निदेशक (जाँच हड़ताल) को सौंप दिया गया है । जब आवश्यक समझा जाता है, फाइलें दिल्ली मंगवाई जाती हैं और यहां उनकी जाँच की जाती है। दूसरे मामले में निरीक्षण निदेशक (जांच पड़ताल) फाइलों की जांच उन्हीं स्थानों पर करवाता है जहां कर निर्धारण की कार्यवाही की जाती है । जांच पड़ताल चल रही है ।

भूतपूर्व रेलवे मंत्री के लिये 'पी' फार्म

3465-अ. **श्री जार्ज फरनन्डीज :** **श्री कृष्ण मूर्ति :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1967 में भूतपूर्व रेलवे मंत्री श्री एस० के० पाटिल इलाज करवाने के लिये लगभग एक मास के लिये 'पी' फार्म पर यात्रा करने गये थे ;

(ख) क्या इन्होंने कुछ विदेशी मुद्रा की मांग की थी ; और

(ग) क्या विदेशी मुद्रा के लिये उल्लिखित शर्तों को वे पूरा करते थे ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ग) जी, हां । चिकित्सा की आवश्यकता के सम्बन्ध में संतुष्ट हो जाने पर रिजर्व बैंक ने 'पी' फार्म दे दिया था ।

(ख) जी, नहीं ।

अतारांकित प्रश्न संख्या 753 दिनांक 16 नवम्बर, 1967 के उत्तर में शुद्धि

Coreection of Answer to unstarred Question No 753 dated 16th November 1967

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) :

मैंने डाक्टरों के लिये अनिवार्य ग्राम सेवा के सम्बन्ध में 16 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 753 का नकारात्मक उत्तर दिया था । मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता

हूँ कि हालांकि मेडिकल कालेजों के डीन्स और प्रिंसिपलों के सम्मेलन में डाक्टरों और विद्यार्थियों के लिये अनिवार्य ग्राम सेवा चलाने के सम्बन्ध में कोई संकल्प पारित नहीं हुआ था, फिर भी सम्मेलन ने एक और संकल्प पारित किया था जिसमें मातृत्व और बाल स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिये एक वर्ष की सीमित कालावधि के लिये अनिवार्य प्रशिक्षण की सिफारिश की गई है । पूरे संकल्प की एक प्रति सभा-पटल पर रखी दी जाती है [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 1910/67**]

2. ये सिफारिशें विचाराधीन हैं ।

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported Russian interference with the last General Elections in India

Shri D. N. Patodia (Jalore) : I call the attetnion of the Minister of Home Affairs to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon :—

Reported **Russian interference with the last General Elections in India.**

Statment to be Made by Home Minister in Lok Sabha on 7-12-1967 in Reply to a Calling Attention Notice Regarding Alleged Interference by Russians in the General Elections

Mr. Speaker Sir,

Government have been press reports regarding the alleged interference by Russians in the last General Elections. Efforts are being made to obtain the full text of the statements made by Mr. Y. N. Loginov. Pending their receipt and examination, it is not possible for Government to say anything in the matter. Honourable Members are, hoewver, aware that objectionable aspects of the broadcasts made by "Radio Peace and Progress" have been brought to the notice of the appropriate Soviet authorities by the Government of India.

Shri D. N. Patodia : The answer is so evasive that it is necessary for me to bring some facts to the notice of the hon. Minister before he can give a suitable reply.

The Russian agencies, through various methods, have been systematically indulging into the election campaign of India as if they are fighting their own elections. According to the **Hindustan Times** of 4th December, as referred by the hon. Minister, certain very serious insinuations have been made. Now I want to know whether, in respect of this gentleman, Mr. Yuri Modin, the Government of India had sufficient information available with them and the Russian Embassy was already asked to see that Mr. Yuri Modin was deported back from India.

Regarding the various interference of the Soviet Embassy into the election campaign of India, there have been several facts which have already come to the notice of the Government of India, and for the sake of illustration, I will quote only one and it is this.

Another report through the broadcast of June 7 on **"Radio Peace and Progress" compared Mr. Menon to Mahatma Gandhi** of India on the one hand., (**Interruptions**)

An Hon. Member: What an imagination.

Shri D. N. Patodia: and on the other hand, **Mr. Morarji Desai**, who happens to be our national leader, was described as the mouth-piece of reactionary forces in the Congress and it partly hinted in the braodcast of Mr. Desai's failure to stop the murder of Mahatma Gandhi in 1948 when he was the 'Home Minister (**Interruptions**).

An Hon. Member: It is all wrong.

Shri D. N. Patodia : In this respect it has been very seriously alleged that there have been various sources of financing the election campaign in India and in that process, it has come to the notice of the Government of India that one firm by name Nav Bharat Enterprises, 22, Ring Road, Lajpat Nagar, New Delhi, had been systematically financing. This firm happens to be a contractor and does the import and export business of the Russian Government.

Mr. Speaker: He may put his question.

Shri D. N. Patodia : What I will try to explain now is that the Russian propaganda did not stop with the completion of the elections in India ; they are continuing the same propaganda and they are preparing for the next elections in India. To that extent, I want to advise. (**Interruptions**)

Shri Nambiar (Tiruchirapalli) : Is he giving information or seeking information?

Shri D. N. Patodia : I am giving information to seek information. This particular aspect to the propaganda has now been taken over by the Russian Embassy systematically and it has been reported that one Mr. Vitali Jourkins, Councillor of the Soviet Embassy, whose name has been included in the official diplomats' list, is now the liaison between Moscow and the Communist Party of India and he send regular messages to "Radio Peace and Progress". . . .

An Hon. Member : Shame, shame.

Shri D. N. Patodia : . . . . and I have been told that this is an information which is in the knowledge of the Home Ministry and they are watching his activities.

The other method which they have now adopted is that they are preparing for the next elections. They have openly condemned the dismissal of the West Bengal Government in the "Radio Peace and Progress" programme. (**Interruptions**
They have also openly condemned this in the 'Radio Peace and Progress and they have suggested that whatever has hppened in West Bengal is reactionary and is not proper. I think that explains the Communist Party's demand for mid-term elections in West Bengal because they want to link up mid-term elections with Soviet propaganda and Soviet assistance. (**Interruptions**).

Shri Nambiar : Nobody can give a speech.

Shri D. N. Patodia : Now my question is : whether the Government of India has made proper investigations into all the facts that I have mentioned and what is the result of those investigations ? That is no. 1.

No. 2. **Novesti** which has been associating itself with these activities about which sufficient proof is there and with which PIB has entered into an agreement recently. . . . (**Interruptions**)—**Is the Government of India prepared to revoke that agreement**? No. 3—Is the Government prepared to disband all such associations which have been associating themselves with these activities? No. 4 is: whether the Government of India is prepared to appoint a Parliamentary Committee to go into all these investigations? (**Interruptions**)

Shri Nambiatr : He must be made the Chairman of that Committee.

Shri D. N. Patodia : I accept it. (**Interruptions**)

Shir Jyotirmoy Basu : **rose.**

Mr Deputy Speaker : Mr Basu, let us hear the Home Minister now.

Shri Y. B. Chavan : Sir, as far as these 'Peace and Progress Radio' broadcasts are concerned, certainly we have taken up this. matter with the appropriate Soviet authorities and some questions were put in this hon'ble House and informations was given that they have agreed to consider these matters Naturally, if any foreign broadcast propaganda casts any reflection on the national leaders of our country, we have to protest against such matters.

Shri Hem Barua : They have been doing that.

Shri Y. B. Chavan : My only point is: **whose activities we are watching, I do not think I can disclose that information here.** It Should not.

I would only make one point, Sir. It is expected that the friendly countries should not interfere in any of our political activities and it is their claim too that they are not doing that. But, certainly, we would wish them not to interfere. But, at the same time, I think if should not allow our country to become a fighting ground for any cold war propganda we any of the foreign countries. They possibly might do that. Despite our wishes about it, ohey possibly might do it. It will be the duty of all political parties in this country not to get tnfluenced by this matter, Ultimately, we have to strengthen our base in this matter and we will have to fight our political live on the merits and demerits of our own political views.

Shri D. N. Patodia: But we are permitting it without any objection.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अभी तक देश के घरेलू मामलों में अमरीकी हस्तक्षेप की चर्चा होती थी । अब सोवियत हस्तक्षेप के कुछ प्रमाण सामने आ रहे हैं। सारा सदन इस बात को स्वीकार करेगा कि एक स्वतंत्र और प्रभुतासम्पन्न देश के नाते हम इस तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे वह किसी भी देश की तरफ से हो । लेकिन मुझे गृह मंत्री का वक्तव्य सुनकर बड़ी निराशा और आश्चर्य हुआ है । इस सम्बन्ध में समाचारपत्रों में जो खबर छपी है, उन्होंने उसका हवाला तो दिया है, लेकिन यह बताने का कष्ट नहीं किया कि वह खबर सही है या गलत । प्रेस रिपोर्ट में कहा गया है :

"Mr Loginov has described how a high-ranking K.G.B. officer, whose real name was Mr. Lyudin, was sent last year as a political counsellor in the Soivet Embassy in Delhi where, under the assumed name of Mr Yuri Modin, he organised Soviet Union's 'election campaign.'

क्या गृह मंत्री महोदय इस बात को स्वीकार करते हैं कि मि० माडिन के नाम से सोवियट एम्बेसी में कोई कांसेलर थे ? मेरे पास भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एक पुस्तिका है, जिसमें राजदूतावासों में काम करने वाले कर्मचारियों के नाम हैं । इसके पृष्ठ 93 पर यूनियन आफ सोवियट सोशलिस्ट रिपब्लिक्स के नीचे दिया हुआ है : "कांसेलर : मि० यूरी आई० माडिन, फ्लेट नम्बर 16, हाउस 4, रेजिडेंशल बिल्डिंग्ज आफ दि यू० एस० एस० आर० एम्बेसी, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-21"

आरोप ये लगाये जा रहे हैं कि मि० माडिन के० जी० बी० के एक ऊँचे अफसर थे। यह चुनाव के दिनों में दिल्ली में आए, गर्मी से लेकर वसन्त के बीच में रहे और उन्होंने यहां ऐसे काम किये, जिनसे हमारा चुनाव प्रभावित हो।

क्या गृह मंत्री के ध्यान में यह बात भी आई है कि मि० माडिन के नाम को ले कर कुछ जाली पत्रों की चर्चा हो रही है। यह मामला बहुत गम्भीर है। मैं गृह मंत्री से चाहता हूँ कि वह बिल्कुल ठोस जानकारी के आधार पर स्पष्ट और दो-टूक उत्तर दें। क्या उनके ध्यान में यह बात आई है कि मि० माडिन के नाम को लेकर कुछ जाली पत्रों की चर्चा हो रही है? एक जाली पत्र बम्बई में अमरीका के कान्सुलेट के कौंसेलर-जेनेरल की ओर से अमरीकी एम्बेसेडर को लिखा गया। एक पत्र ब्रिटिश हाई कमिश्नर के नाम से लिया गया, जिसमें श्री पाटिल से ले कर, और कांग्रेस नेताओं को ले कर, गम्भीर आरोप लगाए गए हैं। क्या गृह मंत्रालय ने इस बात की जांच की है कि ये जाली पत्र लिखने वाला कौन था।

गृह मंत्री ने कहा है कि हम एलेज्ड इन्टरफीयरेंस की जांच कर रहे हैं। यह "एलेज्ड" क्या है? यह जो "रेडियो पीस एंड प्राग्रेस" प्रोग्राम चल रहा है, वह सोवियत भूमि से चल रहा है। क्या कोई इससे इन्कार कर सकता है? कोई इससे इन्कार नहीं कर सकता है।

Mr Speaker : But the hon. Minister has said that Government have already protested and written to that Government.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जब सरकार विरोध कर रही है, तो फिर "तथा-कथित हस्तक्षेप" की बात कहने का क्या मतलब है?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने उसके बारे में नहीं कहा हैं।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर मंत्री महोदय किसी और प्रमाण में न भी जायें, तो भी यह जो "रेडियो पीस एंड प्राग्रेस" कार्यक्रम चल रहा है, वह भारत के घरेलू मामलों में खुला हस्तक्षेप है और सहअस्तित्व के सिद्धान्त के खिलाफ है। भारत सरकार विरोधपत्र देने के बजाये रूस को यह क्यों नहीं कहती कि अगर यह प्रोग्राम बन्द नहीं किया गया, तो यह एक अमंत्रीपूर्ण कार्यवाही समझी जायेगी और इससे हमारे और रूस के सम्बन्धों को धक्का लगेगा?

मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि हम सोवियत रूस से मित्रता चाहते हैं और सोवियत रूस हमारी जो सहायता कर रहा है, उसके लिए हम आभारी हैं, मगर वह हमारे स्वाभिमान, हमारी स्वतंत्रता और हमारी प्रभुसत्ता पर आघात नहीं कर सकता। न हम रूस को यह काम करने देंगे और न अमरीका को।

Shri Y. B. Chavan: I entirely agree with the hon. Member about the sentiment that be has expressed in the last part of his statement. I did not say about the alleged interference as far as the radio was concerned. I have said that we have taken up this matter with them but about the other matters, naturally, when I have not got the text of the statement with me, I just cannot say anything about it.

It is a fact that an officer of the name of Mr. Yuri I. Modin, mentioned in the news items etc. was an officer who was designated as a counsellor, and he was in India between 12th July, 1966 and 22nd April, 1967. That is a fact. But **that fact would not authorise me to say whether what is alleged is right or wrong.** This fact is true and we know about it.

Certain other allegations also are made, but unless we come to any conclusion with proper evidence, I think it would be very unfair, in view of our relationship with other countries, friendly countries, both America and Soviet Russia, to make any authoritative statement on the floor of the House. That is my main difficulty.

Shri D. N. Potodia : On a point of order.....

Mr. Speaker : There is no point of order now.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब कहां दिया गया है ? क्या भारत सरकार सोवियत रूस से यह कहने के लिए तैयार है कि यह हस्तक्षेप बन्द होना चाहिए, नहीं तो यह अनफ्रेंडली एक्ट समझा जायेगा ?

Mr. Speaker : The hon. Minister has already said that it should stop whether it be from America or from Russia.

Shri Ranga : It is an omnibus answer which he has given. But the hon. Member had asked a specific question.

Mr. Speaker : He has already said that it should stop whether it be from America or from Russia.

Shri Y. B. Chavan : I did say that.

Shri D. N. Patodia : Information is being concealed.

Shri Kanwar Lal Gupta : Is the hon. Minister prepared to say that it is an unfriendly act? Let him stand up and say it.

Shri D. N. Patodia : Information is being concealed. The news item was published on the 4th and today is the 7th, and already about three days have elapsed, and yet in information has not been collected. How does the hon. Minister explain it ?

श्री य० द० शर्मा : अध्यक्ष महोदय,....

Shri Hem Barua : I do not want to put any question, but I just want to have a clarification from you. We had tabled a calling attention-notice.....

Mr. Speaker : Let this calling-attention-notice be over first.

Shri Hem Baerua : We had tabled a calling-attention-notice about the involvement of Mr. Modin, but you had disallowed that But now this question has cropped up.....

Mr. Speaker : Let this be over now. The hon. Membr can write to me or meet me later on in regard to whatever calling-att ention-notice he wants me to take up. Several

notices are received, and do reject some and allow some others. Unfortunately, I am in that position.

Shrimati Sucheta Kripalani : May I seek a clarification?.....

Mr. Speaker : Let this be over first.

Shrimati Sucheta Kripalani : I do not want to put any question, but I only want to have a clarification... Was that not the election period? Is it the normal rule to allow such things to go on during that period?.....

Shri Y. B. Chavan : *rose*

Mr Speaker : The Home Minister shall not answer this question. I want to be very strict.

श्री यज्ञदत्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि यह जो प्रचार रूस द्वारा चल रहा है और भारत सरकार ने जिस प्रचार के लिए कुछ आपत्ति उठाई है क्या वह निश्चित रूप में उस प्रचार को अमैत्रीपूर्ण मानते हैं ? क्या वह अपनी नीति के अन्दर उस प्रचार को अमैत्रीपूर्ण समझते हैं हमारे देश के लिए और इस देश की आंतरिक शांति और चुनाव आदि व्यवस्थाओं के अंदर सीधे तौर पर इसे हस्तक्षेप मानते हैं ?

(2) यह जो इस प्रकार की चीजें हैं जिनके प्रमाण अभी माननीय सदस्यों ने यहां दिए और इसके अतिरिक्त अभी अभी हमारे देश के पी० आई० बी० ने रूस की एक एजेंसी के साथ वहां के साहित्य के प्रचार का एक समझौता किया है और इसके साथ साथ जो अभी अभी रूस की क्रांति की पचासवीं वर्षगांठ के ऊपर प्रधान मंत्री महोदय वहां पधारी, इन सारी बातों से क्या देश के लोग यह समझने के लिए मजबूर नहीं हैं कि हमारी सरकार की कमजोरियों के कारण या उसकी इच्छाओं के कारण यह सब हो रहा है ?

Shri Y. B. Chavan : As I said, about this radio broadcast, we have taken up the matter with the Soviet authorities. And when they have said that it is being considered by them, it would be rash on my part to come to any conclusion as to whether it is a friendly or unfriendl act. The matter is now between the two friendly counries.

It is absolutely wrong to say that because of the weakness of the Government of India, these people are doing this.....

Shri D. N. Patodia : Are they considering the objection ?

Shri Y. B. Chavan : I would still make an appeal. Possibly other coutries might be trying to influence our politics, but it is we who will have to be very cautious about it and not allow cold war propaganda to be taken notice of.

Shri D. N. Patodia : Are they considering it?

श्री यज्ञदत्त शर्मा : अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय यदि इस सदन के सामने अपनी सरकार की किसी स्थिति को स्पष्ट नहीं रखना चाहते, दूसरों देशों से इसका संबंध नहीं है, हमारी सरकार इस प्रचार को किस रूप में ले रही है यह अगर इस महान सदन को नहीं बताते तो मैं समझता हूँ कि देश के साथ धोखा करते हैं।

Shri Y. B. Chavan : Any attempt to interfere in our politics is something very undesirable. I have no doubt in my mind about that.

श्री मृत्युंजय प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, अभी तक तो 4 तारीख के अखबार की ही बात चल रही थी, मेरे हाथ में यह 14 अक्तूबर का करेंट है जिसमें लिखा हुआ है—होम मिनिस्ट्री सिट्स आन इट्स बिगेस्ट स्टोरी—इसकी तरफ क्या मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट हुआ है, उसमें यह भी दिया गया है कि 1 करोड़ 60 लाख रुपये रूस ने हिन्दुस्तान में भेजे हैं चुनाव के लिए। क्या इस ओर आपका ध्यान आकृष्ट हुआ है या नहीं ? यदि हुआ है तो क्या इसकी कोई जांच की गई है ?

दूसरा प्रश्न उठता है कि क्या जिस रास्ते वह रुपये भेजे जाते हैं उसके बारे में आपने कोई जांच की है ? मैं दो रास्तों का पता आपको बताता हूँ। उसके बारे में क्या आप जांच करेंगे ? एक तो चीन से और रूस से बहुत बड़ा साहित्य अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं में हिन्दुस्तान में आता है और रुपयों में बेचा जाता है। क्या इसका कोई हिसाब है कि कितनी किताबें आईं, कितनी बिकीं, कितना रुपया यहां बिक्री से मिला और कमीशन काटकर कितना रुपया रूस गया या वह यहीं रह गया? और यहीं रह गया तो क्या चीन और रूस के समर्थक दलों को वह दिया गया या उसका क्या हुआ ? इसी प्रकार रूस की प्रभावी परिधि में पड़ने वाले देश जैसे कि पूर्वीजर्मनी, हंगरी, पोलैंड, बलगेरिया इत्यादि हैं, उनसे सोने की दर से नहीं, पाउंड और डालर के हिसाब से नहीं, बल्कि रुपयों के हिसाब से इस देश में बहुत सा माल आयात होता है। वह यहाँ से जो माल खरीद करते हैं वह भी रुपये में लिया जाता है। क्या इसकी जांच हुई है कि जितने का माल आता है उतना रुपया या उतने ही का माल वहाँ जाता है ? माल के रूप में या नकद के रूप में क्या उतना ही वहां जाता है या नहीं ? यह दो रास्ते बहुत स्पष्ट हैं कि जिनसे पता चल सके कि कैसे रुपये यहां आये और बंट गए।

इसके बाद फिर सवाल उठता है कि जब कि यंग इंडिया में इसके बारे में पूरा ब्यौरा दिया हुआ है, आप चाहेंगे तो मैं करेंट और यंग इंडिया की प्रतियां आपके पास पेश करूंगा, उसमें पूरा हिसाब दिया हुआ है पार्टियों के हिसाब से। तो उसके ऊपर क्या आप कृपा कर के जांच पड़ताल करेंगे ?

दूसरी बात—क्या चुनाव के दिनों में विदेशी पर्यटक चाहे वह रूस के हों, चीन के हों या साम्यवादी देशों के हों, वह उन उन स्थानों में घूमते रहे हैं जिनके नाम पर्यटक स्थानों के लिहाज से ऊंचे नहीं रहे हैं बल्कि चुनाव के लिहाज से ऊंचे रहे हैं ?

इसके बाद क्या सरकार को पता है...(व्यवधान)...मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूँ। जिस समाचार की आप खोज में हैं जो नाम दिए हैं वह नाम जब आप को मिल जायं, विदेशी पत्रों से तो क्या आप कृपा करके उन नामों को सदन के पटल पर रखेंगे ?

Shri Y. B. Chavan : The hon. member as invited my attetion to some article which appeared in the **Current**, **Young India** and some other papers. I think the article which was published by **Young India** most probably was reproduced by **Current.** I can say that this entire question of the use of foreign money in the last general election was a matter of some enquiry by the Intelligence Bureau, about which I had made a statement in the last session that that report is under the examination of the Government. So, the allegations or the reports about the use of money from the Russian side, about the use of money from the American side, in our political life were made, and that matter necessarily requires to be gone into carefully.

श्री मधु लिमये : कितने साल एक्जामिनेशन चलेगा ?

श्री यशवंत राव चव्हाण : जितना वक्त आवश्यक है उतना अवश्य लगेगा वक्त कहना मेरे लिए मुश्किल है ।

I would certainly say that we in the Home Ministry naturally do get information, and we certaily try to find out their **Modus Operandi,** Keep a watch or this matter and' if possible to lay our hands on them, but it is very difficult for me to say whether "A" or "B" did or which **modus operandi** they are using. If I disclose whatever information I have, our further efforts will be frustrated, because we are trying to pursue the matter.

Shri N. K. Somani : It is very unfortunate that the Prime Minister of our country has reduced the status of new Delhi as an extended subrub of Moscow. Otherwise I do not know how we can accept the fact of our Prime Minister associating herself with the distribution of prizes to Indian citizens at the behest of **Pravda.** I put it to you that we have 56 Ministers in this Cabinet, and any one of the Deputy Ministers could have very well done this function. Actions and policies like this embolden the Soviet authorities to arrogate to themselves the power of running the internal affairs of this country. If by leaders and in this Parliament a lot of serious allegations have been made in respect of Yuri Modin, I would like to ask the Home Minister how long he would take to complete the enquiry in respect of Radio Peace and Progress and pronounce a judgment. I am also surprised at the answer that he gave in respect of Radio Peace and Progress talks I know that before the last election the monitoring unit of All India Radio at Simla sent in a report about the objectionable pronouncements of this radio.

Now, several months have passed after that, and why is the Government still saying that we are holding an enquiry? And on top of it, we have reduced our PIB, to a **chamcha** of Moscow. And it is all going to be one-way traffic, because I am sure that whatever literature and material and propaganda stuff goes from India will be censured and would not be distributed there. I would like to have a specific answer to this question.

Shri Y. B. Chavan : The hon. Member has not asked any question. But he has made a rather irresponsible statement, saying . . . . (**Interruption**).

Shri Ranga : What is this, Sir ? The hon. Member has asked questions ; why should the Minister say he has not asked any question ?

Shri Y. B. Chavan : Instead of giving any information or asking me any question, I must say with all the emphasis at my command that he made an irresponsible statement that New Delhi has become a suburb of Moscow. It is not so. Sometimes some people who want India to be a suburb of Washington possibly think that way. (**Interruptions**)
We do not want to be a suburb of either Washington or Moscow. We do not want either

to be a suburb of Washington or Moscow. We have our independent policy and we would like to follow it with determination.

श्री हुकुम चन्द कछवाय : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक काम रोको प्रस्ताव है—दिल्ली में गिरफ़्तारियों के बारे में. . . .

Shri Kanwar Lal Gupta : I want to raise a point of order. Please permit me to raise it.

Mr. Speaker : On what ?

श्री कंवर लाल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान 260 की ओर दिलाना चाहता हूँ । दिल्ली में कल पुलिस ने बहुत सारे लोगों की गिरफ़्तारी की है, उनको मारा है . . . (व्यवधान) . . . .

Mr. Speaker : I am not obliged to hear new points. Somebody wants to raise something about Delhi arrests, somebody wats to raise something about Hyderabad and so on. How can I allow all these now ?

Shri Kanwar Lal Gupta : The Central Government is responsible for solving the genuine difficulties of the people.

Mr. Speaker : Order, order. It is not possible to see to all those things now.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, हम आपका मार्गदर्शन चाहते हैं, आप जानते हैं. . . .

Mr Speaker : All sorts of things cannot be raised now on the floor of the House. You should tell me inside the Chamber so that I could permit you, if it is an urgent matter to raise it here. But you should not arise like this. I am proceeding to the next item of business.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अच्छा आप कल इजाजत दीजिये ।

Papers Laid on the Table

Annual Report of Indian Oil Corporation Limited and Review by Government.

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghu Ramaiah) :

I beg to lay on the Table :—

(1) A copy of the Annual Report of the Indian Oil Corporation Limited, Bombay for the year 1966-67 along with the Audited Accounts and the comments of the Comptroller and Auditor General thereon under sub-section (1) of section 619A of the Companies Act, 1956.

(2) Review by the Goverment on the working of the above Corporation.

Annual Report of the Damodar Valley Corporation.

The Deputy Minister the Ministry of Irrigation and Power (Shri Sidheshwar Prasad) :

I beg to lay on the Table a copy of the Annual Report of the Damodar Valley

Corporation and Audit Report on the accounts thereof for the year 1965-66, under sub-section (5) of section 45 of the Damodar Valley Corporation Act, 1948.

Notifications under All India Services Act.

The Minister of State in the Ministry of Home Affiars (Shri Vidya Charan Shukla) : I beg to re-lay on the Table a copy each of the following Notifications under sub-section (2) of section 3 of the All India Services Act, 1951 :

(i) G. S. R. 1082 published in Gazette of India dated the 22nd July, 1967, making certain amendments to Schedule III to the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954.

(ii) G. S. R. 1112 published in Gazette of India dated the 29th July, 1967, making certain amendments to Schedule III to the Indian Administrative Srrvice (Pay) Rules, 1954.

(iii) The Indian Police Service (Uniform) Amendment Rules, 1967, published in Notification No. G. S. R. 1113 in Gazette of India dated the 29th July, 1967.

(iv) G. S. R. 1114 published in Gazette of India dated the 29th July, 1967, making certain amendment to Schedule III to the Indian Police Service (Pay) Rules, 1954.

(v) G. S. R. 1117 published in Gazette of India dated the 29th July, 1967, making certain amendments to Schedule III to the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954.

(vi) The Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Thirteenth Amendment Regulations, 1967, pulbished in Notification No. G.S.R. 1119 in Gazette of India dated the 29th July, 1967.

(viii) The Indian Police Service (Appointment by Promotion) Twelfth Amendment Regulations, 1967, Published in Notification no. G. S. R. 1120 in Gazetee of India dated the 29th July, 1967.

Government of India

Ministry of Works, Housing & Supply

Statement by the Deputy Minister for Works, Housing & Supply to correct the answer gtven in connection with the Supplementaries to Starred Question No. 366, in the Lok Sabha on the 30th November, 1967.

In reply to Supplementary Questions to Starred Question No. 366 answered on the 30th November, 1967, regarding bonuses for employees of Ashoka, Janpath, Ranjit and Lodhi Hotels, I informed the Lok Sabha that in Hotel Janpath a bonus of 10% was given, whereas in Ranjit and Lodhi Hotels, only 4% bonus was given. The factual position is that in all the three hotels, namely, Janpath, Ranjit and Lodhi, a 10% bonus was given since all the employees were under the Janpath Hotels limited which controls all the three hotels.

Mr. Speaker : The Home Minister.

Official Languages (Amendment) Bill & Resolution Re: Official Languages

The Minister of Home Affairs (**Shri Y. B. Chavan**) : Sir, I beg to move—(**Interruption**)

Shri Ram Sewak Yadav :***

Mr. Speaker : Nothing will be taken down.

Several Hon. Members : rose.

***Not recorded.

Mr. Speaker : Nothing will be taken down. (**Interruption**). Order, order, Points of order are being raised now. When the Bill was introduced the other day, points of order were raised. I permitted them and the points of order were discussed, in regard to this Bill. The legality and the constitutionality of the Bill were discussed. Now, today, to raise points of order again is not proper. I am not going to allow it, because on that day, I had allowed everybody to speak.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है, आप मेरी बात सुनिये . . . .

श्री मधु लिमये : आप पहले इनकी बात सुनिये। आप पहले ही मना कर रहे हैं।

Mr. Speaker : Mr Limaye has written to me already. He cannot spring a So far surprise on me like that, He has wirtten to me. (**Interruptoin**) have allowed all of you.

Shri A. B. Vajpayee : You did not allow me. I was not even present then. Hon. Members are within their right to make points of order.

Mr. Speaker : I have allowed all the Members, individually.

श्री कंवर लाल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, कोई नया प्वाइन्ट भी हो सकता है। अगर आज मैं एक प्वाइन्ट उठाता हूँ, कल दूसरा भी उठा सकता हूँ—यह मेरा अधिकार है, आप को रोकना नहीं चाहिये, यह रूल्ज के मुताबिक है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : मेरा यह कहना है कि जैसा अभी आपने कहा कि जिस दिन बिल इन्ट्रोडयूस हुआ था, इस बिल में अगर कोई असंवैधानिक बातें थीं तो उस दिन हमने उन पर विचार कर लिया था और न उनके आधार पर हमने यह निर्णय कर लिया था कि इस बिल को विचार के लिये प्रस्तुत किया जाय, लिहाजा अब उस विषय पर कोई बात नहीं सुनी जा सकती —शायद आप यही बात कहना चाहते थे, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के सम्बन्ध में कोई असंवैधानिक बाधा नहीं प्रस्तुत कर रहा हूँ, मैं तो इस बिल के साथ गृह मंत्री जी ने जो एक संकल्प प्रस्तुत किया है, उसके सम्बन्ध में क्या असंवैधानिकता है; उस की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ। इस सदन की यह परम्परा रही है कि दो तरह के संकल्प आते रहे हैं—एक वे होते हैं जो गैर सरकारी सदस्यों की ओर से आते हैं और दूसरे वे होते हैं जो सरकारी पक्ष की ओर से आते हैं—इस तरह से जो सरकारी पक्ष की ओर से आते है और दूसरे जो गैर सरकारी सदस्यों की ओर से आते हैं—उन में अन्तर होता है। इस संकल्प में दो शब्द इस प्रकार के हैं कि जिनके कारण सविधान की जो शपथ आपने ली है और जो शपथ इस सदन के 550 सदस्यों ने ली है–उसको दृष्टि में रखते हुए, आपका भी कर्तव्य है और हमारा भी कर्तव्य है कि इस संविधान की पवित्रता की रक्षा करें। अगर इस संकल्प में कोई इस प्रकार का शब्द है जिससे संविधान की मूल भावनाओं को आघात पहुंचता है, उसके विपरीत हैं तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस पर अपनी व्यवस्था दें कि इस प्रकार का संकल्प इस सदन में प्रस्तुत हो सकता है या नहीं।

पहली बात तो यह हैं कि इस संविधान की धारा 343 को आप पढ़ें, जिसके अन्तर्गत यह निश्चय कर दिय गया है कि संघ की राज्य भाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी है। अब इस संकल्प में, इसकी पहली पंक्ति में यह है कि—अगर इसका हिन्दी अनुवाद सही है तो—संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राज्य भाषा हिन्दी होगी । अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि संविधान के अनुसार और 1965 के राज्य-भाषा संशोधन विधेयक के अनुसार भी सरकार इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि संघ की राज्य-भाषा हिन्दी है । उसमें स्वीकार करने के लिये यह है कि सहभाषा के रूप में अंग्रेजी को सरकार इस समय चला रही है । जब सरकार इसको स्वीकार कर चुकी है और संविधान के अन्तर्गत यह है तो इस संकल्प में ये शब्द नहीं आ सकते कि राज भाषा हिन्दी होगी। इसका अभिप्राय यह है कि सरकार नये सिरे से इस चेप्टर को फिर खोलने जा रही है, जो कि असंवैधानिक है ।

दूसरी बात यह है कि इसी संकल्प में एक स्थान पर यह लिखा है कि लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के सम्बन्ध में देश के किसी भाग के साथ किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं होगा, वहीं पर एक शब्द यह लिखा गया है—आप अन्तिम पैरे से ऊपर पढ़ें, यदि यह हिन्दी अनुवाद सही है तो—कि उम्मीदवारों के चयन के समय हिन्दी का ज्ञान अनिवार्यतः अपेक्षित नहीं होगा। जब संविधान के अनुसार हिन्दी इस देश की राज भाषा हो गई है और सह-भाषा के रूप में केवल अंग्रेजी है तो आज गृह मंत्री या प्रधान मंत्री या कोई भी सरकार यहां संविधान में संशोधन करें और संविधान में संशोधन करके इस बात को कहें कि 1965 के बाद भी अंग्रेजी प्रमुख भाषा हैं । लेकिन जब तक ऐसा संशोधन नहीं है और 1965 के बाद से अंग्रेजी प्रमुख भाषा नहीं है, इस देश की राजभाषा केवल हिन्दी ही है, तो कोई भी संकल्प सरकार की ओर से इस प्रकार का नहीं आ सकता जिसमें यह हो कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिये हिन्दी को अनिवार्यता नहीं होगी । इन दोनों प्रश्नों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था। दोनों प्रश्न असंवैधानिक हैं, संविधान की धाराओं के विपरीत हैं ।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि नेहरू जी के आश्वासन के आधार पर ऐसा करना पड़ रहा है—इस समय विस्तार से तो मैं नहीं कहना चाहता लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि नेहरू जी की अपेक्षा संविधान बड़ा है, नेहरू जी संविधान से बड़े नहीं हैं ।

For point of order raised by Shri Prakash Vir Shastri pl. see Supplement.

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, जैसा आपने कहा कि यह जो विधेयक प्रस्तुत है—इस विधेयक को हम संवैधानिक मानते हैं या असंवैधानिक मानते हैं, इस पर जब चर्चा चलेगी, तब इसको उठाया जा सकता है तथा मैं यह भी जानता हूँ कि माननीय प्रकाशवीर शास्त्री ने जो इस पर आपत्ति उठाई है, इसके लिये भी आप यही तर्क देंगे कि इस पर चर्चा होने वाली है। मैं कहना चाहता हूँ कि चाहे यह विधेयक हो या जो प्रस्ताव माननीय गृह मंत्री जी ने रखा है, दोनों संविधान की व्यवस्था, मंसा, सब के विपरीत है, उसकी मंसा और व्यवस्था के खिलाफ है। इसमें सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की मंसा का सहारा लिया गया है और मैं साफ कहना

चाहूँगा, इस सदन में आह के द्वारा निवेदन करूँगा कि क्या किसी व्यक्ति विशेष की मंसा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से भी बड़ी हो सकती है और जबकि हमारे संविधान में यह व्यवस्था हो। राष्ट्रपिता ने कहा था—अगर हमारे हाथ में तानाशाही के अधिकार हों, तो मैं एक क्षण में अंग्रेजी को खत्म कर दूँ।

राम सेवक यादव (जारी) : मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि केन्द्र की कांग्रेस सरकार ने इस विधेयक द्वारा राज-भाषा पद पर अंग्रेजी को कायम रखने का प्रयास किया है और हम देख रहे हैं कि सरकार के इस कुप्रयास का हर जगह किस तरह विरोध हो रहा है और आम जनता में इसको लेकर किस कदर एक व्यापक असन्तोष की लहर फैल रही है और मैं कहना चाहता हूँ कि यह जो घटनाएं घट रही हैं उसके लिए यह केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार है चाहे वह घटनाएं बिहार में घट रही हों या उत्तर प्रदेश में घट रही हो या और कहीं घट रही हों (व्यवधान)

Mr. Speaker : Is the hon. Member making a speech? Mahatma Gandhi does not come in the point of order.

राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आप को आश्वासन देता हूँ कि मैं किसी के बोलने में कोई बाधा नहीं डालूंगा हाँ वे लोग जिनकी मातृभाषा हिन्दी है वे यदि अंग्रेजी में बोलते हैं तो बात और है।

मैं यह निवेदन करूंगा कि यह जो लोग कह रहे हैं कि हम हिन्दी लादना चाहते हैं तो मैं यह कह देना चाहता हूँ कि ऐसी न तो हमारी मंसा है और न इरादा है। हम किसी के ऊपर हिन्दी लादना नहीं चाहते। साथ ही साथ मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब देश की एकता का प्रश्न उठाया जाता है तो मैं कहना चाहूँगा कि अगर देश की एकता के लिए अंग्रेजी को बनाये रखने की बात होगी.....

Shri N. Sreekantan Nair (Quilon) : Sir, it is not a question of one man. It is a question of unity of India. If you want us in the Indian Union you will have to give us our due rights. You cannot ride over us. You cannot be imperialists Over us. We should not allow it. We are not here by anybody's courtesy (**Interruptions**).

Mr. Speaker : Order, Order. It is a point where tempers will rise high. Still, when you have an opportunity to discuss, everybody must be given an opportunity to express his views.

श्री हुकुम चन्द कछवाय : आप यह राजभाषा (संशोधन) विधेयक वापिस करवा दें तो सब ठीक हो जायगा वरना गड़बड़ी और भी बढ़ने वाली है।

Shri Nambiar (Tiruchirappalli) : This point of order was raised and discussed the other day. Every day the same point is raised.

Every day we cannot allow it. There is a limit to everything.

Mr. Speaker : A point of order has been raised. Ample time has been given for this Bill. It is not that all the 522 Members will speak on this. Twelve hours have been allotted for this Bill. Again the Business Advisory Committee is meeting today at 4.45 P.M. We will

be discussing again about the time and all that. Therefore, if one section tries to disturb the other section it leads us nowhere. Shri Prakash Vir Shastri has raised a point of order. Whether Shri Yadav is supporting it or opposing it I do not yet know. He is still on Mahatma Gandhi, Lala Lajpat Rai and others. When he comes to the point of order we will know. I would now request him to come to the point of order. Let us quietly hear him. Let not anybody distrub when others are speaking. Everybody has to place his point of view.

श्री राम सेवक यादव : हमें डर है कि कभी यह भी कहा जायगा कि विदेशी हुकूमत करो तभी देश एक रहेगा। मैं यह कह रहा हूँ कि सारे देश में इस प्रश्न को लेकर जो भाषा सम्बन्धी चीज आज से बहुत पहले सन् 50 में तय हो गई थी, संविधान में वह स्पष्ट तौर पर लिख दी गई थी आज इस विधेयक को लाकर उसमें सरकार आग लगा रही है। यह जो व्यापक असन्तोष सर्वत्र फैल रहा है उसके लिए केन्द्र जिम्मेदार है। यह जो भाषा विधेयक भारत सरकार के गृह मंत्री ने रक्खा है उसको लेकर सारी दिल्ली की जनता में विक्षोभ है एक असन्तोष है। कल दिल्ली में सब जगह हड़ताल थी और कल जनता के चुने हुए नुमायन्दों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। इसलिए पहले तो यह जो सारे वातावरण को सारे काम काज को रोक कर आग लग गई है उस पर बहस होनी चाहिए। उसके बाद इस बात पर विचार किया जा सकता है कि विधेयक पर विचार हो सकता है या नहीं लेकिन पहले उस हमारे कामरोको प्रस्ताव पर चर्चा की जाय।

श्रीमती सुचेता कृपलानी : शास्त्री जी ने दो बातों की तरफ ध्यान दिलाया है उन दोनों के विषय में मैंने संशोधन दिये हैं और मैं आशा करती हूँ कि उनको वह मंजूर करेंगे।

श्री मधु लिमये : अभी संशोधन का सवाल नही है बल्कि व्यवस्था का सवाल है।

डा० गोविन्द दास : अभी सुचेता जी ने कहा कि उन्होंने संकल्प के सम्बन्ध में दो सुझाव भेजे हैं लेकिन मेरा आप से निवेदन है कि प्रकाशवीर शास्त्री जी के मतानुसार कि जिस मत का मैं समर्थन करता हूँ, यानी संकल्प ही गैरकानूनी है। अगर संकल्प गैरकानूनी है तो उसमें सुधार का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। आप को पता है कि उस संकल्प के आरम्भ में जो कुछ कहा गया है और उसके बाद जो कुछ कहा गया है वह दोनों बातें ऐसी हैं कि जिससे संकल्प गैरकानूनी, अनकांस्टीट्यूश्नल, संविधान के विरुद्ध सिद्ध होता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जब संकल्प ही गैरकानूनी है, संविधान के विरुद्ध है तब सुधार का प्रश्न कहाँ से उपस्थित होता है? यह बात मैंने जब विधेयक आया उस समय भी यही बात मैंने यही बात कही थी और आज मैं फिर कहता हूँ कि कुछ ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो रही हैं जिनसे केवल दिल्ली में ही नहीं वरन् सारे देश में एक क्षोभ हो गया है। उत्तर प्रदेश में देखिये दिल्ली में देखिये सब जगह देखिये इस तरह की घटनाएं घट रही हैं और असन्तोष भड़क रहा है इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार को इस गैरकानूनी विधेयक के संकल्प को वापिस ले लेना चाहिए।

Mr. Speaker : You are the senior-most Member of this House. Yet, you are making a speech on a point of order. Will you kindly sit down. You shuld set an example to other Members.

Shri A. K. Sen : On this point of order may I make a few submissions ? When the whole Constitution was adopted on the 26th January 1950, article 343 read that as from the date of 26th January 1950 the official language of the Union shall be Hindi in Devangari script. If it had been drafted in any other way, say instead of the word "shall" the word "is" was there, it would have meant that on that day it may be Hindi in Devangari script but in future it might be something else. So, those who are rasing this point of order do not know that they are destroying their own argument. Then, in future it would be open to anybody to change it. (**interruptions**) They donot know what they are saying ?

श्री जार्ज फरनेन्डीज : बिलकुल गलत बोल रहे हैं ।

श्री य० द० शर्मा : यह बड़े खेद का विषय है कि कानून के पंडित भाषा को तोड़ मरोड़ कर इस तरह का अर्थ कर रहे है और उन्हें इस के लिए लज्जा आनी चाहिए .....

Shri A. K. Sen : Those who drafted the Constitution were able lawyers.

Shri S. M. Banerjee : I am speaking on the point of order raised by Shri Prakash Vir Shastri. The Resolution reads like this :

जबकि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी होगी ।

After notice of it was given, I saw some notice of amendment to the effect that for "shall" read 'is". This amendment was given notice of by Shrimati Sucheta Kripalani and others. I would only request, let us not quibble on this. Shri Asoke Sen has quoted something; he wanted to prove that the word "shall" is the proper word used, though it says that the language is Hindi. Just to cut short all this, I would suggest that Shri Chavan should accept this amendment and he should move the amendmed motion. He should say, भाषा हिन्दी है न कि होगी ।

Shrimati Sharda Mukerjee (Ratnagiri) : In continuation of what Shri Asoke Sen said, the word "shall" is a mandatory word. When you say, "Thou shall not kill", it means, you will not kill either today or tomorrow. The word "shall" is not in the future ; the future is "will". "You will do this" is in the future ; "You shall do this" is a mandatory one.

Shri Bal Raj Madhok (South Delhi) : I rise to support the point of order of Shri Prakash Vir Shastri. In the Constitution the word "shall" has been used . In the English language the word "shall" has a certain connotation. The word "shall" was used when the Constitution was framed and it was said that after 15 years this will come into force ; therefore, the words "shall be" were put there. But now the 15 years are over and officially Hindi has become the official language of the country. Therefore when a Resolution is brought forward in 1967 the words "shall be" cannot be used ; the word should be "is". We are referring to the Resolution in Hindi, not in the English language. The phraseology and connotation of a particular word in the English language do not apply to Hindi. When a Resolution is given in Hindi, the proper word should be used.

The second point that Shri Prakash Vir Shastri has raised is about the words that anyone entering the service need not have compulsory knowledge of Hindi. When Hindi is the official language, how can a man enter the service of the country without the knowledge of Hindi? Therefore this also is unconstitutional.

On both these counts the point of order of Shri Prakash Vir Shastri should be upheld.

Shri A. K. Sen : The real difficulty is.....

Shri Kanwar Lal Gupta : Why should he speak again ?

Shri A. K. Sen : because of wrong translation of the English word "shall' ' in Hindi. It should have been translated as "rahegi" instead of "hogi". "Rahegi" would have been the proper translation.

श्री अमृत नाहटा (बाड़मेर): माननीय सदस्य श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसमें मुझे काफी वजन नजर आता है। यह बात सही है कि प्रस्ताव में जो यह शब्द इस्तेमाल किया गया है कि हिन्दी भाषा होगी वह हमारे संविधान की आत्मा के प्रतिकूल है । इसी प्रकार श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने यह जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि हिन्दी अनिवार्य नही होगी वह भी हमारे संविधान की आत्मा के विरुद्ध है । लेकिन ये दोनों बातें पूरे प्रस्ताव के दो छोटे से अंश हैं इसलिए जब हम इस प्रस्ताव पर विचार करें उस वक्त यदि श्री प्रकाशवीर शास्त्री कहें कि इनमें ये संशोधन किये जायें क्योंकि ये अंश संविधान के खिलाफ हैं तो मेरा विश्वास है कि सरकार को उन संशोधनों को स्वीकार करना पड़ेगा और हम उनका समर्थन करेंगे । लेकिन चूंकि ये दो भाग संविधान की आत्मा के खिलाफ है इस आधार पर यदि यह कहा जाय कि पूरा का पूरा संकल्प जो है उस पर विचार ही न करें और यह सदन या सदन के अधिकारों की परिधि के बाहर है तो इस विचार से मैं सहमत नहीं हूँ। इसलिए मै उनसे मैं निवेदन करूँगा कि प्रस्ताव पर बहस को वह चलने दें ।

Mr. Speaker : Now we are adjourning for launch and at 2 o'clock we will beging the discussion on the Bill and the Resolution and the technicalities also.

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Fourteen of the Clock.

(Mr. Deputy Speaker in the Chair).

Shri Kanwar lal Gupta : Sir, I want to raise a point of order.

Some Hon. Members : rose—

Mr Deputy Speaker : All of you please resume your seats. I will permit everyone **(Interruptions)** Please resume your seats. Let us follow the procedure.

श्री नाथपाई (राजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

Mr. Deputy Speaker No, no. I was in the House. when the points of order were being raised. I am following a procedure under Rule 376 that we are following here. If I have followed correctly, the Home Minister just referred to the Bill. The Resolution was not placed beore the House and before that some points of order were raised on the Resolution. **(Interruptions)**.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : इसमें लिखा है कि बिल और रेजोल्यूशन एक साथ लिये जायेंगे ।

Shri Manoharan (**Madras North**) : **rose**—

Mr. Deputy Speaker : He may please resume his seat. He is quite maticulous about procedures. He may resume his seat. Let the Home Minister move the Resolution and before he makes a speech or I say that the discussion might start, I will permit the hon. Member. Let the Home Minister first move the Resolution because, as it is, there is nothing before the House.

श्री राम सेवक यादव : उपाध्यक्ष महोदय, आप मंत्री महोदय को बुलाने से पहले मेरा निवेदन सुन लें । मेरा कामरोको प्रस्ताव है, व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

Mr. Deputy-Speaker : This is not fair. All the hon. Members may please resume their seats. Let the Home Minister move his Resolution first.

Shri Manoharan : I have nothing to do with the Bill (**Interruptions**) :

Some Hon. Members : **rose**—

Mr. Deputy Speaker : All the hon. members may please sit down. Let the Home Minister move his Resolution first..

Shri Manoharan : I have nothing to do with the Bill. Please allow me to speak....

श्री कंवरलाल गुप्ता : मैंने सबसे पहले पायंट आफ आर्डर उठाया था । आप मुझे पायंट आफ आर्डर उठाने की इजाजत दीजिए ।

Mr. Deputy-Speaker : I will permit him later. Let him move the Resolution.

Shri Manoharan : I have nothing to do with the Bill. I just want to draw the attention of the hon. Home Minister to this fact. I have just hnow received information that the Madrasi Schools in Delhi have been raided by the student population in Delhi.

An Hon. Member : Bengali Schools also.

Shri Manoharan : Yes, Bengali Schools also, and certain sudents of South Indian origin have been attacked here....

श्री मधु लिमये : बहुत बुरा हुआ ।

Shri Manoharan : I can prove this.

Three days back, three MLAS from Madras came to attend a Co-operative Conference in Delhi and they wanted to go to Agra ; on the way, these people were beaten down and the name-plate was removed. I am told that the nest target of attack is the Members of Parliament representing South India. (**Interruption**) The Home Minister may give us protection. (**Interruption**) I cannot understand this. This is the position.

श्री मधु लिमये : पहले हम मार खायेंगे । माननीय सदस्य न घबरायें ।

श्री हुकुम कन्द कछवाय : यह सदन को गुमराह कर रहे हैं । यह गलत बात है । किसी ने ऐसा नहीं किया है ।

Mr. Deputy-Speaker : Mr Maonharan has related certain incidents and the Home Minister will take note of them. He may now move his Motions.

Shri Nambiar : I have seen the boy beaten. A boy living in my house came back beateen from the school....

Mr. Deputy-Speaker : The Home Minister may move this Motions.

Shri Y. B. Chavan : I move :

"That the Bill to amend the Official Languages Act, 1963, be taken into consideration."

I also move the following Resolution :—

'WHEREAS under article 343 of the Constitution Hindi shall be the official language of the Union, and under article 351 thereof it is the duty of the Union to promote the spread of the Hindi language and to develop it so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India ;

This House resolves that a more intensive and comprehensive programme shall be prepared and implemented by the Government of India for accelerating the spread and development of Hindi, and is progressive use for the various official purposes of the Union, and an annual report giving details of the measures taken and the progress achieved shall be laid on the Table of both Houses of Parliament, and sent to all State Governments ;

2. WHEREAS the Eighth Schedule to the Constituton specifies 14 major languages of India besides Hindi, and it is necessary in the interest of the educational and cultural advancement of the country that concerted measures should be taken for the full development of these languages ;

This House resolves that a programme shall be prepared and implemented by the Governmcnt of India, in collaboration with the State Governments, for the co-ordinated development of all these languages, alongside Hindi so that they grow rapidly in richness and become effective means of commnicating modern knowledge;

3. WHEREAS it is necessary for promoting the sense of unity and facilitating communication between people in different parts of the country that effective steps should be taken for implementing fully in all States the three-language formula evolved by the Government of India in consultation with the State Governments ;"

"This House resolves that arrangements should be made in accordance with that formula for the study of a modern Indian language, preferably one of the Southern languages, apart from Hindi and English in the Hindi-speaking areas, and of Hindi alongwith the regional languages and English in the non-Hindi-speaking areas ;

4. And, whereas, it is necessary to ensure that the just claims and interests of persons belonging to non-Hindi-speaking areas in regard to the public services of the Union are fully safeguarded ;

This House resolves—

(a) that compulsory knowledge of Hindi shall not be required at the stage of selection of candidates for recruitment to the Union services or posts excepting any special services/posts for which a high standard of Hindi knowledge may be considered essential for the satisfactory performance of the duties of the service or post ; and

(b) that all the languages included in the Eighth Schedule to the Constitution and English shall be permitted as alternative media for the All India and higher Central Services examinations after ascertaining the views of the Union Public Service Commission on the future scheme of the examinations, the procedural aspects and the timing."

Shri Kanwar Lal Gupta : On a point of order, Sir.

Mr. Deputy Speaker : Let him conclude.

Shri Y. B. Chavan : Sir, the Bill relates.....

Shri Kanwar Lal Gupta : He is making a speech, Sir.

Shri Y. B. Chavan : I would certainly like to make a few observations.

Shri Kanwar Lal Gupta : rose.

Mr Deputy Speaker : He is not making a major speech. He is just explaining.

Shri Kanwar Lal Gupta and **Shri Nath Pai** : rose.

Mr. Deputy Speaker : He has resumed his seat. Mr. Gupta, I will permit you. But let us have some order while disposing points of order. No. 1, according to Rule 376, certain specific procedure is there. That must be followed while raising a point of order. I will permit one Member from each Group. If it is repetitive, then, of course, I will have to stop there ; otherwise, points of order will be endless.

I will call Mr. Gupta first, and later on call Mr. Nath Pai.

श्री कंवरलाल गुप्ता : उपाध्यक्ष महोदय, आप को धन्यवाद है.....

Shri Mohammed Imam : Has the Home Minister finished his speech ?

Mr. Deputy Speaker : He will make his speech later, on, but when he has moved the resolution, they have a right to raise a point of order.

श्री कंवरलाल गुप्ता : जहां तक देश की भाषा का सवाल है.....

श्री शिव नारायण : उपाध्यक्ष महोदय, श्री प्रकाशवीर शास्त्री का प्वाइंट आफ आर्डर खत्म हो गया ?

Shri Kanwar Lal Gupta : Sir, this is a point of disorder. इनको रोकिए ।

Shri Sheo Narain : Who are you ?

Mr. Deputy Speaker : Mr Sheo Narain, please resume your seat.

Shri Sheo Narain : Sir, I have a right to speak.

श्री कंवरलाल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, भाषा के सम्बन्ध में जो व्यवस्था विधान में की गई है वह आर्टिकिल 343 के तहत की गई हैं और 343 में यह लिखा है :

'The official language of the Union shall be Hindi in Devanagari script.'

इसके आगे एक प्राविजो है जिसमें लिखा है :

"Notwithstanding anything in clause (1), for a period of fifteen years from the commen-

cement of this Constitution, the English language shall continue to be used for all the official purposes of the Union for which it was being used immediately before such commencement"

तो यह दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, उसमें यह लिखी गई है कि जब यह विधान बनेगा उसके बाद 15 साल तक अंग्रेजी भी लागू रहेगी और इसके आगे एक तीसरा है :

"Notwithstanding anything in this article, Parliament may by law provide for the use, after the said period of fifteen years, of the English language....for such purposes as may be specified in the law".

इसमें यह कहा गया है कि 15 साल के बाद भी पार्लियामेंट एक कानून बना सकती है जिसमें यह कहते हैं कि अंग्रेजी भी कुछ कामों के लिए रह सकती है । इसका मतलब यह है कि 15 साल तो बीत गए । अब उसके बाद हिन्दी के ऊपर किसी प्रकार का भी प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिए । आर्टिकिल 8 में कहा गया है कि अंग्रेजी भी चाहें तो अंग्रेजी भी आ सकती है, कुछ कामों के लिए आ सकती है, यह विधान में है । और दूसरी चीज विधान में यह है कि आहिस्ता आहिस्ता हिन्दी देश की राष्ट्र भाषा बनेगी ।

उसके बाद आर्टिकिल 344 में यह कहा है कि राष्ट्रपति 5 साल के बाद एक कमीशन बनाएगा । मैं आप की आज्ञा से उसे पढ़ देना चाहता हूँ ।

Ma. Deputy-Speaker : I know that. The hon. Member's point of order now can refer only to that artilce or section which is referred to in this resolution.

श्री कंवर लाल गुप्ता : आप मुझे थोड़ा टाइम दें ।

आर्टिकिल 344 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति पांच साल के बाद एक कमीशन बनाएगा । उसके बाद दस साल के बाद एक कमीशन बनाएगा । लेकिन एक ही कमीशन बना और इन्होंने विधान का वायलेशन किया । दूसरा कमीशन नहीं बनाया । इससे बाद कमीशन की जो रिपोर्ट आई वह यह कि यह सदन और दूसरा सदन मिल कर एक कमेटी बनाएगा और उसकी सिफारिश होगी । उसके बाद राष्ट्रपति किस प्रकार से आहिस्ता आहिस्ता हिन्दी आ सकती है 15साल के बाद या 15 साल तक वह क्या हिदायतें राष्ट्रपति देगा यह आर्टिकिल 344 (6) में लिखा हुआ है ।

अब इसका मतलब यह है कि विधान बनाने वालों की नीयत यह साफ थी लेटर ऐंड स्पिरिट दोनों में कि आहिस्ता आहिस्ता हिन्दी आनी चाहिए । पाँच साल में आये, दस साल में आये । ज्यादा से ज्यादा 15 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए । लेकिन अंग्रेजी भी 15 साल के बाद कुछ कामों के लिए हो सकती है । मगर अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल है और जो प्रस्ताव रखा गया है यह विधान की स्पिरिट के खिलाफ तो है ही साथ ही यह जो 344 (6) में पावर्स दी हुई है राष्ट्रपति को उसके ऊपर भी पाबन्दी लगाता है । मैं बताता हूँ किस तरह से पाबन्दी लगाता है । पहला बिल भी जो पास हुआ 1963 में भी और इस में भी जो प्राविजो रखा गया है आखीर में देखिए तीसरा क्लाज है :

"To sub-section 4 of section 4 of the principal Act. the following proviso shall be added, namely :—

"Provided that the directions of so issued shall not be inconsistent with the povision of section 3".

और सेक्शन 3 में अध्यक्ष महोदय, यह लिखा हुआ है कि अंग्रेजी भी सब परपजेज के लिए होगी। सेक्शन 3 मैं पढ़े देता हूँ :—

"Notwithstanding the expiration of the period of fifteen years from the commencement of the Constitution, the English language may, as from the appointed day, continue to be used, in addition to Hindi :

(a) for all the official purposes of the Union for which it was being used immediatey before that day and (b) for the transaction of business in Parliament".

इसका मतलब यह हुआ कि यह जो बिल मंत्री जी ने रखा है उसका कहना यह है कि कोई ऐसी डाइरेक्शन ईश्यू नहीं की जायगी जिससे कि अंग्रेजी के ऊपर कोई पाबन्दी लगे। यह एक चीज है। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि इस बिल के अन्दर अंग्रेजी रख दिया। एक तो यह है कि सभी चीजों के लिए अंग्रेजी रख दिया। कुछ स्पेसीफिक परपज होना चाहिए। वह स्पेसीफिक परपज इन्होंने बताया नहीं। इन्होंने कहा कि सब चीजो के लिए है। यह विधान के खिलाफ है।

Mr. Deputy-Speaker : His point of order is concerning the resolution and not the Bill.

Shri Kanwar Lal Gupta : I am finishing in two minutes.

Mr. Deputy-Speaker : Let him clinch the issue and finish.

श्री कंवर लाल गुप्ता : दूसरी चीज, अध्यक्ष महोदय, इस बिल में यह साफ तौर से कहा गया है-अंग्रेजी अगर लायी जाय कुछ कामों के लिए तो विधान के अनुसार होगा लेकिन इसमें हिन्दी के लिए पाबन्दी लगाई गई है जो 1965 के बाद इस विधान के मुताबिक हिन्दी पर किसी तरह की कोई पाबन्दी नहीं लग सकती और पाबन्दी इसमें लगाई गई है। एक राष्ट्रपति के ऊंपर और दूसरी पावन्दी लगाई गई है कि हिन्दी में अगर कोई आदमी पत्र लिखेगा तो उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन देगा। अध्यक्ष महोदय, 1965 के बाद अगर कोई आदमी हिन्दी में पत्र-व्यवहार करे यूनियन के किसी दफ्तर के साथ तो उसके ऊपर कोई पाबन्दी लगाना कांस्टीट्यूशन की धारा के खिलाफ होगा और इसके अन्दर यह स्पष्ट लिखा है कि 1965 के बाद भी उसको अंग्रेजी का ट्रांसलेशन देना पड़ेगा। तो अंग्रेजी में कोई पत्र लिखे उस पर पाबन्दी नहीं होनी चाहिए यह तो मैं मान सकता हूँ, इसमें हो सकता है। लेकिन जो हिन्दी में लिखेगा, उस पर अंग्रेजी में भी देने की पावन्दी होगी, यह संविधान के खिलाफ है ....

Mr. Deputy-Spealker : I have followed his point of order.

Shri Randhir Singh : This very point was argued that day. This is repetition.

श्री कंवरलाल गुप्ता : दूसरी चीज, अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस प्रस्ताव में जो यह कहा गया है कि रेक्रूटमेन्ट के लिये, यूनियन सर्विस के लिये हिन्दी जरूरी नहीं होगी, अंग्रेजी जरूरी होगी—यह भी विधान की स्प्रिट के खिलाफ बात है। हिन्दी पर किसी भी प्रकार की पाबन्दी लगाना, विधान के खिलाफ होगा। इसलिये, अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव और यह बिल दोनों मेरे ख्याल से संविधान के खिलाफ है।

श्री नाथपाई (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आप का ध्यान आकर्षित करता हूँ कि कौन से सवालों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। यदि हम यह समझने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि जो सवाल माननीय शास्त्री जी ने उठाया है उस पर तो आपने अभी कोई निर्णय नहीं दिया। श्री कंवर लाल जी ने जो सवाल उठाया है, मैं उसके महत्व को जानता हूँ, मगर जब तक एक सवाल का फैसला नहीं हो जाता, आप उस पर अपना फैसला नहीं दे देते, तब तक दूसरा सवाल नहीं उठाया जा सकता। मेरा अनुरोध है कि आप उसको अपने ध्यान में रखने की कोशिश कीजिये।

अब जहाँ तक इस सवाल का सम्बन्ध है जो कि शास्त्री जी ने उठाया है—मैं बड़ी नम्रता से कहना चाहता हूँ कि मैं न उसका समर्थन करना चाहता हूँ और न विरोध करना चाहता हूँ, परन्तु थोड़ा कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। मैं उसके गुण व दोषों की चर्चा करना चाहता हूँ · · ·

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : प्रकाश तो वे स्वयं हैं।

श्री नाथपाई : मगर फिर भी कुछ अन्धेरा है।

श्री कंवर लाल गुप्ता : कुछ अन्धेरा आप को दिखता है।

श्री नाथपाई : हां, इसीलिये इस पर रोशनी डालना चाहता हूँ।

Mr. Deputy-Speaker : When a point of order has been raised, he can either support it, sponsor it or oppose it. There is no neutral position which can be adopted so far as procedure is concerned.

Shri Chandra Jeet Yadav : It will help the chair.

श्री नाथपाई : उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो बात आपके सामने रखी है, उस पर जैसा मेरे अन्य साथियों ने कहा है, मुझे भी कुछ मोह हो रहा है कि मैं भी उस पर अपने विचार प्रस्तुत करूँ, मगर मैं इस मोह को टालना चाहता हूँ। अब जहाँ तक हिन्दी का सवाल है, हमारी राय जाहिर है इस देश में रानी की है सियत पर सिर्फ हिन्दी रहेगी, दूसरी भाषायें नहीं रहेंगी। अंग्रेजी रहेगी तो दासी के रूप में रहेगी, रानी के रूप में नहीं रहेगी और यह फैसला तो हो चुका है। मै यह जानता हूँ कि कई लोग रानी से दासी को ज्यादा पसन्द करते हैं · · ·

श्री राम सेवक यादव : समाजवाद में दासी नहीं होती है।

श्री नाथ पाई : हमारी पसन्दी की मोहर हमारे स्वाधीनता संग्राम के काल में ही लग

गई थी। हिन्दी का आज का जो हमारे जीवन में स्थान है, वह कानून के द्वारा नहीं बनाया गया है, हमारे लोगों के प्रेम और मोहब्बत के द्वारा बनाया गया है और वह नहीं भुलाया जा सकता है।

Shri N. Shreekantan Nair: What do you prefer ?

श्री नाथ पाई : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ कि हिन्दी के साथ इस देश में हमारी जो अन्य भाषायें हैं, जिनको प्रादेशिक भाषायें कहा जाता है, मगर जो प्रादेशिक नहीं राष्ट्रीय भाषायें हैं, ये भाषायें और हिन्दी–ये रानी के पद पर रहेंगी, अंग्रेजी रहेगी तो नौकरानी के रूप में, इन भाषाओं की सेवा और खिदमत के लिये रहेगी। मुझे आशा है कि अब तो आप उससे सहमत हो जायेंगे।

Shri N. Sreekantan Nair : Not all India. We do not accept it.

श्री नाथ पाई : अभी शास्त्री जी ने जो बात उठाई है चूंकि कोई गलतफहमी न हो जाय इसलिये मैंने इस बात का जिक्र किया उन्होंने "शैल रिमेन" की तरफ ध्यान खींचा है। मैं बड़ी नम्रता से उनसे अर्ज करना चाहता हूँ कि "शैल रिमेन" हिन्दी के हक में है। अंग्रेजी के "शैल" का अर्थ आज्ञा है, जिसका उलंघन नहीं किया जा सकता है, यह आज्ञा है, शिरोधार्य है, वाध्य है, उसे कोई तोड़ नहीं सकता है, सदा के लिये रहेगी यह इसका अर्थ है। ... अंग्रेजी के "शैल" में जितनी सामर्थ्य है, वे कृपया इसको समझें इसका अर्थ है कि यह हमेशा के लिये रहेगी। मगर यह ठीक है कि हिन्दी में जो उसका अनुवाद "होगी" किया गया है, उसमें उतनी ताकत नहीं है, इसलिये मेरा सुझाव है कि हिन्दी में "सदा के लिये रहेगी" होना चाहिये। मैं आप जैसा पंडित तो नही हूँ. परन्तु मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि हिन्दी में इसका अनुवाद "सदा के लिये रहेगी" होना चाहिये ....

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : "सदा के लिये रहेगी" हो तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ।

श्री नाथ पाई : यदि हम इस चीज को मान लें, तो इस व्यवस्था के सवाल पर आप कुछ निर्णय ले सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे विचार प्रकट करने के लिये मौका दिया।

Point of Order of Shri Kanwar Lal Gupta

„ Nath Pai and

„ Prakash Vir Shastri

Please see Supplement

Mr. Deputy-Speaker : A point of order was originally raised by Shri Prakash Vir Shastri. That is in my mind, it has not been disposed of, but some members were on their legs already when we adjourned.

Shri Nath Pai has tried to interpret "shall". I will keep that in mind, but I may submit to the House that ultimately, whether it is right or wrong I am stating a fact, the Constitution of this land is in English, and we will have to interpret is as it is in English.

Unfortunately it is so, but it is there. I have to interpret that Constitution which is accepted by the Constitutent Assembly and finally accepted by the people.

I have followed that Mr. Nath Pai has tried to explain in very lucid Hindi.

Shri Nambiar (Tiruchirappalli) : My point of order is that the two things cannot be discuss so together. There is the Bill and there is a resolution. The Bill has got its amendments, and the Bill has to be discussed as per the procedure laid down by the speaker under rule 75, which says :

(1) On the day on which any option referred to in rule 74 is made....the principle of the Bill and its provisions may be discussed generally, but the details of the Bill shall not be discussed further that is necessary to explain its principles.

(2) At this stage no amendments to the Bill may be moved."

With regard to their resolution, the procedure is quite differet. It is governed by rule 173. On the question whether this resolution is in order, constitutional or unconstitutional, I am prepared to agree with my Hindi propagandists..... (**Interruptions**)—they are pr-pagandists—that this resolution is out of order. My point is that this resolution is out of order not only because of the objection raised by Shri Prakash Vir Shasti, because rule 173 says :

In order that a resolution may be admissible, it shall satisfy the following conditions, namely :—

(i) it shall be clearly and precisely expressed ;

(ii) it shall raise substantially one definite issue ;

(iii) it shall not contain arguments, inferences....." But this resolution contains four parts. The first part speaks about the propagation of Hindi, the second part about the development of the 14 languages, the third part about the three language formula and the fourth part about examinations to be held by UPSC. These are four different subjects and there are arguments also in the resolution. For instance, in the first part, the argument is this :

"Whereas under article 343 of the Constitution Hindi shall be the official language of the Union, and under article 351 thereof it is the duty of the Union....." "The House, therefore, resolves." It first gives the argument and then gives the resolution. It goes on repeating in all the four items. Therefore, even under rule 173 the resolution is not admissible. Granting that, for argument's sake, you are pleased to admit the resolution, even then, it cannot be discussed along with the Bill, because rule 177 says clearly that after a resolution has been moved, any Member may, "subject to the rules relating to resolution, move on amendment to the resolution." There are amendments to the resolution, Any number of amendments are there. There are amendments to the Bill. And there are motions to refer the Bill to a Select Committee. So many things are there.

Now, what happens? If you allow the Bill to be moved today-as it is being moved-and when the amendments are there, and along with it, the resolution is also moved for which also there are many amendments, what are we to discuss and how can we discuss both?

Under rule 75, the preliminary discussion of a Bill can only be on general terms and not beyond that. Now, if the resolution is also discussed along with the Bill, the resolution is such a big one comprising so many facts—those who discuss the Bill will refer to this point also which is against rule 75. Therefore, these two things cannot go together. I do not find anywhere whether this was the practice. I searched and searched and found nothing to substantiate this procedure, that the Bill and the resolution could go together. I can only request you to see that the Bill be discussed first and the resolution be discussed next ; if the resolution is admissible, it may be taken up. If it is not admissble, you can amend or change or do whatever you can. I am not going into the merit of the question at issue the language question. Though my friends have done it, I am not going into that. I shall reserve my right to discuss it when the question comes up.

Therefore, I say that these two things cannot be discussed together. Kindly dislodge the resolution from the Bill and let the Bill be taken up and discussed as it is introduced. That is my humble submission.

श्री शिव नारायण : उपाध्यक्ष महोदय, जब हाउस लंच के लिए उठा रहा था तो मैं खड़ा हो रहा था इसलिए मेरी बात अब आप सुन लीजिये ।

केवल एक लफ्ज का झगड़ा है । कांस्टीट्शन में 26 जनवरी सन् 1950 को लिखा गया :

"The official language of the Union shall be Hindi in Devangari script."

माने की हमेशा रहेगी, शाश्वत तक रहेगी लेकिन यह जो शब्द "होगी" है इससे संदेह उत्पन्न होता है और मैं होम मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूँ कि यह शब्द "होगी" एक संदेहात्मक शब्द है और उससे एक संशय पैदा होता है । मुझे अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि आपके मुहकमे में आप के डिपार्टमेंट के लोगों में कितनी बड़ी काबिलियत है कि यह शब्द "होगी" रख कर सब को धोखे और डार्कनेस में रखना चाहते हैं। यह शब्द "होगी" गलत है, संदेहात्मक है और होगी के बजाय शब्दे "रहेगा, रहेगी" रखना जाहिए जोकि शाश्वत शब्द हैं । मैं श्री प्रकाशवीर शास्त्री का समर्थन करता हूँ और साथ ही सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि उनका ट्रान्सलेशन डिपार्टमेंट कितना निकम्मा है और इस तरह का "होगी" शब्द रख कर वह सब को धोखा देते हैं और लोगों को डार्कनेस में रखते हैं इसलिए मैं श्री प्रकाशवीर शास्त्री का समर्थन करता हूँ कि यह शब्द "होगी" को वह वापस लेलें । और शब्द "रही है और रहेगी" रक्खा जाय ।

Shri Amiyanath Bose (Arambagh) : Mr Deputy-Speaker, Sir, under rule 173 of the Rules of Procedure, it is stated that for a resolution to be admissible, one of the conditions to be fulfilled is that "it shall be clearly and precisely expressed." If you come to the operative parts of the resolution, you will find that this is how it reads.

I am reading clause 4(a) of the resolution :

"that compulsory knowledge of Hindi shall not be required at the stage of selection of candidates for recruitment to the Union services or posts....."

Up to this, it is clear and it is precisely expressed.
Let me proceed further.

"Excepting any special services posts for which a high standard of Hindi knowledge may be considered essential"—by whom?"for the satisfactory performance of the duties of the service or post."

I submit that in the way it has been framed, it is so ambiguous. Firstly, there is no definition anywhere in the resolution as to what "special services" or "special posts" are. There is no definition as to who should be satisfied that special knowledge of Hindi is required for particular service of post. Therefore, this is not an admissible resolution.

Shri Frank Anthony (Nominated—Anglo-Indian) : So far as the consideration stage-general discussion-is concerned, it may be permissible to join the discussion of the resolution discussion of the resolution with the amending Bill. But I am quite clear very respectfully in my own mind that there is no possible way of joining the discussion on the amendments of the resolution with the discussion on the amendments to the Bill. You will have to separate the two.

एक माननीय सदस्य : इनकी राय की कोई कीमत नहीं है . . .

Mr. Seputy-Speaker : You are not following what he says.

Shri Frank Apthony : That is the trouble.

एक माननीय सदस्य : उनको ही पता नहीं है कि वह क्या कह रहे हैं ।

Shri Frank Anthony : So far as the resolution is concerned, one particular part of it to my mind is ex-facie unconstitutional, i.e. the part dealing with the proposal to implement the three -language formula. I will read it :

"Whereas it is necessary for promoting the snse of unity and facilitating communication between people in different parts of the country that effective steps should be taken for implemeting fully in all States the three-language formula....." etc.

Secondary and higher secondary education is a state subject. You cannot purport to arrogate to yourself the power to tell any State whether it should have a two or three-language formula. Ex-facie it is beyond the jurisdiction of this House to come to any purported decision on the three-language formula with regard to secondary and higher secondary stage. That of their resolution would be ex-facie untenable and outside the jurisdiction of the House.

Shri Nath Pai : How many points of order are we considering, Sir? There is first Mr Prakash Vir Shastri's point of order which is undisposed of. Then there is Mr K.L Gupta's point of order.

Mr Deputy Speaker : What I suggest is, first let us dispose of Mr Shastri's and Mr Gupta's points orf order, because they are more or less similar.

Shri Nath Pai : The point raised by Shri Anandan Nambiar is prima facie a substanatial one. That brings us into the problem of procedure to be followed. Today's agenda says that both the Bill and the resolution are to be discussed together. That is perhaps a practical arrangement because the arguments are likely to be repetitive and overlapping,—the substanel of the resolution and of the Bill more or less converiging on the same subject. But the point

of order raised by Mr. Nambiar, which draws attention to the rules of procedure here as how a Bill is to be disposed of and how a resolution is to be disposed of, is a meaningful point. But before we dispose of that, I would like to know what is your guidance and ruling regarding the limited point first raised by Mr. Prakash Vir Shastri. We are getting into a mess.

Mr. Deputy-Speaker : He has partially supported Shri Nambiar, in the first part of his observations, and in the second part he has raised a new point of order.

Shri Nath Pai : Sir, I have unlimited regard for your ability to grasp so many points at a time, but mine is a limited one and I am getting confused. Will you help me, Sir, by just disposing of the point at a time?

Mr. Deputy-Speaker : Thank you for this compliment. When I permitted several hon. Members here, on this side and that side, I felt they were either supporting or disapproving the point of order raised by Shri Prakash Vir Shastri. I fully realise that there are now three distinct points of order. I do not think the point raised by Shri Shastri and the point raised by Shri Gupta are two distinct ones. There was a second point of order by Shri Nambiar and the third one was raised by Shri Frank Anthony. I want to dispose them of one by one. Let us take the first one, the point raised by Shri Shastri and Shri Gupta. I will now allow only those who want to speak on this point. Does Shri Vikramchand Mahajan want to say something on this point ?

Shri Vikramchand Mahajan(Chamba) : Yes. Sir, a point of order has been raised that the Bill and the Resolution cannot be discussed together. My submission is that they can be discussed together.

Mr. Deputy Speaker : We are not on that point now. Shri Prakash Vir Shastri has raised a point of order concerning some sort of contradiction between the article of the Constitution and the Resolution. The hon. Member may confine his remarks to that.

Shri Vikramchand Mahajan : Sir, my point of order is that the Bill and the resolution can be discussed together.

Mr. Deputy-Speaker : He may resume his seat. That is not the question before us. I have said specifically that I want to dispose of the first point of order about contradiction between the Constitution and the Resolution.

श्री मधु लिमये : मेरी प्रार्थना है कि एक एक करके आप खत्म करें। इनकी और शास्त्री जी की आपत्ति संवैधानिक है । उसका पहले फैसला हो । बाद में प्रक्रिया के बारे में हो ।

श्री जगन्नाथ राव जोशी (भोपाल) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है .

Mr. Deputy-Speaker : I shall call him later on.

Shri Jagannath Rao Joshi : 'Later on' means when? Last time twice I got up but I was not permitted.

Mr. Deputy-Speaker : He will get his opportunity. I cannot say when after some time I will call him.

श्री जगन्नाथ राव जोशी : मुझे आप क्षमा करें अगर मैं यह कहूँ कि जो शोर मचाता है, उसको सुना जाता है । मैं कभी शोर नहीं मचाता हूँ । मैं खड़ा हो रहा हूँ और आप देखते ही नहीं हैं..

Mr. Deputy-Speaker : From your group also **shor machathe hai.** He is not one of them. I am now disposing of the first one. I put him a specific question wheher he is suporting or elaborating the point of order raised by Shri Shastri and Shri Gupta.

श्री जगन्नाथ राव जोशी : आप मुझे आश्वासन दें कि दोनों के बाद आप मुझे समय देंगे ?

Mr. Deputy-Speaker : I am now confining to the first point of order wherein it was pleaded that some portions of the resolution contravenes some article of the Constituion.

Shri Manoharan : Please give your ruling and dispose it of.

Shri Y. B. Chavan : Sir, the point of order raised by Shri Prakash Vir Shastri in substance maens that only because this part of the Resolution says what, in its Hindi translation **"hogi"** therefore it contravenes the very article of the Constitution. I entirely agree with Shri A. K. Sen and Shri Nath Pai as far as the English part of it is concerned, because 'shall be' really speaking means a continuous process.

It is a thing which will stay there permanently, that is the connotation of the word. A difficulty was raised about translation. I have no objection in accepting the amendment. But I would like to make one point clear. Some people did say that it was a careless translation. I may say for the information of the House that if they see the Hindi translation of the Constitution itsef, which was done under the Resolution of the Constitutent Assembly under the Chairmanship of Dr. Rajendra Prasad, there article 343 is translated in Hindi as :

संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी ।

श्री नाथ पाई : होगी के बजाय रहेगी ।

Shri Y. B. Chavan : I am not opposing the suggestion that is made here. The point I am making out there is that when this translation in Hindi of this Resolution was made, it was not carelessly made ; it was based on something. Now, if you think that some of the Hindi words in the original translation are imprecise and that now in Hindi the precise connation will have to be used.....(**interruptions**) So, I am prepared to accept the suggestion made by my hon. friend. होगी के बजाय रहेगी, सदा के लिए रहेगी ।

I have no objection for that. Therefore, my main point is that the point of order that the Resolution is against the Constitution is not valid. That is the first thing. Secondly, some hon. Members raised the point whether the two resolutions can be discussed together etc.

Mr. Deputy-Speaker : That we will take up later. One point he raised in continuation of the point of translation was that the Resolution contravenes some section of the Bill.

Shri Y. B. Chavan : About the Bill itself, I would say that the same point of order was raised by the hon. Member, Shri Limaye, when the Bill was being introduced. That point was discussed at that stage and I think a ruling came from you that it is not a valid point of order. Because, really speaking, the Constitution says that it should be specifically indicated as to for what purposes English should be used. Here we have specifically stated for what all purposes it would be used. So, it satisfies the provisions of the Constitution.

श्री कंवर लाल गुप्त : आप हिन्दी पर कैसे पाबन्दी लगा सकते हैं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : पूर्व इसके कि आप व्यवस्था दें मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ । गृह मंत्री जी ने कहा है और श्री नाथपाई ने भी कहा है कि शब्द अगर हिन्दी में इस प्रकार रहें कि सदा रहेगी तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नही होंगी । उसका अनुवाद इस प्रकार का कर लिया जाए । दूसरी आपत्ति यह थी कि शायद व्यवस्था देने के पहले आप भूल रहे हैं और गृह मंत्री जी भी शायद उस बात को भूल गए कि हिन्दी प्रमुख भाषा होने के बाद यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं में जो आपने कहा है कि हिन्दी अनिवार्य नहीं होगी, क्या यह संविधान की भावनाओं के विपरीत नहीं है ? आपको व्यवस्था इन दोनों प्रश्न पर देनी है और गृह मंत्री कों भी स्पष्टीकरण इन दोनों पर देना है ।

Shri Y. B. Chavan : Certainly, I will answer it. I thought only one point of order should be answered.

Mr. Deputy Speaker : I said only one procedure.

Shri Y. B. Chavan : What is proposed to be done in that stage is, really speaking, a matter of procedure. At what stage Hindi should be compulsory? The very purpose of the Bill and the Resolution is to facilitate the growth of Hindi and acceptance of Hindi by non-Hindi people. Really speaking, that is the basic concept of it. What is done is, they will have to learn Hindi, even after they are recruited, within a year or so ; they will have to take some Hindi examination. Really speaking, we are facilitating them to appear for the examination. It is only at that srage that Hindi is not made compulsory. It is absolulely a procedural matter for the holding of the examination. There is no restriction.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : आप इसको यों कर लें कि हिन्दी अनिवार्य नहीं होगी, अंग्रेजी भी अनिवार्य नहीं होगी । अगर यों करलें तो भी समाधान हो सकता है । हिन्दी प्रमुख राज भाषा बन चुकी है, वह तो अनिवार्य नहीं होगी और अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी अनिवार्य होगी ?

Shri Y. B. Chavan : No, I can assure the hon. Member, Shri Prakash Vir Shastri, that this question of accepting amendments to the Resolution will certainly be examined and considered when we reach that stage. I am not opposing that at this stage. But this fundamental point was that it is against the Constitution and, therefore, it is out of order. I am opposing only that part.

Shri R. K. Sinha : The The language fanatics have said that Hindi is a primitive language. What right have they to say that ?

Every Indian language is a national language and no language is primitive. This anglophile wants to say that Hindi is a primitive language. He is primitive.

Shri N. Sreekantan Nair : I will say it. It is a primitive lagnuage. It has no capacity.....(**Interruption**).

श्री मधु लिमये : यह गुलाम हैं । गुलाम लोग हमेशा ऐसा करते हैं ।

श्री रामसेवक यादव : श्री सिन्हा ने इनको अंग्रेजी में "प्रिमिटिव" कहा है, इसलिए इनको बुरा नहीं मानना चाहिए ।

Mr. Deputy-Speaker : While hon. Members are within their rights to say anything about a particular clause of the Bill or the Resolution, they should not use language regarding other sister languages, because all are national languages, which is derogatory.

श्री मधु लिमये : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर किसी ने भी मलयालम या तामिल या बंगला के बारे में नहीं कहा है । यह गुलामों की मनोवृत्ति व्यक्त कर रहे हैं ।

Shri N. Sreekantan Nair : I come from Dravidian stock.

श्री मधु लिमये : उपाध्यक्ष महोदय, आप उनको क्यों रोक रहे हैं ? वह गुलाम हैं और वह इस बात को दिखा रहे हैं । किसी ने भी मलयालम या तामिल के बारे में नहीं कहा है । वह गुलाम मनोवृत्ति के आदमी हैं । आप उनको छोड़ दीजिए ।

Shri N. Sreekantan Nair : He is talking rot.

Mr. Deputy-Speaker : Derogatory language should not be used. He has used it. I am warning him.

So far as the point of order raised by Shri Shastri is concerned, I made a casual observation. I will have no make it very clear. Shri Nath Pai has made it clear, that is, regarding the translation part of it. As I said, the law of the land or the Constitution is in English today and though it was translated then it is not an authoritative translation. As the Home Minister has said, if there is any objection so far as the translation is concerned, it is for the Home Minister to see how to accommodate your point of view while placing that particular clause before the House. Therefore, there is nothing left so far as your point of order is concerned.

So far as Shri Gupta's point of order is concerned, when the Bill was first introduced a ruling was given at that stage. But he has made an additional point there, that it contravenes the spirit. I have gone through the Bill and the Resolution. He read out certain sections, I do not want to repeat them. I may tell him very plainly that it must be admitted that if at all it is something for which the whole House has to take the responsibility. When the Resolution says, "shall"—if you read all the sections—there is a certain obligator responsibility taken by the Government to implement it. You referred to 15 years and all that. The House was perhaps not vigilant. You cannot blame the Government. We are here or your predecessors were there. So, if it is not implemented, certainly languag is a thing where "Let there be light and lo and behold there was light", that sort of a miracle does

not happen. His Resolution is a determination to give effect to this. Therefore I feel that your point of order also is not valid. You are pointing out a failure. If there is a failure, it is of all of us. Therefore it is not valid.

So far as the procedure is concerned, Shri Nambiar has raised a point of order.

Shri Nambiar : I have raised two specific points. One is that the Resolution is out of order and the other is that these two things cannot be discussed together.

Shri Samar Guha : On a point of clarification. In the course of your ruling you have said that there is no authoritative version of the Constitution in Hindi. I want to know from you whether after 17 years of having our Constitution there is any authoritative version or Hindi translation of our Constitution.

Mr. Deputy-Speaker : So far as I know, there is a translation which is an approved one but not in that sense, authoritative that can be quoted. That is not there, so far as I know.

Shri Samar Guha : But there are the people who want to throw out English when even after 17 years, they could not have an authoritative version of the Constitution in Hindi. (**Interruptions**).

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, आप इस तरह के शब्द कह कर बड़ी गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। आपको शायद स्मरण हो कि इसी संविधान में भाषा के सम्बन्ध में जो अनुच्छेद है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 1947 से पहले जिन कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग होता था, था, उनमें 1965 तक अंग्रेजी का प्रयोग होगा। 1947 से पहले स्वतंत्र भारत का संविधान नहीं था, इसलिए 1947 के बाद यह संविधान बनाया गया और उसका जो हिन्दी अनुवाद किया किया गया, वह अधिकृत अनुवाद है। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। उन्होंने हिन्दी अनुवाद पर ही अपने हस्ताक्षर किये थे। उसको प्रामाणिकता के बारे में सन्देह पैदा करके आप देश को गलतफहमी में न डालें।

Mr. Deputy Speaker : He asked, in terms of law, can it be contended that it is an authoritative translation?

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, इस समय यह विवाद खड़ा करना ठीक नहीं है।

श्री रामगोपाल शालवाले (चांदनी चौक) : आप इन शब्दों को वापस लीजिए।

श्री जगन्नाथ राव जोशी : उपाध्यक्ष महोदय,...

Mr. Deputy Speaker : Let the hon. Home Minister clarify the position.

Shri Y. B. Chavan : For me, it is very clear that the translation was done by the resolution of the Constituent Assembly—the President was the Chairman of the Committee and, I think, it is an authorised version.

श्री ओ० ग्र० त्यागी : आप ने कहा है कि हिन्दी का वर्शन अधिकृत नहीं है। उसका क्या हुआ ?

Mr. Deputy Speaker : Now, so far as the point of order raised by Mr. Nabmiar is concerned.....(**Interruptuons**).

Shri Samar Guha : On a point of information. Is it not a fact that there have been six Hindi translations of our Constitution but none of the Hindi versions has been accepted as an authoritative one ?

Mr. Deputy-Speaker : The hon. Home Minister has clarified the position and the House has accepted it. There is no question of that....(**Interruptions**) Whatever the hon. Home Minister has said regarding the Hindi version stands and it is accepted by the House.

Shri Hiren Mukerjee : *rose.*

Mr. Deputy-Speaker : Now, I am on Mr. Nambiar's point of order.

Shri S. Xavier : May I know whether the Hindi version of the Constitution has been signed by all the Members of the Constituent Assembly?

Shri Hiren Mukerjee : *rose.*

Mr. Deputy-Speaker : That is not the question. Shri Mukerjee.

श्री हुकम चन्द कछवाय : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री जोशी, कितनी देर से अपनी बात कहना चाह रहे हैं, लेकिन आपने उनको अवसर न देकर श्री मुकर्जी को बुला लिया है। आप यह क्या कर रहे हैं ?

Mr. Deputy Speaker : He has something to say on the statement of the Home Minister. Therefore, I have called Shri Mukherjee.

Shri J. H. Patel : (sopke in Kannada) (Interruptions).

Mr. Deputy-Speaker : What the Home Minister has stated has been accepted by the House and that stands.

Shri H. N. Mukerjee (Calcutta North-East) : You were pleased to say earlier that the only authoritative text of the Constitution in the sense that it can be interpreted by the Supreme Court or by any High Court in this country is the Constitution, rightly or wrongly, happily or unhappily, as it is formulated in English.

Dr. Govind Das (Jabalpur) : No.

Shri H. N. Mukerjee : You were pleased to say that we do have a translation in Hindi of the Constitution, but for purposes of judicial interpretation of the articles of the Constitution, what is acceptable to the court is the English version, rightly or wrongly, happily or unhappily....(**Interruption**) That is a different problem. Now you have also been pleased to observe, after the Home Minister's intervention, that this is an authoritative statement. I do not understand this. An authoritative text of the Hindi translation, if it is really authoritative, cannot be altered with impunity, a the Home Minister suggested that it could be, by the words "Sadha ke liye rahegi" instead of "Hogi". It is was an authori-

tative text, it could not be altered authoritatively by a pronouncement ex **cathedra** of the Home Minister.

Therefore, quite apart from the merits of the matter, it may be a matter of shame for us that we have to have our Constitution in the English language, but the fact of the matter is that the law of the country being as it is, the only text of the Constitution which is authoritatively acceptable to the judicial authorities for interpretation is unfortunately the English text. Since changes in the Hindi translation are suggested perhaps very intelligently by Mr. Prakash Vir Shastri and accepted with alacrity by Mr. Chavan, since changes in the authoritative text can be accepted and offered just like that, it cannot be the authoritative text. Therefore, as far as the authoritative text is concerned, let us not forget the law of the land; rightly or wrongly, the only text is the English one.

Shri Nath Pai : I first want to know what is the point that we are discussing....

Mr. Deputy-Speaker : Mr. Mukerjee has raised a point of objection.

श्री नाथ पाई : मैं आप की इजाजत चाहता हूँ। यह आप का प्रथम कर्तव्य है,

It is your duty first to bring the point of order and then allow. I think, you once disposed it of when the question was raised. होगी या रहेगी, यह तो काम खत्म हो गया। इसके बाद सवाल आया कि जो हिन्दी अनुवाद है वह प्रमाणित है या नहीं, इस पर यह कहा गया है कि हमारा जो संविधान है वह पहले अंग्रेजी भाषा में आया, फिर उसका जो अनुवाद उपलब्ध है वह प्रमाणित है, यह हमारा दावा है। यह बात बदली नहीं जा सकती।...

Mr. Deputy-Sceaker : I have said that it stands. The ony thing that he has raised is a point of objection. He has already explained it.....(**Interruptions**).

Shri Nath Pai : First we want to know a very simple thing from you, Sir. What is the question before the House now ?

Mr. Deputy-Speaker : Mr. Nambiar's point of order.

Shri Nath Pai : It is you who are drifting from the point of order. There were three different points of order and you tried to give a ruling on the first point about the word 'Shall' instead of 'Hogi', I had suggested 'Rahegi' and the Home Minister agreed. I thought that that particular part ended there. Now we have come to another point raised by Mr. Mukherjee about the authenticity of the translation and your **ex-cathedra** remark. It is true that our Constitution was drafted in English. But where is the corollary to it, that the Hidi translation is an authoritative translation? Now let us not get confused. The Constitution as adopted was in English. (**Interruption**).

Shri K. Manoharan : That is not authoritative.

Shri Nath Pai : You do not understand, Mr. Manoharan. Under the Constitution..

The Prime Minister and Minister of Atomic Energy, Planning and External Affairs (Shrimati Indira Gandhi) : Sir, I may clarify.

Mr. Nath Pai : Are you improving or confusing ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : सवाल यह है कि बहस दूसरी तरफ क्यों जा रही है ? इस वक्त यह बहस कास्टीट्यूशन पर तो है नहीं । जो भी कांस्टीट्यूशन की बात उठी थी वह अब खत्म हो गई ; कांस्टीट्यूशन को कोई बदल नहीं रहा है चाहे जिस भाषा में भी है । इसलिए उसपर अब बहस करने की जरूरत नहीं है कि अंग्रेजी में है या हिन्दी में है...(व्यवधान)..यही मैं कह रही हूँ । माननीय सदस्यों से में बिनती करती हूँ कि अब इस बात को छोड़ दें । अब हम अगली बात जो कुछ भी है उस पर चलें ।

Mer Deputy Speaker : When he explained the position, I have accepted it. Mr. Nambiar.

Shri J. B. Kripaklani :rose.

Mr. Deputy-Speaker : Mr Nambiar.

Shri J. B. Kripalani : As a person who was present all the time when the Constitution was being made, I can say that after we framed the Constitution in English, we said that an authoritative translation of it must — produced and it was produced. Now to say that it was not an authoritative version of the Constitution is altogether wrong. It is authoritative.

Mr Depurty-Speaker : That is accepted.

डा० गोविंद दास : उपाध्यक्ष जी, मैं स्वयं संविधान सभा का एक सदस्य था । यह प्रश्न जब एक दफा हमारे गृह मंत्री ने स्वीकार कर लिया तो फिर हीरेन्द्र मुखर्जी साहब को उठाने की क्या आवश्यकता थी ? मैं आप से कहना चाहता हूँ कि राजेन्द्र प्रसाद जी हमारे राष्ट्रपति थे और हमारी संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे । जो हिन्दी का हमारा संविधान है वह ऐसे ही मुकम्मिल है जैसे अंग्रेजी का है । इस मामले को अब समाप्त करें ।

Mr. Deputy Speaker : I have accepted that. (**Interruptions**)

Shri Hem Barua : You have said by way of your ruling that the Hindi version of the Constitution is not an authoritative version.

Shri J. H. Patel : spoke in Kannada.

Mr. Deputy-Speaker : I cannot follow your language. (**Interruptions**).

Shri N. Sreekantan Nair: sopke in Malayalam.

Shri J. H. Patel : rose.

Mr Deputy Speaker : Either you speak in Hindi or English.

श्री मधु लिमये : हम उसका अनुवाद करगे ...(व्यवधान)..

Shri Ram Sewak Yadav, Shri Rabi Ray and Shri J. H. Patel **rose.**

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, अनुवाद हो जायगा । इनको अपनी मातृभाषा में बोलने का हक है । जार्ज फर्नेन्डीज उसका अनुवाद कर देंगे ।

Mr. Deputy-Speaker : Last time I have permitted.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, यह तय हो चुका है कि हरएक को यहां अपनी भाषा में बोलने की आजादी होनी चाहिए।

Shri J. H. Patel : **sopke in Kannada.**

Shri N. Sreekantan Nair sopke in Malayalam. (Interruptions).

Mr. Speaker : Can you follow him and communicate to me what he says ? Do you realise how much time will it take ?

श्री मधु लिमये : उसका अनुवाद हो जायगा ।...(व्यवधान)

Mr. Deputy-Speaker : On procedural matters that was never permitted: only speeches I have permitted.

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, आज सारे प्रश्न का अनुवाद हुआ है इसी सदन में। जब अध्यक्ष महोदय कुर्सी पर थे तो पूरक प्रश्न का अनुवाद हुआ है और उसका उत्तर दिया गया है ।

Shri J. H. Patel : **(Spoke in Kannada).**

Mr. Deputy-Speaker : I cannot translate it ; let some Member translate it for me.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : उपाध्यक्ष महोदय, पटेल साहब यह कह रहे हैं कि हमें हमारी भाषा में बोलने की आजादी है, उस आजादी को आप हमें बोलने की इजाजत न देकर छीन रहे हैं, यह अधिकार हमें संविधान ने दिया है.....

Mr. Deputy-Speaker : I had called Shri Madhu Limaye. I had not called Shri J. H. Patel at all but he got up in between. I am not going to follow the procedure that Shri George Fernanades has suggested. I have called only Shri Madhy Limaye. **(Interruptions)**

Now, I shall give my ruling on the point of order raised by Shri Nambiar. Rule 174 reads thus :

The Speaker shall decide whether a resolution or a part thereof is or is not admissible under these rules.

So, so far as the admissibility question is concerned, the Speaker has admitted both the things the discussion on the Bill and also the discussion on the resolution. As some hon. Member pointed out rightly, to save time, a common discussion has been permitted. But in order to facilitate the debate and to have a full-throated debate, the question of amendment was raised. After the general discussion, the amendments can be moved.

Shri Hem Barua : What is full-throated discussion?

Mr. Deputy-Speaker : I said so because Members wanted to waste time by raising points of order etc.

So, so far as the point of order raised by Shri Nambiar is concerned, I have overruled it. We shall carry on the debate now.

Shri J. H. Patel : (**Spoke in Kannada**).

Shri Amiyanath Bose : On a point of order.....(**Interruptions**).

Mr. Deputy-Speaker : Let not these things be taken down. Now, let the Home Minister speak.

(INTERRUPTIONS) * *

श्री मधु लिमये : उपाध्यक्ष महोदय, वह अनुवाद करेंगे ।

Mr. Deputy-Speaker : I must tell Shri Madhu Limaye that this is a matter on which certain light must be thrown. I cannot follow Shri J. H. Patel.

श्री मधु लिमये : उपाध्यक्ष महोदय, अनुवाद आप नहीं करेंगे, वह उसका अनुवाद करेंगे ।

श्री राम सेवक यादव : उपाध्यक्ष महोदय, पहले यह व्यवस्था दी जा चुकी है ।

Mr. **Deputy-Speaker** : I had neither called him nor permitted him. He may write to me.

Shri Y. B. Chavan : This Bill relate s to a subject which tends to arouse passions about which there have been **misapprehensions** in the past....(**Interruptions**) Language is a subject which touches the feelings and sentiments of people, and this is not so only in India....(**Interruptions**). It is, therefore, all the more necessary that we in this august House to which the whole country looks up, consider the matter colly and dispassionately, take a long view of things and enact a legislation which would promote harmony and understanding among people and strengthen the unity of the country.

The framers of our Constitution recognised the needs of our multilingual society in which while the States must have the freedom to use for their purposes their oswn respective languages, there should be a language for the Union which is widely used and which can serve also as a channel of communication between the Union and the States and between one State and another with different offlfficial languages. This recognition is reflected in the relevant provisions of our Constitution. Under article 345 it is for the State Legislature to adopt one or more of the languages in use in the State or Hindi to be used for all or any of the purposes of the State. Hindi has been made by the Constitution itself as the official language of the Union. There is no conflict between Hindi and our other major languages. They must develop side by side, enriching one another in the process, providing opportunity to all our people for fullest cultural development and self-expression, and in the field of governmental administration to serve their purposes in their respective spheres.

* * Not recorded.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : उपाध्यक्ष महोदय, आप उनको व्यवस्था का प्रश्न उठाने दीजिये ।

Mr. Deputy-Speaker : He may write to me ; he may translate it and write to me, and I shall consider it. (**Interruptions**) .

Shri Y. B. Chavan : While making Hindi the official language of the Union, our Constitution-makers recognised that the period of 15 years provided for the continued use of English for the official purposes of the Union might not be sufficient for dispensing with English language, and they, therefore, ampowered Parliament to provide by law for the use of English beyond that period (**Interruptions**).

Mr. Deputy-Speaker : Let Shri Patel write to me.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : ऐसा कैसे हो सकता है, वह लिख कर कैसे देंगे । उनको पहले से क्या पता कि कौनसा मसला यहां पर आनेवाला है ।

श्री मधु लिमये : आप उनका व्यवस्था का प्रश्न सुनिये, उसका अनुवाद होगा, तब आप उसका फैसला दीजिये और तब आगे बढ़िये ।

Shri Y. B. Chavan : Official Language, Commission, and later on the Committee of Parliament on Official Language, which went into the recommendations made by the Commission, recommendes, with virtual unanimity, that the use of English should be continued beyond 26 January 1965 (**Interruptions**).

Shri Surendranath Dwivedy : On a point of order. We cannot hear anything of what the Minister is reading (**Interruptions**).

Shrl Nath Pai : Don't we have orderly proceedings?

Shri Y. B. Chavan : The Official Languages Act passed by Parliament in 1963 gave effect to those recommendations.

It was hoped that with English having been given the status of an associate official language of the Union without any time-limit, the hon.Hindi-speaking people would have no apprehensions that they would have any difficulties or handicaps (**Interruptions**).

Mr. Deputy-Speaker : I have not permitted Shri Patel to raise his point of order. I do not follow him. Let him write to me.

श्री मधु लिमये : मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इतनी जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं, एक मिनट में उनका प्वाइन्ट आफ आर्डर हो जायगा ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने आपके सामने एक मोशन रखा है, आप को वह मोशन लेना होगा ।

Shri Y. B. Chavan : Subsequent events, however, showed that their apprehensions had continued and that there were misgivings, which for the happiness of people in all parts

of the country, and in the national interest, must be removed. Pandit Jawaharlal Nehru had given assurances in Parliament to the non-Hindi-speaking people that English would continue as an associate official languege of the Union till those people themselves agreed to a change. These assurances were repeated by Shri Lal Bahadur Shastri early in 1965. The present Bill may not satisfy everyone. But it does represent a workable scheme in which, to the utmost extent possible, different points of view have been sought to be harmonised. The essense of this legislation is bilingualism in the conduct of the affairs of the Union (**Interruptions**).

Shri Surendranath Dwivedy : The Deputy Speaker is saying something. The Minister is reading something else. He has ignored even you.

Mr. Deputy-Speaker : Will the hon. Minister yield for a moment ? Shri Nath Pai wants to raise a point.

Shri Y. B. Chavan : I am not yielding....**Interruptions**).

We are anxious that Hindi should spread and more and more of the employees of the Central Government should acquire proficiency in that language and use it for official work (**Interruptions**).

श्री मधु लिमये : उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूँ। मैं नियम सं० 340 के अन्दर स्थगन प्रस्ताव उठाना चाहता हूँ, आप मुझे उसकी अनुमति दीजिये मैं नियम 340 के अन्तर्गत किसी भी समय यह प्रस्ताव रख सकता हूँ, इसलिये मैं प्रक्रिया के अनुसार बोल रहा हूँ, आप मुझे अनुमति दीजिये ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरा निवेदन है कि बैठक की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाय । मैं इस सम्बन्ध में आपको मोशन लिख कर दे चुका हूँ ।

Shri Y. B. Chavan : But I would appeal for patience. Any impatience in this matter would revive the fears and suspicions which we wish to allow through this legislation. Any step which is likely to create difficulties of those who do not know Hindi, or even a demand that such a step should be taken, would be unwise and do harm. Goodwill and co-operation of the non-Hindi speaking people are necessary for Hindi coming into its own as the official language of the Union, and as a link language. It should be remembered that not only in the offices of the Central Government but for the continued smooth functioning of our higher Judiciary, and of the All India Services, as unifying factors a long period of bilingualism is necessary (**Interruptions**).

(Shri Vajpayee and some other hon. Members left the House).

A link language is meant for uniting the country, not dividing it. We have kept this in mind while preparing this Bill. I would like my friends from the Hindi-speaking areas

to remember that those whose mother-tongue is not Hindi have to make speciál efforts to learn that language, acquire proficiency in it for official purposes. Some sacrifice on their part is involved, and we must take their difficulties and susceptibilities into account. We must carry them along with us ; To the people from non-Hindi speaking areas, I would say that we have taken their views and problems fully into consideration while evolving this legislation. It represents a consensus, and it seeks to synthesise as far as possible different views, and to accommodate various interests. It is in the nature of a comcromise, and every compromise is exposed to criticism from both sides. And yet compromise and mutual accommodation are the essence of the democratic way of functioning.

With these words, I appeal to all sections of the House to give their support to the Bill (**Interruptions**).

Mr. Deputy-Speaker : The motion and the Resolution are now before the House.

श्री मधु लिमये : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 340 के तहत इस वक्त इस कार्यवाही को स्थगित रखने का प्रस्ताव कर रहा हूँ । नियम 340 इस प्रकार है :

"At any time after a motion has been made, a member may move that the debate on the motion be adjourned."

इस वक्त हमारे सामने दो चीजों पर बहस हो रही है । एक तो यह कि विधेयक पर विचार किया जाय एक प्रस्ताव तो यह हुआ और दूसरे इनके द्वारा जो तजवीज रक्खी गई है जो प्रस्ताव रक्खा गया है उसके ऊपर विचार किया जाय इसके ऊपर बहस चल रही है। इसलिए नियम 340 और 109 में जहां तक विधेयक का सवाल है वह मैं उसे पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ...

एक माननीय सदस्य : 341 भी पढ़ दीजिये ।

श्री मधु लिमये : हां, हां सब पढ़ूँगा आप घबड़ाइये नहीं । 109 इस प्रकार है :

"At any stage of a Bill which is under discussion in the House, a motion that the debate on the Bill be adjourned may be moved with the consent of the Speaker."

इसमें आपकी अनुमति की जरूरत पड़ेगी लेकिन मेरे दो प्रस्ताव हैं । इस संकल्प पर रेजोलूशन पर जो बहस चल रही है उसको भी मैं स्थगित करना चाहता हूँ और जो विधेयक पर बहस चल रही है उसको भी मैं मुल्तवी करना चाहता हूँ । विधेयक के लिए आपकी अनुमति की जरूरत है लेकिन जहां तक इस प्रस्ताव का सवाल है रेजोलूशन का सवाल है उसमें आपकी अनुमति का सवाल नहीं है और उस पर सदन फैसला कर सकता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रस्ताव क्यों रक्खा है उसके बारे में मैं दो मिनट में खत्म करूंगा ज्यादा समय नहीं लूंगा ।

आप लोग देख रहे हैं कि इस प्रस्ताव को और इस विधेयक को लेकर काफी गर्मी इस सदन में पैदा हुई है इसलिए इनसे मेरी प्रार्थना है कि इन्होंने जो इस विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव रक्खा है उसकी जगह पर इस विधेयक को संयुक्त संसदीय कमेटी के पास भेज दिया जाय । अगर उसमें भेजने का यह प्रस्ताव करते हैं तो मेरा खयाल है कि कोई रास्ता निकल सकता है ऐसा रास्ता कि जिससे गैर हिन्दी इलाकों पर हिन्दी लादी न जाय और हिन्दी को स्वीकार करने वाले इलाकों पर अंग्रेजी न लादी जाय इसके आधार पर रास्ता निकल सकता है । लेकिन अगर मेरे इस प्रस्ताव को यह ठुकरा देगें तो देश को आग लगाने का काम गृह मंत्री जी कर रहे हैं यह आरोप में कर सकूंगा । आज मैं समझौते के लिए एक रास्ता खोल रहा हूँ इसलिए यह स्थगन प्रस्ताव मैं ला रहा हूँ ।

Mr. Deputy-Speaker : On this I am not permitting anyone. He has moved, but before that, according to the rules, Mr. Vajpayee approached me and gave in writing that I showlo adjourn the House. I said I would consider it, I did not immediately give any reply.

So far as rule 340 is concerned, there are two spects. If you want to make a motion that the Bill be referred to a Joint Committee, you have every right. That is a different motion altogether.

Then, there is rule 341:

"If the Speaker is of opinion.....

Shri S. A. Dange (Bombay Central South) : What I want to propose, without reference to the rules, is this. You know in what state we are now. We are almost atomised into linguistic, sub-linguistic groupsl. The reflection outside also is there now. In fact, all party divisions are finished, all loyalties of this kind or that kind are overcome, by this linguistic question. So, I would propose to the Government and to all the parties, whether we could not adjourn for some time and see if a common solution can be found. (**Interruptions**):

Shri N. Sreekantan Nair : We also represent the country.

Shri S. A. Dange : Nobody—(**Interruptions**).

Mr. Deputy-Speaker : Order, order.

Shri S. A. Dange : The point that I am making is, nobody . . . (**Interruptions**).

Mr Deputy-Speaker : I have permitted Shri Dange to speak.

Shri S. A. Dange : Nobody wants to suppress Hindi ; nobody wants to suppress any language. I only suggest that the Leader of the House may call a meeting to come to a

common understanding on this issue. I submit that this suggestion may be considered. **(Interruptions)**.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने आपके सामने प्रस्ताव रक्खा है । यह इस सदन में कौन सी प्रक्रिया अपनायी जा रही है ?

Mr. Deputy-Speaker : I am giving my ruling.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उस मोशन का क्या हुआ है ?

Shri Surendranath Dwivedy : Sir, excuse me. I want to submit one thing. Now the House is in tension. We must follow certain procedures and then all these diffficulties about the points of order would be over. If you want to over-rule it or give any ruling on it, you might dispose of it. But we should proceed with the Bill. There should be no other question now before the House ; the Home Minister has already moved it. We should all place our points of view before the House. Let us not waste the time of the House.

Some Hon. Members: **rose**.

Mr. Deputy Speaker : So far as the adjournment is concerned.

Some Hon. Members : No, no.

Some Hon. Members: **rose.**

Mr. Deputy-Speaker : I am giving my ruling. I will call Mr. Dwivedy again to speak.

Shri P. K. De : We want our point of view to be head.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : डिबेट कैसे हो सकता है ? गृह मंत्री जी क्या बोले मैंने एक शब्द भी नहीं सुना तब मैं इस डिबेट में कैसे भाग ले सकता हूँ ?

Mr. Deputy Spreaker : Whose fault ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हमारी गलती नहीं है । दरअसल आप इस सदन को बिलकुल कंट्रोल नहीं कर सकते ।

Mr. Deputy-Speaker : It is difficult for you to control your own people.

Shri N. Sreekantan Nair : It has already started. Arson and stone-throwing and beating of students in the English-medium schools have already started.

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, इनको रोकिये । इस तरीके से बराबर उठकर विघ्न डालना यह बर्दाश्त नहीं होगा । इनको बाहर निकालिये ।

Mr. Deputy-Speaker : Mr Sreekantan Nair, is it proper ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं आप के साथ सहयोग करना चाहता हूँ । मैं चाहता हूँ

कि इस विधेयक पर ठीक तरीके से बहस हो लेकिन अगर इस सदन के सभी लोग सहयोग के लिए तैयार नहीं हैं तो इस तरीके से राजभाषा विधेयक पर बहस ठीक नहीं है। गृह मंत्री जी हम चाहते थे कि बोलें मगर वह क्या बोले मेरे कान में एक अक्षर भी नहीं पड़ा। मेरा निवेदन है कि आप मेरा प्रस्ताव लें। देखिये भावना उभरी हुई है और हम चाहें तो थोड़ी देर में मिल सकते हैं। इस विधेयक पर बड़ी शान्ति व गम्भीरता के साथ विचार होना चाहिए।

Dr. Ram Subhag Singh : I fully support the suggestion made by Shri Surendranath Dwivedy and I oppose the motion moved by Shri Madhu Limaye as also the suggestion given by Shri Vajpayee, because the Bill has already been moved and the hon. Minister has spoken on the motion. Therefore, the discussion should be allowed to proceed.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपाध्यक्ष महोदय, आप जरा मेरी मदद करिये। मंत्री महोदय क्या बोले आप ने सुना ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : ऐसा आरोप मेरे ऊपर आप नहीं लगा सकते हैं।

Mr. Deputy-Speaker : You would not allow me to listen. What can I do ? (**Interruptions**). So far as the request for the adjournment of the debate is concerned, I am not prepared to adjourn it. I will request the Home Minister to repreat his speech, provided he is listened to in silence.

श्री मधु लिमये : एक बात बताइये। मेरे स्थगन प्रस्ताव को क्या आपने ठुकरा दिया है ?

Mr. Deputy-Speaker : I have over-ruled it. I am not allowing it. (**Interruptions**).

श्री जार्ज फर्नेंडीज : आप कैसे ठुकरा सकते हैं। सदन के सामने रखना चाहिये।

Dr. Ram Subhag Singh : If they agree to be silent, the Home Minister will repeat his speech.

Shri J. H. Patel (Shimoga) : **rose** :

Mr. Deputy-Speaker : After the Home Minister gets a hearing from the House, I will hear the hon. member.

श्री राम सेवक यादव : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है..

श्री मधु लिमये : उसका भाषण हम सुनेंगे। साथ साथ इसका भी व्यवस्था का प्रश्न सुना जाए।

Mr. Deputy Speaker : Yes, if you translate it.
Now, the Home Minister may repeat his speech.

श्री मधु लिमये : बाद में सुनेंगे न आप।

The Home, Minister then repeated his speach made earlier—vide pages.....

श्री जगन्नाथ राव जोशी : यह बड़ा महत्व का विधेयक है और इस सदन के एक सदस्य के नाते मैं यह जरूर चाहूँगा कि मुझे बोलने की अनुमति मिले। किन्तु आज की जो व्यवस्था चल रही है उसको आप देखें। अध्यक्ष महोदय ने बताया था कि इसके ऊपर बारह घंटे का समय दिया गया है। कई लोगों के संशोधन दिये हैं। मैंने भी दिया है। लेकिन होता क्या रहा है। मैंने महाजन कमिशन की रिपोर्ट के बारे में सवाल किया था मुझे जवाब आया.....

I was told there will be a debate on the 6th, please refer to that.

मैंने तब मुबह दस बजे नोटिस दिया।

Then I said I would like to participate in the debate.

किन्तु फिर बैलट हुआ। बैलट में मेरा नाम नहीं निकला। मैं चुप रह गया। अब जिन लोगों ने इस विधेयक पर संशोधन दिये हैं उनके संशोधनों का चयन होगा। उस चयन में यदि मेरा नाम नहीं निकलेगा तो क्या मुझे बोलने नहीं दिया जाएगा? ऐसे हम सदन में बैठे रहें यह तो हो नहीं सकता है। एक सदस्य के नाते मुझे मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा अपनी बात कहने का और अपने संशोधन पर बोलने का ?

Mr. Deputy-Speaker : I have followed his point. This morning this point was raised and the Speaker, before he left-because there were several suggestions for extension of time-observed that at 4.45 P.M. today the Business Advisory Committee was meeting where all leaders would be present.

I can assure you, Shri Joshi, that you will get an opportunity. You should get it. You will not be forced to watch the debate silently.

Shri J. H. Patel (Shimoga) :spoke in Kannada.

(Mr. Speaker in the Chair)

Shri Yashpal Singh : I beg to move :

(1) "This House is of opinion that the Official Languages (Amendment) Bill, 1967, be referred to the President for obtaining the opinion of the Supreme Court under Article 143 of the Constitution on the question of constitutional validity of the Bill."

(2) That the Bill be circulated for the purpose of liciting opinion thereon by the 29th June, 1968.

Shri Kanwar Lal Gupta : I beg to move.

(3) "That the Bill be circulated for the purpose of aliciting opinion thereon by the 30th March, 1968."

Dr. Govind Das : I beg to move :—

(4) "That the Bill be circulated for the purpose of aliciting opinion thereo by the 2nd March, 1968."

Shri Yajna Datt Sharma : I beg to move :—

(5) "That the Bill be circulated for the purpose o aliciting opinion thereon by the 31st May, 1968."

Shri Atal Bihari Vajpayee : I beg to move :—

(6) "That the Bill be circulated for the purpose of aliciting opinion thereon by the 12th February, 1968."

Shri Onkar Lal Berwa : I beg to move :

(7) "That the Bill be circulated for the purpose of aliciting opinion thereon by the 15th February, 1968."

Shri Raghuvir Singh Shstri : I beg to move :—

(8) "That the Bill be circulated for the purpose of aliciting opinion thereon by the 15th March, 1968 "

Shri Sharda Nand : I beg to move :—

(9) "That the Bill be circulated for the purpose of liciting opinion thereon by the 28th June, 1968."

Shri Prakash Vir Shastri : I beg to move :—

(10) "That the Bill to amend the Official Languages Act, 1963, be referred to a Joint

Committee of the Houses consisting of 37 members, 25 from this House, namely :—

(1) Shri Bibhuti Mishra
(2) Shri Y. B. Chavan.
(3) Shri Valmiki Choudhury.
(4) H. H. Maharaja Pratap Keshari Deo
(5) Shri Ham Barua
(6) Shri S. M. Joshi.
(7) Shri Liladhar Kotoki.
(8) Shri J. B. Kripalani
(9) Shrimati Sucheta Kripalani
(10) Shri V. Krishnamoorthi.
(11) Shri Madhu Limaye.
(12) Dr. Sarojini Mahishi
(13) Shri Bakar Ali Mirza
(14) Shri H. N. Mukerjee
(15) Shri Nath Pai.
(16) Shrimati Vijaya Lakshmi Pandit
(17) Shri Mrityunjay Prasad
(18) Shri S. R. Rana.
(19) Shri S. C. Samanta.
(20) Shri A. K. Sen.
(21) Shrimati Jayaban Shah.
(22) Shri Vidya Charan Shukla
(23) Dr. Ram Subhag Singh.
(24) Shri Atal Bihari Vajpayee, and
(25) Shri Prakash Vir Shastri ;

and 12 from Rajya Sabha ;

that in order to constitute a sitting of the Joint Committee the quorum shall be one-third of the total number of members of the Joint Committee ;

that the Committee shall make a report to this House by the first day of the next session;

that in other respects the Rules of Procedure of this House relating to Parliamentary Committees shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make ; and

that this house recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said Joint Committee and communicate to this House the names of 12 members to be appointed by Rajya Sabha to the Joint Committee."

Shri V. Krishnamoorthi : He has included my name ; I am not at all a party to this.

Shri Digvijai Nath : I beg to move :

(80) "That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 16th March, 1968 "

Shri Ram Sewak Yadav : I beg to move :

(90) "That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 28th June, 1968".

Shri Hardayal Devgun : I beg to move :

(95) "That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 1st April, 1968".

Shri Lakhan Lal Kapoor : I beg to move :

(129) "That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 15th March, 1968".

Shri Mrityunjay Prasad : I beg to move :

That in the resolution:—

1. in fi st para of para 1,—

for "Hindi shall be the official language of the Union" **substitute.**

"Hindi is the official language of the Union"

Shri Sequera : I beg to move :

That in the resolution,—

2. **for** first part of para 2, **substitute.**

"2. **Whereas** the Eighth Schedule to the Constitution specifies to date only 15 of the languages in use in India; and this House is of the opinion that all remaining languages should be placed on this Schedule, and that concerted measures should be taken for the full development of all these languages."

3. That in the resolution—

after para 2, **insert—**

"2A. **Whereas** for improved national integration it is essential that the Large non amoulatory sections of our people should be able to communicate with each other, and have easier access to communicate with each other and have easier access to knowledge disseminated through the other languages ;

This house resolves that a common splript for all languages in use in the country be evolved, adopted and vigorously propagated."

Shri Yashpal Singh : I beg to move:

4. That in the resolution,—

omit paras 3 and 4.

Shri Mrityunjay Prasad : I beg to move :

5. That in the resolution,—

In first part of para 4,—

after "non-Hindi speaking" **insert—**

"or Hindi speaking".

Shri Amrit Nahata : I beg to move :

6. That in the resolution,—

for Part (a) of para 4, **substitute—**

"(a) that compulsory knowledge of Hindi for non-Hindi speaking people and of Egnlish for Hindi speaking people shall not be rquired at the stage of selection of candidates for recruitment to the Union services or post excepting any special Service/ posts for which a high standard of Hindi or English knowledge may be eonsidered essentail for the satisfactory perfomance of the duties of the service or post ; and"

Shri Mrityunjay Prasad : I beg to move :

7. That in the resolution—

In part (a) of para 4,—

after "that compulsory knowledge of Hindi".

insert "or English".

Shri Yamuna Prasad Mandal: I beg to move :

8. That in the resolution—

in part (a) of para 4,—

for "shall not be required" **substitute**—

"(minimum standard) shall be required".

Shri Frank Anthony : I beg to move :

9. That for the original resolution the following be substituted, namely :—

"This House resolves :—

(i) That any programme for accelerating the development of Hindi undertaken by the Central Government shall be met to the extent of half the total cost by the Hindi States ;

(ii) That a programme shall be prepared and implemented by the Government of India in collaboration with the State Governments for coordinating the development of the languages of the Eighth Schedule of the constitution and any language that may be the official language of a State ;

(iii) That a compulsory knowledge of Hindi shall not be requird at the stage of selection, confirmation or promotion of candidates recruited to the Union services or posts except any special post for which a high standard of Hindi is essential.'

Shri Nambiar : I beg to move :

10. That in the resolution,—

(i) in first part of para 1,—

(a) **after** "official lanague" **insert** "Ultimately".

(b) **after** "Hindi language" **insert** "voluntarily".

(c) **after** "India" **insert**—"and with the full consent of all the non-Hindi speaking States" ;

(ii) in seond part of para 1,—

after "from accelerating the"

insert "voluntary".

Shri Prakash Vir Shastri : I beg to move:

11. That in the resolution,

In part 2 of para 1,—

for "shall be" **substitute** "be".

12. That in the resolution,—

in first part of para 2,—

for "concerned measures should be taken"

substitute "concerted measures be taken"

13. That in the resolution,—

in part 2 of para 2,—

for "a programme shall be prepared and implemented".

substitute "a programme be prepaped and implimented".

Shri Srinibas Misra : I beg to move :

14. That in the resolution—

In part 2 of para 2,—

for "alongside Hindi" **substitute** —

"alongside Sanskrit"

Shri Prakash Vir Shastri : I beg to move :

15. That in the resolution,—

in first part of para 3,—

for "should be taken" **substitute** "be taken".

Shri N. S. Sharma : I beg to move :

16. That in the resolution,—
In part 2 of para 3,—
omit "prefereably one of the Southern languages".
Shri Prakash Vir Shastri : I beg to move :

17. That in the resolution,—
In part 2 of para 3,—
for "of Hindi along with the regional languages and English in the non-Hindi speaking areas".
Substitute "of Hindi along with the regional languages in the non-Hindi speaking areas and in case there are at least 10 students in any one section."
Shri Srinibas Misra :

18. That in the resolution—
for part (a) of para 4, **substitute**—
(a) that except for services/posts directly connected with propagation or teaching of Hindi, compulsory knowledge of Hindi, elementary or otherwise, shall not be required at the stage of recruitment to Union Services/posts ; nor shall such knowledge be required at the stage of promotion except an elementary knowledge of Hindi for promotion to posts requiring public contact ; and"
Shri Prakash Vir Shastri :

19. That in the resolution,—
in part (a) of para 4,—
for "compulsory knowledge of Hindi shall not be required at the stage of selection of candidates" **substitute.**
"compulsory general knowledge of Hindi shall be required at the stage of selection of candidates".
Shri N. S. Sharma : I beg to move :
That in the resolution,—

20. in part (a) of para 4,—
(i) **after** that compulsory knowledge of Hindi **insert** "or English".
(ii) **after** "for which a against under of Hindi" **insert** or English".
Shri Atal Behari Vajpayee : I beg to move :—

21. That in the resolution,—
in part (a) of para 4,—
after "that compulsory knowledge of Hidi **insert** "or Egnlish".
Shri Prakash Vir Shastri : I beg to move :

22. That in the resolution—
in part (b) of para 4,—
omit "and English."
Shri N. S. Sharma : I beg to move :

23. That in the resolution,—
after part (b) of para 4, **iinsert**—
(c) Hindi and English shall be permitted as the authoritative media for examination for recruitment to posts of class II, class III and class IV of the Central services, to be conducted on or after a April 1, 1968 ;
Provided that where the recruitment is in respect of posts sanctioned for an office situated in a particular State, the language or languages adopted by that State as its offlfficial language or languages will also be permitted to be used by the examinees in addition to Hindi or English.
Shri Yajna Datt Sharma : I beg to move :

24 That in the resolution —
omit para 3.

Shri Raghubvir Singh Shastri : I beg to move :

25. That in the resolution,—

for para 3, **substitute**—

"With a view to promote the sense of unity it is necessary to make arrangements for the study of any of the South Indian lanaguages in the Hindi-speaking areas in addition to Hindi and of Hindi along with the regional langugaes in the non-Hindi speaking areas ;"

Shri Ram Sewak Yadav : I beg to move :

26. That in the resolution,—

for part 2 of para 3, **substitute**—

"This House resolves that arrangement should be made in accordance with that formula for the study of a modern Indian language, preferably one of the Southern languages, apart from Hindi in the Hindi speaking areas, and of Hindi along with the regional languages in the non-Hindi speaking areas."

Shri Hardayal Devgun : I beg to move :

27. That in the resolution,—

in part 2 of para 3,—

omit "preferably one of the Southern languages"

Shri Yajna Datt Sharma : I beg to move :

28. That in the resolution,—

for first part of para 4, **substitute**—

And, whereas it is necessary to ensure that the just claims and interests of persons belonging to non-Hindi speaking areas and Hindi-speaking areas in regard to the public services of the Union are fully safeguarded ;

29 That in the resolution,—

for part (a) of para 4, **substitute**—

"(a) that compulsory knowledge of Hindi for non-Hindi speaking pepole and of English for Hindi-speaking people shall not be required at the stage of selection of candidates for recruitment to the Union services or posts excepting any special services/posts for which a high standard of Hindi or English knowledge may be conisdered essential for the satisfactory performance of the duties of the service or post ; and"

Shri Raghuvir Singh Shastri : I beg to move :

30. That in the resolution,—

for part (a) of para 4, **substitute**—

"(a) that compulsory kowledge of Hindi shall be required at the stage of selection of candidates for recruitment to the Union services or posts ; and"

Shri Hardayal Devgun : I beg to move :

31. That in the resolution,—

in part (a) of para 4,—

for "compulsory knowledge of Hindi" **substitute**—

"compulsory knowledge of Hindi or English"

Shri Ram Sewak Yadav : I beg to move :

32. That in the resolution,—

in part (a) of para 4,—

add at the end

"but non-Hindi speaking persons having knowledge of Hindi would be given preference over Hindispeaking persons".

Shri Raghuvir Singh Shastri : I beg to move :

33. That in the resolution,—
in part (b) of para 4,—
omit "and English".

Shri Ram Sewak Yadav : I beg to move :

34. That in the resolution,—
in part (b) of para 4,—
add at the end.
"but knowledge of Hindi would be compulsory for non-Hindi speakin persons although not for the purposes of competition".

Shri Deorao S. Patil : I beg to move :

35. "That in the resolution :—
in first part of para 1,—
for "shall be" **substitute** "is"

Shri Bakar Ali Mirza : I beg to move :

36. "That in the resolution,—
in first part of para 3, **add** at the end—
"to make this more effective, and to bring about greater appreciation and understanding, and purposeful mingling of people, especially teachers, from different regions, it is further necessary, that those whose mother tongue, is one of the Aryan Group of languages, should choose one of the Dravidian languages in the three language formula and vice versa ;"

37. "That in the resolution,—
in part 2 of para 3,—
for "one of the Southern languages" **Substitute** "one fo the South Indian Dravidian languages".

Shri D. N. Patodia : I beg to move :

38. "That in the resolution,—
in part 2 of para 3, **add** at the end—
"and that the arrangements should be so directed as to expedite the spread of Hindi language and to develop it so that it may serve as a medium of expression all over the country within a reasonably limited period ;"

Shri Deorao S. Patil : I beg to move :

39. "That in the resolution,—
in part (a) of para 4,—
after "that compulsory knowledge of Hindi" **insert** "or English".

Shri Hem Raj : I beg to move :

40. "That in the resolution,—
in part (a) of para 4,—
(i) **after** "that compulsory knowledge of Hindi" **insert**"or English"
(ii) **after** "high standard of Hindi" **insert** "or English"

Shri Bakar Ali Mirza : I beg to move :

41. "That in the resolution,—
in part (a) of para 4, add at the end—
"but all other things being equal, preference in the matter of selection will be given to a candidate, who is proficient in another Indian language besides regional language ;"

Shri Deorao S. Patil : I beg to move :

42. "That in the resolution,

in part (b) of para 4,—

omit "after ascertaining the views of the Union Public Service Commissioxon the future scheme of the examinations, the procedural aspects and the timing."

Shri Madhu Limaye : I beg to move :

43. "That in the resolution,—

for para 3, **substitute**—

"WHEREAS it is necessary for promoting a climate of tolerance and unity and also mutual understanding between people in different parts of the country.

This House resolves that neither English nor Hindi shall be a compulsory subject of study nor a compulsory medium of instruction or examination throughout the country and that the State Governments and the students in the non-Hindi speaking States shall have the freedom to choose between Hindi and English as an additional language ;"

44. That in the resolution,—

for parts (a) and (b) of para 4 **substitute**—

"(a) that compulsory knowledge of Hindi or English shall not be required from the candidates for the Union Services or posts excepting the post of translators and interpretors for which a high standard of Hindi and English knowledge may be considered essential from the non-Hindi speaking and Hindi-speaking States respectively ; and

(b) that all the languages included in the Eighth Schedule to the Constitution shall the media for all the All India and Higher Central Services examinations within a year from the passing of this resolution."

Shri Jagannathrao Joshi : I beg to move :

45. "That in the resolution,—

in part (a) of para 4,—

for "compulsory knowledge of Hindi shall not be required" **substitute**—

"compulsory knowledge of Hindi or English and preferably of both shall be required"

46. "That in the resolution,—

in part (b) of para 4,—

omit "and English"

Shri Era Sezhiyan : I beg to move :

47. "That for the original resolution, the following be substituted, namely :—

"WHEREAS India is a polyglot country with many national languages spoken by millions of people in well-defined regions and States ;

WHEREAS any attempt to impose or give priority to a particular regional language with a view to bring in a linguistic uniformity will out at the very roots of democracy and the unity of the country ;

This House resolves that a re-thinking is necessary on the whole question of the official langage policy of the Union and that a re-appraisal of the constitutional position be made with a view to provide equal status and opportunity for development to all linguistic groups in the country."

Shri S. M. Banerjee : rose.

श्री विभूति मिश्र : मैंने भी संशोधन दिया है।

श्री ओंकारलाल बेरवा : मैंने भी संशोधन दिया है ।

श्री न० प्र० यादव : मैंने भी संशोधन दिया है ।

Mr. Speaker : These are all the things which I have received. Even if it comes after one hour, I will read it again. You need not be worried about it.

Shri S. M. Banerjee : Yesterday after 3.30 myself and Vasudevan Nair.....

Mr. Speaker : I do not mind it being moved. I will give your name also Shri Banerjee and Shri Vasudevan Nair.

Shri Manubhai Patel : I beg to move :

48. That in their solution,—

in part 2 of para 1,—

after "development of Hindi", **insert**—

"and mak it more simple".

Shri P. Ramamurti : I beg to move :

49. That in their resolution,—

omit para 3.

Shri Meetha Lal : I beg to move :

50. That in there solution,—

in part 2 of para 3,—

add at the end.

"Ultimately with a view to see that the Hindi Languages is developed and introduced to serve as a medium of intruction and expression in the country within a limited period".

Shri S. M. Banerjee : I beg to move :

51. That in the resolution,—

for part (a) and (b) of para 4,—

substitute —

"(a) that compulsory knowledge of Hindi or English shall not been aded from the candidates for the services under the Union Government or posts excepting the posts of translators and interprotors for which a higher standard of Hindi and English knowledge may be considered essential from the non-Hindi sopeaking and Hindi speaking States respectively ; and

(b) that all the languages included in the Eighth Schedule to the Constitution shall become the media for all India and higher Central Services examinations within a year from the adoption of this resolution."

Shri Manubhai Patel : I beg to move :

52. That in the resolution,—

in part (a) of para 4,—

after "that compulsory knowledge of Hindi" **insert**—

"or English".

Shri Deoeao S. Patil : I beg to move :

53. That in their resolution,—

in part (a) of para 4.

after "a high standard of Hindi" **insert**"—

"or English"

Shri Manubhai Patel : I beg to move :

54. That in the resolution,—

in part (b) of para 4,—

omit "the future scheme of the examinations".

Shri Valmiki Choudhury : I beg to move :

55. "That in the resolution,—

in part (a) of para 4,—

for "that compulsory knowledge of Hindi shall not be required".

substitute—

"That compulsory knowledge of Hindi shall be essential".

Shrimati Sucheta Kripalani : I beg to move :

That in the resolution,—

in part (a) of para 4,—

for "that compulsory knowledge of Hindi shall not be required".

56. **substitute**—

"that knowledge of either Hindi or English shall be essential".

Shri Bibhuti Mishra : I beg to move :

57. That in the rsolution,—

in part (a) of para 4,—

(i) **after** "that compulsory knowledge of Hindi" **insert**—

"or English".

(ii) **after** "that compulsory knowledge of Hindi shall" **omit** "not".

Shrimati Sucheta Kripalani : I beg to move :

58. That in the resolution,—

(in part (a) of para 4,—

omit "excepting any special services/posts for which a high standard of Hindi

knowledge may be considered essential for the satisfactory performance of the duties of the service or post".

Shri M. Thirumala Rao : I beg to move :

59. That in the resolution,—

in part (a) of para 4,—

after "a high standard of Hindi" **insert**—"or English".

Shrimati Sucheta Kripalani : I beg to move :

60. That in the resolution,—

in part (b) of para 4,—

omit "after ascertaining the views of the Union Public Service Commission on the future scheme of the examinations, the procedural aspects and the timing".

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं प्रस्ताव करती हूँ :

61. कि संकल्प में,—

पैरा 1 के पहले भाग में—

"संघ की राजभाषा हिन्दी होगी"

के स्थान पर

"संघ की राजभाषा हिन्दी रहेगी"

रखा जाये।

श्री यशपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, अमेंडमेंटवाइज मौका दिया जाय।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मैं बोलने के लिए नहीं खड़ा हूँ। मैं केवल यह जानना चाहता हूँ कि विधेयक के ऊपर जो संशोधन दिए गए थे जिसमें कहा गया था कि जनमत जानने के लिये प्रचारित किया जाय या संयुक्त प्रवर समिति को सौंपा जाय क्या वह नहीं लिए गए हैं ?

Mr. Speaker : All of them have been moved.

श्री कंवर लाल गुप्त : वह जनमत के लिए भेजा जाय यह मेरी उसमें एक तरमीम थी।

Mr. Speaker : Even if you give it after one hour, it will be considered as moved. The office will verify it. If anybody's amendment is missing now and we find it, we will include that also. We are having the discussion for three or four days. There is nothing wrong in that.

Some Hon. Members : rose—

Mr. Speaker : Not so many of you ; one by one.

श्री ओम प्रकाश त्यागी : मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह जो आपने नाम पढ़े हैं यह केवल रेजोल्यूशन पर पढ़े हैं या बिल पर भी ?

अध्यक्ष महोदय : बिल पर पहले था बाद में रेजोल्यूशन पर ।

श्री ओम प्रकाश त्यागी : बिल पर तो हमारा भी है ।

Mr. Speaker : All that will be verified by the office. I am also giving you some time.

श्री राम सेवक यादव : यह जो विधेयक पर ऐसे संशोधन आये हैं कि विधेयक जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय उसके ऊपर जब चर्चा कराएंगे तो क्या जो प्रस्तावक हैं उन्हें आप समय देंगे ?

Mr. Speaker : May be so.

Shri K. Lakkappa : On a point of order, Sir. Article 348 of the Constitution is regarding the language to be used in the Supreme Court and in the High Courts and for Acts, Bills, etc. The point for consideration here is this. Some amendments have been moved in Hindi. I want to know whether the Constitution has conferred any right on the Members to move their amendments in Hindi. That is not so because the Constitution does not provide that. Article 348 of the Constitution says :

"(a) all proceedings in the Supreme Court and in every High Court,

(b) the authoritative texts—

(i) of all Bills to be introduced or amendments thereto to be moved in either House of Parliament or in the House or either House of the Legislature of a State,

(ii) of all Acts passed by Parliament or the Legislature of a State and of all Ordinances promulgated by the President or the Governor of a State, and

(iii) of all orders rules, regulations and bye-laws issued under this Constitution or under any law made by Parliament or the Legislature of a State,

shall be in the English language."

Mr. Speaker : You need not read the whole thing. I have followed it.

Shri K. Lakkappa : Sir, some of the amendmets have been moved in Hindi and, therefore, they are not valid. The Constitution does not confer such a right on the Members to move any amendment in Hindi. I feel that Article 348 of the Constitution is thereby vitiated. They are not entitled to do so. So, all those amendments moved in Hindi should be rejected unless those amendments are moved in English. I want a clear ruling on this point.

Mr. Speaker : Shri Surendranath Dwivedy.

An Hon. Member : What is the ruling ?

Mr. Speaker : While discussing all these things, it will come up. Mr. Lakkappa can again talk on this and can explain it more clearly.

Mr. Surendranath Dwivedy.

Speech of Shri Surendra Nath Dwivedy and Shrimati Tarkeshwari Sinha

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष महोदय , आप की इजाजत से चूंकि राजभाषा विधेयक पर विचार हो रहा है, मैं अपनी टूटी फूटी हिन्दी में कुछ बोलना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक हमारे सामने है इसमें कुछ नई बात नहीं है । जहां तक हमारी राजभाषा का संबंध है 1950 से जब से कि संविधान मंजूर हुआ और चालू हुआ हम यह तय कर चुके हैं कि हमारे देश में हिन्दी ही हमारी राजभाषा होगी और हिन्दी में ही देश की भाषा के रूप में कार्य होगा। अब उसके बाद हमारे विधान में यह भी था कि 15 साल के बाद 1965 साल से हिन्दी ही चालू हो जायगी और 15 साल तक अंग्रेजी हमारे देश में चले। यह बदनसीबी है कि 15 साल के बाद इस देश में, बल्कि 15 साल पूरा होने के पहले ही यह झगड़ा शुरू हो गया कि हिन्दी को चालू करना है या नहीं । अगर यह शुरू हुआ तो इस की क्या वजह है ? यह बिलकुल साफ है कि अगर हिन्दी के लिए आज देश के इतने इलाकों से विरोध है तो उस विरोध की एक ही वजह कि हमारे संविधान में जो व्यवस्था की गई है कि हिन्दी भाषा को डेवलप करने के लिए, प्रोमोट करने के लिए प्रयत्न किए जायेंगे जिस से कि यह भाषा सर्वसम्मत हो, सारा देश इस को मंजूर कर सके , मान कर चले, वह काम कुछ किया नहीं गया । 15 साल तक सरकार हमारी जो थी उसने हिन्दी को बिलकुल सीरिअसली नहीं लिया और कुछ माक नहीं किया। आगे नहीं बढ़ाया ।मैं यहां याद दिलाना चाहता हूँ कि जब हमारा स्वतंत्रता का संग्राम चल रहा था तो जो नारे हम लगा रहे थे देश में उसमें एक नारा हमारा था कि राष्ट्रभाषा हिन्दी होगी । यह नारा चारों तरफ था । मद्रास में भी था । देश के कोने कोने में; गैर-हिन्दी इलाकों में भी था । कहीं पर विरोध नहीं हुआ था कि यह हमारी राष्ट्रभाषा नहीं होनी चाहिए । लेकिन आज यह क्यों हुआ ? यह हुआ इसी लिए जो मैं कहना चाहता हूँ। दो कारण मैं समझता हूँ । एक कारण है कि हमारी सरकार ने संविधान को लागू करने लिए जो उसका कर्तव्य था वह नहीं किया और दूसरा मैं ज्यादातर दोष देना चाहता हूँ हमारे जो हिन्दी भाषी भाई हैं उनका। दूसरी, अगर हिन्दी के विरोध में कुछ आवाज उठी यह मेरी राय है, मैं इसमें बहुत विचार करके बिलकुल इस राय पर पहुंचा हूँ कि हमारे देश में हिन्दी हमारी भाषा है, अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, लेकिन अगर हमारी भाषा चालू करने के लिए विरोध उठता है तो वह विरोध इसीलिए है कि जो लीग हिन्दी भाषी बोले जाते हैं उनकी कार्यवाही की वजह से देश में यह विरोध हो गया। यह जो अंग्रेजी हटाओ नारा देश में उठा इस नारे की वजह से दूसरे तरफ से इसके विरोध का भी नारा शुरू हुआ। कभी इस देस में हिन्दी और अंग्रेजी का झगड़ा नहीं था। अगर लोग हिन्दी का कभी विरोध करते थे तो इसी ख्याल से करते थे कि जो गैर-हिन्दी इलाके हैं, जो रीजनल लैंग्वेजेज़ हैं, अगर हिन्दी चलती है तो उन रीजनल लैंग्वेजेज को डेवलप करने के लिए कोई मौका नहीं रहेगा। और इस से वे लोग नुकसान में रहेंगे, सर्विसेज में रहेंगे, रीजनल लैंग्वेज से केवल इसी लिये पहले उनका विरोध था, लेकिन कभी हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में विरोध नहीं था ।

हिन्दी वालों को आज भी इस विधेयक का समर्थन करना चाहिये, जो हिन्दी-हिन्दी कहते हैं, उनको जरा भी विरोध नहीं करना चाहिये, क्योंकि हिन्दी, आपको मालूम है, सबको मालूम है, कोई इतनी बड़ी अच्छी भाषा नहीं है, जिसका आदर करके सबको ग्रहण करलें। बंगाल, तामिल के मुकाबले हिन्दी कुछ नहीं है, हिन्दी एक रीजनल लैंग्वेज हैं, इसको अगर हम

सारे हिन्दुस्तान की लैंग्वेज जनाना चाहते हैं तो धीरज से काम लेना चाहिये और इसको उस जगह पर लाना पड़ेगा, जिससे कि वह सारे हिन्दुस्तान की भाषा हो सके। इसके लिये थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ी सहिष्णुता रखनी पड़ेगी। आज जो यह नारा उठ रहा है—हिन्दी चहिये, हिन्दी चाहिये—यह कहाँ से उठ रहा है ? हिन्दी भाषा भाषी इलाकों से, यू० पी० से, दिल्ली से, इन इलाकों से यह नारा उठता है। लोग पब्लिक प्रापर्टी को नष्ट कर रहे हैं ? आखिर किस लिये—जहाँ पर कोई अंग्रेजी साइन-बोर्ड देखते हैं—कहते हैं हटा दो। मैं कहता हूँ कि अगर हिन्दी वालों को हिन्दी चालू करनी है तो जो हिन्दी के राज्य हैं, वहां इसके लिये कोई रुकावट नहीं है, वहां पर आन्दोलन करने की क्या जरूरत है। वे नान, हिन्दी इलाकों में जायं, वहाँ पर जा कर कहें कि अंग्रेजी हटाओ—यहां पर क्यों कह रहे हैं ?

श्री मधु लिमये : पहले यहाँ तो हटायें।

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी: यहाँ तो हट गई है। मैं पूछना चाहता हूँ कि कौन से हिन्दी राज्य हैं, जो हिन्दी का विरोध कर रहें हैं। कोई हिन्दी राज्य ऐसा नहीं है जो हिन्दी का विरोध कर रहा है—तो यह मूवमेन्ट किस लिये है ? यह मूवमेन्ट है—इम्पोजीशन के लिये, जबरदस्ती के लिये, जो नहीं मानते हैं उन पर जबरदस्ती लादी जाय—यह स्प्रिट इसके अन्दर है और जब तक यह जबरदस्ती रहेगी, मैं साफ कह देना चाहता हूँ—हमारी पार्टी की तरफ से भी कई दफ़ा साफ कहा गया हैं—हम मानते हैं कि हमारी राजभाषा हिन्दी होगी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जब ऐसी मांग आती है कि कांस्टीच्यूशन में अमेंण्डमेन्ट करके अंग्रेजी को चालू रखो, तो आपको देखना होगा कि यह मांग कहाँ से आती है—मद्रास से आती है, दूसरी जगहों से आती है—तो आपको सोचना होगा कि नान-हिन्दी इलाके, जो कि इस देश का दो-तिहाई भाग हैं, हमारे देश का एक-तिहाई भाग हिन्दी इलाके हैं, अगर उनके साथ आप ऐसा बर्ताव करेंगे, तो सारे नान-हिन्दी इलाके इसका विरोध करेंगे और तब हम देखेंगे कि आप कैसे हिन्दी चलायेंगे।

हम हिन्दी का विरोध नहीं करते हैं और न करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यह जो काम है सबको साथ लेकर किया जाय। मैं मनता हूँ कि यह हमारी पहले से गलती है-सारी दुनिया में कोई कांस्टीचूशन ऐसा नहीं है, जिसमें यह लिखा हो या इस प्रकार का कोई प्रोवीज़न हो कि भाषा कौन सी होगी। हमारा जो इतिहास रहा है, उसमें पहले से यह रहा है कि माइनौरिटी को देखो—इन्डीपेन्डेंस से पहले भी यह झगड़ा उठा था कि उर्दु को रखें या हिन्दी को रखें। सन् 1928 में आपको याद होगा—पं० मोती लाल नेहरू के सभापतित्व में जो एक आल पार्टी कान्फ्रेन्स हुई थी वहां पर भी यह सवाल उठा था कि हिन्दुस्तान की हमारी भाषा क्या हो, उस वक्त शायद हिन्दुस्तानी को रखा गया था—ऐसा कुछ हुआ था, क्योंकि शुरू से हम माइनौरिटी को खुश रखना चाहते थे और वही बात हमारे कांस्टीच्यूशन मेकर्स के दिल में भी पैदा हुई थी कि इस बारे में हमको कुछ करना चाहिये। जब विरोध हुआ तो हिन्दुस्तानी निकाल दी गई और हिन्दी को रखा गया, **जो कि नहीं होना चाहिये था**। मेरे विचार में तो संविधान में ऐसा कोई प्रोवीज़न ही नहीं होना चाहिये था कि हमारी भाषा क्या है। इसीलिये यह सब झगड़ा होता है। हमारी भाषा भारतीय **भाषायें हैं और वही भाषायें रहेंगी**। इस देश में दूसरी भाषा नहीं चल

सकती है—इसलिये इसको रखने की क्या जरूरत है, इसके लिये झगड़ा पैदा करने की क्या जरूरत है, इस तरह से यह कभी नहीं हो सकेगा ।

आज क्या हालत है ? आज इस बात को मानना पड़ेगा, सब को मानना पड़ेगा कि बदकिस्मती से हमारे देश में कई ईलाकों के लोग हिन्दी को अभी मन्जूर करने के लिए तैयार नहीं हैं । क्यों तैयार नहीं हैं—उनका कारण वाजिब है। वह समझते हैं कि हम हिन्दी सीखेंगे, तो इतनी दूर तक जो हम आये हैं, जितनी अंग्रेजी हमने पढ़ी है, जितना हमारा कारोबार है, उस हद तक हिन्दी सीखने में, हिन्दी को अपनाने में काफी वक्त लगेगा । लेकिन यदि देर तक इसको चलाया जाय, तो धीरे-धीरे अंग्रेजी हट जायगी. इससे हम को मुश्किल भी कम होगी। इसलिये इस को फौरन लाकर इम्पोजीशन नहीं करना चाहिये । अब प्रश्य यह है कि हम उन लोगों को किस तरह से साथ लेकर चलें । अब यहां एशोरेन्स की बात आई है—हम एशोरेन्स को ज्यादा अहमियत नहीं देते हैं, वह तो एक पोलीटिकल चाल थी । प्रधान मंत्री ने लोगों को सन्तुष्ट करने के लिये कह दिया कि हम एशोरेन्श देते हैं कि जब तक सारे अहिन्दी भाषी लोग राजी नहीं होते हैं, अंग्रेजी रहेगी। उस एशोरेन्स को पूरा करने के लिये हम पार्लियामेन्ट में विधेयक पेश करते हैं--लेकिन उसके कोई मायने नहीं हैं। कल वह विधेयक हम बदल सकते हैं । इसलिये उस एशोरेन्स का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन एक बात हम को जरूर देखनी पड़ेगी कि जो लोग हिन्दी लाने के लिये बाध्य कर रहे हैं उन हिन्दी वालों के दिलों में एक शक आया हुआ है कि ये लोग हिन्दी नहीं सीखेंगे, क्योंकि यह सरकार कांस्टीच्यूशन के उस प्रावीजन को पूरा करने के लिये कोई ठोस कदम उठानेवाली नहीं है । जब 20 साल तक उसने नहीं किया, तो आगे भी करनेवाली नहीं है—इसीलिये उनके मन में शक है । जिस तरीके से यह विधेयक आया है, उससे यही जाहिर होता है कि यहां पर अंग्रेजी को कुछ दिनों तक रखेंगे । मैं मानता हूँ कि प्रोनौंग्ड बाईलिंगुलिज्म इस वेश में कुछ दिनों तक रहेगा, लेकिन हमको देखना चाहिये कि अंग्रेजी भाषा क्यों जरूरी है ? मैं यह मानता हूँ कि जिस देश में दो प्रतिशत लोग भी अंग्रेजी भाषा को नहीं जानते, उस देश में अंग्रेजा भाषा ज्यादा दिन तक चलेगी—यह सम्भव नहीं है। लेकिन उन लोगों को राजी करने के लिये यह जरूरी है कि हम ऐसे कुछ कदम उठायें, ऐसा प्रवीजन रखें कि उनके दिल में जो यह शक पैदा हो गया है कि हिन्दी हम पर लादी जा रही है, यह शक दूर हो जाय ।

जहां तक मैंने इस बिल को पढ़ा है, इसमें इधर उधर कोई परिवर्तन होना चाहिये तो वह संशोधन कर लें, लेकिन वैसे यह बिल हिन्दी का विरोधी नहीं है । हिन्दी किस तरह से सर्वसम्मति से चालू होगी इसके लिये कुछ रास्ता इसमें सुझाया गया है, रास्ता निकाला गया है। इसलिये जो रेजोल्यूशन आया है, मैं उसको भी बहुत महत्व देता हूँ। यह रेजोल्यूशन पहले से आना चाहिये था । यह गवर्नमेन्ट का फर्ज था कि कांस्टीचूशन में 343 से 348 तक जो धारायें रखी गई हैं, उनको काम में लेती, लेकिन अभी तक कुछ नहीं किया, अब इस विधेयक के साथ उसको लाये हैं। हम जानते हैं कि इस सरकार ने इस कांस्टीचूशन के अनुसार प्राइमरी ऐजुकेशन के लिये क्या किया, प्राहिबिशन के लिये क्या किया,

डिस्पैरिटी हटाने के लिये क्या किया, कांस्टीचूशन के इन सारे प्रावीजन्स को काम में लाने के लिये क्या किया—कुछ काम नहीं किया है। यह निकम्मी सरकार है इसको हटाओ।

मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यह विधेयक हिन्दी के खिलाफ नहीं है, इस विधेयक में केवल देश के अहिन्दी भाषा भाषी लोगों के लिये व्यवस्था की गई है। मैं बार-बार इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि यदि हम इस प्रकार की व्यवस्था नहीं करेंगे तो हम अपने देश के दो-तिहाई लोगों को क्या तसल्ली देंगे, उन में सिर्फ मद्रास के डी० एम० के० वाले भाई नहीं हैं, मैं खुद भी आपके सामने खड़ा हूँ, मैं भी हिन्दी भाषी नहीं हूँ—इसलिये हम ऐसी चीजों के पीछे नहीं जायेंगे, जिसमें झगड़ा हो, हम उस रास्ते को कभी अख्तियार नहीं करेंगे जिसमें हमारी एकता भंग हो। ये जो हमारे भाई हैं, जो अहिन्दी भाषी हैं, जो सारे देश में फैले हुए हैं, उनकी अवज्ञा कर के, उनको छोड़ कर, क्या हम आगे बढ़ सकेंगे। यह बात आज हमको पार्लियामेन्ट में विचार करनी है। इस दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो यह जो विधेयक आया है, इसमें जो प्रावीजन किया गया है, वही ठीक है।

एक माँग है कि हिन्दी पूरी तरह अमल में लाने के लिए एक टाइम लिमिट कर दी जाय कि पांच साल के अन्दर हिन्दी चालू हो जायगी तो वह भी इस तरीके से हिन्दी लादने की ही बात होगी क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है कि अभी इसको लाने में कितना समय लगेगा, कितने साल लगेंगे। हिन्दी पाँच साल की अवधि में लाने के लिए आपने क्या प्रबन्ध किया है ? क्या प्रबन्ध किया है आपने अहिन्दी भाषी प्रान्तों में कि वहां पर पांच साल के अन्दर उन को इतनी दक्षता हो जायगी कि वह सब कामकाज हिन्दी में भलीभांति चला सकें ? क्या प्रबन्ध आपने इसके लिए किया है कि पांच साल के अन्दर जैसे मैं आज अंग्रेजी में बोल सकता हूँ वैसे ही मैं हिन्दी में भी बोल पाऊंगा ? मेरी समझ में ऐसी दक्षता नहीं हो पायेगी। इसलिए इस बारे में कोई टाइम लिमिट करना और वह भी आज के हालात में जब कि इतनी मुखालफत हो उचित नहीं है और अगर वैसा हम करते हैं तो जिस उद्देश्य से हम यह विधेयक पास करना चाहते हैं वह उद्देश्य बिलकुल बर्बाद हो जायगा, नष्ट हो जायगा। वह उद्देश्य काम में नहीं आयेगा। मैं नहीं समझता हूँ कि आज की हालत में इस तरह की कोई टाइम लिमिट फिक्स करनी जरूरी है। आज जो लोग कहते हैं कि इस तरह का विधेयक लाना बिलकुल अनकॉस्टीट्यूश्नल है, यह संविधान के विपरीत है तो मेरा कहना है कि वह तो जिस रोज 1963 में हमने यह विधेयक ग्रहण किया उसी दिन से हमने अनकॉस्टीट्यूश्नल काम करना शुरू कर दिया सन् 65 की जो अवधि हमने रक्खी थी हिन्दी को पूरी तरह से अमल में लाने के लिए वह लानी सम्भव नहीं दिखाई दे रही थी इसलिए सन् 63 में ही कांस्टीट्यूशन को तोड़ कर और विधेयक करके यह कर दिया कि अंग्रेजी हिन्दी के साथ रहेगी। इसलिए जो इस संशोधन विधेयक को अनकांस्टीट्यूश्नल होने की बात करते हैं तो वह तो उस तरह से पहले से ही सन् 63 से ही अनकांस्टीट्यूश्नल था इसलिए यह अनकांस्टीट्यूश्नल होने की बात आज नहीं उठती है। मेरी समझ में हमारे जो हिन्दी भाषी लोग हैं उनका इस बारे में अपेक्षाकृत अधिक कर्त्तव्य व दायित्व है कि वह प्रेम से अपने साथ अहिन्दी भाइयों को हिन्दी की दिशा में ले चलने का धीरे-धीरे प्रयास करें। इस चीज में सैंटीमेंट की बात

आ गयी है, कुछ पालिटिक्स की भी बात आ गई है और अगर हम यह पालिटिक्स को छोड़कर विचार करें तो मैं समझता हूँ कि हिन्दी देश में चालू होने के लिए ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन हम जरूरत से ज्यादा अगर इसी को दुहरायेंगे, इसी पर इम्फैसिस देंगे तब मैं समझता हूं कि यह देश टुकड़े-टुकड़े हो जायगा। आखिर कैनाडा एक छोटा सा देश है लेकिन उस में कई भाषाएं हैं, इजरायल में भी इसी तरह 2-3 भाषाएं है तो हमारे इतने विशाल देश में अगर कुछ दिन तक एक से अधिक भाषा चले तो इससे हमें घबड़ाना नहीं चाहिए। हमारा देश मल्टीलिंग्वल है, काफी रीजनल लैंग्वेजेज यहां पर हैं और हमने कांस्टीट्यूशन में उनके लिए प्राविजन किया है और कांस्टीट्यूशन में फिर अमेंडमेंट आता है कि अमुक प्रादेशिक भाषा को भी उस सूची में शामिल करो। कहने का अर्थ यह है कि हमारे देश में काफी प्रादेशिक भाषाएं हैं और संविधान ने उन्हें मान्यता भी प्रदान की हुई है ऐसी हालत में क्या बिगड़ता है अगर कुछ दिन तक हमारे देश में दो भाषाएं चलें ? अखिर देश की एकता हम सब के लिए सर्वोपरि होनी चाहिए। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि तुम देश की एकता चाहते हो या हिन्दी चाहते हो तो मैं फौरन जवाब दे दूँगा कि भाई हिन्दी 5,10 या 20 साल के अन्दर भले ही आवे उससे कुछ विशेष नहीं बिगड़ने वाला है लेकिन देश की एकता का खतरा हम एक क्षण के लिए भी नहीं मोल ले सकते। आज हमारे सामने प्रश्न देश की एकता, इंटैग्रिटी और यूनिटी की रक्षा करने का है और उसकी रक्षा करने का रास्ता सिर्फ यही है अन्य कोई रास्ता नहीं है कि हमें सब को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। मैं फिर एक दफा यह निवेदन करना चाहता हूँ कि बाहर से जो आन्दोलन होता है और भीतर हम जिस तरीके की कार्यवाही कर रहे हैं उस पर हम जरा गम्भीरता से विचार करके देखें कि इसके परिणाम-स्वरूप कहीं हम देश की एकता को तो कमजोर नहीं कर रहे हैं। अभी भी देश में कहीं से यह मांग उठ रही है कि इस कांस्टीट्यूशन को बदलो, कांस्टीट्यूशन को हटा दो और यह प्रवृत्ति खतरनाक हैं, अगर देश में इसी प्रकार का बर्त्ताव चलता रहा तो यह प्रवृत्ति घटने वाली नहीं है बढ़ने ही वाली है और देश की एकता छिन्न-भिन्न हो जायगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि यह जो भाषा सम्बन्धी संशोधन विधेयक हमारे समाने प्रस्तुत है उसको हम सबको मंजूर कर लेना चाहिए क्योंकि इसमें मैं एक एकता को कायम रख सकने की आशा देखता हूँ।

भाषा सम्बन्धी डिबेट जो सन् 1963 में संदन में हुआ था उसका में अध्ययन कर रहा था तो उस समय डी० एम० के० के जो यहां नेता होते थे श्री मनोहरन, उन का उस वक्त यह कहना था कि जब तक हम ऐग्री न हो जायें तब तक इसको मत करे। अब एग्री करने का दायित्व किसका है ? मैं आशा करता हूँ कि वह लोग भी आज नहीं तो कल, वह दिन आने वाला है जब इसके लिए एग्री हो जायेंगे क्योंकि अगर उनको तामिल के प्रति श्रद्धा है, तामिल भाषा के लिए श्रद्धा हैं तो मैं समझता हूँ कि उसी तरीके से उनको और भी भारतीय भाषाओं के लिए श्रद्धा होगी। अब जाहिर है कि भारतीय भाषाओं के लिए श्रद्धा होना है तो देश में हिन्दी के सिवाय और कोई भी अन्य भारतीय भाषा इस देश की लिंक लैंग्वेज नहीं हो सकती है। यह भी कुछ दिन के बाद इसे मंजूर करेंगे।

आज करीब-करीब हमारा फैसला हो गया है कि युनिवरसिटीज में एजुकेशन का मीडियम रीजनल भाषा होगी और वहां पर पढ़ाई रीजनल लैंग्वेज में चलेगी और अगर यह चलती है

तो यह मानी हुई बात है कि अंग्रेजी का आज जो स्थान है यह और कमजोर हो जायगा। जब अंग्रेजी कमजोर हो जाती है, रीजनल लेंग्वेज युनिवार्सिटीज में होती हैं तो भारतीय प्रादेशिक भाषाओं का निश्चित रूप से प्राधान्य बढ़ता है। साथ ही यह भी मानी हुई बात है कि जब उनके बीच कोई एक लिंक लेंग्वेज की बात होगी तो वह किसी भारतीय भाषा को ही पसन्द करेंगे, अंग्रेजी को नहीं पसन्द करेंगे और जैसा मैंने अभी कहा वह भारतीय भाषा हिन्दी ही हो सकती है।

आज लोग पूछते हैं कि कैसे यहां पर काम चल सकेगा हिन्दी सारे लोग समझते नहीं हैं तो मेरा उन से कहना है कि अगर कोई भाव प्रकट करना है तो उसके लिये यह जरूरी नहीं है कि कोई एक भाषा हो ही। अब शंकराचार्य महाराज केरल से आये और वह कश्मीर तक गये तो उन्होंने किस भाषा में लोगों को अपना संदेश व उपदेश दिया ? इसलिए हमें देश की एकता का मूलाधार क्या है उसको समझना चाहिए। पहली जरूरत इस बात की है कि हम देश में हिन्दी के लिए अनुकूल हवा व वातावरण पैदा करें, लोगों को प्रेम से उस दिशा में चलाने का प्रयास करें क्योंकि हम देश की एकता को बरकरार रखना चाहते हैं और इसलिए मैं समझता हूँ कि जिस दिन तक हमारे दूसरे अहिन्दी भाई हिन्दी को अमल में लाने के लिए राजी नहीं होते हैं उस दिन तक हमारे देश में दो भाषा चलें, हम को कोई ऐतराज नहीं है ।

इस विधेयक के द्वारा अलबत्ता एक बात उठती है और वह है कि किसी भी स्टेट को एक वीटो पावर मिल जायगी और उसके लिए हमें देखना चाहिए और आवश्यक संशोधन के लिए विचार करना चाहिए । उदाहरण के लिए मैं आपको बतलाऊं कि नागालैंड एक छोटी सी स्टेट बन गयी है भले ही वह कुछ भूल के कारण बनी हो लेकिन वह बन गयी है । अब उन के लिए हमारे मन में पहले से यह विचार है कि वह एक क्रिश्चियन स्टेट होगी और वह अपनी राजभाषा अंग्रेजी को करेगें। अब अगर दूसरे भाषा भाषियों को आप यह अधिकार देते हैं कि वह अपनी-अपनी स्टेट में अपनी खुशी के मुताबिक जो लैंग्वेज चाहें उसको चलायें तो नागालैंड वाले चूंकि समझते हैं कि उनके लिए अंग्रेजी चलाने में सहूलियत है इसलिए वह अंग्रेजी चला रहे हैं लेकिन यह गलत बात होगी। विधेयक में अभी जो प्राविजन रहता है कि नागालैंड जो एक स्टेट है वहां अंग्रेजी चलती है क्योंकि वहां के लोग ऐसा चाहते है तो सारे देश में अगर मेजारिटी कहती है कि हिन्दी चालू करना है लेकिन चूंकि युनैनिमिटी नहीं है तो वह नहीं चालू की जा सकती है तो यह बात गलत होगी। वह देश के लिए भी गलत होगी इसलिए हम नहीं समझते हैं कि यह जो अभी कहा गया है उसका यह मतलब है कि सारी की सारी स्टेट राजी होगी तभी हिन्दी को चालू किया जा सकेगा। अगर मेजारिटी स्टेट्स इसको चालू करने के लिए राजी हो जायेंगी तो उसे अमल में ले आया जायगा। अगर एक उसके खिलाफ होगी तो एक के लिए पार्लियामैंट बैठी नहीं रहेगी और उसे वीटो पावर नहीं होगी और न होनी चाहिए। प्राविजन आप कुछ भी करें जैसा मैंने कहा अगर समूचे देश में आप एक उसके लिए प्रेम से व्यवहार करके अनुकूल वातावरण पैदा करते हैं, देश में इस बारे में तमाम झगड़े और प्रदर्शन आदि बन्द हो जाते हैं और उस समय अगर हर एक नौन-हिन्दी स्टेट हिन्दी को अमल में लाने के लिए राजी हो जाती है तब मेरे दिल में जरा

भी शक नहीं है कि वह क्यों न समूचे देश में आ सकेगी भले ही उस समय एक टुकड़ा नागालैंड हो या इर्दगिर्द और कोई भाई हों जोकि इसके विरुद्ध हों तो वह उसे अमल में आने से रोक नहीं सकेंगे और सारे देश में हिन्दी चालू होगी इसलिए हमें इस बारे में धीरज से काम लेना चाहिए ।

यह बिल एक अच्छी आबहवा पैदा करता है और अगर लोगों के दिलों में इस तरह से एक गलतफहमी न पैदा कर दी जाती, लोगों के अन्दर इस तरह का भ्रमक प्रचार न कर दिया जाता तो सभी लोग इसका स्वागत करते । यह मैं साफ दिल से कहता हूँ कि यह जो आबहवा अब फैल गई है उसमें मालूम ऐसा देता है मानों वह संशोधन विधेयक हिन्दी के विरुद्ध हो । मैं कहता हूँ कि यह हिन्दी को बढ़ाने वाला बिल है, हिन्दी की अभिवृद्धि का बिल है । इस बिल द्वारा सभी देशवासियों को साथ लेकर हिन्दी को चलाने की दिशा में एक प्रयास है लेकिन अभाग्यवश आबहवा ऐसी पैदा की जाती है कि यह हिन्दी के विरुद्ध है और इसको लेकर देश में गड़बड़ी मच गयी है ।

सभापति महोदय, मुझे इस अवसर पर और अधिक नहीं कहना है क्योंकि जब इस पर धारावार विचार होगा तब जो मैंने इस पर संशोधन दिये हैं उनकी रोशनी में मैं इस विधेयक पर विस्तारपूर्वक कहूँगा । मेरी समझ में एक-आध संशोधन इसमें अपेक्षित हैं जैसे कि मैंने एक संशोधन इस पर दिया भी है कि अगर एक हिन्दी भाषा भाषी स्टेट है और वह एक अहिन्दी भाषा भाषी स्टेट से हिन्दी में वर्तालाप करना चाहती है और इस बारे में अगर उनमें परस्पर राजीनामा हो जाय तो यह हो सकता है । बिल में वह प्राविजन हो ।

अगर नान-हिन्दी वाले हिन्दी भाषा में हिन्दी वालों से बात करना चाहते हैं या यूनियन के साथ करना चाहते हैं तो वे भी कर सकते हैं लेकिन यह काम रजामन्दी से ही हो सकता है । इसमें एक बात की सफाई नहीं है । अगर हिन्दी में लिखा जाता है तो हिन्दी में जवाब आएगा और साथ में अंग्रेजी ट्रांसलेशन आएगा। जो नान-हिन्दी वाले लिखेंगे वे अपनी भाषा और अंग्रेजी में लिखेंगे । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उनके पास यहां से हिन्दी में जबाब आएगा ? मुझे मालूम है कि शायद नन्दा जी जब होम मिनिस्टर थे तब उन्होंने कोई सर्क्युलर निकाला था कि जहां से जिस भाषा में पत्र आएगा उसी भाषा में उसका जवाब भी जाएगा लेकिन इसको लागू नहीं किया गया । मैं चाहता हूँ कि इस चीज को लागू किया जाए । मैं चाहता हूँ कि केन्द्र के पास अगर हिन्दी में या किसी अन्य भारतीय भाषा में या अंग्रेजी में पत्र आता है तो उस पत्र का उत्तर उसी भाषा में उनके पास पहुंचना चाहिये । इस चीज को साफ कर दिया जाए तो अच्छा होगा । तब किसी के दिल में जरा भी शक नहीं रह जाएगा कि उस पर कोई भाषा थोपी जा रही है ।

यह जो रेजोल्युशन है इसमें कहा गया कि पब्लिक सर्विस कमीशन की जो परीक्षायें होती हैं उनमें हिन्दी का ज्ञान रखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है । यह कह कर अंग्रेजी के बारे में कुछ नहीं कहना, गलत होगा ।

हिन्दी को लाने के लिए छोटे-मोटे इधर-उधर जो संशोधन करने की आवश्यकता है उनके बारे में हम बैठकर सोच सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि यह जो विधेयक है इसको हम सब मंजूर करें। यह कहा गया है कि इसको हम अमल में लाएँ। अगर अमल में लाते वक्त कोई दिक्कत दिखाई दी तो हाउस सुप्रीम है और वह फिर से इसमें संशोधन कर सकता है। पहले भी हम कर चुके हैं और बाद में 1968 में या 1969 में अगर आवश्यकता पड़ी तो फिर भी संशोधन कर सकते हैं, फिर भी हम इसको एमेंड कर सकते हैं। अगर हिन्दी को बढ़ाने के रास्ते में मुश्किलात पेश आती हैं और उसके साथ-साथ अंग्रेजी भाषा भाषियों को या अहिन्दी भाषा भाषियों को कोई दिक्कत महसूस होती है तो हम फिर इसमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन मौजूदा जो देश की हालत है और जिस तरह से भाँति-भाँति की मनोभावना बनी हुई है, मनोवृत्ति बनी है और जिस तरह के झगड़े पैदा हो रहे हैं, जिस तरह से टेंशन पैदा हो रहा है और लगता है कि हिन्दुस्तान जैसे टुकड़े-टुकड़े होने वाला है, इसको अगर रोकना है तो मैं निवेदन करूंगी कि अभी हम इस विधेयक को मंजूर कर लें और इसको आगे बढ़ाने में हम सब मदद दें।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : सभापति महोदय, सदन में कुछ समय पहले जिस तरह का तनाव का वातावरण हो गया था उसमें श्री द्विवेदी जी के भाषण ने मरहम का काम किया है। मैं इसके लिये उनको बधाई देती हूँ। कुछ लोगों की जुबान के कोड़े से हिन्दुस्तान की पीठ छीली जा रही थी और द्विवेदी जी ने मरहम लगा कर उस घाव को ठंडा करने की कोशिश की है।

यहां पर आध घंटा पहले कुछ लोगों ने जो वातावरण बनाया चाहे वे हिन्दी भाषी हों और चाहे अहिन्दी भाषी, मैं कहना चाहती हूँ कि उन लोगों ने देश के साथ बड़ा अन्याय किया। इसको देख कर मुझे यह शेर याद आया और मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि वे होश में भी हैं या नहीं।

जनूँ का दौर है किस-किस को जायें समझाने
इधर भी अक्ल के दुश्मन, उधर भी दीवाने।

आखिर किया क्या जाये ? लोगों को समझना चाहिये कि एक शब्द जो तीर की तरह जबान से निकल जाता है तो फिर वह लौट कर जबान पर नहीं आता है और न जाने कहां कहां कितने गहरे घाव करता है। जब उनकी समझ में नहीं आता है यह, तो मैं उनके लिये क्या कहूँ। क्या मैं यह कहूँ कि उनको पागलपन का दौर है श्री श्रीकंठन नायर साहब ने क्या...

एक माननीय सदस्य : दौड़ या दौर।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : दौर।

एक माननीय सदस्य : हमने समझा था दौड़।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मुझे दुख हुआ उस सब पर जो कुछ श्री श्रीकंठन नायर जी ने और श्री कछवाय जी ने किया। उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिये थीं। हिन्दी

भी शक नहीं है कि वह क्यों न समूचे देश में आ सकेगी भले ही उस समय एक टुकड़ा नागालैंड हो या इर्दगिर्द और कोई भाई हों जोकि इसके विरुद्ध हों तो वह उसे अमल में आने से रोक नहीं सकेंगे और सारे देश में हिन्दी चालू होगी इसलिए हमें इस बारे में धीरज से काम लेना चाहिए ।

यह बिल एक अच्छी आबहवा पैदा करता है और अगर लोगों के दिलों में इस तरह से एक गलतफहमी न पैदा कर दी जाती, लोगों के अन्दर इर तरह का भ्रमक प्रचार न कर दिया जाता तो सभी लोग इसका स्वागत करते । यह मैं साफ दिल से कहता हूँ कि यह जो आबहवा अब फैल गई है उसमें मालूम ऐसा देता है मानों वह संशोधन विधेयक हिन्दी के विरुद्ध हो । मैं कहता हूँ कि यह हिन्दी को बढ़ाने वाला बिल है, हिन्दी की अभिवृद्धि का बिल है । इस बिल द्वारा सभी देशवासियों को साथ लेकर हिन्दी को चलाने की दिशा में एक प्रयास है लेकिन अभाग्यवश आबहवा ऐसी पैदा की जाती है कि यह हिन्दी के विरुद्ध है और इसको लेकर देश में गड़बड़ी मच गयी है ।

सभापति महोदय, मुझे इस अवसर पर और अधिक नहीं कहना है क्योंकि जब इस पर धारावार विचार होगा तब जो मैंने इस पर संशोधन दिये हैं उनकी रोशनी में मैं इस विधेयक पर विस्तारपूर्वक कहूँगा । मेरी समझ में एक-आध संशोधन इसमें अपेक्षित हैं जैसे कि मैंने एक संशोधन इस पर दिया भी है कि अगर एक हिन्दी भाषा भाषी स्टेट है और वह एक अहिन्दी भाषा भाषी स्टेट से हिन्दी में वर्तालाप करना चाहती है और इस बारे में अगर उनमें परस्पर राजीनामा हो जाय तो यह हो सकता है । बिल में वह प्राविजन हो ।

अगर नान-हिन्दी वाले हिन्दी भाषा में हिन्दी वालों से बात करना चाहते हैं या यूनियन के साथ करना चाहते हैं तो वे भी कर सकते हैं लेकिन यह काम रजामन्दी से ही हो सकता है । इसमें एक बात की सफाई नहीं है । अगर हिन्दी में लिखा जाता है तो हिन्दी में जवाब आएगा और साथ में अंग्रेजी ट्रांसलेशन आएगा। जो नान-हिन्दी वाले लिखेंगे वे अपनी भाषा और अंग्रेजी में लिखेंगे । मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उनके पास यहां से हिन्दी में जबाब आएगा ? मुझे मालूम है कि शायद नन्दा जी जब होम मिनिस्टर थे तब उन्होंने कोई सर्क्युलर निकाला था कि जहां से जिस भाषा में पत्र आएगा उसी भाषा में उसका जवाब भी जाएगा लेकिन इसको लागू नहीं किया गया । मैं चाहता हूँ कि इस चीज को लागू किया जाए । मैं चाहता हूँ कि केन्द्र के पास अगर हिन्दी में या किसी अन्य भारतीय भाषा में या अंग्रेजी में पत्र आता है तो उस पत्र का उत्तर उसी भाषा में उनके पास पहुंचना चाहिये । इस चीज को साफ कर दिया जाए तो अच्छा होगा । तब किसी के दिल में जरा भी शक नहीं रह जाएगा कि उस पर कोई भाषा थोपी जा रही है ।

यह जो रेजोल्युशन है इसमें कहा गया कि पब्लिक सर्विस कमीशन की जो परीक्षायें होती हैं उनमें हिन्दी का ज्ञान रखने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है । यह कह कर अंग्रेजी के बारे में कुछ नहीं कहना, गलत होगा ।

हिन्दी को लाने के लिए छोटे-मोटे इधर-उधर जो संशोधन करने की आवश्यकता है उनके बारे में हम बैठकर सोच सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि यह जो विधेयक है इसको हम सब मंजूर करें। यह कहा गया है कि इसको हम अमल में लाएँ। अगर अमल में लाते वक्त कोई दिक्कत दिखाई दी तो हाउस सुप्रीम है और वह फिर से इसमें संशोधन कर सकता है। पहले भी हम कर चुके हैं और बाद में 1968 में या 1969 में अगर आवश्यकता पड़ी तो फिर भी संशोधन कर सकते हैं, फिर भी हम इसको एमेंड कर सकते हैं। अगर हिन्दी को बढ़ाने के रास्ते में मुश्किलात पेश आती हैं और उसके साथ-साथ अंग्रेजी भाषा भाषियों को या अहिन्दी भाषा भाषियों को कोई दिक्कत महसूस होती है तो हम फिर इसमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन मौजूदा जो देश की हालत है और जिस तरह से भाँति-भाँति की मनोभावना बनी हुई है, मनोवृत्ति बनी है और जिस तरह के झगड़े पैदा हो रहे हैं, जिस तरह से टेंशन पैदा हो रहा है और लगता है कि हिन्दुस्तान जैसे टुकड़े-टुकड़े होने वाला है, इसको अगर रोकना है तो मैं निवेदन करूंगी कि अभी हम इस विधेयक को मंजूर कर लें और इसको आगे बढ़ाने में हम सब मदद दें।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : सभापति महोदय, सदन में कुछ समय पहले जिस तरह का तनाव का वातावरण हो गया था उसमें श्री द्विवेदी जी के भाषण ने मरहम का काम किया है। मैं इसके लिये उनको बधाई देती हूँ। कुछ लोगों की जुबान के कोड़े से हिन्दुस्तान की पीठ छीली जा रही थी और द्विवेदी जी ने मरहम लगा कर उस घाव को ठंडा करने की कोशिश की है।

यहां पर आध घंटा पहले कुछ लोगों ने जो वातावरण बनाया चाहे वे हिन्दी भाषी हों और चाहे अहिन्दी भाषी, मैं कहना चाहती हूँ कि उन लोगों ने देश के साथ बड़ा अन्याय किया। इसको देख कर मुझे यह शेर याद आया और मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि वे होश में भी हैं या नहीं।

जनूँ का दौर है किस-किस को जायें समझाने
इधर भी अक्ल के दुश्मन, उधर भी दीवाने।

आखिर किया क्या जाये ? लोगों को समझना चाहिये कि एक शब्द जो तीर की तरह जबान से निकल जाता है तो फिर वह लौट कर जबान पर नहीं आता है और न जाने कहां कहां कितने गहरे घाव करता है। जब उनकी समझ में नहीं आता है यह, तो मैं उनके लिये क्या कहूँ। क्या मैं यह कहूँ कि उनको पागलपन का दौर है श्री श्रीकंठन नायर साहब ने क्या...

एक माननीय सदस्य : दौड़ या दौर।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : दौर।

एक माननीय सदस्य : हमने समझा था दौड़।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मुझे दुख हुआ उस सब पर जो कुछ श्री श्रीकंठन नायर जी ने और श्री कछवाय जी ने किया। उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिये थीं। हिन्दी

को अगर गाली दी जाती है तो यही नहीं कि यह उचित नहीं है बल्कि आप यह भी देखें कि इससे देश में इस प्रकार की हवा बनेगी कि जिसको कोई दवा नहीं होगी। साथ साथ आप यह भी देखें कि अगर अहिन्दी भाषा भाषी लोगों के मन पर कोई प्रतिकूल भाव पैदा होते हैं और वे समझते हैं कि हम उनकी बात की कद्र नहीं करते हैं तो जो नुक्सान इससे पहुंचता है, उसकी भी कोई दवा नहीं हो सकेगी ।

हम जब बच्चे थे तो इसी संसद की उन दिनों की याद आज भी हमारे दिलों में ताजा है । यहाँ की एक-एक आवाज को सुन कर देश उठ पड़ता था और जाग जाता था । उस समय देश की आजादी की जंग लड़ रहे थे। वह जंग हमने इसलिए नहीं लड़ी कि बिहार या उत्तर प्रदेश में आजादी आएगी और देश के दूसरे भागों में आजादी नहीं आएगी । इसलिए वह जंग हमने लड़ी कि देश के कोने-कोने में आजादी आ गयी हम सब लोगों ने खून पसीना बहाया था तो इसलिए कि हमारा देश आजाद हो । उस वक्त हम सबने साथ जीने और साथ मरने की कसम खाई थी ।

उन दिनों की बात को सोच कर ऐसा लगता है कि जो संसद एक आवाज पर सारे देश को जगा सकता था वही संसद आज एक आवाज बन कर देश में विघटन पैदा करने की कोशिश कर रहा है । हम इस बात को मानें कि हम जो यहाँ बैठकर बात करते हैं, इन लाखों लाखों आदमियों की जबान और लाखों आदमियों के कान और आंख से हम बात करते हैं । चाहे हिन्दी भाषी हों या अहिन्दी भाषी । हम इसको महसूस करें कि कहीं भी कोई ऐसी चीज न हो जिससे हिन्दुस्तान की एकता भंग हो, हिन्दुस्तान की एकता को हम किसी तरह से खंडित करने में सहायक हों । यही काफी नहीं है कि हम इस चीज को अपने मुँह से कहें । हमें चाहिये कि हमारे दिलों की धड़कनें भी इस बात को महसूस करें । अगर आज दक्षिण भारत का, पूर्वी भारत का या उत्तरी भारत का एक कोना भी खंडित होता है तो हमारी पार्टी के लोग खून बहाने के लिए तैयार हो जाते हैं। नेफा और लद्दाख में जो कुछ हुआ, बिहार का आदमी शायद न गया होगा वहां परन्तु जिस तरह से उन इलाकों को अलग करने की कोशिश हुई उससे हम सबके रोंगटे खड़े हो गए और कोई हिंदुस्तान के सुनहरे नाम पर धब्बा भी लगाने की कोशिश करता है, कारण चाहे जो हो तो हम सब एक होकर उसका मुकाबला करेंगे । कौन दावा कर सकता है कि वह हिन्दुस्तान से अलग हो कर रहेगा । मैं समझती हूँ कि हिन्दुस्तान का इतिहास, हिन्दुस्तान की यथार्थता, हिन्दुस्तान की जर्मन, हिन्दुस्तान का आसमान अलगाव नहीं मानेगा और न वह इसको बरदाश्त करेगा ।

इस बात को मैं मानती हूँ कि हिन्दी मेरी मातृभाषा है । लेकिन किन लोगों ने इसको राज भाषा माना है और किन लोगों ने इसको राज भाषा का पद दिया है ? क्यों हमारे ऊपर आप इस बात की तोहमत लगाते हैं कि हमने इसको राजभाषा बनाया है । अहिन्दी भाषियों ने ही तो इसको राजभाषा के रूप में माना है । हम यहाँ उस समय कहाँ थे इस संसद में ? हमारे बच्चे कहाँ थे संसद में और पार्लियामेंट में जब आपने राज भाषा हिन्दी को माना था ? क्या आपने हमारे कंधों पर हिन्दी को राज भाषा का स्थान दिलाने की जिम्मेदारी नहीं डाली थी, अपने कंधों पर यह जिम्मेदारी नहीं डाली थी ? जब हम सबके कंधों पर बराबर का बोझ डाला गया

है तो ये कंधे कैसे कह सकते हैं कि हिन्दी को राज भाषा बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ हिन्दी वालों की है और अहिन्दी भाषा भाषियों की नहीं है ? आज यह कहना कि हिन्दी गलत भाषा है ? आज यह कहना कि हिन्दी पिछड़ी हुई भाषा है, आज यह कहना कि हिन्दी कुछ नहीं है, यह अपने प्रति आप गद्दारी कर रहे हैं, राज भाषा के प्रति आप गद्दारी कर रहे हैं, अपने राष्ट्र के प्रति आप गद्दारी कर रहें हैं, अपनी उस संबिधान सभा के साथ आप गद्दारी कर रहे हैं जिस सविधान सभा में आपके पूर्वजों ने, आपके बुजुर्गों ने, अहिन्दी भाषा, भाषी लोगों ने हमारे लिए यह तोहफा दिया था और इस तोहफे को हमारी झोली में दे कर चले गये थे। हमारी गोदी में आज हिन्दी आई है तो क्या हम इसको जबर्दस्ती ले आये हैं ? हमारी गोदी में हिन्दी आई है इसलिये कि अहिन्दी भाषी लोगों ने उस हिन्दी का नाम लिया और उसको राज भाषा बनाया। उत्तर प्रदेश और बिहार की आवाज उस समय नहीं गूँजती थी। आवाज गूँजती थी तो केरल की, मद्रास की, आंध्र की जैसा कि श्रीब्रह्मानन्द रेड्डी ने उस दिन हमारी सभा में कहा था कि खादी और हिन्दी देश की स्वतन्त्रता की एक अनुभूति बन गए थे, देश की स्वतंत्रता में ऐसे लिपट गये थे कि हम जब खादी की आवाज उठाते थे तो देश की स्वतंत्रता दुंदुभी बज जाती थी, जब हिन्दी की आवाज इठाते थे तो हर जगह जनता के हाथ उठ जाते थे देश की आजादी के लिए। गांधी जी ने इस भाषा के लिए जो एक सद्भाव पैदा किया था उस सद्भाव में जबर्दस्ती वाली कोई बात नहीं थी बल्कि आप लोगों का अपना प्यार था। अपना स्नेह था। आज भी यह हिन्दी वही हिन्दी है। इस वास्ते अगर कुछ लोग इस बात की तोहमत लगाते हैं, अगर आज कुछ लोग इस तरह से गलत फहमी पैदा करने की कोशिश करते है कि हिन्दी अहिन्दी भाषी लोगों पर हम लादना चाहते हैं तो इस बात को मैं निरर्थक समझती हूँ। परन्तु मेरी समझ में यह बात नहीं आती है। अगर कोई कह दे कि हमारी नाक नहीं है तो हम पहले अपनी नाक को देखें या दूसरों की बात को मान कर एक बात का फैसला कर लेंगे कि हमारे मुंह पर हमारी नाक नहीं है।

अगर किसी ने कह दिया कि हम हिन्दी को लादना चाहते हैं, तो अहिन्दी भाषी राज्यों ने इस बात को क्यों मान लिया, यह मेरी समझ में नहीं आता। उन्होंने यह क्यों नहीं सोचा कि जब हिन्दी आई थी, तो उसको लाने वाले वे थे, हम नहीं। हिन्दी को वे लाए थे और हम ने उनका साथ दिया था और इस प्रकार हिन्दी को यह स्थान दिया गया। कब किसी ने कहा है कि हिन्दी बहुत बड़ी है ? कब किसी ने कहा है कि हिन्दुस्तान की राष्ट्र-भाषाओं में सिर्फ हिन्दी ही इस स्थान के लिए दावा कर सकती हैं और भाषायें नहीं।

हिन्दुस्तान के बारे में सोचने वाले लोग उन दिनों को याद रखें, जबकि हजारों बरस पहले ये भाषायें भी नहीं थीं, रेलगाड़ियाँ नहीं थीं और आने जाने के रास्ते नहीं थे। तब भी अगर बिहार का एक आदमी सेतु-रामेश्वर में पूजा कर के आता था, तो बिहार के गांवों में उसकी पूजा होती थी, उसका चरणामृत लिया जाता था। हिन्दू शास्त्र के अनुसार चार धामों की जो इतनी महिमा थी, उसका कोई और मतलब नहीं था, उसका मतलब सिर्फ यह था कि हिन्दुस्तान की संस्कृति के जरिये हिन्दुस्तान को एक सूत्र में बांध कर रखा जाये।

वे चार धाम कहां कहां थे ? पूर्व में वैद्यनाथ था, जहां बंगला बोली जाती थी।

पश्चिम में द्वारिका था, जहां गुजराती बोली जाती थी। दक्षिण में सेतु रामेस्वरम् था, जहां तामिल बोली जाती थी और उत्तर में बदरीनाथ था, जहां पहाड़ी भाषाएं और संस्कृत बोली जाती थी। इन चारों धामों की यात्रा करने वाला आदमी देवता-तुल्य हो जाता था और लोग उसके चरण धोकर उस की पूजा करते थे। उस समय हिन्दुस्तान की एक-सूत्र में बांधने के लिए नतो यह संविधान था और न ही यह पार्लियामेंट थी। वह महाराष्ट्र की संस्कृति, उसकी एकता, यहां के लोगों का परस्पर प्यार और स्नेह था, जिसने शंकराचार्य, बुद्ध और महाबीर को पैदा किया। वह थी हमारी असलियत, जिसको आज हम सब भूलते जा रहे हैं।

कुछ लोग हिन्दुस्तान से अलग होने की बात करते हैं। वे कहां जा कर रहेंगे हिन्दुस्तान से अलग होकर? हिन्दुस्तान के सब लोगों को सोचना चाहिए कि वे इसी मिट्टी और इस जमीन पर घर बना सकते हैं, यहां ही अपनेपन की बात पैदा कर सकते हैं और यहां ही अपने कहला सकते हैं। उनको और कहीं चिराग लेकर ढूंढ़ने पर भी पनाह नहीं मिलेगी और वे तरसते तरसते लौट कर फिर इसी ठिकाने पर चले आयेंगे। कौन है जो हिन्दुस्तान को खंडित करने की बात करता है? हिन्दुस्तान को न तो भाषा खंडित कर सकेगी और न ऐसी पार्टियां कर सकेंगी, जिसके नुमायंदे बनकर श्री कान्तन नायर आए हैं और न वे कर सकेंगे, जिन की नुमायंदगी डी० एम० के० वाले कर रहे हैं।

मैं इस संसद् में 1952 से आई हूँ। डी० एम० के० आज हिन्दुस्तान एकता की बात करता है। मैं उसके जीवन का पहला पन्ना खोल कर दिखाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा था कि हम हिन्दुस्तान से अलग हो जायेंगे। जिस मुंह से यह बात निकली थी, उस मुंह से आज हिन्दुस्तान की एकता की बात सुन कर मुझे महसूस होने लगा कि अगर कोई दिन भर का भूला-भटका आदमी शाम को घर चला जाता है, तो हमें उसको भूला-भटका नहीं कहना चाहिए। हम माफ कर देने के लिए तैयार हैं उन लोगों की उस भावना को कि हम अपने को हिन्दुस्तान से अलग करना चाहते हैं जिसको उन्होंने बरसों तक अपनी विचार-धारा के रूप में अपनाये रखा। लेकिन आज वे एकता की बात कर के हमको सबक देने की कोशिस न करें। एकता की भावना को हम ने उस समय देखा था, जब कि राजाजी के नेतृत्व में 1937 में मद्रास की विधान सभा ने हिन्दी के बारे में प्रस्ताव पास किया था। मद्रास को हमने उस समय भी देखा था। मद्रास हमारे जीवन का हिस्सा है। किस ने इन लोगों को हक दिया है ये मद्रास को अपनी थाती बना लें? पूरा हिन्दुस्तान हमारा थाती है? केवल बिहार और उत्तर प्रदेश नहीं। मद्रास और आन्ध्र प्रदेश पर हमारा भी उतना ही हक है, जितना कि वहां के लोगों का हो सकता है। उसी तरह डी० एम० के० के सदस्यों को यह मालूम होना चाहिए कि देश का एक हिस्सा होने के नाते विहार और उत्तर प्रदेश पर भी उनका उतना ही हक है, जितना कि उनका अपनी जमीन और आस्मान पर हक है।

इस लिए इस गलतफहमी को मैं दूर करना चाहती हूँ कि हम हिन्दी को लादना चाहते हैं। जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, कुछ बातों के साथ मैं इसका समर्थन करना चाहती हूँ। हमने हिन्दी को राजभाषा का स्थान दिया और उसको उस स्थान से हटाने का किसी का

इरादा नहीं है । हम सिर्फ यह चाहते हैं कि जो प्रदेश में हिन्दी में काम करना चाहें, चाहे वह उनकी मातृभाषा हो या न हो,—शायद आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार आदि के अलावा महाराष्ट्र, गुजरात और आसाम ने भी यह फैसला किया है कि वे हिन्दी में अपने सब कामों को करने की कोशिश करेंगे—उन पर अंग्रेजी न लादी जाये ।

मैं आप को याद दिलाना चाहती हूँ कि एक महाराष्ट्रियन होते हुए भी तिलक ने गीता का जो भाष्य लिखा था, उतना अच्छा भाष्य हिन्दी के किसी भाष्यकार या टीकाकार ने भी नहीं लिखा । उस किताब को केवल हिन्दी वाले ही नहीं, बल्कि अहिन्दी-भाषी भी पढ़ते हैं । हम चाहते हैं कि अहिन्दी-भाषी लोगों में ऐसे लोग पैदा हों, जो हमारे साहित्य में एकता लायें । हम यह भी चाहते हैं कि तामिल, तेलगु, कन्नड़ और मलयालम आदि भाषाओं के अच्छे शब्द हिन्दी में समाविष्ट हों और हिन्दी में उनका प्रयोग हो । हमारे देश की तामिल, तेलगु, कन्नड़ और मलयालम आदि भाषायें हम पर लादी जायें, तो हम उन को सिर आंखों पर बिठायेंगे । अहिन्दी-भाषी लोग अपने को हम पर लादें, तो हम उन को कलेजे से लगा कर रखेंगे । परन्तु अंग्रेजी को हम पर लादने की कोशिश न की जाये । मैं कहना चाहती हूँ कि अंग्रेजी हमारे लिए एक ऐसी चीज हो गई थी, जिस के खिलाफ हम ने आन्दोलन किया । अंग्रेज और अंग्रेजी में हमने कोई फर्क नहीं किया। इस लिए अंग्रेजी कभी भी हमारी अपनी भाषा नहीं बनीं और न कभी बनेगी । जैसा कि श्री द्विवेदी ने कहा है, जब अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, तो अंग्रेजी को उन लोगों पर न लादा जाये, जिन्होंने हिन्दी में अपना काम करने का निश्चय किया है ।

माननीय सदस्य यह भी मानें कि इस बिल की ताईद करने से पहले हम उन लोगों की बड़ी मिन्नत की है, जो काफी आगे बढ़ने की कोशिश करते थे । माननीय सदस्य, श्री मधु लिमये, कहते हैं कि किसी को वीटो पावर नहीं दी जानी चाहिये । मैं उनसे भी मिन्नत कर के कहना चाहती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाये हम को यह कोशिश करनी चाहिए कि अहिन्दी-भाषी प्रदेशों पर हिन्दी भी लादने की कोशिश न की जाये ।

श्री मधु लिमये : कौन कर रहा है ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इस लिए मैं श्री द्विवेदी की इस बात की ताईद करती हूँ कि हम को अहिन्दी-भाषी प्रदेशों के लिए पांच या दस बरस का समय निर्धारित करने की बात यहां नहीं लानी चाहिए । परन्तु यह भी फैसला हो जाये कि हिन्दी-भाषी प्रदेशों में अंग्रेजी काम नहीं किया जायेगा । उसमें बाद, जैसा कि श्री द्विवेदी ने कहा है, हमें दो—तिहाई आदि की बात नहीं करनी चाहिये । हम उस को छोड़ देते हैं । किसी ने खूब कहा है, "न हंस कर सीखा है, न हमने कुछ रोकर सीखा है। जो कुछ भी सीखा है, किसी का होकर सीखा है ।" आज हम जो कुछ भी सीखेंगे, जो कुछ भी पायेंगे, वह हम एक दूसरे के होकर पायेंगे, एक दूसरे का मजाक उड़ा कर या एक दूसरे के प्रति रोना रोकर नहीं पायेंगे । जिन लोगों को बिना बात, बिना मौसम, हंसी आती है, उनसे मैं

यह बात कहना चाहती हूँ कि एक दूसरे पर ह'स कर, मजाक उड़ा कर, रो कर और गाली दे कर अपनापन नहीं आने वाला है और नहीं आयेगा । अगर अपनेपन की भावना लानी है, तो वह एक दूसरे का होकर ही लानी होगी। इस लिए मैं श्री बाजपेयी, श्री मधु लिमये, कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों और डी० एम० के० के सदस्यों से अदब के साथ यह अपील करना चाहती हूँ कि—"उन को आता है हमारे प्यार पर गुस्सा, हम को तो गुस्से पर प्यार आता है"—वे एकता की भावना के साथ और एकता की भाषा में बोलते की कोशिश करें। कम से कम मजाक न उड़ायें । कम से कम एक बात का तो फैसला कर लें कि हिन्दी की बात आये और हिन्दी के विरोध में कोई बात बोली जाय तो आप तालियां बजाना बन्द कर दें। आप ताली बजाते हैं तो लाखों और हजारों लोगों के कलेजे पर छुरी चलती है। इस बात का अहसास करें। एक बात का फैसला और आप करें। हिन्दुस्तान की एकता को कसम खाने वाले लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि अगर हम से आप उम्मीद करते हैं कि हम आप के जख्मों पर मरहम लगायें, हम आपको समझने की कोशिश करें तो मेहरबानी करके हम को भी समझने की कोशिश कीजिए।

इसलिए अध्यक्ष महोदय, जो सुझाव श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी जी ने दिए हैं और जो अमेंडमेंट्स सुचेता जी ने दिए हैं, उन का यही एक विचार है कि उसमें यह साफ हो जाय कि अंग्रेजी हिन्दी पर नहीं लादी जायगी और हिन्दी अहिन्दी-भाषियों पर तब तक नहीं लादी जायगी जब तक वह चाहें न। इसकी मान्यता सरकार को माननी चाहिए । इसके साथ-साथ मैं एक बात और भी कहती हूँ उन लोगों के लिए जो आज इस बात को समझते नहीं हैं। हमारे बच्चे जो अन्दोलन कर रहे हैं शायद वह इस बात को नहीं समझते हैं अध्यक्ष महोदय । परन्तु मैं यहां पर एक बात आप के सामने रखना चाहती हूँ। वह यह कि **हमारे देश में हम ने मान्यता दे दी क्षेत्रीय भाषाओं को।** तमिल मद्रास में पढ़ायी जायगी। बिहार में हिन्दी पढ़ाई जायगी। आन्ध्र में तेलगू पढ़ायी जायगी । पंजाब में पंजाबी पढ़ाई जायगी । बंगाल में बंगाली पढ़ायी जायगी। सारे हिन्दुस्तान की सीमाओं को हम ने एक माना है अपनी नौकरियों के लिए। मैं आप के सामने कहती हूँ इस बात को, एक मद्रासी नवजवान अफसर या एक तेलगू प्रदेश का अफसर हमारे बिहार में आता है तो हमें बड़ी खुशी होती है क्योंकि हमें कभी-कभी ऐसा लगता है कि जातीयता, प्रान्तीयता आदि से ऊपर उठ कर वह काम करता है । हम तो चाहते हैं कि इस तरह की एकता हमारे देश में आये। परन्तु मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ जिन्होंने इस बात को, तो मान लिया कि क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई हो, उस के बाद क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई होने के बाद अब हम सीमा में बँध जायेंगे, जब तमिलनाड की भाषा तमिल होगी, तेलगू प्रदेश की भाषा तेलगू होगी, मैसूर की भाषा कन्नड़ होगी, पंजाब की भाषा पंजाबी होगा, तो कौन सी भाषा में तामिलनाड का आदमी महाराष्ट्र में जायगा और महाराष्ट्र का आदमी बंगाल में जायगा तो बात करेगा ? कौन सी भाषा में बात करेगा ? इस बात का मुझे जबाब दें ?

Shri Nambiar : We will learn Hindi when we go to Bengal but do not impose it on us.

श्रीमती तारिकेश्वरी सिंहा : मैं मानती हूँ इस बात को। मैं भी सिर्फ यही चाहती हूँ कि दस वर्षों के अन्दर आप इस बात को महसूस करें कि आप को करना है वरना आप पीछे रह जायेंगे। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहती हूँ, आप एक उदाहरण के लिए ले लें कि एक तामिलनाड के लड़के ने तामिल में शिक्षा पाई, हिन्दुस्तान की नौकरी में उस को चुन लिया गया और अखिल भारतीय सरकार का वह मुलाजिम हो गया। उसके बाद जो भी आप इंडिया सर्विसेज के लिए आये उससे कहा जाता है कि आप अपने प्रदेश में नहीं जायंगे, आप दूसरे किस प्रदेश में जाना चाहते हैं लिख कर दे दीजिए। वह लड़का या लड़की लिख कर दे देते हैं कि हम इन-इन प्रदेशों में जायेंगे। उस समय भी वही प्रथा रहेगी और हिन्दुस्तान को आप को एक में रखना है। तो जब उन प्रदेशों में वह लड़की या लड़का जायगा, मान लीजिए के मद्रास के किसी नवजवान लड़के ने यह कहा कि मैं महाराष्ट्र जायंगा तो मैं यह पूछना चाहती हूँ कि जब वह महाराष्ट्र जायगा तो उस के लिए जरूरी होगा या नहीं कि भाषा ऐसी जाने जिससे कि महाराष्ट्र के लोगों से वह आदान प्रदान कर सके। उस के बाद यह हो सकता है कि गुजरात जाय, बंगाल जाय। तो उसके लिए सभी क्षेत्रीय भाषाओं का सीखना तो मुश्किल होगा इसीलिए उसके लिए जरूरत इस बात की होगी कि एक ऐसी भाषा वह जाने जिससे कम से कम हिन्दुस्तान के हर कौने में उसको लोग समझ सकें और वह लोगों को समझ सके। और हिन्दी ..... (व्यवधान) ..... यह आप के चाहने या न चाहने से नहीं, बल्कि यह सत्य है, यथार्थ है, इस से आप आंखे बन्द नहीं कर सकते कि हिन्दी जान कर कन्याकुमारी जा कर के भी हम इन लोगों को वहपाते हैं जिनसे कि बातचीत कर सकें। मैं तो अभी मद्रास गई पब्लिक एकाउंट्स कमेटी की मीटिंग थी। मैं मद्रास के गेस्ट हाउस का जो बेयरा था मैं उससे अंग्रेजी में बात करूं वह हिन्दी में जवाब दे। मैं तो इतनी खुश हो गई, मैंने कहा कि भइया, मैं तो समझती थी कि तुम हिन्दी नहीं जानते, पर तुम तो इतनी अच्छी हिन्दी बोलने लगे तो मैं तो हिन्दी में ही तुम्हारे साथ बात करूंगी। अभी भी डी० एम० के० के लोग हमें हमेशा कहते हैं कि तारकेश्वरी जी हिन्दी में बोलिए, हम सुनना चाहते हैं। तो ऐसी बात तो है न कि कन्या कुमारी हो, चाहे हिमालय हो, चाहे पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद हो, चाहे महाराष्ट्र में सांगली हो, हिन्दी जानने वाला आदमी कहीं भी अपने को समझा सकता है और दूसरे की बातें समझ सकता है। इसलिए इस बात की जरूरत है .....

Shri Nambiar : Go slow with Hindi.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : परन्तु मैं नम्बियार साहब से यही कहना चाहती हूँ कि कोटपैंट पहन लेने के बाद और फाउन्टेनपेन लगा लेने के बाद इस बात का एहसास रखें कि आप के बच्चों को भी कोटपैंट पहनने और फाउंटेनपेन लगाने की सुविधा हो जाय। मैं यही कहना चाहती हूँ। यह लड़के को तामिलनाड वालों ने कहा कि हम हिन्दी नहीं पढ़ाएंगे, मैं कहती हूँ कि तामिलनाड ने अपने बच्चों के साथ अन्याय किया है। हिन्दी नहीं पढ़ाएंगे तो जायेंगे कहां ?

Shri V. Krishnamoorthi : Don't bother about that. We know how to protect our children.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : जरूर बादर करेंगे । जरूर कहेंगे क्योंकि मद्रास हमारे देश का हिस्सा है । आप को नहीं जरूरत है लेकिन देश ने आप को वकालत नहीं करने को कहा है मद्रास की । मद्रास की वकालत हमको भी करने को कहा है । इस बात की आप को परेशानी नहीं होनी चाहिए । आप न बात कीजिए अगर आप नहीं चाहते हैं । लेकिन यह अगर आप समझते हैं कि सिर्फ आप ही हैं जो मद्रास के बारे में बात कर सकते हैं तो यह बात नहीं है । हम लोगों को हक है सारे देश के बारे में बात करने का । इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि उन बच्चों के लिए इस बात का इन्तजाम कीजिए कि कम से कम वह हिन्दी पढ़े, वह दूसरी भारतीय भाषा पढ़ें, मराठी पढ़ें, पंजाबी पढ़ें, गुजराती पढ़ें, बंगाली पढ़ें, तेलगू पढ़ें, कन्नड़ पढ़ें, जिससे कि उनका रास्ता थोड़ा फैलाव का हो जाय, खुल जाय सारे हिन्दुस्तान में भ्रमण करने के लिए । उनको रेगिस्तान में मत चलाइए । वह बच्चे नासमझ हैं । उन बच्चों को समझाने की जरूरत है परन्तु आप उन बच्चों के साथ इतने बच्चे न बन जाइए कि अपने को भी ले डूबिए और उन बच्चों को भी ले डूबिए ।

इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए फिर से अपील कर के बैठती हूँ कि यह सदन इस भाषा विधेयक को पास करेगा संशोधन के साथ जो संशोधन मुख्यत: इस बात का है कि हिन्दी अहिन्दी-भाषी प्रान्तों पर नहीं लादी जायगी और अंग्रेजी हिन्दी भाषी प्रान्तों पर नहीं लादी जायगी । इस संशोधन के साथ भाषा विधेयक पास हो और एक खूबसूरती से, एकता की भावना से हम आठ दिन के बाद इस संसद भवन के बाहर निकलें तो हम हिन्दुस्तान की एकता के नाम पर सिर उठा कर चल सकें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं इतना ही कह कर बैठना चाहती हैं, कि हम एक हैं एक हो कर रहेंगे और ऐसे लोगों को जरा समझा दीजिए कि उस एकता पर कुल्हाड़ी चलाने की कोशिश न करें । अगर कुल्हाड़ी चलाने का ढंग नहीं आता हो तो कुल्हाड़ी हाथ में नहीं पकड़नी चाहिए । मैं इतना ही कह कर बैठती हूँ ।

Shri R. R. Singh Deo (Bolangir) : Mr. Chairman, Sir, even though the Official Language (Amendment) Bill, 1967 is not what I should have wished it to be, I intend to support it.

The purpose of the Bill is very clearly mentioned in the Statement of Objects and Reasons. It is in accordance with the assurances given by the Prime Ministers from time to time that Hindi will not be imposed on any non-Hindi speaking State which is not prepared to accept it. I appreciate this stand fully because in a federal democratic country like India, we have to take the views of every State into consideration and nothing can be imposed against the will of the people, and more so a language.

A great amount of heat is generated by the Hindi protagonists about this Bill. They forget the basic fact that over-enthusiasm and over-doing are very often misunderstood and

therefore, resented. Even a just cause might evolke resentment if it is overdone. Their love for their mother tongue is perfectly justified.....

श्री राम सेवक यादव : यह उच्चारण ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय ।

Shri R. R. Singh Deo : You keep quiet. (**Interruptions**).

Mr. Chairman : Don't interrupt him.

Shri R. R. Singh Deo : But their mother tongue is not the mother tongue of everybody in India. If that was so, there would have been no problem But India being a multi-lingual country, the lovers of Hindi must learn to respect the other people's mother-tongue. Hindi has already got the official recognition and to that extent they must feel happy. No other language has received so much official patronage and till now, the other languages have developed on their own.

There is an opinion expressed now to do away with English. It seems that those who say this cannot see the realities. If every State develops its own language, how would they communicate with their neighbours? No State would understand the other and it would lead to utter confusion. We must develop a common link before such a step could be taken. Do they want the Indians to become foreigner sin their own country?

At a time when each Indian should strive for national integration, regionalism and unhealthy attempts to impose Hindi would be a great blow. We have provincialism, casteism, and communalism, which have hindered the progress of national integration substantially. If we add to all these another disturbing element known as linguism, it would lead to further weakening of national integration. Country comes above everything else. No sacrifice is great enough for the preservation of the country. We had an unfortunate Partition for political reasons. Having become wiser after that Partitition, nothing should be done to further weaken India.

Hindi protagonists do not know the feelings of the non-Hindi-speaking States. They are all mobilising public opinion in Hindi-speaking States only where it is easy to gather support on a popular issue like this. If they are so confident about their cause, why do they not go to the non-Hindi-speaking States to popularise Hindi? If they succeed in convincing the non-Hindi-speaking States that the panacea is the acceptance of Hindi by them and if they accept it, the problem would be solved. But instead of that, mobilising public opinion in a place which gets benefited, only isolates the area from others and does no good to it.

I know of certain areas in Bihar where linguistic minorities are forced to learn Hindi. Even the minimum concessions provided in the Constitution are not made available to them. There is a systematic and regular attempt to abolish the Oriya language, culture and tradition from that area by the use of all official machinery and when that does not yield results, schools are closed, Oriya teachers are retrenched and even hooliganism is used to intimidate the oriya-speaking population to learn Hindi. But is that possible all over India?

Political parties are trying to draw their strength from this means. It is a wrong move

for any pooitical party to gain strength by weakening India. Sir, if India lives, they live. Therefore, they would be well advised not to try to play up people's sentiments for partisan ends at the risk of the disintegration of the country.

The Bill offers all facilities to Hindi for those who accept it. In fact it has a better status than English. Time is given to lovers of Hindi to convince more and more people to accept it, and until it is accepted, use of English is permitted. Therefore, there is nothing wrong in allowing more time for persuasion.

I do not want to repeat whatever ha s been said about English before, but the point which needs reiteration is that English is the international language, understood all over, developed in literature, science and technology. Those of them who are educated in English can make the best use of it. Sir, world has become much smaller after scietific advancement and we can now cover months' distance in hours. So, what is the idea in trying to insulate ourselves in the world which is growing smaller and smaller, by refusing an advantage we enjoy ?

Hindi language needs a lot of development to come to the level of languages like Bengali and Tamil. Even with spoon-feeding by this Governmentthat has not been achieved Oriental literature in Hindi is stilll acking. Efforts must be made by Hindi writers to make the Hindi language more attractive. I know of people learning Bengali just to read Rabindranath in original, not because Bengali is a national language. So it is the quality of lierature which attracts people of other languages to it.

In conclusion, Sir, I would appeal that the attempt should be made to oppose this Bill, which gives only the minimum facilities to non-Hindi speaking areas. The tolerance shown by non-Hindi speaking States should be appreciated by the Hindi-speaking States. according to the three language formula, non-Hindi states seriously and sincerly started learning Hindi, but it is a matter of great regret that no South Indian language could make any headway in the north. Sir, unless the people of the north follow the maxim of give Sir, unless the people of the north follow the maxim of give and taken, they should not expect the same from others.

Shri Nambiar : We will start Tamil classes for M. Ps. here.

Shrimati Sucheta Kripalani : We have aready started Tamil classes in U. P.

Shri R. R. Singh Deo : In the end I would again appeal to the Hindi lovers to make our country their first love and then their language.

Thank you, Sir.

Speeches of : Sarvashri

Amrit Nahata — Please see supplement

„ Jagannath Rao Joshi

and Shrimati Sucheta Kripalani

श्री अमृत नाहाटा (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय श्री द्विवेदी तथा माननीय सदस्या श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं का आदर करता हूँ और उन का समर्थन करता हूँ ।

श्रीमान्, आज हमारे देश में सब से बड़ी जरूरत राष्ट्रीय एकता की है, मैं राष्ट्रीय एकता को सब से अधिक महत्व देता हूँ। आखिर भाषा हमें किस लिये चाहिये, हमें हिन्दी चाहिये राष्ट्र की एकता के लिये, लेकिन यदि हमने भाषा के प्रश्न को लेकर राष्ट्र की एकता को कमजोर किया तो न हम राष्ट्र की सेवा करेंगे और न भाषा की सेवा करेंगे।

एक माननीय सदस्य : अंग्रेजों की गुलामी फिर से मंजूर कर लो।

श्री अमृत नाहाटा : अगर इसी आजादी से देश के टुकड़े होते हों तो मैं निश्चय ही गुलामी पसन्द करूंगा बनिस्बत इसके कि देश के टुकड़े हो जायं (**व्यवधान**) मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज प्रश्न हिन्दी का है, राजभाषा का है, लेकिन मैं अपने दोस्तों से पूछना चाहूँगा कि अगर राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो हम राष्ट्रभाषा और राज भाषा को लेकर क्या करेंगे ? कौन से राष्ट्र की भाषा हम बोलेंगें ?

एक माननीय सदस्य : प्रश्न अंग्रेजी के हटाने का है हिन्दी लाने का नहीं है।

श्री अमृत नाहाटा : यहां मैं उस के साथ सहमत हूँ।

एक माननीय सदस्य : आप राष्ट्र के माने समझते हैं ? राष्ट्र के माने कांग्रेस नहीं हैं।

श्री अमृत नाहाटा : मैं राष्ट्र के माने आप से अधिक समझता हूँ बाकी मैं इस समय उलझना नहीं चाहता।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि आज भाषा के प्रश्न को लेकर जिस प्रकार की हिंसा जिस प्रकार की भावनाओं को उभारने का, जिस प्रकार के उद्वेगों को उद्वेलित करने का प्रयत्न किया जा रहा है मैं इनके साथ अपने आप को सहमत होता हुआ नहीं पाता हूँ। गैल्सवर्थी ने अपने लायलटीज नामक नाटक में एक जगह लिखा है :

"people take sides quitse outside the issues"

मेरी यह निश्चित मान्यता है कि आज उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, लखनऊ में या आगरे में जो विद्यार्थी आज फरनीचर तोड़ रहे हैं, या कांच तोंड़ रहे हैं या आग लगा रहे हैं वह अनुचित व गलत काम कर रहे हैं और देश की एकता के लिए यह नुकसानदेह बात है। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि उनको गलत तरीके से भड़काया गया है और इस बिल के विरुद्ध उनमें भ्रामक प्रचार किया गया है, सही तौर से इस बिल के बारे में विद्यार्थियों को बताया नहीं गया है। केवल उन की भावनाओं को उभारने के लिए कहा गया है कि इस प्रकार से अंग्रेजी लादी जा रही है और हिन्दी को खतम किया जा रहा है। इस प्रकार का ग़लत प्रतिनिधित्व करके ग़लत किस्म से भावनाओं को उभार कर हम हिन्दी की सेवा नहीं कर रहे हैं, हम राष्ट्रीय एकता को मजबूत नहीं कर रहें हैं। इस बारे में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे क्षेत्र के लोगों को चाहे वह जयपुर के हों, चाहें जोधपुर के हों और चाहें वे जैसलमेर के हों उनके दिलों में हिन्दी के लिए वही प्यार है, हिन्दी के लिए वही उत्साह है जैसे कि अन्य हिन्दी भाषा भाषी लोगों के दिलों में है। हिन्दी को वह अपनी राजभाषा मानते

हैं । वह चाहते हैं कि हिन्दी समूचे देश की भाषा हो और सारे देश में हिन्दी बोली जाय लेकिन यदि कोई दल वहाँ ग़लत तरीके से प्रचार करके उनको भड़काने की कोशिश करेंगे तो हम उनके सामने सीना तान कर खड़े हो जायेंगे ।

मेरा यह मत है कि जो बिल और प्रस्ताव आज सदन के सामने आया है वह हिन्दी की अभिवृद्धि के लिए है, हिन्दी को आगे बढ़ाने के लिए है, हिन्दी की वह सेवा करने के लिए है न कि हिन्दी के रास्ते में रुकावटें डालने के लिए है । मैं उनका सामना करने को तैयार हूँ मैं उन्हे समझाऊँगा और मुझे विश्वास है कि वह इस बात को मानेंगे । मैं केवल यही कहना चाहता हूँ कि जब हम इतनी गम्भीर समस्या पर विचार करते हैं तो जरा संयम से, जरा संजीदगी से और जरा भावनाओं से ऊपर उठ कर इस विधेयक और इस प्रस्ताव को बहुत ही औबजैक्टिव ढ़ग से देखे कि आया वह आज की परिस्थिति में समारी आशाओं की पूर्ति करता है अथवा नहीं करता है ? इसी दृष्टिकोण से उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बातें आप के सामने निवेदन करना चाहता हूँ ।

मेरी यह निश्चित मान्यता है कि जो त्रिभाषी फ़ार्मूला बनाया गया वह बहुत ही संजीदगी से, बहुत गम्भीर विचार विमर्श करने के बाद और बहुत दृढ़ता के साथ बनाया गया और मैं उसका तहेदिल से समर्थन करता हूँ । लेकिन साथ ही मेरी निश्चित मान्यता हैं और मुझे अफसोस इस बात का है कि इस त्रिभाषी फ़ारमुले को अपनाने के बाद ईमानदारी से, दृढ़ता के साथ और संकल्प के साथ इस त्रिभाषी फारमूले को कभी कार्य कार्यान्वित नहीं किया गया । मुश्किल यही है कि जब कुछ सही निश्चय लिया जाता है और जब उस सही निश्चय को कार्यान्वित नहीं किया जाता है तो तरह तरह की समस्याएं उठ खड़ी होती हैं, तरह तरह की गलतफहमियां उठ खड़ी होती हैं और फिर हम उनमें उलझ कर रह जाते हैं। लेकिन यह केवल त्रिभाषी फारमूले की ही बात नहीं है हमारी सरकार के बारे में अक्सर यह राय है कि वह बहुत अच्छी नीतियां निर्धारित करती है, बहुत अच्छा फारमूला निर्धारित करती है, बहुत अच्छा कार्यक्रम बनाती है लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं होता । यह कम से कम जो प्रस्ताव हमारे सामने आया है, जो विधेयक हमारे सामने आया है एक आशा बंधती है कि भविष्य में कम से कम बहुत दृढ़ता के साथ, संकल्प के साथ इस त्रिभाषी फारमूले पर अमल किया जायगा, ऐसी मैं आशा व्यक्त करना चाहता हूँ ।

मैं अभी दो महीने पहले करीब करीब देश के सभी राज्यों का दौरा करके आया हूँ और मुझे इस बात की खुशी हुई यह देख कर कि तामिलनाड में, मैसूर में, आंध्र में बड़ी तेजी के साथ विद्यार्थी लोग हिन्दी सीख रहे हैं। आंध्र और मैसूर में मिडिल स्कूलों तक हिन्दी विद्यार्थियों को पढ़ाई जा रही । वह हिन्दी पढ़ रहे हैं लेकिन मुझे अफसोस है और मैं शर्म से अपना माथा झुकाता हूँ यह देख कर कि हमारे जो हिन्दी समर्थक लोग हैं, जो हिन्दी भाषा भाषी लोग हैं और जो कि हिन्दी को अपनी राजभाषा बनाना चाहते हैं उन्होंने हिन्दी के प्रचार के लिए, हिन्दी के सृजन के लिए और हिन्दी के विकास के लिए उतना कार्य नहीं किया है जितना कि करना चाहिए था । केवल राजनीतिक प्रश्न बना कर हम ने हिन्दी को देश के सामने

रखा । इसी के साथ साथ उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूँगा कि यह निश्चित बात है कि हमने किसी भी दक्षिण भारत की भाषा को उतना सम्मान और प्यार नहीं दिया जितना कि हमें देना चाहिए था । आज मैं मानता हूँ कि पिछले 10-15 वर्षों में उत्तर प्रदेश में, बिहार में और राजस्थान में दक्षिण भारत की किसी भी भाषा को प्रोत्साहन दिया होता, हमारे विश्वविद्यालयों में पढ़ाया होता तो आज दक्षिण के लोग बड़ी खुशी से हिन्दी को अपनाते और हिन्दी के प्रयोग का कोई विरोध नहीं होता । दक्षिण के लोगों की भी मेरी यह गलती है कि जो वह ऐसा समझते हैं मानों हिन्दी पराई भाषा हो और वह हिन्दी के मुकाबले में अंग्रेजी को अपना लेते हैं और हिन्दी को वह पराई भाषा मानते हैं । जहां दक्षिण भारत के लोगों की गलती है वहां हम भी इस अपराध से बरी नहीं हो सकते कि हमने भी दक्षिण के लोगों को वह प्यार नहीं दिया, वह बंधुत्व नहीं दिया । उन के दिलों में यह विश्वास नहीं बैठाया कि हम भी उन की भाषाओं का उतना ही आदर करते हैं जितना कि हम अपनी भाषा के लिए उन के आदर की अपेक्षा करते हैं । इसलिए मैं यह चाहूँगा कि भविष्य में कम से कम सरकार की ओर से हम सभी हिन्दी भाषा भाषी लोगों की ओर से बराबर इस बात का प्रयत्न होना चाहिए कि हम त्रिभाषी फारमूले को बहुत इमानदारी के साथ और सही मापनों में कार्यान्वित करें ताकि हम जल्दी ही इस सारे देश में हिन्दी को राजभाषा का स्थान दिला सकें ।

इस त्रिभाषी फारमूले का अर्थ क्या था वह मैं जरा स्पष्ट करना चाहूँगा । पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह मंशा कभी नहीं थी कि त्रिभाषी फारमूले के द्वारा हमेशा हमेशा के लिए अनन्त काल तक के लिए अंग्रेजी को हिन्दुस्तान के अन्दर रहने दिया जाय । मैं जहां तक इस त्रिभाषी फारमूले का अर्थ समझा हूँ और जिसको काफी हद तक हमारे इस विधेयक में और इस प्रस्ताव में प्रतिबिम्बित किया गया है और यह है कि अंग्रेजी को शनैः शनैः रोकना क्यों जरूरी है ? मैं उसे इस प्रकार समझाता हूँ कि एक स्थिति है जिसमें अंग्रेजी हमारे देश में छाई हुई है एक ऐसी स्थिति थी जब हम ने त्रिभाषी फारमूला अपनाने की बात की थी उस समय यह स्थिति थी । हम इस समय एक संक्रमण काल से गुजर रहे हैं जहां हम अंग्रेजी से हट कर हिन्दी पर आना चाहते हैं । यह संक्रमण काल जो होगा वह एक दिन में समाप्त नहीं हो सकता । यह समय की सीमा बांध कर भी नहीं हो सकता । इंग्लैंड में अंग्रेजी भाषा कैसे प्रभुत्व में आई ? वहां पर अंग्रेजी को युनिवरसिटी में मान्यता प्राप्त करने के लिए 600 वर्ष तक संघष करना पड़ा था । इसलिए अगर आप यह समझें कि एक दिन में या एक सप्ताह में या एक साल में यह संक्रमण काल समाप्त हो जायगा और अंग्रेजी देश से चली जायेगी और उसका स्थान हिन्दी ग्रहण कर लेगी तो यह सम्भव नहीं है । अब यह संक्रमण काल कितना हो हम कोशिश कर रहे हैं कि वह कम से कम हो, 5 साल हो, 4 साल हो, 2 साल हो, हमें उसे यथासम्भव कम करने के लिए प्रयत्न करना है और उस में हमें अंग्रेजी को अपदस्थ करना है और उसके स्थान पर हिन्दी को आसीन करना है । उस संक्रमण काल के लिए त्रिभाषी फारमूला हम ने अखत्यार किया है जिसका कि अर्थ यह है कि शीघ्रातिशीघ्र हिन्दी अंग्रेजी का

स्थान ग्रहण कर ले । शनैः शनैः हम एक ऐसी स्थिति में आयें कि जब हम हिन्दी को सारे देश में राजभाषा बना सकें और अंग्रेजी को वह स्थान न रहे जो कि इस देश में उसे प्राप्त रहा है । उपाध्यक्ष महोदय, यदि यह दृष्टिकोण हमारे सामने है यदि यह दिशा हमारे सामने है कि हम एक संक्रमण काल से गुजर रहे हैं और हमें भले ही धीरे-धीरे क्यों न हो लेकिन निश्चित रूप से उस के लिए प्रयत्न करना है तो हमें अवश्य अपने उद्देश्य में कामयाबी मिलेगी। यह तो ठीक है कि हम एक संक्रमण काल से गुजर रहे हैं और एकदम से हिन्दी अंग्रेजी का स्थान ले सकती लेकिन इसके साथ साथ यह तय हो जाना चाहिए कि हमें निश्चित रूप से हिन्दी को अंग्रेजी के स्थान पर बिठाना है भले ही वह कल हो, पाँच वर्ष बाद हो, 10 वर्ष बाद हो, भले ही 50 वर्ष बाद क्यों न हो हम उस समय तक इंतजार करने के लिए तैयार हैं लेकिन यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि एक न एक दिन अन्ततोगत्वा हिन्दी इस समूचे राष्ट्र की राज-भाषा बनेगी और अंग्रेजी के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। दृष्टिकोण हमारा यह होना चाहिये, दिशा हमारी यह होना चाहिये कि इस संक्रमणकाल में हम शनैः शनैः इस दिशा की ओर अग्रसर हों ताकि अंग्रेजी को उसके वर्तमान स्थान से अपदस्थ करके हिन्दी को उसके स्थान पर आसीन कर सकें उस दिशा की ओर अगर हमें बढ़ना है तो हमें इस संशोधन में और इस बिल में उस स्थिति को प्रतिबिम्बित करना होगा ।

चव्हाण साहब ने कहा है कि यह विधेयक और यह प्रस्ताव प्रतिबिम्बित करता है एक राष्ट्रीय कंसेंस को । एक बहुत ही नाजुक समझौते के आधर पर यह बना है । यदि हमें आज के संक्रमण काल की स्थिति में अभी समझौता करना है तो उस समझौते का केवल एक ही आधार हो सकता है और वह आधार यह हो सकता है कि अहिन्दी भाषा लोगों पर अगर हम हिन्दी न थोपें तो हिन्दी भाषी लोगों पर अंग्रेजी भी न थोपें। एक बार फिर मैं दोहराना चाहता हूँ कि संक्रमणकाल की दिशा यह होनी चाहिये कि शनैः शनैः अंग्रेजी को अपदस्थ कर हिन्दी को हम पदासीन करने की कोशिश करें । यदि इस दिशा की ओर हमें जाना है और इस दिशा की ओर बराबर बढ़ते जाना है और इस संक्रमणकाल में समझौता करना है तो समझौते का एक मात्र यही आधार हो सकता है कि हम दक्षिण के लोगों पर, अहिन्दी भाषा भाषी लोगों पर हिन्दी न थोपें तो हिन्दी भाषी लोगों पर भी हम अंग्रेजी को न थोपें । आज जो यह सोचते हैं कि हम हिन्दी नहीं चाहते हैं और हम इस त्रिभाषा फार्मुले को सही दिशा में ले जाना चाहते है तो हमें यह मान कर चलना होगा कि आज नहीं तो कल हिन्दी अपनी है और अंग्रेजी के स्थान को हमें हिन्दी को देना होगा और इसके लिए हमको यथोचित प्रयत्न भी करने होंगे। इसलिए मेरी यह निश्चित मान्यता हैं कि हमें इस बिल और इस संकल्प को इस समझौते का आधार मानना पड़ेगा, इस समझौते की बुनियाद मानना पड़ेगा ।

यह कहा गया है कि इस विधेयक में एक राज्य तक को वीटो का अधिकार दिया गया है और कहा गया है कि वह चाहे तो हिन्दी को देश की राज भाषा बनने से रोक सकता है। अलग अलग इसके बारे में सुझाव दिये जाते हैं। कोई कहता है कि बहुमत के अहिन्दी राज्य, कोई कहता है कि दो तिहाई अहिन्दी राज्यों में से राज्य अगर हिन्दी को अपना लें तो फिर

सारे राज्यों पर हिन्दी लागू कर दी जाए । मैं इस तरह से जो संशोधन हैं इनकी भावना का आदर करता हूँ लेकिन श्रीमान्, हम यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखें तो हम पायेंगे कि अगर कुछ समय बाद देश के अधिकांश राज्य हिन्दी राज्य और अहिन्दी राज्य भी, हिन्दी को अपना लेते हैं तो क्या उस हालत में चाहे वह नागालैंड हो और चाहे मद्रास हो इस स्थिति में रह सकेगा कि वह हिन्दी को मानने से इन्कार करे ? कदापि नहीं रह सकेगा । उनको देश में प्रवाहित हो रही धारा के साथ चलना पड़ेगा और उनको भी हिन्दी माननी पड़ेगी । लेकिन आज अगर हम यह कहते हैं कि सब राज्यों के बजाय दो तिहाई या एक तिहाई राज्य भी जो आज हिन्दी का विरोध करते हैं, वे कल को विरोध करना बन्द कर दें तो हिन्दी को लागू कर दिया जाए तो इसका मतलब यह होगा कि उनके उनके विरोध को हम और अधिक दृढ़ बनाते हैं, उनकी ओर अधिक अपने से दूर हम फेंकते है । इसलिए यदि हम चाहते हैं कि जल्दी अधिक से अधिक राज्य हिन्दी को अपना लें तो यह दृष्टिकोण हमारा सही है कि अपनी तरफ से हम कहें कि जब तक सारे के सारे अहिन्दी राज्य हिन्दी को नहीं अपना लेंगे तब तक अंग्रेजी भी हिन्दी के साथ साथ चलेगी । इस लिए मैं कहता हूँ कि यह वीटो का अधिकार नहीं है । यह एक व्यावहारिक पक्ष है ।

यदि हम इस को मानते हैं कि हिन्दी को अंग्रेजी का स्थान लेना है और अंग्रेजी को शनैः शनैः हटना है तो कुछ इस प्रकार की धारायें इस विधेयक में और इस प्रस्ताव में हैं कि जो इस समझौते के आधार के अनुरूप नहीं हैं, जो इस समझौते के आधार के प्रतिकूल हैं, जो इस त्रिभाषा फार्मुले की भावना के प्रतिकूल हैं, जो दिशा आपके सामने मैंने रखी है उसके प्रतिकूल हैं । मिसाल के तौर पर यह कहा गया कि यदि केन्द्रीय विभाग का एक हिस्सा हिन्दी में पत्र लिखेगा तो साथ में अंग्रेजी का अनुवाद भी नत्थी करना पड़ेगा, तो इसका अर्थ तो यह हुआ कि आप हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं, उसको निरुत्साहित कर रहे हैं उसके ऊपर अंग्रेजी की मुहर लगा रहे हैं । इस प्रकार आप वास्तव में जिस दिशा में हमें जाना चाहिये उस दिशा में जाने से रोक रहे हैं । उस दिशा की ओर अग्रसर आप नहीं हो रहे हैं । मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार के जहां जहाँ बंधन हिन्दी के प्रयोग पर लगाये गये हैं, जो जो रुकावटें हिन्दी के प्रयोग पर डाली गई हैं उन रुकावटों को आप हटायें, अविच्छिन्न रूप से हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करें ताकि जो हिन्दी में लिखना चाहें वे हिन्दी में लिख सकें और लोग मजबूर भी हों कि वे हिन्दी सीखें, हिन्दी पढ़ें । जो हिन्दी नहीं पढ़े हुए हैं उनको हिन्दी पढ़ने पर मजबूर भी तब आप कर सकते हैं ।

जब तक हमारे देश की जनपदीय भाषाओं को, हमारे देश की क्षेत्रीय भाषाओं को, हमारे देश की सभी राष्ट्रीय भाषाओं को उनका पूरा तथा वांछित स्थान नहीं दिलायेंगे, उन्हें पूरी तरह से प्रोत्साहित नहीं करेंगे तब तक हम सही मानों में राष्ट्रीय एकता की समस्या को हल नहीं कर सकेंगे । मैं बधाई देना चाहता हूँ, शिक्षा मंत्री को जिन्होंने यह निश्चय किया है कि हमारे विश्वविद्यालयों में शिक्षा क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से दी जाएगी । इसके साथ-साथ मैं यह भी चाहूँगा कि यू० पी० एस० सी० के बारे में जो प्रस्ताव में कहा गया है कि क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से परीक्षायें होंगी, उसके बारे में कोई निश्चित तिथि तय की जानी चाहिये । यह कह देना कि हम यू० पी० एस० सी० से सलाह करेंगे, यह करेंगे, वह करेंगे, काफी नहीं है ।

मैं समझता हूँ कि क्षेत्रीय भाषाओं को यू० पी० एस० सी० की परीक्षाओं का माध्यम बनाने के लिए दो साल के भीतर अवधि निश्चित की जानी चाहिये और उसके बाद हमें यह कोशिश करनी चाहिये कि यू० पी० एस० सी० में सभी क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षायें हो सकें । कहा जाता है कि इससे देश विच्छिन्न होगा । मेरी निश्चित मान्यता है कि एक रूपता एकता नहीं है और विविधता विच्छिन्नता नहीं है । जिस रोज हम क्षेत्रीय भाषाओं को उनका उचित स्थान दिलायेंगे स्वतः ही अंग्रेजी अपने वर्तमान स्थान से गिर जाएगी और इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकती हैं कि अंग्रेजी हटने के बाद उसका एक मात्र स्थान लेने वाली भाषा जो इस देश में है वह हिन्दी है । पिछले दरवाजे पर से लाने की यह बात नहीं है । असल बात यह है कि अंग्रेजी इस देश की भाषा नहीं है, इस धरती में उसकी जड़ें नहीं हैं, यहां की जनता अंग्रेजी को अपनी भावनाओं के साथ एकरूप कर नहीं सकती है । इसलिए जो क्षेत्रीय भाषायें हैं, जो मातृभाषायें हैं उनको आप प्रोत्साहन दें, उनको आप यू० पी० एस० सी० की परीक्षाओं का माध्यम बनायें, विश्वविद्यालयों में उनको आप शिक्षा का माध्यम बनायें । मैं चाहता हूँ कि एक निश्चित अवधि इसके लिए तय कर दी जानी चाहिये, एक निश्चित तारीख तय कर दी जानी चाहिये, एक सीमा निर्धारित कर दी जानी चाहिये कि जब यू० पी० एस० सी० की परीक्षाओं में क्षेत्रीय भाषाओं को परीक्षाओं का माध्यम बनाया जाएगा ।

असल में सारे झगड़े की जड़ क्या है ? यहाँ कहा गया है कि हिन्दी अनिवार्य नहीं होगी परीक्षाओं के लिए । यह एक अजीब बात है । हिन्दी हमारे देश की राज भाषा है और हम कहते हैं कि हिन्दी अनिवार्य नहीं होगी परीक्षाओं के लिए । यह बात किसी को मान्य नहीं हो सकती । अगर हिन्दी अनिवार्य नहीं होगी अहिन्दी भाषा भाषी लोगों के लिए तो हिन्दी भाषा भाषी लोगों के लिए अंग्रेजी भी अनिवार्य नहीं हो सकती है लेकिन यह झगड़ा होता क्यों है ? इसलिए होता है कि डर है दक्षिण भारत के लोगों को कि फिर उत्तर भारत वाले, जिन की हिन्दी मातृभाषा है, वे लोग सेवाओं में अधिक चले जायेंगे । आज हकीकत यह है कि क्योंकि सब से पहले अंग्रेजी भाषा को दक्षिण वालों ने अपनाया और क्योंकि अंग्रेजी भाषा को उन्होंने अपने गले का हार बनाया, इस वास्ते आज अंग्रेजी भाषा के बल पर ही वे आगे बढ़ गए हैं और केन्द्रीय सेवाओं में उनका आज बहुमत है, उनका आज प्रभुत्व है, उन पर वे छाये हुए हैं । जो दक्षिण भारत के लोगों को डर है कि हिन्दी आएगी तो उत्तर भारत वाले नौकरियों में छा जायेंगे और उत्तर भारत वाले सोचते हैं कि अंग्रेजी रहेगी तो दक्षिण भारत वाले छा जायेंगे तो इस डर को दूर करने के लिए इसका एक मात्र हल यह है कि चूंकि प्रतिभा का ठेका, प्रतिभा की बपौती, प्रतिभा की इजारेदारी किसी एक प्रान्त वालों की नहीं है, सभी प्रान्तों में लोग हैं जो प्रतिभाशाली हैं और उन्हे अवसर मिलना चाहिये, इस वास्ते हर प्रान्त की जनसंख्या के अनुपात में सेवाओं में उन प्रान्तों के लोगों के लिए स्थान निश्चित कर दिये जायें, उनका छोटा निर्धारित कर दिया जाए । जिस दिन आपने ऐसा कर लिया, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भाषा की बहुत सी गलत-फहमी, बहुत के झगड़े खत्म हो जायेंगे और हम देखेंगे कि हर राज्य अपनी अपनी भाषा में आगे बढ़ेगे और हिन्दी सभी राज्यों को मान्य हो जाएगी ।

इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुए हमें यह दिशा निर्धारित कर लेनी चाहिये और इस दिशा की ओर हमें तेजी से बढ़ना चाहिये। त्रिभाषा फार्मुले को बहुत दृढ़ता के साथ लागू करते हुए हिन्दी को बहुत तेजी से बढ़ाते हुए, हिन्दी को रास्ते में आने वाली रुकावटों को हटाते हुए, शनैः शनैः हम एक ऐसा वातावरण बनायें, एक ऐसा जल वायु देश में निर्मित करें कि जो हमारे सारे संशय हैं, सारे मतभेद हैं, सारी गलतफहमियां हैं, वे मिट सकें। भावनाओं से ऊपर उठ कर और बहुत ही ठंडे दिमाग से, बहुत संजीदगी और संयम के साथ हम इन तमाम प्रश्नों पर विचार करें तो मुझे विश्वास है कि हम हिन्दी की बहुत बड़ी सेवा करेंगे और राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनायेंगे।

श्रीमती लक्ष्मीबाई (मे क) : उपाध्यक्ष महोदय, समय मुकर्रर कर दीजिये ताकि हमें भी बोलने का अवसर मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय : सब को मौका मिलेगा।

श्री जगन्नाथ राव जोशी (भोपाल): बीस साल के बाद इस सदन में यह एक ऐसा विधेयक उपस्थित हुआ है जो मैं देश के लिए बड़ा भारी दुर्भाग्य समझता हूँ। मेरी मातृभाषा कन्नड़ है, पढ़ाई मराठी में हुई है और बोलता मैं हिन्दी हूँ। जिन्होंने संविधान बनाया उनके सामने भी यह कल्पना थी और इसलिए उन्होंने समय को बांधा था कि पंद्रह साल के अन्दर हम एक ऐसा कार्यक्रम बनायें ताकि देश में 26 जनवरी 1965 के पश्चात हिन्दी राज भाषा बन जाए। किन्तु आज पंद्रह साल के बाद फिर दुबारा यह विधेयक पेश किया गया है। इसके पहले भी एक बार इस विषय में एक कानून बना था लेकिन उसमें भी कोई अवधि नही रखी गई थी। 1963 में जो एक संशोधन आया था, उस में भी अवधि का कोई उल्लेख नहीं था, हालांकि संविधान में पंद्रह साल की जो व्यवस्था की गई थी, उसका कोई एक अर्थ था।

स्वराज्य के कुछ तकाजे होते हैं। स्वराज्य के पश्चात् माउंट बैटन केवल एक साल के लिए हमारा गवर्नर-जेनरल रहा। लेकिन यदि कोई यह तुलना करें कि स्वर्गीय डा० राजेन्द्र प्रसाद और चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य और माउंटबैटन में कौन अच्छा है और कौन बुरा है, तो यह सवाल खड़ा नहीं होता है। स्वराज्य का यह तकाज़ा है कि देश का राष्ट्रपति इसी देश का होना चाहिए। सवाल अच्छे बुरे का नहीं है। माउंटबैटन बहुत अच्छा है, लेकिन वह इंगलैंड में किसी पद पर रह सकता है।

वैसे ही हमारी सेना का प्रमुख आज सर क्लाड आचिन्लेक नहीं रह सकता है। यह सवाल तो खड़ा ही नहीं होता है कि जैनरल चौधरी, जैनरल करिअप्पा और सर क्लाड आचिन्लेक में से गुणवत्ता किस में ज्यादा है। यह स्वराज्य का तकाज़ा है कि अब इस देश का सेनापति कोई जैनरल करिअप्पा या जैनरल चौधरी या जैनरल थोरट हो। इसके लिए कोई पर्याय नहीं होता है।

वैसे ही यह स्वराज्य का तकाजा है कि देश का व्यवहार स्वभाषा में हो। इसके लिए पर्याय नहीं होता है। अब हिन्दी कोई बड़ी विकसित, बड़ी समृद्ध और साहित्यिक दृष्टि से

मौलिक भाषा है, इस कारण वह स्वभाषा के रूप में स्वीकृत नहीं हुई। सबका मूल स्रोत संस्कृत होने के नाते काश्मीर से लेकर मलयालम तक हर भारतीय भाषा उतनी ही समृद्ध हो सकती है और है। हिन्दी को इसलिए स्वीकार किया गया कि अपने इस देश में ज्यादा लोग हिन्दी भाषा को समझते हैं। मुझे अनुभव है कि 1930-31 के दिनों में जब मैं स्वयं प्रभात-फेरी में जाया करता था, तो कन्नड़-भाषी होने पर भी हम लोग ये हिन्दी गीत गाते थे, "विश्व-विजयी तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा" और "चरखा चला चला कर लेंगे, स्वराज्य लेंगे"। उस समय हमारे मन में यह भाव पैदा नहीं हुआ कि कन्नड़-भाषी होते हुए हम हिन्दी का गीत क्यों गायें। हम को लगता था कि टूटी-फूटी ही क्यों न हो, हिन्दी बोलना ही देशभक्ति है, वह कपड़ा चाहे कितना भी मोटा या घटिया क्यों न हो, खद्दर पहनना देशभक्ति है ; देश के बारे में गीत गाना देशभक्ति है। बचपन में, पाठशाला में पढ़ते समय भी हमारा जो भाव था, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज़ादी आने के पश्चात् इन बीस सालों में हम लोगों ने उसके सम्बन्ध में जो कुछ किया, आज का यह विधेयक उसमें हमारी असफलता का परिचायक है।

क्या इन बीस सालों में हम हिन्दी को प्रचारित करने और लोकप्रिय बनाने का ज़िम्मा केवल चलचित्र-पट पर नहीं छोड़ बैठे ? अर्थात् देशभर में हिन्दी के चलचित्र, फ़िल्म्ज़, बने और उनको देख कर लोग हिन्दी सीखें ? क्या इसके आगे जाने की हमने कोशिश की ? खैर कमीशन की रिपोर्ट में कुछ अच्छे सुझाव दिये गये थे, जैसे तांत्रिक और शासकीय पारिभाषिक शब्दावली एक हो, हमने उन पर अमल नहीं किया। आप मुझे क्षमा करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमारे दिल में, मन में, हृदय में अपने देश के बारे में एक उत्कट भावना नहीं होगी, तो वह प्रत्यक्षतः प्रकट व्यवहार में नहीं आसकती है। जब हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे इंगलैंड में जा कर पढ़े, तो कहना पड़ता हैं कि विद्या का मतलब हमारी समझ में नहीं आया।

भारतीय विचार-धारा के अनुसार "सा विद्या या विमुक्तये"। मुक्ति इस देश का ध्येय है। किसी का बंधन, किसी की दासता, यह विद्या वाले का लक्षण नहीं हो सकता हैं। विद्यावान् वही है, जो इस से मुक्त है। मैं कहना चाहता हूँ कि जितेन्द्रिय होना इस देश का ध्येय हैं। रसना और वासना का भी जो गुलाम नहीं बनना चाहता, रसना और वासना को भी काबू में रख कर जो मुक्ति पाना चाहता है, वह अंग्रेजी की दासता और गुलामी सहन करे, यह नहीं हो सकता है। अंग्रेजी अच्छी हैं या बुरी, यह सवाल नहीं है। इसमें तुलना की बात आती ही नहीं हैं। सवाल यह है कि क्या हमारे देश में कोई भाषा है या नहीं।

हमारी हर भाषा को समृद्ध करने वाला संस्कृत का बड़ा विशाल महासागर हमारे देश में है। इसके बल-बूते पर हम हजारों सालों से हिन्दुस्तान में एक सुसंस्कृत दर्शन दे कर जीवन का आदर्श खड़ा करके रहते आये है। हमारे कई कांग्रेसी मित्रों ने देश की एकता की बात कही। मैं उस का स्वागत करता हूँ। देश बहुत बड़ा है, किन्तु इस देश में भाषायें भी कई चलती हैं, इस देश में कई जातियाँ है, इस देश में कई पन्थ हैं। इतना होने के बाद भी एक हजार साल पहले केरल में कालड़ी में पैदा हुए आचार्य-श्री शंकराचार्य को कभी यह नहीं लगा कि पूरे देश भर में स्थान स्थान पर मठों की स्थापना करने में दिक्कतें या अड़चनें आयेंगी। वे नहीं आई। उनको यह नहीं लगा कि मैं यहाँ से वहां कैसे जाऊं, वहाँ से यहां कैसे जाऊं। कोई देश की एकता को बनाने वाला, राष्ट्र की एकता को बनाने वाला न होने के बाद भी वह गए।

मुझे आप क्षमा करें, बार-बार दक्षिण वालों को दोष दिया जाता है, लेकिन दक्षिण वालों की बदनामी क्यों की जाती है, यह मेरी समझ में नहीं आता, क्योंकि दक्षिण वाले अंग्रेजी के पक्ष में हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता है। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने भी मद्रास में राजभाषा के रूप में तमिल को ही स्वीकार किया है, शिक्षा के माध्यप के रूप में तमिल को ही उन्होने स्वीकार किया हैं। बंगाल में भी वहां के लोगों ने अपनी उन्नत, विकसित और समृद्ध भाषा बंगला को ही राजभाषा और शिक्षा के माध्यम के रूप में स्वीकार किया है, अंग्रेजी को नहीं। इसी प्रकार अन्य प्रदेशों में तो राज्यभाषा और विद्या के माध्यम के रूप में कन्नड़, तेलगू उड़िया और मलयालम आदि को ही स्वीकार किया गया है। अपने देश में हर एक भाषा समृद्ध है। इस लिए में दक्षिण वालों को दोष देने के लिए तैयार नहीं हूँ। आखिर मैं भी तो दक्षिण से आता हूँ।

किन्तु सवाल यह है कि भाषा भाव को प्रकट करती है। कोई भाषा भाव को प्रकट करने की क्षमता रखती है या नहीं, यह सवाल है। भाषा क्या प्रकट करती है? आत्मा को प्रकट करती है, इसको भूलना नहीं चाहिए। जैसे, यदि हमें अंग्रेजी का प्रयोग करना हो, तो हम कहते हैं, "ही इज डेड।" किन्तु अपनी भाषा में हम कहेंगे, "उस का देहान्त हुआ" क्योंकि अपने विचार के अनुसार आत्मा अमर है, आत्मा मरता नहीं है। ही इज नेवर डेड, आई एम नेवर डेड, देहान्त होता है, देह जाता है, भाषा आत्मा को प्रकट करती है। ज्यों ज्यों हम दूसरी भाषा को स्वीकार करते हैं, ज्यां त्यों त्यों हम अपनी संस्कृति से दूर चले जाते हैं। जैसे, अंग्रेजी का प्रयोग करते करते हम कहने लगे हैं, "बोन्ज फार दि लेट कमर्ज," यानी जो देरी से जायेगा, उस को मांस नहीं, बोन्ज मिलेंगी। यह यहां का रिवाज नहीं है। हमारे यहां करते हैं, "अतिथिदेवो भव"। इसी लिए भगवान् श्री कृष्ण ने रात के बारह बजे द्रोपदी से कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दो। हमारे यहाँ कोई जब भी आयेगा तो उसको भोजन मिलेगा। अग देरी से आयेगा, तो दूसरी पंक्ति में भोजन मिलेगा अगर उस से भी देरी से आयेगा तो तीसरी पंक्ति में भोजन मिलेगा। हमारे यहां "बोन्ज फार दि लेट कमर्ज" नहीं है। अपनी आत्मा को जो भाषा प्रकट नहीं करपाती है, उस को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। भाषा आत्मा को प्रकट करती है। उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। इस लिए भारत की कोई भी भाषा क्यों न हो, आसेतु हिमाचल, वह भाषा भारत की आत्मा को प्रकट करती है। श्री चव्हाण ने जो प्रस्ताव रखा है, उस में "काम्पोजिट कल्चर" का जिक्र किया गया है। भारत में जो विविधता है, दैट हैज बिन अननेसेसेरिली मिसअंडरस्टुड फार दिस "कम्पोजिट कल्चर"। हर देश के लिए एक संस्कृति होती है। कोई पूछे कि यह राष्ट्र है कैसे हमारे और आप के बीच में कौन सा सम्बन्ध है? व्हाट इज दि कामन पायंट? वह है हमारी नेशनलिटी। वह होती है हमारी राष्ट्रीयता। वह सिद्ध करती है हमारी संस्कृति। हमारे राजदूतों के लड़के मास्को में पैदा हों या वाशिंगटन में पैदा हों उनकी संस्कृति रूसी या अमेरिकी नहीं बनती। वह भारतीय रहती है। क्यों रहती है? मां बाप का जीवन दर्शन ले कर यदि लड़का आये तभी हम कहते हैं कि वह है भारतीय, तभी हम कहते हैं कि वह है हिन्दुस्तान का। वह तो इस संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। परन्तु यह संस्कृति विविधता में विश्वास रखती है। Unity should never be misundrstood for uniformity. सब को एक सांचे

में ढालने का यहां का काम नहीं है । हजारों पंखुड़ियों वाला कमल जो होता है उस की हर पंखुड़ी से खुशबू निकलती है । पंखुड़ियां हजार हों लेकिन खुशबू एक निकलती है । यहां भाषा अनेक हैं भाव एक है । पंथ अनेक हैं परमात्मा एक है । आंखें दो हैं दिखता एक है। कान दो हैं सुनाई देता एक है । हाथ दो हैं कृति एक है । पांव दो हैं गति एक है। ऊपरी दिखने वाली जो विविधता है उसके अन्दर छिपी हुई मौलिक एकता को लेकर अगर हम चलेंगे तो आसेतु हिमाचल तक देश के अन्दर एकता भरी हुई है । यह एकता कई हजार वर्षों की संस्कृति के जरिए हमारे पूर्वजों ने दी हैं । भगवान श्री शंकर कैलाश के ऊपर बैठे हैं और माता पार्वती कन्या कुमारी में तप करने बैठी हैं कि विवाह करूं तो भगवान श्री शंकर से । पार्वती परमेश्वर के नाम पर तपस्या करती हुई बैठी हैं । पूरे देश की एकता की कल्पना जिन महानुभावों ने की उसके दर्शन से, उसकी केवल स्मृति से मस्तक विनम्र होता है । उन्होंने देश की एक रखने की कोशिश की है । भाषा जाति सम्प्रदाय रहन सहन खान-पान यह सब कुछ अलग होने के बाद भी हम एक हैं । जब हम यह कहते हैं कि खायें क्या ? इडली खायें, डोसां खायें, बड़ा खायें, चावल खायें या रोटी खायें तो इसका कोई सवाल नहीं है । जब तक हम को यह लगता है कि मैं तो खा रहा हूँ यह जीवन का यंत्र चलाने के लिए, अहोरात्र यह जो एक यज्ञ चल रहा है उस यज्ञ की समिधा के रूप में खाता हूँ, यह भाव जात जब तक एक है, तब तक झगड़ा पैदा नहीं होता।

भाषा के नाम पर झगड़ा पैदा होने की कोई जरूरत नहीं थी । किन्तु दुर्दैव से 20 सालों से यह भाव नहीं आया । मन में जो एक प्यार था अंग्रेजी भाषा के लिए, उस प्यार के कारण, उस मोह के कारण देश भर में वह वातावरण हम लोगों ने पैदा नहीं किया। आज जो तर्क दिए जाते हैं, मुझको याद आता है, अंग्रेजी राज के वास्ते यही तर्क दिए जाते थे। जब अंग्रेजों का शासन यहां कायम हुआ यही कहा जाता था कि अंग्रेजों ने शांति लायी वरना यहाँ बहुत गड़बड़ियां थी और ऐसा कहा जाता था कि अंग्रेजों के जमाने में काशी से लकड़ी में सोना बांध कर आप काश्मीर तक तक घूमो या नीचे रामेश्वरम् तक घूमो कोई उस को छूएगा नहीं ।

Not even Morarji bhai under the Gold Control Order.

इतनी शुद्ध शांति इस देश के अन्दर उन्होंने पैदा की । कहने लगे कि अंग्रेजी राज अच्छा है और जब यहाँ अंग्रेजी राज को हटा कर स्वराज्य की मांग होने लगी तो यही विचार सामने आया कि :

Whether you want a good government or self government.

स्वराज्य चाहिए या सुराज्य चाहिए ? आर्डिनरी लैंग्वेज चाहिए या इंटरनेशनल लैंग्वेज चाहिए ? कोई कोई कहने लगे कि स्वराज्ज चलाने का क्षमता भी हैं ? तो लोकमान्य तिलक जैसे नेताओं को आगे बढ़ कर जवाब देना पड़ा उपाध्यक्ष महोदय, कि इस देश के अन्दर स्वराज्य चलाने के लिए आई० सी० एस० अफसरों की जरूरत नहीं है। देश धर्म के नाते आपत धर्म के नाते 22 साल की विधवा स्त्री झांसी की रानी हाथ में हथियार लेकर अंग्रेजों से लड़ने बाहर निकल आई तो ब्रिटिश जनरल भी देखता रह गया । तो वह किसी देहरादून के मिलिटरी कालेज में पढ़ी हुई नहीं थी । स्वराज्य के लिए इस की जरूरत नहीं होती । छत्रपति शिवा जी

महाराज ने स्वराज प्राप्त किया, अष्ट-प्रधान मंडल जो पैदा किया तो क्या उन्होंने लाक आन डेमोक्रेसी पढ़ी थी ? उसकी कोई जरूरत नहीं है । तो उस समय जो तर्क दिए जाते थे कि हम स्वराज्य नहीं चला सकते क्योंकि हमारे पास इतने आई० सी० एस० आफिसर नहीं हैं, हमारे अंदर इतना सुधार नहीं हुआ है, इतनी शिक्षा नहीं हुई है, यह नहीं हुआ है, वह नहीं हुआ है, वही तर्क आज भी दिए जारहे हैं उपाध्यक्ष महोदय, कि अंग्रेजी चली जायगी तो क्या होगा ? तो अंग्रेज चले गए तो क्या हुआ ? वही तर्क आज भी है और कहीं-कहीं तो यह भी बताया जाता है कि जब तक हिन्दी विकसित नहीं होगी तब तक उसको स्वीकार नहीं किया जायगा। एक बड़े महानुभाव ने कहा था, मैं उन का नाम नही लूंगा, जब कि पहले पहले विधवा विवाह लागू करने लगे तो उन्होंने कहा कि मैं भी इस के खिलाफ नहीं हूँ लेकिन जब तक वह प्रचलित हो कर लोकप्रिय नहीं होता तब तक किसी को नहीं करना चाहिए । तो आज हम यदि यह समझें कि हिन्दी को तब तक स्वीकार नहीं करना चाहिए जब तक वह समृद्ध नहीं हो जाती, जब तक विकसित नहीं होजाती, तो यह भी वैसी ही बात है । जब उसका उपयोग होने लगेगा वैसे कि आज यह बहस आई कि शैल का मतलब हिन्दी में क्या होता है ? होगी होता है या रहेगी होता है क्या होता है ?

Every word has got a connotation and a denotation ; it denotes something, it connotes something.

उस का आन्तरिक भी एक विचार रहता है, एक बाहर का भी विचार रहता है। भाषा जैसे-जैसे व्यवहार में आती जाती है वैसे-वैसे शब्द का अर्थ निश्चित होता जाता है । उसी दृष्टि से शब्द का प्रयोग होने लगता है । तब जाकर उसी शब्द को ले कर हर एक चलता है। इस-लिए भाषा प्रयोग में ही नहीं आयेगी और जब बिलकुल विकसित और समृद्ध हो जायगी तब उस का विचार करेंगे, यह अगर तर्क है तो यह तो बिलकुल वैसा ही है जैसे किनारे पर बैठ कर यह सोचना कि जब तैरना आ जायेगा तभी मैं पानी में पैर रखूँगा । आप हिन्दी को स्वीकार करें देशभक्ति के भाव से।

कोई भी चीज हम स्वीकार करते हैं उस के पीछे प्रेरणाएं होती हैं । एक प्रेरणा होती है धर्म की, कर्तव्य की। दूसरी प्रेरणा है अर्थ और काम की। यानी अर्थ और काम के लिए भी आदमी बहुत कुछ करता है। यह भाषा कई लोगों ने अर्थ और काम के लिए सीखी है। आज चलचित्र पर आप देखेंगे तो कई हमारी दक्षिण की जो अभिनेत्रिया है वह हिन्दी में काम करती है, हिन्दी में अग्रसरत्व उन्होंने प्राप्त किया। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि जब उन को पता लगा कि तामिल तेलगू और कन्नड़ में काम करने से बड़ा मार्केट नहीं मिलेगा तो संगम जैसे चित्रपट में काम करने वाली नायिका ने हिन्दी में काम किया और वह दक्षिण की ही है। तो लोग भाषा को सीखते हैं, भाषा को पसंद करते हैं किन्तु प्रेरणा अर्थ और काम की रहती है । इसलिए कभी-कभी कहा जाता है कि

It you want to learn a new thing; either you live alive or you merry a wife.

पुराने जबाने में योरप का इतिहास हम देखें तो ऐसे सी होता था। इंग्लैंड और जर्मनी

का भी जो संबंध रहता था तो क्या होता था ? जर्मनी से जो आते थे राजा वह क्या अंग्रेजी पढ़ कर आते थे ? यानी आपस में शादी चलती थी । अपने देश में भी चलती थी। अपने देश में राजा महाराजाओं का इतिहास आप देखें तो वहां भी आप को पता चलेगा कि शादी के बाद पत्नी की भाषा पति को या पति की भाषा पत्नी की सीखनी पड़ी है । सीखते थे । क्यों ? प्रेम । इसके कारण लोग बहुत बार भाषा सीखते हैं । मैं एक बार आन्ध्र में प्रवास कर रहा था । वहां एक साहब मिले, वह बोले कि बढ़िया घोड़ा देखोगे ? मैं ने कहा चलो । मैं देखने के लिए गया । घोड़े को सामने बुलाया यह कह कर कि बेटा सामने आओ । मुझ को बड़ा ताज्जुब हुआ कि यह कैसे हिन्दी बोलते हैं ? फिर वह घोड़ा सामने आया तो बोले बेटा मेहमान आया है सलाम करो तो उसने गर्दन झुका कर सलाम किया । तो मैं ने पूछा कि चौधरी साहब, आप तेलगू भाषी होते हुए घोड़े के साथ हिन्दी में कैसे बोलते हैं ? तो उन्होंने कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पर गया था, यह घोड़ा मुझे देखने को मिला । मुझे लगा कि यह जो बताया जाता है वह करता है इसलिए मैं ने खरीद लिया । घर आ कर पता चला कि इस को केवल हिन्दी समझ में आती है तो मैं ने यह सोचा कि अब घोड़े को तेलगू सिखाने के बजाय मैं स्वयं हिन्दी सीख लू तो अच्छा है । तो घोड़े को तेलगू सिखाने के बजाय स्वयं उन्होंने हिन्दी सीखी । यानी आदमी घोड़े को प्यार करता है तो घोड़े की भाषा सीख लेता है । यदि हम भारत माँ को सही अर्थ में प्यार करें तो क्या भारत की भाषा नहीं सीखेंगे ? सवाल यह है कि हम भारत माँ को पिछले 20 साल में प्यार करना धीरे-धीरे भूलते जा रहे हैं । इसलिए हर मामले में विदेशी चीजें हमें प्रिय हो रही हैं । विदेशी रहन-सहन, विदेशी व्यवहार और इसलिए विदेशी भाषा में भी क्या लगता है ? जब सब कुछ विदेशी में ले रहे हैं तो विदेशी भाषा ने ही क्या किया है ? यह वजह है इस के पीछे । मैं कहना चाहता हूँ हजारों हजार साल जिस देश के अन्दर एक सुसंगठित जीवन दर्शन के नाते हम लोग एक हो कर रहते आये हैं, कई हजार संग्रामों को परास्त करते हुए, आज भी हम खड़े हैं और आगे चलकर भी हम खड़े रहना चाहते हैं । इसलिए कोई यह कहे कि दक्षिण वालों को यह नही आता, वह नहीं आता, मैं उसको मानने के लिए बिलकुल तैयार नहीं हूँ । कोई भी भाषा हो उसका ठीक ढंग से प्रचार हो । मैं अभी केरल गया था । अर्नाकुलम, कोचीन और त्रिवेद्रम में हिन्दी का प्रचार बहुत अधिक है । केरल से तो हिन्दी की मासिक पत्रिका निकलती है । वास्तव में हम लोगों को उसे गौरव दे कर के, प्रशस्ति दे कर के आगे बढ़ाना चाहिए । उस की लोकप्रियता पूरे देश भर में बढ़ाने का काम बहुत आवश्यक है । किन्तु सब से बुरी बात तो यही होती है, विदेशी शासन के खिलाफ जब हम झगड़ करते हैं तो इसीलिए . . .

Shri Nambiar: Do it by love, not by force ·

Shri Jagnnath Rao Joshi : That is what I am saying ; I am sayins the same thing.

तो देश की भक्ति, सारे देश के अन्दर एकता का भाव इन बातों को लेकर वास्तव में यह भाषा की समस्या कोई कठिन नहीं है । अंग्रेजी की दास्ता जो है, यह दासता सब से ज्यादा खराब होती है, यह स्वत्व के खिलाफ है । यह विदेशी आकमण जो आता है, विदेशी राज्य जो रहता है, उस में खराबी यही है कि वह धीरे धीरे हमारे मन का जो भाव है वह उस भाव को खत्म कर देता है । कोई कहे कि खत्म हो तो हो, क्या है ? लेकिन हम चाहते हैं कि हर एक

का विकास हो तो बंधन में विकास नहीं होता, विकास मुक्ति में होता है। जब मैं अपनी मातृ भाषा के साथ नहीं बंध सकता, जब दूसरी भाषा रखनी पड़ती है, तो मेरा पूर्ण विकास नहीं होगा। इस लिये हर देश में स्वभाषा में व्यवहार होता है।

अब स्वभावत; यह बात जरूर आयेगी कि हमारे देश में विभिन्न भाषायें हैं, परन्तु जैसे संस्कृत हमारी सब से पुरानी भाषा है और लिपि चाहे अलग हो, परन्तु वर्णमाला अलग नहीं है, सब का स्रोत संस्कृत है, केवल तमिल में कुछ वर्ण कम हैं, परन्तु वहां भी क–ङ, च–ञ, ट–ण, त–न, प—म, उसी वर्णमाला से हैं, तो जब एक ही स्रोत को लेकर हम इस देश में खड़े हैं, तो फिर इस में कठिनाई नहीं आती है।

मेरा विरोध इस से इसलिये है कि जो विधेयक लाया गया है, उस के अन्दर कोई योजना नहीं है। बातें तो हम बहुत कहते हैं, प्लनिंग की बात चलती है, परन्तु स्वदेश में स्वभाषा के व्यवहार के लिये कोई निर्दिष्ट अवधि न दे कर इस को बीच में ही छोड़ दिया है। इसलिये यह विधेयक स्वयं जो मूल संविधान बनानेवालों की भावनायें हैं, उन के विपरीत है। इस लिये मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस विधेयक को वापस लिया जाय। 1963 के पहले जो हुआ है, उस में तो खुली छुट्टी है, उस में अवधि भी बिलकुल बांधी नहीं है, लेकिन इस विधेयक के कारण तो एक छोटासा नागालैंड यदि पूरे भारत पर अंग्रेजी थोपने का काम करे, तो कर सकता है। गांधी जी ने साफ कहा था कि हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं तो इस का मतलब यह नहीं है कि हम अंग्रेजों के खिलाफ हैं, इस का मतलब यह है कि हम अंग्रेजी राज्य के खिलाफ हैं। जब हम कहते है कि अंग्रेजी हटाओ, तो उस का मतलब यह नहीं है कि देश से अंग्रेजी को निकाल दो, उस को सिंहासन से हटाओ, कालिज के स्थान पर लाइब्रेरी में बैठाओ। उस का स्थान वहीं पर रहे, हम और आप आजाद हैं, विन्डो मात्र खोल कर दुनिया की तरफ क्यों देखें हर एक के लिये वह महाद्वार खुला है, उस के द्वारा हम सब को देखें, सब के साथ व्यवहार करें, लेकिन स्व–व्यवहार के लिये हिन्दी और देश की सभी भाषाओं को लेकर चलना होगा, हमारे लिये देश की सब भाषायें एक रूप हैं, केवल सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी को स्वीकार करना होगा। हिन्दी को लोकप्रिय करने के लिये यदि हम अब तक कार्य करते तो क्या सफलता नहीं मिलती और क्या यह विधेयक लाकर हिन्दी जल्दी आयेगी ? नही आयेगी, आपकी मंशा ठीक नहीं दिखती, 20 साल तक तक जिन्होंने कुछ नहीं किया, अब वे क्या करेंगे–यह कहना बहुत मुश्किल है। इस लिये हम कहते हैं कि समय निर्धारित करो, इस बिधेयक से आप बंधते नहीं है, बल्कि यह विधेयक तो अंग्रेजी को बांधने का काम करता है, इस लिये इस को वापस लीजिये।

श्रीमती सुचेता कृपलानी (गोंडा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो राजभाषा संशोधन विधेयक सदन के सामने उपस्थित किया गया है, जिस शक्ल में यह विधेयक आया है, मुझे खेद से कहना पड़ता है कि मैं और मेरे साथ बहुत से कांग्रेस जन होंगे, जो इस शक्ल में इसको अपनी मन्जूरी देने में परेशानी पायेंगे।

यह भी बहुत खेद की बात है कि 20 साल बाद ऐसा विधेयक हमें यहां लाना पड़ा। इसमें यही प्रतीत होता है कि जो काम करने के लिये हमने प्रारम्भ किया था, उस काम में हम नाकामयाब रहे और अगर हम लोग सम्पूर्णरूप से चेष्टा करते तो आज भारत काफी हिन्दीमय

हो जाता और भारत के दूसरे प्रान्तों में भी लोगों में हिन्दी के प्रति प्रेम होता और लोग सीखते ।

मुझे याद है बहुत पुराने दिनों की बात है, मैं मद्रास में पहले पहल गई थी, शायद 30 साल पहले गई थी जब महात्मा जी वहां गये थे और वहां की हिन्दी प्रचार समिति ने एक सभा रखी थी। उस सभा में कितने तमिल भाइयों और बहनों ने उनसे अपना प्रमाणपत्र लिया था उस समय उन लोगों में कितना उत्साह था। उस उत्साह का कारण क्या था ? गांधी जी प्रेम से लोगों के अन्दर हिन्दी का प्रचार करवा रहे थे। उस समय क्योंकि हम लोग गुलाम थे, हम लोग हिन्दी को अपनी भारतीय भाषा होने में गौरव समझते थे। उस समय हम लोग अंग्रेजी भाषा को जबरन बोलते थे, क्योंकि हम समझते थे कि इससे हमें काम लेना है—ऐसी भावना थी। यह बात सही है कि हमारा राष्ट्र एक फैडरल है, यहां नाना भाषायें हैं, नाना मत हैं, नाना प्रकार की वेषभूषायें हैं, नाना प्रकार के रस्मो रिवाज हैं, लेकिन इतना वैषम्य होते हुए भी एक समन्वय है—जैसाकि मुझसे पहले बहुत सुन्दर ढंग से जोशी जी बता रहे थे। हमारी एक संस्कृति है, उसी से हम हिन्दुस्तान हैं, हमारे देश की इतनी पुरानी सभ्यता है, संस्कृति है, हमारी संस्कृत भाषा इतनी विकसित है, इतना होते हुए भी कोई एक भाषा इस देश की भाषा न बन सके, तो हमारी संस्कृति और सभ्यता की कोई कद्र नहीं है, इसका कौड़ी का मूल्य नहीं है ।

मैं आपको बताऊँ, अभी कल ही विजय लक्ष्मी जी बतला रही थीं, उनके साथ क्या पेश आया था । जब वह रूस में गईं और जब वह अपना क्रिडेन्शल पत्र देने लगीं तो उन्होंने बहुत लांछित किया कि तुम कैसे जंगली हो, क्या तुम्हारी अपनी भाषा नहीं है । मुझे याद है मेरे साथ भी ऐसा ही बीता था—मैं जर्मनी में घूम रही थी। हम लोगों की अंग्रेजी लिखने की आदत पड़ी हुई है, मैं अपनी नोट बुक में अंग्रेजी में लिख रही थी, वहां के एक व्यक्ति ने देख लिया -- उन्होंने पूछा—क्या बहिन, आप लोगों की अपनी कोई भाषा नहीं है, जो आप अंग्रेजी में लिख रही हैं मेरा सिर शर्म से झुक गया ।

Shri Nambiar : She could have done it in Hindi.

श्रीमती सुचेता कृपलानी : मैं अपना दोष बता रही हूँ । तो इस मुल्क की इतनी पुरानी संस्कृति है, सभ्यता है, इतनी भाषायें होने के बाद भी कोई एक भाषा इस देश की हमारी भाषा न हो सके, जिसके द्वारा हम आपस के मनोभावों को दूसरों को प्रकट कर सकें, जिसको लिंकलैंग्वेज कह सकें—तो यह बड़े शर्म की बात है, तौहीन की बात है । कोई न कोई भाषा जरूर बन सकती है, जो हमारी संस्कृति में हो।

20 साल पहले हिन्दी के पक्ष में क्यों फैसला लिया गया था ? हिन्दी के पक्ष में इस लिये फैसला लिया गया था — जैसा हमारे जोशी जी ने बताया- इसलिये नहीं कि सबसे ज्यादा विकसित भाषा हिन्दी थी, इसलिये कि हिन्दुस्तान के कई प्रान्तों में हिन्दी बोली जाती थी । इसलिये समझा गया कि जब देश के ज्यादा से ज्यादा लोग इस भाषा को बोलते हैं, इसलिये इसको बनाया जाय । अगर हम देखते कि तामिल भाषा ज्यादा लोग बोलते हैं, तो हम तामिल के पक्ष में ही फैसला करते । हिन्दी की तरफदारी के लिये हिन्दी को नहीं बनाया, वास्तविक परिस्थितियों को देख कर ही यह फैसला हुआ कि सब से ज्यादा संख्या में लोग हिन्दी को बोलते हैं, इसलिये हिन्दी को बनाओ ।

मैं अपने तमिल और दक्षिण के भाइयों से एक विनती करना चाहती हूँ। हम लोग इतनी होशियार हैं, हिन्दुस्तान भर के लोग, कि अंग्रेजी भाषा को हम ने अपना लिया और अंग्रेजी को अपनाने के बाद हम में कुछ इतना जोश चढ़ गया कि हम उस को अपनी मातृ भाषा ही समझने लगे और उसका इस्तेमाल करने में बड़ा गौरव समझते हैं और अपनी भाषा को ठीक प्रकार से बोल भी नहीं सकते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि अगर हम अंग्रेजी सीख सकते हैं-जब कि अंग्रेजी का हिन्दुस्तान की दूसरी भाषाओं से मेल नहीं है, हिन्दी और देश की अन्य भाषाओं का तो कुछ हद तक मेल भी है, तामिल भाषा जो संस्कृत से अलग मानी जाती है, उसमें अन्य भाषाओं के शब्द मिलते हैं क्या उसको नहीं सीख सकते। तमिल, तेलगू तथा दक्षिण की अन्य भाषाओं को लीजिये, वहां के कवियों ने, मनीषियों ने, लेखकों ने अपने लेखों में, कविताओं में सस्कृत के अनेकों शब्दों का प्रयोग किया है। उन्होंने अपनी भाषा के साथ संस्कृत का व्यवहार किया है—त्यागराज, दीक्षितार, श्याम शास्त्री-आप इनकी कृतियों को पढ़िये, जब आप इनकी कृतियों को सुनते हैं, तो उनमें बहुत से शब्द ऐसे हैं, जो समझ में आते है, सस्कृत को उन्होंने बहुत हद तक अपनाया है। ठीकना, रामराज्य भूषण, विश्वनाथ सत्यनारायण-इन सब को आप सुनें तो आप देखेंगे कि इनकी कृतियों में बहुत से संस्कृत शब्दों का प्रयोग है। इसके अलावा दक्षिण में जो प्रबन्धम् स्तुति वैष्णव गाते हैं, उन में संस्कृत भरी पड़ी है। तो वह वे लोग समझते हैं-इसका मतलब यह है कि सारा भारत संस्कृत भाषा से कुछ न कुछ वाकफियत, परिचय रखता है जब दक्षिण के भाई इन कृतियों को समझते हैं, तो इस का मतलब है कि संस्कृत से उनका परिचय है और हिन्दी में तो संस्कृत भरी पड़ी है कम से कम हिन्दी और तमिल, हिन्दी और तेलगू, हिन्दी और कन्नड़, हिन्दी और मलयालम के कुछ न कुछ शब्दों से अवश्य परिचित हैं, परन्तु अंग्रेजी का कौन सा शब्द उनकी भाषा से मिलता है। अंग्रेजी के दो-चार शब्द मामा-पापा-माता और पिता से थोड़ा बहुत मिलते हैं, परन्तु जब हम इतने होशियार हैं कि हम अंग्रेजी को इतनी भिन्नता हुए भी सीख सकते हैं और समझते हैं कि अंग्रेजी के सिवाय दूसरी लिंक लेंग्वेज नहीं बन सकती तथा हिन्दी को उससे कहीं आसानी से नहीं समझ सकते। मैं बहुत विनती से उनसे कहना चाहती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर वे प्रयास करें तो आपने जितनी बढ़िया अंग्रेजी सीखी है, बजाय इसके कि हम गलत अंग्रेजी बोलते हैं उससे कहीं ज्यादा अच्छी हिन्दी हम बोल पायेंगे और जल्दी सीख पायेंगे।

हां यह बात सही है कि गलतियाँ हमारी हैं, हमारी सरकार की है। गलती हमारी पार्टी की है, गलती सब पार्टियों की है। अगर विगत 20 सालों में हमने हिन्दी का प्रचार और प्रसार जैसे करना चाहिए था किया होता, जैसे लोगों को हिन्दी सिखाने का प्रयास करना चाहिए था वैसा किया होता तो आज हमें वह नौबत देखने को नहीं मिलती।

मुझे यह बात दुःख के साथ कहनी पड़ती है कि हमारे कुछ ऐसे हिन्दी प्रेमियों ने हिन्दी के लिए अधिक उग्र तरीके से प्रचार किया। अब बहुत उग्र तरीके से प्रचार करना भी अच्छा नहीं होता। अति उग्र जब हो जाता है तो उस की प्रतिक्रिया भी उग्र भाव से होती है। इन्हीं सब कारणों से आज एक परिस्थिति जरूर देश में हो गई है जहाँ एक रैजिस्टैंस उसके लिए हो

गयी है कि अहिन्दी भाई यह सोचने लगे हैं कि हम हिन्दी नहीं सीखेगें चाहें कुछ क्यों न हो जाय । उस रैजिस्टेंस की भावना को उन के बीच में से उड़ा देने के लिए उस पृष्ठभूमि में आज यह विधेयक लाया गया है । आज देश के सामने एक परेशानी है दिक्कत है और मैं समझती हूँ कि अगर आज हम यह कहें कि हिन्दी भाषा सीखने के लिए थोड़ा और समय देना चाहिए, अहिन्दी भाषा भाषी थोड़ा समय और ले लें तो उस में कोई अनुचित बात नहीं होगी । इस मकसद से अगर यह विधेयक लाया गया है तो वह ठीक ही किया गया है ।

राजभाषा संशोधन विधेयक में बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमें पसन्द नहीं हैं और उनके लिए हमने संशोधन मूव करने का नोटिस भी दिया हुआ है । जब इस पर धारावार बहस चलेगीं तो मैं उन पर डिटेल में चर्चा करूंगी । अगर वह संशोधन स्वीकार नहीं किये जाते हैं तो मेरी समझ में वह लोग जो हिन्दी भाषा सीख रहे हैं उन के साथ हम अन्याय करने वाले हैं । एक तरफ जहां यह जरूरी है कि हम प्रम से अहिन्दी भाषा भाषी लोगों को हिन्दी अपनाने की तरफ खींचें, जबरदस्ती करने से नुकसान हो जायगा वहां हमें यह भी देखना होगा कि जहाँ जहां लोगों ने हिन्दी भाषा को अपना लिया है, उन स्टेटों में जहां युनिवरसिटीज में हिन्दी के माध्यम से पढ़ाई होने लग गई है, जहां पर कि लड़के हिन्दी में पढ़ने लग गये हैं क्योंकि हमने 20 साल पहले फैसला किया था कि हम सारे देश में राजभाषा हिन्दी को करेंगे उस सरकार के फैसले के अनुसार वह बेचारे हिन्दी पढ़ने लगे तो आज बैठे बैठाये उन से कहा जाय कि तुम हिन्दी में अगर पत्र व्यवहार आदि काम करोगे तो तुम्हारे ऊपर यह पैनाल्टी लगेगी कि उस हिन्दी पत्र के साथ साथ तुम्हे उसका अंग्रेजी अनुवाद भी नत्थी करके भेजना पड़ा करेगा तो यह उनके साथ अन्याय होगा । आज इस विधेयक में जो झलक हमें दिखाई पड़ रही है और जिसके लिए हम लोगों को ऐतराज है वह झलक यही है कि जो यह कहा जा रहा है कि हिन्दी हमारी राजभाषा है, मतलब पहली राजभाषा हमारी हिन्दी है और दोयम नम्बर यह अंग्रेजी एसोसिएट भाषा है सह भाषा है मगर वास्तविक रूप जो अमल में इस में दिया जा रहा है..

Shri Nambiar : If you write it.

Shri Sheo Narain : What is this ?

Shri Nambiar : I am not objecting. If you write it in Hindi, without English translation, we are unable to understand it.

Shrimati Sucheta Kripalani : I will explain that.

मैं यह कह रही हूँ कि जहाँ हिन्दी की प्रगति हो गई है उस के ऊपर जबरन अंग्रेजी मत डालो । अब नम्बियार साहब ने सवाल पूछा कि अगर आप हिन्दी में हमें बगैर उसके इंग्लिश ट्रान्सलेशन के लिखोगे तो हम उसको समझ नही सकेंगें और उस हालत में क्या होगा ? मैं उनकी वह बात मानने को तैयार हूँ कि आप को जब हम चिट्ठी आदि लिखेगें, हम अगर दो ऐसा स्टेटों में खतोकिताबत चलायेंगे जहां एक स्टेट में हिन्दी नहीं होगी तो यहाँ इंग्लिश शैल बी यूज्ड—

नौटविदस्टैंडिंग एनीथिंग, इंग्लिश शैल बी यूज्ड । अगर आप अभी हिन्दी नहीं समझते तो हम इंग्लिश में आप को समझायेंगे । हम चाहते हैं कि अपनी मनोंभावना हम आप को समझायें । भाषा हमारी हिन्दी है। चिट्ठी हम हिन्दी में लिखें लेकिन आप चूंकि उसे समझ सकें इस के लिए हम तैयार हैं कि उसका अंग्रेजी तर्जुमा साथ में जब तक आप हिन्दी न समझ

सकें तब तक भेजें। हिन्दी हमारी राजभाषा है और अंग्रेजी सहभाषा है, दोयम भाषा है इसलिए अहिन्दी भाषा भाषी लोगों के साथ हम हिन्दी भाषी लोग पत्र व्यवहार करते समय इसका ध्यान रक्खेंगे कि आप हमारी बात समझ सके और जब तक आप हिन्दी का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते हम अंग्रेजी में आप को समझायेगे। मैं ऐसा अव्यवहारिक रुख नहीं अपनाना चाहती कि आप समझें या न समझें मैं हिन्दी में ही आप को अपनी बात लिखूं। लेकिन यदि एक हिन्दी भाषी राज्य केन्द्र से पत्रव्यवहार कर रहा है तो हिन्दी पत्र के साथ इंग्लिश ट्रान्ससलेशन होना जरूरी नहीं होना चाहिए या केन्द्र में ही परस्पर विभिन्न मंत्रालयों में या सुबारडिनेट आफिसेज से जो आपसी पत्र व्यवहार, सरकारी काम काज हो वह अंग्रेजी में हो ऐसा मैं नहीं मानती हूँ। वहां अंग्रेजी में होने का कोई सवाल नहीं है। वहाँ हिन्दी में काम होना चाहिए। अगर जरूरत पड़े तो अलबत्ता उसका अंग्रेजी ट्रान्सलेशन दे दिया जाय। लेकिन जैसे सारा काम सेंटर के विभिन्न मंत्रालयों में आपस में हिन्दी में ही होना चाहिए।

संविधान ने आज से 17 वर्ष पूर्व हिन्दी को राजभाषा के सिंहासन पर बिठा दिया है लेकिन व्यवहार में देखा जाय तो वह सिर्फ नाम के लिए ही है और इस विधेयक से भी मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा हैं कि नाम के वास्ते तो कह दिया गया. हैं कि हाँ हिन्दी तुम ऊपर सिंहासन पर बैठी हो लेकिन वह वैसे ही है जैसे किसी को फर्स्ट क्लास से स्टार्टिंग स्टेशन से बैठा तो दिया गया लेकिन दूसरे ही स्टेशन पर उसे फर्स्ट क्लास से उतार लिया गया हो। अब इस तरह की कैद रखना कि अगर कोई हिन्दी में चिट्ठी लिखने की जुर्रत करे तो साथ साथ उस के उसे अंग्रेजी ट्रान्सलेशन जरूर देना पड़ेगा दोनों पार्टीज के लिए ट्रान्सलेशन देना जरूरी होगा तो इससे लोग हिन्दी में लिखने के लिए बजाय इनकरेज होने के डिस्करेज ही होंगे। हालांकि हम यह कहते हैं—

Hindi is our main language. Hindi is our official language,we accept it.

इस पर भी जब तक अहिन्दी भाषी लोग हिन्दी का ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते थोड़े दिन तक उनको हिन्दी पत्रादि का अंग्रेजी तर्जुमा देने को तैयार हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा हिन्दी को महज नाम के वास्ते राजसिंहासन पर बैठाया गया है व्यवहार में हिन्दी नहीं है, जैसे मुझे यह कहने के लिये माफ किया जाय कि हमारे हिन्दुस्तान में औरतों को देवी की तरह पूजने के लिए रख दिया गया है हांलाकि सब जानते हैं कि औरतों की क्या हालत है ? घर पर औरत को झाड़ू, बहारू, बर्तन चौका आदि सारे काम करने पड़ते हैं और पति की बात भी उसे सहनी पड़ती है, ऐसा दोरुखा व्यवहार हिन्दी के बारे में आज चल रहा है। वैसे तो हिन्दी इतनी भारी देवी है लेकिन अगर उसे तुमने इस्तेमाल करने का साहस किया, हिन्दी में तुम ने पत्र व्यवहार आरम्भ किया तो उसको करने वाला डिस्ऐडवांटैज में रहेगा और अंग्रेजी ट्रान्सलेशन देने के लिये उस पर पेनाल्टी लगेगी तो वह चीज ठीक नहीं है। इसलिए मैं आज यह कहना चाहती हूँ कि जो भावना है कांस्टीस्यूशन में और जिस राजभाषा के पद पर हम ने हिन्दी को 18 साल पहले से ही बैठाया हुआ है उसे व्यवहार में भी मान्यता दिलायें। इन 18 सालों में भले ही अपनी नालायकी से अथवा और किन्ही कारणों से हिन्दी को हम व्यवहार में उसका अपेक्षित स्थान नहीं दिला पाये हैं तो कम से कम आज इस विधेयक के जरिये वह भावना साफ दिखाई

पड़नी चाहिए कि उत्तरोतर हम हिन्दी को देश की राजभाषा के रूप में ग्रहण कर रहे हैं। अंग्रेजी जब तक उसकी वास्तविक जरूरत हो उतने वक्त तक उसको चलायें लेकिन उसके लिए हिन्दी को डिस्ऐडवांटेज में नहीं डालना चाहिए। बाकी दरअसल इस हिन्दी और अंग्रेजी के पीछे सारे झगड़े की जड़ यह नौकरियां हैं। हमारे भारतवर्ष में आज से नहीं मैकाले के समय से सरकारी नौकरी की महत्ता समझी जाती रही है, हर एक शिक्षित नौजवान नौकरी पाने के लिए उत्सुक रहता है और अलावा नौकरी करने के उसकी दृष्टि और कहीं नहीं जाती है। हमारे देश के नौजवानों के विकास का प्रगति का कुछ भी फाटक खुला है तो वह सरकारी नौकरी की प्राप्ति है उसके सिवाय और कुछ नहीं है। इसलिए जैसा मैंने कहा इस हिन्दी अंग्रेजी के पीछे सारा झगड़ा यह सरकारी नौकरियां ही हैं। अंग्रेजी भाषा चूंकि वह किसी की भाषा नहीं थी, वह एक विदेशी भाषा थी इसलिए सब को उसमें बराबर डिस्ऐडवांटेज थी लेकिन अगर हिन्दी हो जायगी तो जाहिर है कि हिन्दी भाषा भाषी लोगों को औरों के मुकाबले ऐडवांटेज हो जायगी।

They will have an edge over us.

दरअसल बात यह है और उसमें मैं मानती हूँ कि कुछ सच्चाई भी है। इसके लिए हम ऐडजस्टमेंट कर सकते हैं लेकिन यह भी नहीं होना चाहिए कि पिछले 20 साल में तो हमने हिन्दी के लिए कुछ किया नहीं, हिन्की हम लाये नहीं और अब 1965 के बाद आज यह मानना चाहिए कि कांस्टीट्यूशन में पोजीशन यह है कि हिन्दी इस देश की आफिशिएल लैंग्वेज है तब किसी न किसी तरीके से उसे सरकमबेंट करके अंग्रेजी को ऊपर लाने की कोशिश की जाय। जरूरत इस बात की है कि ईमानदारी के साथ और एक निश्चित प्रोग्राम के साथ हम हिन्दी का विकास करें और व्यवहार में उसे लायें लेकिन यह शर्त आपने कायम रक्खी कि अगर किसी ने हिन्दी में चिट्ठी लिखने की हिम्मत की तो उसे उसका अंग्रेजी ट्रान्सलेशन देना पड़ेगा तो कोई हिन्दी में लिख कर क्यों इतना फजीता मोल लेगा और हिन्दी कोई नहीं सीखेगा, किसी को पर्वाह नहीं होगी और उस हालत के रहते कौन इतनी तकलीफ उठायेगा?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कल को अपना भाषण जारी रक्खें।

Business Advisory Committee

Tenth Report

Dr. Ram Subhag Singh : I beg to present the Tenth Report of the Business Advisory Committee.

———

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

भारत के गत सामान्य निर्वाचिनों में रूस का कथित हस्तक्षेप

श्री देसकी नन्दन पाटोदिया : श्रीमान्, मैं माननी गृह-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व से निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

" भारत के गत सामान्य निर्वाचनों में रूस का कथित हस्तक्षेप "

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : सरकार का ध्यान पिछले सामान्य चुनावों में रूसियों द्वारा कथित हस्तक्षेप के बारे में समाचारपत्र में प्रकाशित समाचारों की ओर गया है । श्री बाई० एन० लोगीनोव के वक्तव्यों का पूर्ण विवरण प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं । उनकी प्राप्ति तथा जांच से पूर्व सरकार के लिये इस सम्बन्ध में कुछ भी रहना सम्भव नहीं है। फिर भी माननीय सदस्यों को यह तो मालूम ही है कि भारत सरकार ने "रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रेस" के प्रसारणों के आपत्तिजनक पहलुओं की ओर रूस में उपयुक्त अधिकारियों का ध्यान दिलाया है ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : मैं यह जानना चाहता हूँ कि श्री यूरी मोदीन के बारे में सरकार को पहले ही पर्याप्त सूचना उपलब्ध है और रूसी दूतावास को उसे भारत से वापिस भेजने के लिये कहा गया है ।

"रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रेस" ने अपने 7 जून के प्रसारण में श्री मेनन की तुलना महात्मा गांधी से की है और श्री मोरारजी देसाई को प्रतिक्रियावादी बताया है । अब सोवियत दूतावास के काउन्सिलर श्री बिटानी जर्किन्स मास्को तथा भारतीय साम्यवादी दल के बीच सम्पर्क कार्य कर रहे हैं । "रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रेस" ने पश्चिमी बंगाल सरकार को हटाने की खुली निन्दा की है। क्या सरकार ने इन सभी बातों की जांच की है । इस जांच का क्या परिणाम निकला है।

मैं यह भी पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार नोवोस्ती के साथ हुए करार को समाप्त करने के लिये तैयार है तथा क्या सरकार इन गतिविधियों के साथ सम्बन्धित सभी संस्थाओं के बारे में जांच करने के लिये तैयार है और क्या सरकार इसके लिये संसदीय समिति नियुक्त करने के लिये तैयार है ?

श्री यशवन्त राव चव्हाण :

" रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रेस" के प्रसारणों का मामला उपयुक्त सोवियत अधिकारियों के साथ उठाया गया है और वे उस पर विचार करने के लिये सहमत हो गये हैं। यदि किसी विदेशी प्रसारण में हमारे राष्ट्रीय नेताओं पर कोई आक्षेप हो तो हमें उसका विरोध करना होगा।

हम इस बारे में कोई सूचना नहीं दे सकते कि हम किस की गतिविधियों की निगरानी कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि मित्र देश हमारी राजनैतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और उन का यह दावा भी है कि वे ऐसा नहीं करते हैं। इसके साथ ही हमें अपने देश को किसी शीत युद्ध के प्रचार का अखाड़ा नहीं बनने देना चाहिये।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Does the Minister adimt that there was a counsellor in the Soviet embassy by the name of Mr. Modin, It has been alleged that he was a senior officer of K. G. B. and he worked in India to influence the election.

"Radio Peace and Progress" is an open interference in the domestic affairns of India and is against the principle of co-existence. I would like to know why the government does not term it to be an unfriendly act . We should not allow either U.S.S. R. or U. S. A. to interfere in our sovereign rights.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं इस बात से सहमत हूँ कि हमें किसी को भी अपनी प्रभुसत्ता पर आघात करने नहीं देना चाहिये।

यह सच है कि श्री यूरी मोडिन नामक एक व्यक्ति कौंसिलर का कार्य कर रहा था परन्तु इससे मैं यह नहीं कह सकता कि उसके बारे में आरोप ठीक हैं अथवा गलत।

Shri Yajna Dutt Sharma (Amritsar). I would like to know whether the government considers this propaganda by U.S.S.R. as unfriendly I would also like to know whether all this is not happening due to the weak policies of the government.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैंने पहले भी यह बताया है कि वह मामला रूसी अधिकारियों के साथ उठाया गया है और उन्होंने कहा है कि वे उस पर विचार कर रहे हैं इसलिए अभी यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है कि यह कार्य मैत्रीपूर्ण है अथवा अमैत्रीपूर्ण, यह कहना बिल्कुल गलत है कि यह सब कुछ भारत सरकार की कमजोरी के कारण हो रहा है।

सम्भव है, अन्य देश हमारी राजनीति पर प्रभाव डालने का प्रयत्न कर रहे हों परन्तु हमें इस बारे में सतर्क रहना होगा। हमारी राजनीति में हस्तक्षेप का कोई प्रयत्न अवांछनीय है।

Shri Mritunjay Prasad (Maharajganj) : It has been reported in the "Current" of 14th October that U.S.S.R. sent Rupees 1.60 crores for the purposes of elections in In dian I would like to know whether his attention has been drawn to it and if so, whether it has bee. investigated.

I would also like to know whether any enquiry has been made into the Channels from which the money flows. The literature that comes into India from U.S.S.R. and China is sold in rupees. I would like to know whether the accounts of such sale proceeds are gone-into. Similarly, the courtries under Russian influence send goods to India on Rupee payment. I would also like to know whether those accounts are also looked into.

The foreign tourists during the days of election were visiting the places importent from election point of view and not the places of tourist interest.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : गुप्तसूचना विभाग ने पिछले सामान्य चुनावों में विदेशी धन के प्रयोग के समूही प्रश्न की जांच की है और उसका प्रतिवेदन सरकार के विचारधीन हैं। गृह कार्य मंत्रालय को उस सम्बन्ध में सूचनायें मिलती हैं परन्तु उन्हें बताना ठीक नहीं है।

श्री नन्द कुमार सोमानी (नागौर) : भारत सरकार ने नई दिल्ली को मास्को के एक उपनगर के रूप में बदल दिया है ?

यह कार्य किसी उप-मंत्री द्वारा भी किया जा सकता था। मैं जानना चाहता हूँ कि गृह-कार्य मंत्री को "रेडियो पीस और प्रोग्रेस" के बारे में निर्णय करने में कितना समय लगेगा। गत चुनाव से पूर्व आकाशवाणी शिमला ने इस रेडियो द्वारा आपत्तिजनक प्रचार किये जाने के बारे में रिपोर्ट भेजी थी। इस बात को कई महीने हो गये हैं और सरकार का अब भी यही कहना है कि जांच की जा रही है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : माननीय सदस्य ने कोई प्रश्न ही नहीं किया

है। उन्होंने सारा जोर इस बात पर लगाया है कि नई दिल्ली मास्को की एक बस्ती बन कर रह गई है। हमारी स्वतंत्र नीति है और हम इसका दृढ़ता से अनुसरण करेंगे।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi-Sadar). I want to draw your attention under Rule 260. Many persons have been arrested and beaten in Delhi by police.

अध्यक्ष महोदय : नई बातों को अब नहीं उठाया जा सकता। मुझे चैम्बर में बताया जा सकता है यदि कोई अवलम्बनीय महत्व का मामला है तो उसको उठाने की अनुमति दी जा सकती है।

सभापटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

इन्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उस पर सरकार द्वारा समीक्षा

पैट्रोलियम, रसायन में तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूँ ;

(1) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई के 1966-67 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) उक्त कारपोरेशन के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० 1898/67]

दमोदर घाटी निगम का वार्षिक प्रतिवेदन

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : मैं

(2) दमोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 45 की उपधारा (5) के अन्तर्गत दमोदर घाटी निगम के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा उसके लेखे सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सभापटल पर रखता हूँ।

[पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1899/77]

अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभापटल पर रखता हूँ :

(एक) जी० एस० आर० 1082 जो दिनांक 22 जुलाई, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशा-

सन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये ।

(दो) जी० एस० आर० 1112 जो दिनांक 29 जुलाई 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये ।

(तीन) भारतीय पुलिस सेवा (वर्दी) संशोधन नियम, 1967 जो दिनांक 29 जुलाई 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1113 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) जी० एस० आर० 1114 जो दिनांक 29 जुलाई, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में एक संशोधन किया गया ।

(पांच) जी० एस० आर० 1117 जो दिनांक 29 जुलाई, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, 1954 की अनुसूची III में कतिपय संशोधन किये गये ।

(छः) भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) तेरहवां संशोधन विनियम, 1967 जो दिनांक 29 जुलाई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1119 में प्रकाशित हुए थे ।

(सात) भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) 12वां संशोधन विनियम, 1967 जो दिनांक29 जुलाई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1120 में प्रकाशित हुए थे ।

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० 1374/67]

अशोक होटल के कर्मचारियों के लिये बोनस के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 366 के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO S. Q. NO. 366 RE. BONUS FOR EMPLOYEES OF ASHOKA HOTEL

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय मे उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : 30 नवम्बर, 1967 को तारांकित प्रश्न संख्या 366 के सम्बन्ध में अशोक, जनपथ, रणजीत और

लोदी होटलों के कर्मचारियों को बोनस दिये जाने के बारे में पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में मैंने लोक सभा को यह बताया था कि जनपथ होटल के कर्मचारियों को 10 प्रतिशत तथा रणजीत और लोदी होटलों के कर्मचारियों को 4 प्रतिशत बोनस दिया गया था। वास्तविक स्थिति यह है कि इन तीनों होटलों में अर्थात् जनपथ रणजीत और लोदी होटलों के कर्मचारियों को 10 प्रतिशत बोनस दिया गया है क्योंकि सभी कर्मचारी जनपथ होटल जो कि तीनों होटलो पर नियंत्रण करता है, के अधीन हैं।

राजभाषा (संशोधन) विधेयक और राजभाषा के बारे में संकल्प

OFFICIAL LANGUAGES (AMENDMENT) BILL AND RESOLUTION RE. OFFICIAL LANGUAGES

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :***

(अन्तर्वाधायें)

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : ***

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी रिकार्ड नहीं किया जायेगा। विधेयक के बारे में कल कई सदस्यों द्वारा व्यवस्था के प्रश्न उठाये गये थे। अतः आज फिर व्यवस्था के प्रश्न उठाना उचित नहीं है।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur): I rise on a point of order.

अध्यक्ष महोदय : मैंने सभी सदस्यों को अनुमति दी है।

Shri Parkash Vir Shastri : I want to draw your attention to the resolution being moved by the hon. Home Minister along with the Bill. Two words in that resolution are objectionable.

In Article 343 of the Constitution it has been clearly stated that Hindi in Devanagri Script is the official language of India. The Government in official language (Amendment)Bill,1965 has also accepted this position. So these words that Hindi will be the official language cannot be included in the Resolution.

It has also been included in the Resolution that the knomledge of Hindi will not be essential for the examination of the Union Public Service Commission. I would, therefore, say that Government cannot move a resolution to this effect without amending the official language Bill, 1965.

So far as the assurances of Nehru concerned. I would say that Constitution is above than Shri Nehru.

*** सभा की कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ;

***Not recorded.

Shri Ram Sewak Yadav : The Bill and the Resolution moved by the hon. Home Minister are against the Constitution. The Government wants to continue English through this Bill. I would also like to say that we do not want to impose Hindi on anyone.

श्री श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : यह किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि भारत की की एकता का प्रश्न है । यदि आप चाहते हैं कि भारत संघ का अंग बने रहे तो आप को हमें उचित अधिकार देने होंगे ।

अध्यक्ष महोदय : यदि सभी दल एक दूसरे के बोलने में इस प्रकार गड़बड़ करते रहे तो यह ठीक नहीं है श्रीराम सेवक यादव ने अभी तक व्यवस्था के प्रश्न के बारे में कुछ नहीं कहा है ।

Shri Ram Sewak Yadav : The Central government is resposible for the prevailing dissatifaction amongst the people and the disturbances all over the country. So, I would say that these matters should be discussed first our adjurnment notice way please be taken before .

Dr. Govind Dass (Jabalpur). I support Shri Prakash Vir Shastri that this Resolution is illegal and unconstitutional. The people are agitated on this issue. Dissatisfaction amongst the people is prevailing throughout the country. I would, therefore, request the government to withdraw this Bill and Resolution.

श्री अ० कु० सेन (कलकत्ता-उत्तर-पश्चिम) 26 जनवरी 1950 को जब संविधान अपनाया गया था तो यह अनुच्छेद 343 में यह लिखा गया था कि भारत की राजभाषा देवनागरी में हिन्दी होगी । यदि शब्द 'शेल' के स्थान पर शब्द 'इज' किया जाता है, तो व्यवस्था का प्रश्न उठाने वाले अपने तर्क को स्वयं ही समाप्त कर रहे हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : संकल्प में यह लिखा है "जबकि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी होगी । श्रीमती सुचेता कृपलानी ने यह संशोधन दिया है कि शब्द 'शेल' के स्थान पर शब्द 'इज' कर दिया जाये । मेरा सुझाव है कि श्री चव्हाण यह प्रस्ताव रखे कि राजभाषा हिन्दी है न कि होगी ।

श्रीमती शारदा मुकर्जी (रतनगिरि) : भविष्य के लिये शब्द 'विल' होता है न कि 'शेल' ।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : मैं श्री प्रकाशवीर शास्त्री द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूँ । संविधान में शब्द 'शेल' का प्रयोग इसलिये किया गया था क्योंकि हिन्दी को पन्द्रह वर्ष बाद राजभाषा बनना था परन्तु अब वे पन्द्रह वर्ष गुजर चुके हैं और हिन्दी देश की राजभाषा बन गई है 1967 में शब्द 'शेल बी' का प्रयोग नहीं किया जा सकता । जब संकल्प हिन्दी में प्रस्तुत किया जाता है तो उचित शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिये ।

जब हिन्दी देश की राजभाषा है तो कोई व्यक्ति इस भाषा की जानकारी के बिना किस प्रकार देश की सेवा में शामिल हो सकता है इसलिये यह असंवैधानिक है ।

श्री अ० कु० सेन : अंग्रेजी शब्द 'शेल' का उचित अनुवाद 'रहेगी' है न कि 'होगी'।

Shri Amrit Nahata (Barmer): Thr unconstitutional aspects of the Resolution may be amended but it should not be asked to withdraw the Resolution.

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोकसभा मध्यावन भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 बजे ग० प० पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha re-assembled after Lunch as Fourteen of the Clock

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

[Mr. Deputy Speaker in the Chair]

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सब कृपया अपने अपने स्थानों पर बैठ जायें। मैं सब को अनुमति दूंगा।

Shri Nath Pai (Rasupur) : Sir I want to raise a point of order.

उपाध्यक्ष महोदय : जब व्यवस्था के प्रश्न उठाये जा रहे थे तो मैं सभा में ही था। मैं नियम 376 के अन्तर्गत प्रक्रिया का पालन कर रहा हूँ। यदि मैं ने सही सही समझा है तो गृह मंत्री ने अभी विधेयक का उल्लेख किया था। संकल्प को सभा के सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया गया था तथा उस से पहले संकल्प के बारे में कुछ व्यवस्था के प्रश्न उठाये गये थे।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : It is written did that Bill and resolution will taken together.

श्री मनोहरन (मद्रास उत्तर): उठे।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें अपने स्थान पर बैठ जाना चाहिये। पहले माननीय मंत्री को संकल्प प्रस्तुत करने दिया जाये क्योंकि इस समय सभा के पास कोई विषय नहीं है।

श्री मनोहरन : मुझे अभी अभी जानकारी है कि दिल्ली में मद्रासी स्कूलों में विद्यार्थियों द्वारा हमला किया गया है। इसके अलावा तीन दिन पहले मद्रास विधान सभा के तीन सदस्य दिल्ली में एक सहकारी सम्मेलन में भाग लेने आये थे और वे आगरा जाना चाहते थे तथा रास्ते में उन्हें पीटा गया। मुझे बताया गया है कि इसके पश्चात् दक्षिण भारत के ससद् सदस्यों को पीटने की बारी आयेगी। यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। हम गृह मंत्री द्वारा संरक्षण चाहते हैं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): The hon. Member need not worry. First we will go in the field.

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : He is misleading the House. No body has done so.

उपाध्यक्ष महोदय : श्री मनोहरन ने कुछ घटनाओं का उल्लेख किया है तथा गृह मंत्री उनपर विचार करेंगे । अब गृह मंत्री अपने प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं ।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि राज भाषा अधिनियम, 1963 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये । मैं निम्नलिखित संकल्प भी प्रस्तुत करता हूँ :—

"जबकि संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिन्दी होगी और उसके अनुच्छेद 351 के अनुसार हिन्दी भाषा की प्रसार वृद्धि करना और उसका विकास करना, ताकि वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सब तत्वों की अभि-व्यक्ति का माध्यम हो सके, संघ का कर्त्तव्य है ;

यह सभा संकल्प करती है कि हिन्दी के प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने के हेतु, तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिये उत्तरोत्तर इसके प्रयोग के हेतु, भारत सरकार द्वारा एक अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जायेगा और उसे कार्यान्वित किया जायेगा, और किये जाने वाले उपायों एवं की जाने वाली प्रगति की विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट संसद् की दोनों सभाओं के पटल पर रखी जायेगी, और सब राज्य सरकारों को भेजी जायेगी ;

2. जबकि संविधान की आठवीं अनुसूची में हिन्दी के अतिरिक्त भारत की 14 मुख्य भाषाओं का उल्लेख किया गया है, और देश की शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक उन्नति के लिये यह आवश्यक है कि इन भाषाओं के पूर्ण विकास के हेतु सामूहिक उपाय किये जाने चाहिये ;

यह सभा संकल्प करती है कि हिन्दी के साथ-साथ इन सब भाषाओं के समन्वित विकास के हेतु, भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकारों के सहयोग से, एक कार्यक्रम तैयार किया जायेगा और उसे कार्यान्वित किया जायेगा ताकि वे शीघ्र समृद्ध हों और आधुनिक ज्ञान के संचार का प्रभावी माध्यम बनें ;

3. जबकि एकता की भावना के संवर्धन तथा देश के विभिन्न भागों में जनता में संचार की सुविधा के हेतु यह आवश्यक है कि भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किये गये त्रै-भाषा सूत्र को सभी राज्यों में पूर्णतः कार्यान्वित करने के लिये प्रभावी उपाय किये जाने चाहिये ।

यह सभा संकल्प करती है कि हिन्दी-भाषी क्षेत्रों में, हिन्दी तथा अंग्रेजी के अतिरिक्त एक आधुनिक भारतीय भाषा के, दक्षिण भारत की भाषाओं में से किसी एक को तरजीह देते हुए और अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं एवं अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी के अध्ययन के लिये उस सूत्र के अनुसार प्रबन्ध किया जाना चाहिये ;

4. और जबकि यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि संघ की लोक सेवाओं के विषय में अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्यायोचित दावों और हितों का पूर्ण परित्राण किया जाय :

यह सभा संकल्प करती है :—

(क) कि उन विशेष सेवाओं/पदों को छोड़ कर जिन के लिये सेवा अथवा पद के कर्त्तव्यों के सन्तोषजनक निष्पादन के हेतु हिन्दी का उच्च स्तर का ज्ञान आवश्यक समझा जाय, संघ सेवाओं अथवा पदों के लिए भर्ती करने के हेतु उम्मीदवारों के चयन के समय हिन्दी का ज्ञान अनिवार्यतः अपेक्षित नहीं होगा ; और

(ख) कि परीक्षाओं की भावी योजना, प्रक्रिया संबंधी पहलुओं एवं समय के विषय में संघ लोक सेवा आयोग के विचार जानने के पश्चात् अखिल भारतीय एवं उच्चतर केन्द्रीय सेवाओं संबंधी परीक्षाओं के लिये संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित सभी भाषाओं तथा अंग्रेजी को वैकल्पिक माध्यम के रूप में रखने की अनुमति होगी ।"

श्री कंवर लाल गुप्त : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें अपनी बात पूरी कर लेने दें ।

श्री कंवर लाल गुप्त : वह भाषण दे रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह व्याख्या कर रहे हैं ।

श्री कंवर लाल गुप्त और श्री नाथपाई : उठे

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न उठाते समय नियम 376 के अनुसार प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिये । मैं प्रत्येक दल के एक एक सदस्य को अनुमति दूँगा । मैं पहले श्री गुप्त को बुलाऊँगा और फिर श्री नाथ पाई को ।

Shri Kanwar Lal Gupta : Sir, there is Article 343 of the Constitution regarding the language of the country. Article 343 says, 'The official language of the Union shall be Hindi in Devanagari Script.' Then there are provision in this Article. According to this Article and its provisions Hindi should be the official language of the country and English can be used, if necessary, for some purpose servive the period prescribed in the constitutions has since lapsed. Now this Resolutions violates Article 343 of the Constitution by restricting the use of Hindi. According to that Article Hindi has already become the official language of India and restriction have been to be put on the use of English, not of Hindi, after January 1965. This Resolution is, therefore, unconstitutional.

Apart from it, I issued like to say that it was mentioned in Article 344 that a commission was to be appointed after five years and then again after ten years another Commission was to be appointed which would make recommendations to the President for progressive use of Hindi and restriction on the use of English and thereafter the President might issue directions for that purpose. But I am sorry to state that only first Commission was appointed . The Second Commission was not appointed at all. As a result of that the President was not able to issue directions for the development and promotion of Hindi.

Now, I would like to say that this Bill is unconstitutional. There are reasons for that. Firstly. it is unconstitutional because instead of specifying the purposes for which English could be used it has been laid down in it that it would be used for all purposes. Secondly, it is unconstitutional because it restricts the use of Hindi by providing that a Hindi Commiunication would have to be accompanied by an English Version thereof.

Shri Nath Pai (Rajapur) : In the beginning I would like to say that I also want to say something on the point raised by Shri Shastri As for as the question of Hindi is concerned our point of view is quite evident. There is no doubt about it that Hindi alone can occupy the throne and English would have to be the maid. Hindi is there not because the law has provided for it but it is there because people have accepted it on account of their love for it. Now we cannot go back upon that position. I would like to submit further that along with Hindi the other national languages which have been enumarated in the Eighth Schedule of the constitution would also have to be developed. At the same time I would like to say that the word 'hogi' used in the Hindi Version of the Resolution has not the same force as an expression 'shall be' in the English Version. Therefore my suggestion is that we might consider the use of 'rahegi' or 'Sada Ke liye rahegi' instead of 'hogi'.

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि विधेयक और संकल्प दोनों पर एक साथ चर्चा नहीं हो सकती । विधेयक में संशोधन है तथा उसपर चर्चा नियम 75 के अधीन अध्यक्ष द्वारा बनाई गई प्रक्रिया के अनुसार की जा सकती है । जहां तक संकल्प का सम्बन्ध है उसकी प्रक्रिया बिल्कुल भिन्न है । हमारे प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के अनुसार एक संकल्प में एक ही निश्चित मामला उठाया जाना चाहिये परन्तु हम देखते हैं कि यह जो संकल्प सभा में प्रस्तुत किया गया है उसमें कई बातें कही गई हैं । इसमें चार भिन्न बातें उठाई गई हैं । इसके अलावा इस में तर्क भी दिये गये हैं । दूसरी बात यह है कि यदि हम इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजते हैं तो हमें उसके साथ इस संकल्प को भी भेजना पड़ेगा । हम देखते हैं कि विधेयक के खण्डों के संशोधन तो निश्चित हैं जबकि संकल्प के संशोधनों में बहुत सी बातें कही गई हैं । इसके साथ एक बात और भी है कि समिति के जो सदस्य विधेयक पर चर्चा करेंगे उन्हें संकल्प के सभी पहलुओं पर भी विचार करना होगा । यदि ऐसा किया जाता है तो यह भी नियमबाध्य बात है । अतः मेरा निवेदन है कि इन दोनों—पर विधेयक और संकल्प पर--एक साथ चर्चा नहीं हो सकती । अतः विधेयक को संकल्प से पृथक कर देना चाहिये और उसपर तदनुसार चर्चा होनी चाहिये ।

Shri Sheo Narain (Basti): Sir, there is a controversy over one point. It is mentioned in the constitution that 'The official language of the Union shall be Hindi in Devanagari Script.' It means that Hindi will remain for ever. Therefore the word used in the Relusotion 'Hogi' a misleading and it shall be keeping the people in darkness. Therefore my subimssion is tha for the word 'Hagi' the word 'Rahi hay Aur Rahegi' should be inserted.

श्री अमियनाथ बोस (आरामबाग) : प्रस्तुत संकल्प का खण्ड 4 (क) स्पष्ट नहीं है, जहाँ तक उसके पहले भाग का सम्बन्ध है, वह स्पष्ट है किन्तु दूसरा भाग जिसमें यह व्यवस्था है कि उन विशेष सेवाओं। पदों के सम्बन्ध में 'जिनके लिये ऊंचे दर्जे की हिन्दी का ज्ञान अत्यावश्यक समझा जायेगा" उस सेवा अथवा पद पर सन्तोषजनक रूप से काम करने के लिये" अस्पष्ट है क्योंकि संकल्प में "विशेष सेवाओं" अथवा "विशेष पदों" की कहीं पर व्याख्या नहीं दी गई है दूसरा यह कि किसी विशेष सेवा अथवा पद के लिये हिन्दी का विशेष ज्ञान अपेक्षित है, इसका निर्णय कौन करेगा—स्पष्ट नहीं है, इसलिये यह संकल्प ग्राह्य नहीं है ।

श्री फ्रैंक ऐंथनी (नामनिर्देशित आँगल-भारतीय) : हालांकि संकल्प पर होने वाली चर्चा को संशोधन करने वाले विधेयक के साथ जोड़ा जा सकता है, फिर भी संकल्प के संशोधनों पर होने वाली चर्चा को विधेयक के संशोधनों पर होने वाली चर्चा के साथ जोड़ने का कोई संभव तरीका नहीं है ।

संकल्प का वह अंश जिसमें "त्रिभाषा सूत्र को सभी राज्यों में पूर्णतया क्रियान्वित करने के लिये प्रभावशाली कदम उठाये जाने चाहिए, आदि" कहा गया है, स्पष्टतः असंवैधानिक है क्योंकि माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा राज्यविषय है । इसलिये संकल्प के इस अंश पर विचार करना इस सभा के क्षेत्राधिकार के बाहर है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में व्यवस्था के तीन प्रश्न उठाये गये हैं--पहला श्री प्रकाशवीर शास्त्री तथा श्री कंवर लाल गुप्त द्वारा उठाए गये जिसमें कोई खास अन्तर नहीं है, कि इस संकल्प से संविधान की किसी धारा का उल्लंघन होता है ; दूसरा तथा तीसरा क्रमशः श्री नम्बियार तथा श्री फ्रैंक ऐंथनी द्वारा उठाये गये प्रश्न । अब हम व्यवस्था के पहले प्रश्न पर विचार करेंगे कि प्रस्तुत संकल्प से संविधान की किसी धारा का उल्लंघन होता है ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह आपत्ति उठाई गई है कि संकल्प में अंग्रेजी शब्द 'शैल बी' के हिन्दी अनुवाद 'होगा" से संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन होता है तो हमें 'होगी" के स्थान पर "रहेगी" आदि संशोधन स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है, तथापि संविधान के सरकारी हिन्दी अनुवाद में "होगी" शब्द का प्रयोग किया गया है और इसलिये यह तर्क वैध नहीं है कि प्रस्तुत संकल्प संविधान के विरुद्ध है ।

विधेयक के बारे में भी, जब उसे पेश किया जा रहा था तो यही आपत्ति उठाई गई थी और इसे वैध नहीं माना गया था । हमने स्पष्ट उल्लेख किया है कि अंग्रेजी का सभी प्रयोजनों के लिये प्रयोग किया जायेगा । अतः यह संवैधानिक उपबन्धों के अनुकूल है ।

सेवाओं में भर्ती के लिये हिन्दी का अनिवार्य न बनाया जाना प्रक्रिया सम्बन्धी मामला है, विधेयक तथा संकल्प का उद्देश्य हिन्दी के विकास को आगे बढ़ाना है और अहिन्दी लोगों द्वारा हिन्दी को स्वीकार करना है, सरकारी सेवा में आजाने के बाद भी उन्हें हिन्दी सीखनी पड़ेगी और लगभग एक वर्ष के अन्दर हिन्दी परीक्षा पास करनी होगी । वास्तव में हम उन्हें परीक्षा में शामिल होने की सुविधा दे रहे हैं, इस प्रक्रम पर हिन्दी को अनिवार्य नहीं बनाया गया है । यह एक प्रक्रिया सम्बन्धी मामला है, और इस सम्बन्ध में कोई प्रतिबन्ध नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : जहाँ तक श्री प्रकाशवीर शास्त्री द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न का सम्बन्ध है, भारत का संविधान अंग्रेजी में है, यद्यपि उस समय उसका हिन्दी अनुवाद किया गया था, लेकिन वह प्रमाणित नहीं है । जहां तक अनुवाद का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य के दृष्टिकोण को उस विशेष खण्ड में स्थान देना गृह-कार्य मंत्री का काम है, जैसा कि वह इस बारे में कह भी चुके हैं ।

जहाँ तक श्री कंवर लाल गुप्त की आपत्ति का सम्बन्ध है, मैंने विधेयक तथा संकल्प को पढ़ा है, उन्होंने कुछ धाराएँ पढ़ी जिन्हें दुहराने की आवश्यकता नहीं, जब संकल्प में "शैल" कहा गया है—यदि आप सभी धाराएँ पढ़ें तो सरकार ने उसे क्रियान्वित करने के लिये कुछ अनिवार्य उत्तरदायित्व ग्रहण किया है । यदि आज तक उसे कार्यरूप नहीं दिया गया, तो सरकार दोषी नहीं है । हम यहां हैं, हमारे पूर्वाधिकारी थे, भाषा के मामले में कोई जादू नहीं किया जा सकता, प्रस्तुत संकल्प उसे क्रियान्वित करने का दृढ़ निश्चय है । इसलिये, माननीय सदस्य द्वारा उठाई गई आपत्ति वैध नहीं है क्योंकि उसमें असफलता की बात कही गई है, जो, यदि असफलता है तो, सभी की है ।

जहां तक प्रक्रिया का सम्बन्ध है, श्री नम्बियार ने व्यवस्था का एक प्रश्न उठाया है ।

श्री नम्बियार : मैंने दो विशेष प्रश्न उठाये हैं : एक यह कि संकल्प वैध नहीं है दूसरा यह कि इन दोनों बातों पर एक साथ चर्चा नहीं हो सकती ।

श्री समर गुह (कन्टाई) : जैसा कि आपने अपने विनिर्णय में कहा मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि क्या 17 वर्ष के बाद आज भी संविधान का कोई प्रमाणिक हिन्दी अनुवाद नहीं है ?

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक मैं जानता हूँ स्वीकृत अनुवाद तो है, किन्तु उद्धरण देने के अर्थ में प्रमाणिक नहीं है, प्रमाणिक अनुवाद नहीं है ।

Shri Prakash Vir Shastri : Sir, You are creating a confusion and misunderstanding about the authenticy of the translation by saying that there is no authoritative Hindi version of our Constitution. The factual position is that our former President, Late Dr. Rajendra Prasad was the President of the Constitutent Assembly also and he had signed the translated Version of the Constitution only. Now to say that it is not an authoritative version of the constitution is altogether wrong.

उपाध्यक्ष महोदय : गृह-कार्य मंत्री इस बारे में स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मेरे लिये यह स्पष्ट है कि संविधान सभा के संकल्प से अनुदान किया गया था संविधान सभा के अध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष थे और मैं समझता हूँ यह प्रमाणित अनुवाद है ।

उपाध्यक्ष महोदय : गृह-कार्य मंत्री ने स्थिति स्पष्ट कर दी है और सभा ने उसे स्वीकार कर लिया है कि संविधान का हिन्दी अनुवाद प्रमाणित है, जहां तक श्री नम्बियार द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न का सम्बन्ध है । .... (अन्तर्वाधाएं)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री ही० ना० मुखर्जी ।

श्री जे० एच० पटेल : (कन्नड़ में बोले)

श्री ही० ना० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : न्यायालयों की व्याख्या के लिये वही संविधान प्रमाणित है जो अंग्रेजी में है । यह बात चाहे ठीक है या नहीं, अच्छी हो या बुरी, वह दूसरी समस्या है । यह दूसरी बात है कि हमारे संविधान का अंग्रेजी में होना हमारे लिये शर्म की बात है फिर भी तथ्य यह है, कि न्यायिक अधिकारियों की व्याख्या के लिये अंग्रेजी पाठ ही

प्रमाणित तथा मान्य हैं। दूसरी तथा महत्वपूर्ण बात यह है कि श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने संशोधन का एक सुझाव दिया और गृह-कार्य मंत्री जी ने उसे प्रमाणित रूप में स्वीकार कर लिया। प्रमाणिक पाठ में संशोधन न तो इस प्रकार पेश किये जाते हैं और न ही इस प्रकार स्वीकार किये जाते हैं अतः यह मानना पड़ेगा कि अंग्रेजी पाठ ही प्रमाणिक है।

श्री नाथ पाई : मैं आपकी आज्ञा चाहता हूँ। आप मुख्य विषय से दूर चले गये हैं आपका पहला कर्तव्य व्यवस्था के प्रश्न पर विनिर्णय देना है। जब "होगी" या "रहेगी" का प्रश्न उठा था, तो आपने उसे निपटा दिया है। यह काम तो खत्म हो गया। इसके बाद प्रश्न यह पैदा हुआ है कि जो हिन्दी अनुवाद है, वह प्रमाणित है अथवा नहीं, इस पर यह कहा गया है कि हमारा जो संविधान है वह पहले अंग्रेजी भाषा में बनाया गया, फिर उसका जो अनुवाद उपलब्ध है वह प्रमाणित है। यह हमारा दावा है। यह बात बदली नहीं जा सकती। सभा के सामने इस समय जो प्रश्न है, आप उसे लीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मान चुका हूँ कि हिन्दी अनुवाद प्रमाणित है। केवल श्री ही० ना० मुकर्जी ने इस पर आपत्ति उठाई है।

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : मैं उस व्यक्ति की हैसियत से, जो संविधान के बनते समय हमेशा उपस्थित रहा है, यह कह सकता हूँ कि जब हमने संविधान अंग्रेजी में तैयार कर लिया, हमने कहा कि इसका एक प्रमाणिक अनुवाद तैयार करना आवश्यक है और उसे हिन्दी में तैयार किया गया, अब यह कहना कि वह प्रमाणिक नहीं है, सर्वथा गलत है। वह प्रमाणिक पाठ है।

उपाध्यक्ष महोदय : उसकी प्रमाणिकता मानी जा चुकी है।

श्री जे० एच० पटेल (शिमोगा): (कन्नड़ में बोले)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसका अनुवाद नहीं कर सकता ; कोई माननीय सदस्य इसका अनुवाद कर दे।

Shri George Fernandes (Bombay South) : Shri Patel has said that we are at liberty to speak in our own language but you are denying that liberty. This right has been given by this Constitution.

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने श्री मधु लिमये को बोलने के लिये कहा श्री जे० एच० पटेल को नहीं परन्तु वे बीच में ही उठ गये। मैं उस प्रक्रिया का अनुसरण नही कर सकता जिसका उल्लेख श्री जार्ज फरनेन्डीज ने सुझाव दिया है। (व्यवधान)

अब मैं श्री नम्बियार के व्यवस्था के प्रश्न का उत्तर देता हूँ। अध्यक्ष महोदय ने विधेयक और संकल्प दोनों पर चर्चा करने की अनुमति दे दी है। संपूर्ण वादविवाद के विचार से संशोधन को प्रस्तुत करने का प्रश्न उठाय गया था। सामान्य चर्चा के बाद भी संशोधन प्रस्तुत किये जा सकते हैं। मैंने श्री नम्बियार के व्यवस्था के प्रश्न के विरुद्ध अपना निर्णय दे दिया है।

श्री जे० एच० पटेल : (कन्नड़ में बोले)

श्री अमिय नाथ बोस (आरामबाग): मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान)**

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not Recorded.

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : इस विधेयक का सम्बन्ध एक ऐसे विषय से है जिससे लोगों की भावनाएं उत्तेजित हो सकती है और जिसके बारे में पहले काफी भ्रांति रही है।

(व्यवधान)

भाषा का विषय इसी प्रकार का है। यह नहीं कि यह स्थिति भारत में ही हो **(व्यवधान)** इस लिये यह और भी आवश्यक है कि हम इस सम्मानित सभा में इस विषय पर शान्तिपूर्वक और निष्पक्षता के साथ विचार करें और एक ऐसा कानून बनायें जिससे लोगों में परस्पर मैत्री बढ़े और देश की एकता सुदृढ़ हो।

हमारे संविधान के निर्माताओं ने ऐसे बहुभाषी समाज को आवश्यकताओं की कल्पना की थी जिसमें राज्य अपने प्रयोजनों के लिये अपनी अपनी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। परन्तु संघ की भाषा ऐसी होनी चाहिये जिसका व्यापक प्रयोग होता हो जिसे संघ तथा राज्यों के बीच और एक राज्य तथा दूसरे राज्य के बीच पत्र-व्यवहार के लिये सम्पर्क भाषा के रूप में प्रयोग किया जा सके। अनुच्छेद 345 के अन्तर्गत यह बात राज्य विधान मंडल पर छोड़ दी गई है कि वह सभी या किसी प्रयोजन के लिये राज्य में प्रयोग होने वाली एक या अधिक भाषाओं को या हिन्दी को अपनायें। भारत के संविधान में ही हिन्दी को संघ की सरकारी भाषा बना दिया गया है।

हिन्दी तथा अन्य मुख्य भाषाओं में परस्पर कोई विरोध नहीं है। उनका साथ-साथ विकास होना चाहिये और उन्हें एक दूसरी भाषा को समृद्ध बनाना चाहिये। सब को सम्पूर्ण सांस्कृतिक विकास तथा आत्माभिव्यक्ति का पूरा अवसर देना चाहिये और सरकारी प्रशासन में भी अपने अपने क्षेत्र में प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिये उनका प्रयोग किया जाता चाहिये। (अन्तर्वाधायें)।

Shri George Fernandes (बम्बई दक्षिण) : Mr. Deputy Speaker, please allow him to raise point of order.

उपाध्यक्ष महोदय : वह अनुवाद करके मुझे लिखें और मैं उस पर विचार करूंगा **(व्यवधान)**

श्री यशवन्त राव चव्हाण : संघ की भाषा हिन्दी बनाते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने स्वीकार किया था कि अंग्रेजी को संघ की सरकारी भाषा के रूप में 15 साल तक जारी रखने की अवधि अंग्रेजी के प्रयोग को समाप्त करने के लिये पर्याप्त नहीं होगी और इसलिए उन्होंने कानून द्वारा अंग्रेजी के प्रयोग को इस अवधि से आगे जारी रखने के लिये उपबन्ध बनाने का संसद को अधिकार दिया था। **(व्यवधान)** सरकारी भाषा आयोग और बाद में राजभाषा संबन्धी संसदीय समिति ने जिसने आयोग की सिफारिशों पर विचार किया है सिफारिश की है कि 26 जनवरी, 1965 के बाद भी अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाये : **(व्यवधान)** संसद द्वारा 1963 में पारित किये गये राजभाषा अधिनियम से ये सिफारिशें लागू की गईं।

यह आशा थी कि बिना किसी कालावधि की सीमा के अंग्रेजी संघ की सह-राज भाषा बन जाने से अहिन्दी भाषी लोगों के संदेह दूर हो जायेंगे कि उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई होगी

(व्यवधान) परन्तु बाद की घटनाओं से यह पता चला कि उनके संदेह और आशंका अभी बने हुए हैं और राष्ट्र हित में उन्हें दूर किया जाना चाहिए । पंडित जवाहर लाल नेहरू ने अहिन्दी भाषी लोगों को संसद में आश्वासन दिया था कि अंग्रेजी को तब तक संघ की सह-राजभाषा के रूप में जारी रखा जायेगा जब तक वे परिवर्तन के लिए सहमत न हों। स्व० लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में इस आश्वासन को फिर दोहराया था। इसी दृष्टि से यह विधेयक तैयार किया गया है। इसमें व्यापक रूप से राष्ट्रीय मतैक्य की भावना निहित है। यह हो सकता है कि विधेयक के प्रत्येक उपबन्ध के साथ प्रत्येक व्यक्ति सहमत न हो। परन्तु यह एक ऐसी योजना है जिसे कार्यरूप दिया जा सकता है और इसमें विभिन्न दृष्टिकोणों के सामन्जस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है । इस कानून का सार यह है कि संघ के कार्यसंचालन में दो भाषाओं का प्रयोग किया जा सके (व्यवधान) हम यह चाहते हैं कि हिन्दी का प्रसार हो और अधिक से अधिक कर्मचारी उसमें दक्षता प्राप्त करें और सरकारी काम के लिये उसका प्रयोग करें। (व्यवधान)

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I may kindly be allowed to raise a point of order under rule 340.

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : I request that the proceedings may be adjourned. In this connection I have submitted a motion.

श्री यशवन्त राव चव्हाण : मैं धैर्य रखने की अपील करता हूँ। थोड़े से अधैर्य से भी वे संदेह और आशंकायें फिर पैदा हो जायेंगी जो हम इस कानून द्वारा दूर करना चाहते हैं। कोई भी ऐसी कार्यवाही, जिससे हिन्दी न जानने वालों को कठिनाई हो, ठीक नहीं होगी और हिन्दी को सम्पर्क भाषा तथा संघ की सरकारी भाषा बनाने के लिये अहिन्दी भाषी लोगों की सद्भावना एवं सहयोग आवश्यक है। इस बात को याद रखना चाहिये कि केवल केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में ही नहीं बल्कि हमारी उच्च न्यायपालिका तथा अखिल भारतीय सेवाओं को सुचारु रूप से चलाने के लिये भी लम्बे समय तक दो भाषाओं का प्रयोग आवश्यक है (व्यवधान)।

(श्री वाजपेयी तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये)

(Shri Vajpayee and some hon. Members left the House)

सम्पर्क भाषा देश में एकता लाने के लिये होती है उसमें विभाजन करने के लिये नहीं। इस बात का ध्यान रख कर यह विधेयक तैयार किया गया है। मैं हिन्दी भाषी क्षेत्र के लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों की मातृ-भाषा हिन्दी नहीं हैं, उन्हें हिन्दी सीखने के लिये विशेष प्रयत्न करने होंगे। हमें उनकी कठिनाइयों तथा असुविधाओं की ओर ध्यान देना चाहिये। हमने इस कानून को तैयार करते समय अहिन्दी भाषी लोगों के दृष्टिकोणों और समस्याओं का पूरा ध्यान रखा है। इस विधेयक में मतैक्य की भावना निहित है और इसमें विभिन्न दृष्टिकोणों में सामंजस्य स्थापित करने तथा विभिन्न हितों में ताल मेल मिलाने का प्रयास किया गया है। यह एक प्रकार का समझौता है । समझौता और परस्पर सहयोग लोकतंत्र संचालन का सार हैं। इन शब्दों के साथ मैं सभा में सब से अपील करता हूँ कि वे इस विधेयक का समर्थन करें (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव और संकल्प अब सभा के विचाराधीन है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I move a Motion to adjourn this debate of the House under rule 340. So far the Bill is concerned, your permission is necessary but with regard to the Resolution the House can take its decision. I would request that this Bill should be referred to Joint Committee of the Parliament. If this suggestion is agreed to, some way out may be possible by which Hindi may not be imposed on non-Hindi speaking areas and Engish may not be imposed on non-English speaking areas.

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 340 के अधीन आप विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव रख सकते हैं। यह बिल्कुल भिन्न प्रस्ताव है। फिर नियम 349 भी है जिसमें लिखा है कि.....

श्री श्री० अ० डांगे (बम्बई मध्य-दक्षिण): इस समय भाषा सम्बन्ध विवाद बहुत बढ़ गया है। इसलिये सरकार तथा सभी दलों को मेरा सुझाव है कि वे कुछ समय के लिये यह कार्यवाही स्थगित कर दें और फिर पता लगायें कि क्या दोनों पक्षों को स्वीकृत समाधान ढूंढा जा सकता है (**व्यवधान**) कोई भी व्यक्ति किसी भाषा को दबाना नहीं चाहता है। मैं केवल यह सुझाव दे रहा हूँ कि सभा के नेता को एक बैठक बुलानी चाहिये जिससे इस मामले में परस्पर सूझबूझ से निर्णय लिया जा सके। (**व्यवधान**)

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा): सभा में इस समय तनाव की स्थिति है। हमें किसी प्रक्रिया का अनुसरण करना चाहिये तभी ये कठिनाइयाँ दूर हो सकती हैं। हमें अधिक समय बेकार नष्ट न करके विधेयक पर विचार करना चाहिये।

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभाग सिंह): मैं श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी के सुझाव का समर्थन करता हूँ और श्री मधु लिमये के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ क्योंकि विधेयक प्रस्तुत किया जा चुका है। मंत्री महोदय इस प्रस्ताव पर बोल चुके हैं। इसलिये अब आगे कार्यवाही की जानी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : जहाँ तक वाद-विवाद को स्थगित करने का सम्बन्ध है, मैं इस कार्यवाही को स्थगित करने के लिये तैयार नहीं हूँ,। यदि सभा में शान्ति हो जाये तो मैं मंत्री महोदय से अपने भाषण को दोबारा पढ़ने के लिये प्रार्थना करूँगा।

गृह-कार्य मंत्री ने पहले दिया गया अपना भाषण दोबारा पढ़ा।

The Home Minister then repeated his speech made earlier.

Shri Jagannath Rao Joshi (Bhopal) : I had requested that I should also be given an opportunity to participate in the debates but much of the time allotted for discussion has been spent. I want to know whether I would be given an opportunity.

उपाध्यक्ष महोदय : इस विधेयक पर चर्चा करने के सम्बन्ध में समय बढ़ाने के लिये बहुत से सुझाव दिये गये थे। इस सम्बन्ध में आज कार्य मंत्रणा समिति में विचार होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको इस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया जायेगा।

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**]

[**Mr. Speaker in the Chair.**]

श्री यशपाल सिंह (देहरादून): मैं संशोधन संख्या 1,2 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : मैं संशोधन संख्या 3 प्रस्तुत करता हूँ।

डा० गोविन्द दास (जबलपुर) : मैं संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री यज्ञ दत्त शर्मा (अमृतसर) : मैं संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी (बलरामपुर) : मैं संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा) : मैं संशोधन संख्या 7 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री रघुनीर सिंह शास्त्री (बागपत) : मैं संशोधन संख्या 8 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री शारदा नन्द (सीतापुर) : मैं संशोधन संख्या 9 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : में संशोधन संख्या 10 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री दिविग्जय नाथ (गोरखपुर) : महोदय, मैं अपना संशोधन संख्या 80 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री राम सेवक यादव : (बाराबंकी) मैं अपना संशोधन संख्या 90 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री हरदयाल देवगुण : (पूर्व दिल्ली) महोदय, मैं अपना संशोधन संख्या 95 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री लषण लाल कपूर (किशनगंज) : मैं अपना संशोधन संख्या 129 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री मृत्युंजय प्रसाद (महाराजगंज) : मैं अपना संशोधन संख्या 1 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री सेक्वीरा (गोआ, दमण तथा दीव) : महोदय, मैं अपने संशोधन संख्या 2 तथा 3 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री यशपाल सिंह (देहरादून) : मैं अपना संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री मृत्युंजय प्रसाद (महाराजगंज) : मैं अपना संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री अमृत नाहाटा (बारमेड़) : मैं अपना संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री मृत्युंज प्रसाद (महाराजगंज) : मैं अपना संशोधन संख्या 7 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री यमुना प्रसाद मंडल (समस्तीपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 8 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित आंग्ल भारती) मैं अपना संशोधन संख्या 9 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मैं अपना संशोधन संख्या 10 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : मैं अपने संशोधन संख्या 11, 12 तथा 13 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री निवास मिश्र (कटक) : मैं अपना संशोधन संख्या 14 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : मैं अपना संशोधन संख्या 15 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री ना० स्व० शर्मा (डुमरियागंज) : मैं अपना संशोधन संख्या 16 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : मैं अपना संशोधन संख्या 17 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : मैं अपना संशोधन संख्या 18 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : मैं अपना संशोधन संख्या 19 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री ना० स्व० शर्मा (डुमरियागंज) : मैं अपना संशोधन संख्या 20 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 21 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (हापुड़) : मैं अपना संशोधन संख्या 22 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री ना० स्वा० शर्मा (डुमरियागंज) : मैं अपना संशोधन संख्या 23 प्रस्तुत करता हूँ।
श्री य० द० शर्मा (अमृतसर) : मैं अपना संशोधन संख्या 24 प्रस्तुत करता हूँ।
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री (बागपत) : मैं अपना संशोधन संख्या 25 प्रस्तुत करता हूँ।
श्री रामसेवक यादव (बाराबांकी) : मैं अपना संशोधन संख्या 26 प्रस्तुत करता हूँ।
श्री हरदयाल देवगुण (पूर्व दिल्ली) : मैं अपना संशोधन संख्या 27 प्रस्तुत करता हूँ।
श्री य० द० शर्मा (अमृतसर) : मैं अपने संशोधन संख्या 28 तथा 29 प्रस्तुत करता हूँ।
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री (बागपत) : मैं अपना संशोधन संख्या 30 प्रस्तुत करता हूँ।
श्री हरदयाल देवगुण (पूर्व दिल्ली) : मैं अपना संशोधन संख्या 31 प्रस्तुत करता हूँ।
श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : मैं अपना संशोधन संख्या 32 प्रस्तुत करता हूँ।
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री (बागपत): मैं अपना संशोधन संख्या 33 प्रस्तुत करता हूँ।
श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : मैं अपना संशोधन सख्या 34 प्रस्तुत करता हूँ।
श्री देवराव पाटिल (यवतमाल) : मैं अपना संशोधन संख्या 35 प्रस्तुत करता हूँ।
श्री बाकर अली मिर्जा (सिकंदराबाद) : मैं अपने संशोधन संख्या 36 तथा 37 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री देवकी नंन्दन पाटोदिया (जालोर) : मैं अपना संशोधन संख्या 38 प्रस्तुत करता हूँ।
श्री देवराव पाटिल (यवतमाल): मैं अपना संशोधन संख्या 39 प्रस्तुत करता हूँ।
श्री हेमराज (कांगड़ा) मैं अपना संशोधन संख्या 40 प्रस्तुत करता हूँ।
श्री बाकर अली मिर्जा (सिकंदराबाद): मैं अपना संशोधन संख्या 41 प्रस्तुत करता हूँ।
श्री देवराव पाटिल (यवतमाल) मैं अपना संशोधन संख्या 42 प्रस्तुत करता हूँ।
श्री मधु लिमये (मुंगेर) : मैं अपने संशोधन संख्या 43 तथा 44 प्रस्तुत करता हूँ।
श्री जगन्नाथ राव जोशी (भोपाल): मैं अपने संशोधन संख्या 45 तथा 46 प्रस्तुत करता हूँ।
श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : मैं अपना संशोधन सख्या 47 प्रस्तुत करता हूँ।
श्री मनु भाई पटेल (डभाई): मैं अपना संशोधन संख्या 48 प्रस्तुत करता हूँ।
श्री पी० राममूर्ति (मदुरै) : मैं अपना संशोधन संख्या 49 प्रस्तुत करता हूँ।
श्री मीठालाल मीना (सवाई माधोपुर): मैं अपना संशोधन संख्या 50 प्रस्तुत करता हूँ
श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 51 प्रस्तुत करता हूँ।
श्री मनु भाई पटेल (डभाई) : मैं अपना संशोधन संख्या 52 प्रस्तुत करता हूँ।
श्री देवराव पाटिल (यवतमाल) : मैं अपना सशोधन संख्या 53 प्रस्तुत करता हूँ।
श्री मनुभाई पटेल (डभाई) : मैं अपना संशोधन संख्या 54 प्रस्तुत करता हूँ।
श्री बालमीकि चौधरी (हाजीपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 55 प्रस्तुत करता हूँ।
श्रीमती सुचेता कृपालानी (गोंडा) : मैं अपना संशोधन संख्या 56 प्रस्तुत करता हूँ।
श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : मैं अपना संशोधन संख्या 57 प्रस्तुत करता हूँ।
श्रीमती सुचेता कृपालानी (गोंडा) : मैं अपना संशोधन संख्या 58 प्रस्तुत करती हूँ।
श्री तिरुमल राव (काकिनाडा) : मैं अपना संशोधन संख्या 59 प्रस्तुत करता हूँ।
श्रीमती सुचेता कृपालानी (गोंडा) : मैं अपना संशोधन संख्या 60 प्रस्तुत करती हूँ।

Shrimati TarkeshwarSinhai (Bar) : I move my amendment No. 61.

श्री क० लक्कप्पा (तुमकुर) : महोदय संविधान में अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय

तथा उच्च न्यायालयों, अधिनियम, विधेयकों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। कुछ संशोधन हिन्दी में प्रस्तुत किये गये हैं। क्या संविधान इस बात की अनुमति देता है ? मेरे विचार में संविधान यह अनुमति नहीं देता। इसलिये उन संशोधनों को जब तक कि वे अंग्रेजी में प्रस्तुत नहीं किये जाते, रद्द करना चाहिये। मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूँ।

Shri Surendranath Dwivedy (Kendrapara) : There is nothing new in the Bill. At the time of the adoption of constitution in 1950 it was accepted that Hindi should be the official language of India after fifteen years of the date of adoption of the Constitution. But even before the expiry of this period the question arises whether Hindi. should be made official laguage or not. I will put all the blame on the Central Government for the present day opposition of Hindi in the country. The Central Government have failed to develop Hindi so that it could replace English. The period for the continuance of English was extended by an enactment in 1963.

Even the pro-Hindi people should support this Bill because you cannot impose any language on anyone. Only one-third of the people spoke Hindi in the country. In this connection I would also like to say that Hindi is not as developed a language is Bangla or Tamil. So If we want to make a medium of expression throughout the country we should restrain patience. There is no need of carrying on any movement in the Hindi speaking States becuase Hindi has already been made the official language there.

[श्री गु० सि० ढिल्लो पीठासीन हुए
Shri G. S. Dhillaau in the Chair]

In my view there has not been any mention in the Constituion about the language the country. All the Indian languages are our languages and they will remain as such.o

So far English is concerned it cannot continue in our country for all tunes to come because only two percent people of the country have the knowledge of this language. But we should not make haste in removing it. We should seek cooperation of the non-Hindi people in this respect. No chance as such should be given to the non-Hindi people to think that Hindi is being imposed upon them by prescribing any time limit.

The Bill is not against Hindi, as is being propagated in some parts of the country. The factual position is this that a procedure has been prescribed therein to make Hindi a link language. We should not make haste in this matter. Slowly and steadily it will take its place. No serious effort has been made on the part of the Government during the last fifteen years to introduce Hindi. If even now the politics is not brought in the matter., I am sure that Hindi will not take much time to develop. But I would suggest that in the interest of the unity of the country we should have bilingualism. There are more than one languages in Canada and Israil. Then why can we not have bilingualism. We have already decided to have regional languages at the university level. This will weaken the case of English and sooner or later Hindi will be accepted as link language. Views of the majority of the States should be taken into consideration before arriving at any decision.

So far as communication between the two States is concerned they themselves should arrive, at any decision. A provision should be made in the Bill that reply to a State from the Centre would be sent in the same language in which the concerned State had written to the Centre.

In the end I would appeal to all to accept the Bill and let it be passed. We should see how it works. If in practice any difficulty is felt we can amend it at any time.

Shrimati Tarkeshwari Sinha (Basti): The unity of the country in formost and we should not do anything which may undo it. Some hon. Members have used such a language in their speech which can create unpleasant atmosphere in the country. We should avoid all such things.

It has also been said that Hindi is not a developed language and that it cannot be our official language. In this conection I would simply say that if it is not a developed language then how in 1965 it was accepted as official language. Hindi was made official language not by the Hindi speaking people alone but also by the non-Hindi speaking people. Now to abuse it or say that it is not a developed la nguage is not proper. In this way we are accusing our ancestors who framed the Constitution and accepted Hindi as official language. So I would say that once we have accepted Hindi as our official language, it is the responsibility of all of us to develop it and enrich it. So we should not put blame on the Hindi speaking people alone that they have not developed the language.

I admit that Hindi is my mother-tongue but we do not want to impose Hindi on anyone. Similarly I want that English should not be imposed on the people who do not want it. In this connection I would also like to say that even prior to the British period all parts of India were liked with each other on the basis of our religion and culture. Our four sacred 'Dhams' are located in different parts of the country and different languages are spoken there. People from all walks of life and from all corners of the country visit those sacred 'Dhams'. So I would say that no one should talk of separation as we are linked in many ways. We should remember that English is not our mother. -tongue and so it should not be imposed on those who do not like it. In this connection I may also mention that even Gujrat, Assam and Maharashtra have decided to carry on their business in Hindi.

I support Shri Dwivedy that no time-limit should be fixed on change over because that is likly to be construed as imposition and is thus harmful for the country, so I would appeal to all to co-operate and work to-gether in this matter. Extremist attitude is not good for anybody. We have recognized regional languages in our country. Those languages will be taught in the respective States. We recognise the whole of India as one for the purposes of services. The recognition of regional languages as media of education will create a difficulty in regard to our all-India services. It is not possible for anybody to learn all the regional languages. The officer of one State working in another State will find it difficult to mix with the people of the State. Hindi. can be the link language and it is necessary to have a working knowledge of Hindi, which is understood throughout the country. Hindi can be understood in every part of India.

If it is ensured that English will not be imposed on those who want to carry on their work in Hindi and Hindi will not be imposed on those who do not want it, the Bill should be welcome.

श्री रा० रा० सिंह देव (बोलनगीर) : यद्यपि राजभाषा (संशोधन) विधेयक वैसा नहीं है, जैसा कि मैं चाहता हूँ, तथापि मैं इसका समर्थन करता हूँ। यह विधेयक समय-समय पर प्रधान मंत्रियों द्वारा दिये गये उन आश्वासनों के अनुकूल है कि किसी ऐसे अहिन्दी भाषी राज्य पर, जो इसे स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है, हिन्दी नहीं लादी जायेगी। भारत जैसे संघीय लोकतन्त्रात्मक देश में हमें सभी राज्यों के विचारों पर ध्यान देना पड़ता है और जनता की इच्छाओं के विरुद्ध कोई बात नहीं लादी जा सकती।

अंग्रेजी को हटाने की मांग की गई है किन्तु प्रश्न यह है कि क्या ऐसा करना इस समय सम्भव है। यदि प्रत्येक राज्य ने अपनी भाषा विकसित कर ली हो तो वे अपने पड़ोसी राज्यों के साथ पत्र व्यवहार किस प्रकार करेंगे। इसलिये, यह आवश्यक है कि ऐसा कोई पग उठाने से पूर्व एक सामान्य सम्पर्क भाषा का विकास किया जाये।

एक ऐसे समय जबकि भारत को राष्ट्रीय एकता के लिये प्रयत्न करना चाहिये, प्रादेशिकवाद तथा हिन्दी लादने के अस्वस्थ प्रयत्नों से इसे बहुत बड़ा आघात पहुंचेगा। इसलिये ऐसे लोगों पर, जो हिन्दी नहीं चाहते, उसे लादने का प्रयत्न न करना देश के हित में होगा। प्रादे-

शिकता, जातिवाद और साम्प्रदायिकता ने हमारे देश में राष्ट्रीय एकता की प्रगति में बहुत रुकावट डाली है । यदि हमने भाषावाद को बढ़ावा दिया तो राष्ट्रीय एकता और कमजोर होगी । हिन्दी-हिन्दी समर्थकों को अपने हित के बारे में उतनी आस्था है, तो उन्हें अहिन्दी भाषी राज्यों में जाना चाहिये तथा वहाँ पर हिन्दी को लोकप्रिय बनाना चाहिये ।

हिन्दी के समर्थक अहिन्दी भाषी राज्यों के लोगों की भावनायें नहीं जानते । मैं बिहार के क्षेत्रों के बारे में जानता हूँ जहां कुछ भाषाई अल्पसंख्यकों को हिन्दी सीखने के लिये बाध्य किया गया, संविधान में दी गई न्यूनतम रियायतें भी उन्हें नहीं दी जातीं ।

अंग्रेजी अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है, उसे सभी स्थानों पर समझा जाता है और उसका साहित्य, विज्ञान और औद्योगिकी विकसित है, हिन्दी को बंगाली तथा तामिल जैसी भाषाओं के स्तर पर पहुंचने के लिये बहुत विकास करने की आवश्यकता है । हिन्दी लेखकों द्वारा हिन्दी भाषा को अधिक आकर्षित बनाने के प्रयत्न किये जाने चाहिये ।

[श्री उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

मैं यह अपील करता हूँ कि इस विधेयक का विरोध करने के कोई प्रयत्न नहीं किये जाने चाहिये जिसके द्वारा अहिन्दी भाषी क्षेत्रों को केवल न्यूनतम सुविधायें दी गई हैं । अहिन्दी भाषी राज्यों ने जिस सहनशीलता का प्रदर्शन किया है, उसकी हिन्दी भाषी राज्यों द्वारा प्रशंसा की जानी चाहिये । त्रिभाषा सूत्र के अनुसार अहिन्दी भाषी राज्यों ने गम्भीरता तथा ईमानदारी से हिन्दी सीखना आरम्भ कर दिया है परन्तु बहुत दुख की बात है कि दक्षिण भारत की किसी भाषा ने उत्तर भारत में कोई उन्नति नहीं की है । जब तक कि उत्तर भारत के लोग ले तथा दे की नीति का अनुसरण नहीं करेंगे; तब तक उन्हें दूसरों से इस प्रकार की आशा नहीं करनी चाहिये ।

Shri Amrit Nahata (Barmer) : Sir, the paramount need of the hour is the unity of of the country. We should not endanger the unity of the country on the language issue.

It is not good to misguide the people and arouse their feeling to such an extent that they indulge in violence and destruction. The persons, who are indulging in violence and destroying public property in some towns of Uttar Pradesh and other parts of the country do not understand the implications of the Official Laguages Bill. They are under certain misapprehension. It should be explained to the people that the Bill and Resolution aim at development and promotion of Hindi.

It was never the intention of Pandit Jawharlal Nehru to perpertuate the use of English in this Country through three language formula. This formula was prepared after a good deal of deliberation. It is a very good formula. It is a matter of great regret that this formula has not been implemented. Its non-implementation has caused the present difficulties. The formula should be implemented with full determination. It is only then that we will be able to switch over to Hindi soon.

In certain non-Hindi States Hindi is being taught with full force. It is really regrettable that adequate attention has not been paid to the propagation of Hindi in Hindi-speaking States. People of Hindi-speaking areas should have paid attention to learn one of the Southern languages. If that had been done, the opposition to Hindi in South would have been less. The people of the South should also change their attitude towards Hindi. They should also respect Hindi.

Time-limit for the complete switch-over to Hindi cannot be fixed. However, efforts should be made to shorten the tansitional period. It must be made clear that Hindi shall be the official language of the country and it will replace English in course of time. We should move in that

direction although we may have to wait for some time for the switch-over.

It has been said that a single State has been give the right of veto under this Bill. There are different view points, but the present Bill represents national concensus on the language issue. Its aim is to provide a solution for the transitional period just as there should be no attempt to impose Hindi on Non-Hindi speaking areas, similarly English should not be imposed on Hindi-speaking areas.

Certain provisions of the Bill are against the three language formula. It is wrong to provide that wherever Hindi is used for the purposes, of communication, a translation in English will also have to be provided. Such restrictions should not be imposed on the use of Hindi.

We cannot solve the problem of national integration so long as regional languages do not get their due place. A time-limit for making regional languages as media of V. P. S. C. examinations should be fixed. It is wrong to prove in the resolution that compulsory knowledge of Hindi shall not be required at the stage of selection of candidates for recruitment to the Union services etc. Why should the knowledge of English be compulsory, if the knowledge of Hindi is not compulsory?

Quota should be reserved for all the State,s in all-India services on the basis of population. That will remove much of the language trouble. A proper atmosphere should be created for the development and propagation of Hindi. We should try to end all difference on the language question.

Shri Jagannath Rao Joshi (Bhopal) : It is unfortunate that such a Bill has been brought before the House after twenty years of independence. Time-limit of 15 years was fixed in the Constitution for switch over to Hindi. Before the expiry of this period a Bill was brought before the House in 1963 for continuance of English even after the lapse of this period of 15 years. But now through this Bill we are perpetuating the use of English for an indefinite period. No time-limit has been fixed in this Bill for switch over to Hindi.

After independence we have to adopt our own language as official language as we have to appoint our own men on high posts in office and in Military. Hindi was adopted as official language because it was understand by the majority of the people My own mother-tongue is Kannada but I speak in Hindi. Even in my child-hood prior to independence we used to sing songs in Hindi. I admit that Hindi is not a very well developed language yet it is understood by the majority of the people. That is why the Constitution makers adopted Hindi in Constitution and fixed a time-limit for switch-over to Hindi. Now I feel that putting farward of this Bill in the House indicates that the Government have failled to develop and propagate Hindi during the last twenty years. The responsibility for propagating Hindi was left over to the Hindi Films. Nothing was done on the part of the Government. Even the recommendations of the Kher Commission have not been implemented by the Government.

There is no question of comparison between English and Hindi. English may be a more developed language than Hindi but self-respect of the country demands that we should have one of our own languages as official language. Most of the Indian languages have their origin in Sanskrit which is a rich language. Our culture has also laid great stress on freedom from bondage. Therefore, we canot tolarate our slavery to the English language. Our culture is absolutely different than English. One thousand years before Shri Jagadguru Shankrachanya walked throughout the country and established its 'Math' in all corners of the country. He was never worried about language or anything else. That clearily indicates that our culture is one and we are one. Even during the British days people were used to ask as to what would happen if Britishers left us. Similarly some people were pleading that it would be difficult for us to conduct our business without English But I would say that it is an imaginary fear.. We can very well conduct our business in one of our own languages.

It is also now being argued that unless Hindi is fully developed it should not be adopted as official language. In this connection I would like to say that no language can develop unless it is adopted and used by the people. Anybody who loves the nation will try to learn Hindi. But factual position is this that during the last twenty years we are losing the affection towards our nation as well as towards Indianisation slowly and steadily and foreign things are becoming dear to us.

So far as this Bill is concerned no detailed scheme has been envisaged for switch-over to Hindi. According to this Bill a single State can prevent adoption of Hindi. It is against the spirit of the Constitution and I would therefore suggest that this Bill may be withdrawn.

Shrimati Sucheta Kripalani (Gonda) : It is a matter of great regret that such a Bill has been put farward after twenty years of independence. It indicates that Government have failed to develop and popularise Hindi in the country.

Inspite of the fact that different customs are prevailing, different languages are spoken and even people wear different dresses in the country our culture and civilization is same. Sanskrit is a well developed language and majority of the Indian languages have their origin in Sanskrit. Anyone of the Indian languages can become the link language of our country But it is a matter of shame for us that we could not develop anyone of our languages as link as well as official language.

Hindi was accepted as the official language in the Constitution not because it was a developed language but because majority of the people of the country spoke and understand this language keeping in view the factual circumstances decision in favour of Hindi was taken.

If we can leave English which is a foreign language and which has no relation whatsoever, with the Indian languages we can also learn Hindi easily which is an Indian language and which has some relation or other with other Indian languages. Even Tamil like other Indian languages has some relation with Sanskrit. Some words are comon in all the Indian languages.

There is no doubt that it is a mistake of the Government that they did not propogate Hindi in Non-Hindi speaking areas. Had this been done there would have been no difficulty to-day and South Indians would have acquired proficiency in Hindi.

It is not improper if the South Indians want more time to learn Hindi. Such impression from the minds of the non-Hindi people that Hindi is being imposed upon them should be removed. Hindi should be made popular amongst the non-Hindi speaking people through persuation and not through imposition.

Injustice should not be done to anyone i.e. Hindi-speaking or non-Hind-sp eaking people. We have accepted Hindi as our official language and therefore there shou i not be any compulsion for them to attach English translation with a Hindi communication. English is only an associate language.

In Constitution Hindi has been adopted as an official language, The present Bill should also reflect that spirit. If there are any practical difficulties, we can use English.

So far as the question of employment in the Central Services is concerned we can reach at some adjustment. Actually the whole language problem revolves around that question of employment.

Mr. Deputy Speaker. The hon. Member eae continue her speech to-morrow.

कार्य मंत्रणा समिति

Business Advisary Committee

दसवां प्रतिवेदन

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का दसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 8 दिसम्बर, 1967/17 अग्रहायण 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, December 8, 1967/Agrahayana 17, 1889 (Saka).

Printed by Job Printers, 119, Swami Vivekanand Marg, Alld.